त्रयोदश माला, खंड 38, अंक 16

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2003
2 पौष, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 11 से 16 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 38, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 16, मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2003/2 पौष, 1925 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1-12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	301, 303, 304, 306 और 309	8-58
अल्प सूचना प्रश्न 1 और 2		58-81
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	302, 305, 307, 308 और 310 से 320	81-117
अतारांकित प्रश्न संख्या	3041 से 3168 . . .	117-289
सभा पटल पर रखे गए पत्र		289-315
राज्य सभा से संदेश		315
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति .		316
याचिका समिति		
अड़तीसवां प्रतिवेदन .		316
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
तेरहवां, चौदहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन		317
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
चौदहवां, पंद्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन		317
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
छियालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन .		317
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
बयालीसवां प्रतिवेदन .		318
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन .		318
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
सत्ताईसवां प्रतिवेदन		319

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	319
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
138वां से 144वां प्रतिवेदन	320
महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में 26.11.2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में विवरण	
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	321-327
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कथित हस्तक्षेप	
डा. वल्लभभाई कथीरिया	330-336
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) पूर्वी दिल्ली में ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों में डीडीए द्वारा पार्कों को विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री लाल बिहारी तिवारी	342
(दो) स्टील अथारिटी आफ इंडिया के कच्ची सामग्री विभाग को कोलकाता से झारखंड के सिंहभूम में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	342
(तीन) राज्य में चकबंदी कराए जाने के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता	
श्री परसुराम माझी	343
(चार) कोल 'फैरस और नानफैरस धातुओं की रायल्टी को संशोधित करने और उड़ीसा सरकार को बकाये का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	343
(पांच) राजस्थान सरकार को राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	344
(छह) उड़ीसा में बांसपानी-देतारी रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	344

विषय कॉलम

(सात) तम्बाकू उत्पादकों के लम्बित मामलों के संबंध में कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 345

(आठ) ग्रेटर मुम्बई में "मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 345

(नौ) वन संरक्षण नीति की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा 346

(दस) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम हेतु धनराशि जारी करना तथा चंचल सब-डिवीजन में अवसंरचना संबंधी विकास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 346

(ग्यारह) केरल में कार्मिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से परम्परागत उद्योगों को पुनरूज्जीवित करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन . . 347

(बारह) आंध्र प्रदेश के सालूर कस्बे में बीएसएनएल की सेल फोन सेवा को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकर राव 347

(तेरह) तमिलनाडु में बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमारासामी 348

(चौदह) महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड़ तहसील में तासावाडे एवं शीराधाडे गांव के बीच कृष्णा नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास पाटील 348

(पंद्रह) केरल में कोचीन में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. सेबेस्टियन पाल 349

विषय कॉलम

(सोलह) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की दामोदर रेल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने तथा पीपराडीह एवं करमटिया में कोयला खदानों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 349

(सत्रह) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक में हल्बा, हल्बी, गोवारी, गावारी एवं माना को अलग जातियों के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 350

(अठारह) चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान समयों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 351

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बेरोजगारी की स्थिति

श्री बसुदेव आचार्य 352

योगी आदित्यनाथ 366

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 374

श्री अरुण कुमार 384

श्री रामजीलाल सुमन 388

श्री खारबेल स्वाइं 390

श्री मणिशंकर अय्यर 394

श्री ए. कृष्णस्वामी 399

श्री बालकृष्ण चौहान 402

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे 404

डा. वी. सरोजा 406

श्रीमती कान्ति सिंह 409

श्री के.पी. सिंह देव 414

श्री अलकेश दास 416

श्री लक्ष्मण सिंह 418

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर . . . 420

प्रो. रासासिंह रावत 422

विषय		कॉलम
	श्री जी.एम. बनातवाला	423
	श्री चन्द्रनाथ सिंह	425
	श्रीमती रेनु कुमारी	426
	श्री चन्द्रकांत खैरे	427
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	428
	डा. नीतिश सेनगुप्ता	428
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	429
	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	430
	डा. साहिब सिंह वर्मा	430
(दो)	शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा	
	श्री जसवंत सिंह	372-379
सदस्यों द्वारा निवेदन		
(एक)	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति से उत्पन्न समस्या के बारे में	339
(दो)	चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी समारोह समिति के बारे में	412
आधे घंटे की चर्चा		
	गांधी पर विज्ञापन	
	श्री मणिशंकर अय्यर	439
	प्रो. रासासिंह रावत	442
	श्री वरकला राधाकृष्णन	443
	श्री रविशंकर प्रसाद	444
राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक—वापस लिया गया		447
राष्ट्रीय कर अधिकरण (संख्यांक 2) विधेयक—पुर:स्थापित		448
कार्यमंत्रणा समिति		
	उनसठवां प्रतिवेदन	449
विदाई उल्लेख		449
	अध्यक्ष महोदय	449
राष्ट्रगीत		452

लोक सभा

सोमवार, 23 दिसम्बर, 2003/2 पौष, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों प्रो० रामकृष्ण मोरे और बेगम आबिदा अहमद के दुखद निधन की सूचना देनी है।

प्रो० रामकृष्ण मोरे वर्ष 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के खेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

प्रो० रामकृष्ण मोरे 1997 से 1998 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे। वह वर्ष 1999 में महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए पुन: निर्वाचित हुए और जीवनपर्यन्त इसके सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालयों का कार्यभार संभाला।

एक सक्रिय राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रो० मोरे, लोनावाला आटर्स एंड कॉमर्स कालेज के संस्थापक थे। वह हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स एम्प्लाईज यूनियन; पुणे जिला शिक्षा संघ; इन्द्रायणी विद्या मंदिर तथा रक्षाकर्मी समन्वय समिति के अध्यक्ष भी रहे।

प्रो० मोरे, जो साहित्यक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ने मराठी में ''हुन्डा बंदी'', ''अन्तर जातीय विवाह'' और ''रचनात्मक कार्य'' नामक तीन पुस्तकें लिखीं। शास्त्रीय संगीत, नाटक और खेलकूद में भी उनकी गहरी रुचि थी।

प्रो० रामकृष्ण मोरे का निधन, 56 वर्ष की आयु में 2 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में हुआ।

बेगम आबिदा अहमद 1981 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री फखरूद्दीन अली अहमद की पत्नी थीं और एक कर्मठ सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता भी थीं। उनकी विविध क्षेत्रों में रुचि थी और उनका व्यक्ति बहुआयामी था।

वह सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा महिलाओं से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ी थीं। वह गालिब संस्थान एवं संग्रहालय; भारत-भूटान मैत्री संघ, नई दिल्ली; भारत-चेकोस्लोवाकिया सांस्कृतिक संघ; यूनिटी इंटरनैशल; हकीम अजमल खां गर्ल्स स्कूल, दरियागंज दिल्ली; कालिंदी कालेज, नई दिल्ली के शासी निकाय; साउथ दिल्ली पालीटेक्निक फॉर विमेन, नई दिल्ली तथा अनाश्रित बालिका गृह की अध्यक्ष थीं।

वह 'महिला इमदाद' कमेटी; बालिका; और 'हम सब' ड्रामा ग्रुप, गालिब संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष थीं। वह राष्ट्रीय एकता परिषद्, नयी दिल्ली की सदस्य तथा भारत-ट्यूनिशिया मैत्री संघ की संरक्षक थीं। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन्स वालन्ट्री सर्विसेज के उप-महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया।

बेगम आबिदा अहमद, 1979 में मास्को में आयोजित विश्व ''बाल वर्ष'' सम्मेलन में भाग लेने गए भारतीय महिला प्रतिनिधिमंडल की नेता थीं।

बेगम आबिदा अहमद का निधन, 80 वर्ष की आयु में 7 दिसम्बर, 2003 को नयी दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का अंतिम दिन है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रवेश संबंधी नीति से संबंधित मुद्दा कल भी उठाया था। यह मामला इतना गंभीर है कि उपकुलपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सम्बोधित एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि :

> ''आज शाम आपके दूरभाष सन्देश के संदर्भ में, मैं विश्वविद्यालय की दाखिला संबंधी नीति के संबंध में अपेक्षित जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं।''

महोदय, विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद में निहित प्रवेश संबंधी नीति को अब तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, माननीय मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे पता चला है कि मंत्री महोदय आज शहर में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसी विभाग के राज्य मंत्री आज वक्तव्य देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह वक्तव्य कब देंगे? आज की कार्यसूची में हमने बेरोजगारी संबंधी समस्या को चर्चा हेतु सूचीबद्ध किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। मैं बीच में ही चर्चा को रोक दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि मंत्री महोदय सभा में वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने के संबंध में नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय; अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी वही कहा है कि मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आटोनॉमी पर हमला किया जा रहा है। उसकी स्वायत्तता और माइनोरिटी करैक्टर खतरे में है। *(व्यवधान)* यह लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। *(व्यवधान)* सरकार द्वारा जो इस सम्बन्ध में सर्कुलर जारी हुआ है, उसे वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न जब मंत्री जी वक्तव्य देंगे, तब आप पूछना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अंतिम दिन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दे पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार एक वक्तव्य देगी और सरकार के वक्तव्य में सरकार तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करेगी। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से हम लोगों द्वारा बराबर यह मांग की जा रही थी कि कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव तुरंत कराए जाएं, क्योंकि चुनाव नहीं कराए जा रहे थे। तब सरकार ने कहा था कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद इसके चुनाव कराएंगे। अब हम लोगों को यह पेपर सर्कुलेट किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि आज कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्ट में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। *(व्यवधान)* इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को इस सत्र में पास किया जाए, क्योंकि आज इस सत्र का अंतिम दिन है। *(व्यवधान)* पता नहीं बजट सत्र होगा भी या नहीं *(व्यवधान)* दो साल से वहां इलेक्टेड बॉडीज भंग पड़ी है, चुनाव नहीं हो रहे हैं *(व्यवधान)* जिसके कारण अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से असेसमेंट आदि किए जा रहे हैं, जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त हैं। कृपया चुनाव शीघ्र कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आपने विषय को यहां रेज कर दिया है, अब आप बैठें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सरकार को हमारा निवेदन है कि इस बिल को पास किया जाए, जबकि यह बिल पहले ही पास हो जाना चाहिए था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजाबूर) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में 8 लाख एकड़ धान की फसल पानी के अभाव में बुरी स्थिति में है। दो माह पूर्व, हमारे नेता डा० कलायंगनार ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वह कावेरी नदी प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित करें परन्तु अब तक बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। कर्नाटक सरकार कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम पंचाट को मानने के लिए तैयार नहीं है और वह आयात प्रबंधन सूत्र (डिस्ट्रेस मैनेजमेंट फार्मूले) को भी मानने को तैयार नहीं है। कावेरी डेल्टा के कृषक जलाभाव के कारण पूरे डेल्टा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनी सब देख रही है। राज्य सरकार भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है।

इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त कावेरी नदी प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित करें और इस समस्या का समाधान खोजें ताकि कावेरी डेल्टा के कृषकों एवं लाखों कृषि श्रमिकों को बचाया जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री ए०के० विजयन (नागापट्टिनम) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीपालनी-मनिक्कम द्वारा उठाए गए मामले से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं

क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कृषक पानी की कमी के कारण बहुत अधिक प्रभावित हैं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है, सरकार को सर्कुलर वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, राशिद भाई को भी बोलने दीजिए। अलवी जी, आप बोलिये।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की तहसील हरौड़ा में दो दलितों को मामूली पाइप की चोरी के इल्जाम में पीट-पीट कर मार दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। *(व्यवधान)* यह मामला केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान भर में ऐसा हो रहा है। गुजरात के अंदर भी दलितों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्नकाल आरम्भ करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला हो रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय उप-प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, उन्हें सभा को इस मुद्दे पर आश्वस्त करना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब प्रश्नकाल शुरू कर दिया है। प्रश्न सं० 301

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, परिपत्र को अविलंब वापस ले लेना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सदन में मेरे कहने के बाद कि यह विषय गंभीर है, मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में इसे उठाइए। अभी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कैबिनेट मंत्री यहां पर नहीं हैं। उप-प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। उन्हें इस विषय पर उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंधित मंत्री आने वाले हैं और वह उत्तर देंगे। यदि उप-प्रधानमंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो मैं उनको नहीं रोक सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब मैं प्रश्नकाल आरम्भ करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उप-प्रधानमंत्री उत्तर देना चाहते हैं, मैं उनको नहीं रोकूंगा लेकिन उत्तर देने हेतु मैं उनपर जोर नहीं डाल सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला हो रहा है। *(व्यवधान)* सरकार सर्कुलर वापस ले। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे जानने दीजिए कि उप-प्रधानमंत्री महोदय को क्या कहना है।

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मुझे एक अलग प्रकार का निवेदन करना है। क्या उन सदस्यों को अवसर देने से वंचित करना उचित है जिन्होंने प्रश्न काल के लिए नोटिस दिया है और जो प्रश्न सूची में सम्मिलित हैं? यदि कुछ कहना है तो यह शून्य काल में कहा जाना चाहिए, प्रश्न काल में नहीं। मेरा यही निवेदन है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार द्वारा सर्कुलर को वापस लिया जाना चाहिए। यह अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी की स्वायता पर हमला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार प्रश्न काल के बाद उचित समय पर उत्तर देगी, इस समय नहीं।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, वे प्रश्न काल को कैसे रोक सकते हैं। यह सभा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझे सुनिए।

[अनुवाद]

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस संबंध में नियम की वास्तविक स्थिति समझें। नियम के अंतर्गत 'शून्य काल' में किए गए निवेदन का मंत्री द्वारा अविलम्ब उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सभा की जानकारी के लिए मुझे यह बात अवश्य कहनी चाहिए कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए मैंने कहा कि मंत्री महोदय आज या कल उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल यही हुआ था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। मैंने यह कल कहा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, जब मैं विपक्षी दलों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं तो विपक्षी दलों को भी सहयोग करना चाहिए। मैं इसका महत्व समझता हूं। उप-प्रधानमंत्री महोदय का यह कहना भी सही है कि सदस्यों ने 'प्रश्न काल' की सूचना बहुत पहले दी है और यह उनका विशेषाधिकार है, यह उनका अधिकार है कि मंत्री महोदय के उत्तरों को सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री राशिद अलवी : उत्तर देने का समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मध्याह्न 12.00 बजे के बाद शीघ्र ही मैं मंत्री महोदय का नाम बुलाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उत्तर दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबेआला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ-साथ जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द यूनिवर्सिटी का भी सवाल है। माइनॉरिटीज के ताल्लुकात रखने वाले सारे मामलात गंभीर हैं। *(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونناني): جناب عالی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ہمدرد یونیورسٹی کا بھی سوال ہے۔ مائناریٹیز سے تعلق رکھنے والے سارے معاملے سنجیدہ ہیں۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक मुद्दे का महत्व समझता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में जीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.16 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्षेत्र सुधार संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं का बंद किया जाना

+

*301. **डा० चरण दास महंत :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से, क्षेत्र सुधार संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान और अभी तक सरकार द्वारा आरंभ की गयी क्षेत्र सुधार संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गयी;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) स्थानीय समुदाय की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए परियोजना के बढ़े हुए परिव्यय को अनुमोदित करने के लिए चार क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये इस प्रकार हैं :–

(लाख रु० में)

क्रम सं०	क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना का नाम	राज्य	अनुमोदित परियोजना परिव्यय	बढ़ाए गए परियोजना परिव्यय हेतु अनुरोध
1	2	3	4	5
1.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	4859.55
2.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	6000.00
3.	मंगलोर	कर्नाटक	4000.00	5000.00
4.	सूरत	गुजरात	4000.00	6113.30

(ग) क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाएं भारत सरकार के अंश और सामुदायिक योगदान के विशिष्ट अनुमोदित परियोजना परिव्यय के साथ परियोजना मोड में कार्यान्वित की जाती हैं। निधियां भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजना जिलों को सीधे रिलीज की जाती हैं। अनुमोदित परियोजना परिव्यय, भारत सरकार के अंशदान तथा वर्ष 2003-04 सहित अब तक वर्षवार रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र तथा इसके बाद क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना जिलों में शुरू की गई परियोजनाओं में शुरू किए गए सुधारों को वर्ष 2004-05 से समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 1.04.2004 से स्वजलधारा-II जिलों के रूप में इन जिलों को अधिसूचित करने पर विचार करें, जिससे इन परियोजनाओं को सुचारू रूप से स्वजलधारा में लाना सुनिश्चित किया जा सके चूंकि स्वजलधारा समान सुधार सिद्धांतों पर आधारित है तथा वास्तव में यही एकमात्र ऐसी योजना है जो समूचे देश को शामिल करने के लिए 1999 में क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं द्वारा शुरू किए गए सुधार प्रयासों को आगे बढ़ा रही है।

अनुबंध

क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं की वर्षवार रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना का नाम	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	रिलीज राशि					कुल रिलीज
					1999-01	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	3509.00		1052.70		1000.00	1050.00	3102.70
3.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
4.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00			1122.00		1122.00	2244.00
5.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
6.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00				1122.00	1122.00	2244.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00				374.00	374.00	748.00
8.	लोहित	अरूणाचल प्रदेश	900.00	841.50	252.45					252.45
9.	पश्चिम सियांग	अरूणाचल प्रदेश	700.00	654.50	196.35		196.35			392.70
10.	जोरहट	असम	1275.00	1188.60	356.58					356.58
11.	कामरूप	असम	1000.00	935.00	280.50				142.02	422.52
12.	सोनितपुर	असम	1181.00	1103.49	331.04					331.04
13.	वैशाली	बिहार	4000.00	3740.00		26.00	1096.00			1122.00
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	3740.00			1122.00			1122.00
15.	मेहसाणा	गुजरात	4000.00	3740.00	1122.00				1122.00	2244.00
16.	राजकोट	गुजरात	4000.00	3740.00	1122.00				1122.00	2244.00
17.	सूरत	गुजरात	4000.00	3740.00	1122.00				1122.00	2244.00
18.	करनाल	हरियाणा	1507.00	1409.05	422.71				422.00	844.71
19.	यमुना नगर	हरियाणा	986.18	922.08	276.62				269.82	546.44
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.00	1857.50	557.25					557.25
21.	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर	2511.00	2347.79	704.33					704.33
22.	उधमपुर	जम्मू व कश्मीर	2500.00	2250.00	675.00					675.00
23.	धनबाद	झारखण्ड	4000.00	3740.00		26.00	1096.00			1122.00
24.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.00	3740.00	1122.00					1122.00
25.	मंगलौर	कर्नाटक	4000.00	3740.00	1122.00				1122.00	2244.00
26.	मैसूर	कर्नाटक	4000.00	3740.00	1122.00					1122.00
27.	कासरागोद	केरल	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
28.	कोल्लम	केरल	4000.00	3740.00			1122.00			1122.00
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.94	2737.62	821.29					821.29
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00				1122.00
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00				1122.00
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00				1122.00
33.	सेहोर	मध्य प्रदेश	1795.00	1678.15	503.44					503.44
34.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.00	1973.50	592.05				592.05	1184.00
35.	धुले	महाराष्ट्र	3952.78	3692.96	1122.00					1107.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4000.00	3740.00	1122.00				1122.00	2244.00
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.00	3473.80	1042.14				1042.00	2084.14
38.	रि-भोई	मेघालय	975.11	907.01			272.10			272.10
39.	सेरछिप	मिजोरम	268.98	248.17	74.45		74.45	74.45		223.35
40.	दीमापुर	नागालैंड	594.00	555.39	166.61				166.61	333.22
41.	बालासोर	उड़ीसा	4000.00	3740.00		1122.00			450.00	1572.00
42.	गंजम	उड़ीसा	4000.00	3740.00			1122.00		1122.00	2244.00
43.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
44.	भटिंडा	पंजाब	752.19	700.95	210.28					210.28
45.	मोगा	पंजाब	344.00	321.44	96.43					96.43
46.	मुक्तसर	पंजाब	3992.80	3733.27		1119.98				1119.98
47.	अलवर	राजस्थान	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
48.	राजसमंद	राजस्थान	4000.00	3740.00				1122.00		1122.00
49.	जयपुर	राजस्थान	4000.00	3740.00		1122.00			1122.00	2244.00
50.	सीकर	राजस्थान	2171.00	1986.05		595.81			595.81	1191.62
51.	दक्षिणी सिक्किम	सिक्किम	1322.48	1210.07	363.02					363.02
52.	पूर्वी सिक्किम	सिक्किम	892.35	816.50	244.95					244.95
53.	कोयंबटूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	1122.00		1122.00			2244.00
54.	कुडालौर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	1122.00		1122.00		1122.00	3366.00
55.	पेरमबलूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00		1122.00		1122.00	690.30	2934.30
56.	विल्लूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	1122.00		300.00	1944.00	335.20	3701.20
57.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	4000.00	3740.00				374.00	374.00	748.00
58.	विरूद्धसनगर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00				374.00	374.00	748.00
59.	पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.40	2566.90	770.07			770.07	770.07	2310.21
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.00		841.50				841.50
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.50		701.25				701.25
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.00	3740.00		1122.00				1122.00
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.00		841.50				841.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.50		701.25				701.25
65.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	4000.00	3740.00			1122.00		725.79	1847.79
66.	उ० 24 परगना	पश्चिम बंगाल	4000.00	3740.00			1122.00		627.82	1749.82
67.	हरिद्वार	उत्तरांचल	4000.00	3740.00			300.00	822.00		1122.00
	कुल		206045.21	192285.28	21265.45	20491.99	12310.90	9098.52	26953.49	90120.35

[हिन्दी]

डा० चरणदास महंत : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को मालूम है कि देश में ऐसी 67 परियोजनाएं प्रारम्भ हुई हैं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार 1999-2000 में मात्र 32 परियोजनाओं, 2000-2001 में 25 परियोजनाओं, 2001-2002 में 15 परियोजनाओं और 2002-2003 में मात्र 11 परियोजनाओं के लिए धनराशि दी गई। इससे केन्द्र सरकार की यह मंशा स्पष्ट होती है कि वह इन परियोजनाओं को बंद करना चाहती है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जब मिशन 2004 शुरू किया, उस समय भी मात्र 34 परियोजनाओं के लिए ही धनराशि आवंटित की। मंत्री महोदय बताएं कि क्या वह देश में इन परियोजनाओं को लागू रखना चाहते हैं या नहीं?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मैम्बर ने जिन परियोजनाओं का डिटेल में ब्यौरा दिया है, उसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा उन परियोजनाओं को बंद करने की नहीं है। इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई। 1999 से आज तक 67 जिलों में ये योजनाएं चल रही हैं, मैं उनका ब्यौरा देना चाहता हूं। तमिलनाडु के वैल्लूर जिले में चल रही एक योजना की स्थिति यह है कि उसका काम पूरा हो गया है। उसके सारे इनस्टॉलमैंट्स दे दिए गए। पांच जिले ऐसे हैं, जहां तीन इनस्टॉलमैंट्स दे दिए गए और जिन का काफी काम पूरा हुआ है। उनमें से एक प्रोजैक्ट के लिए अभी चौथी इनस्टॉलमैंट देना ड्यू है। 30 जिले ऐसे हैं, जहां दो इनस्टॉलमैंट्स दिए गए हैं और तीसरी इनस्टॉलमैंट ड्यू है। इसका मतलब है कि आउट ऑफ दी 67 डिस्ट्रिक्ट्स, करीब 36 जिले ऐसे हैं जहां करीब-करीब काफी काम पूरा हुआ है। बाकी 30 में हो सकता है कि धीमी गति से काम चल रहा हो लेकिन सरकार की मंशा उन योजनाओं को बंद करने की नहीं है। सरकार ने उनकी तरफ भी ध्यान दिया है। 1996 और 1999 में सरकार के ध्यान में यह बात आई थी कि सरकारी माध्यम से जो पेयजल योजनाएं चल रही हैं, उन पर ठीक तरह से काम नहीं होता है। सरकारी योजनाओं में लोगों का पार्टिसिपेशन न होने से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए लोगों के पार्टिसिपेशन से जब योजनाएं शुरू हुई, वे पायलट प्रोजैक्ट सैक्टर रिफॉर्म के रूप में चालू हैं। ऐसी योजनाओं के प्रति लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया और काफी दिलचस्पी ली। काफी जगह ऐसी योजनाएं चल भी रही हैं। आज यह स्थिति है कि हरेक गांव में और हरेक जिले में अच्छा माहौल तैयार हो गया है। इसीलिए 25 दिसम्बर, 2002 को आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा स्वजलधारा योजना लॉच हुई जिस के माध्यम से हमने एक साल में करीब 4744 योजनाओं को कई जगहों पर सैंक्शन करके चलाया। मैं आदरणीय मैम्बर को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी इन योजनाओं को बंद करने की मंशा नहीं है। हम जनता के पार्टिसिपेशन से पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० चरणदास महंत : अध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री राज्य सभा में एक उत्तर देते हैं, और यहां लोक सभा में कुछ और उत्तर देते हैं। राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं० 143, दिनांक 30.07.2003 को उन्होंने कहा था कि "यह पायलट परियोजना 31 मार्च, 2004 को बन्द कर दी जाएगी।" लेकिन आज यहां कह रहे हैं कि सिर्फ स्वजल धारा योजना के अंतर्गत उन्होंने नयी योजनायें स्वीकृत करने के लिये कुछ राज्य सरकारों को नये निर्देश दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिये वे किन-किन जिलों को स्वीकृत करेंगे? क्या वे वही जिले होंगे जहां एन०डी०ए० के सांसद होंगे या जनमानस और जन आवश्यकता के अनुसार जिले स्वीकृति किये जायेंगे?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि राज्य सभा में कुछ उत्तर दिया है और यहां कुछ दूसरा उत्तर दिया गया है – ऐसा बिलकुल नहीं है। सैक्टर रिफार्म्स के प्रिंसीपल के आधार पर ट्रिपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से 10 प्रतिशत पीपल्स पार्टिसिपेशन और 90 प्रतिशत पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से स्वजल धारा योजनाएं चल रही हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर हम खाली ट्रांजीशन ऑफ प्रोजैक्ट कहें, वह सैक्टर रिफार्म्स नहीं हैं, यानी हम यह योजना अब स्वजल धारा के नाम से इंपलीमेंट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि पहले इस योजना में 67 जिले लिये गये थे लेकिन आज एक साल में 322 डिस्ट्रिक्ट्स में यह योजना चालू है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, राज्य सभा में जो उत्तर दिया गया, जिस योजना की बात चल रही है, वह उसके लिये था और क्या अभी जो आप उत्तर दे रहे हैं, वह स्वजल धारा के संबंध में है – क्या ऐसा है?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : नहीं, मैं इसका उत्तर सभा पटल पर रख देता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : अध्यक्ष महोदय, सैक्टर रिफार्म की हमारी जो स्कीम है, जो अभी तक लागू है, यहां सवाल उससे संबंधित उठाया गया। जिस तरह राज्य सभा में 2004 तक सवाल का जवाब दिया गया था, वह ठीक था। इसलिये हमने परियोजना की सफलता को देखकर और पूरे देश में इसे फैलाने के लिये उस योजना को हमने स्वजल धारा-2 में कनवर्ट कर दिया और उसके मुताबिक यह योजना चालू है। वह पॉयलट प्रोजैक्ट था जो मार्च, 2004 तक होगा लेकिन काम बाकी आगे चलता रहेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय अनेक वर्षों से ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनके नाम बार-बार बदले गए हैं। मेरी इच्छा है कि इन योजनाओं के नाम बदलने पर कम और उनकी वास्तविकता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। ऐसा कह कर सरकार ने सुधार क्षेत्र में इन योजनाओं को शुरू किया है और उन्होंने 63 जिलों का चुनाव किया है। हमें बताया गया है कि जनता की भागीदारी के अभाव में ये योजनाएं सफल नहीं हो सकी हैं। क्या मंत्री महोदय हमें यह बता सकते हैं कि उन्हें पहले इस बात की जांच नहीं कर लेनी चाहिए थी कि क्या ये कार्यक्रम इन जिलों में व्यवहार्य हैं? यदि वे जनता की भागीदारी के अभाव में सफल नहीं हुए हैं तो क्या मंत्री महोदय उन एजेन्सियों की रिपोर्टों के बारे में हमें भी बताएंगे जिन्होंने सेक्टर सुधारों का मध्यावधि मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी ली थी?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, शुरू में इस सेक्टर सुधार की गति धीमी थी क्योंकि लोग स्थिति से अवगत नहीं थे कि उन्हें योजना में भाग लेना है। इसलिए निसंदेह, शुरू में इसकी गति मंद भी लेकिन इस योजना के जोर पकड़ने और सफलता के बाद इसकी गति काफी बढ़ गई है। ये रिपोर्टें योजना आयोग और भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा तैयार की गई थीं। उन्होंने पेयजल के संबंध में देश की स्थिति का सर्वेक्षण किया था। लेकिन हमें उसे किसी प्रकार जारी रखना था और यह अत्यंत सफल होगा।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में 'स्वजल-धारा' योजना अत्यंत सफल रही है। हम इस योजना के लिए कृतज्ञ हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे हरिजन और एस०सी० क्षेत्र निधि नहीं जुटा सकते। आप इस योजना के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? प्रति योजना 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये दिए जा सकते हैं। इस योजना से धन मिल सकता है और समस्या हल की जा सकती है। इस पर अभी प्रतिबंध है। कृपया इस पर पुन: विचार कीजिए विशेषकर हरिजन, एस०सी० और चाय बागान वाले क्षेत्रों में जहां प्रबंधन भुगतान नहीं करता है और श्रमिक भी भुगतान नहीं कर सकता। हम अपनी निधि से 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये दे सकते हैं और उससे 1000 या 2000 लोगों को जल मिल सकता है। क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, यह विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लिए – अच्छा सुझाव है। श्री संतोष मोहन देव द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वजलधारा द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही है। स्वजलधारा योजना मांग आधारित योजना है। इस संदर्भ में पूर्व में भी हम लोगों ने इस सदन के अंदर यह बात रखी थी कि माननीय संसद सदस्यों की सांसद विकास निधि और राज्यों की विधायक विकास निधियों का अंशदान इसमें स्वीकार कर लिया जाए। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री शांता कुमार जी ने सदन के पटल पर लिखित तौर पर आश्वासन दिया था कि सांसद विकास निधि का समायोजन इसमें अंशदान के रूप में किया जायेगा। लेकिन अभी तक सांसद विकास निधि का व्यावहारिक तौर पर अंशदान के लिए समायोजन नहीं हुआ है। इस मामले में मैं माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : इस बारे में प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स डिपार्टमैंट में हमने प्रोपोजल दिया और जल्द से जल्द वे लोग हमें इनफोर्म करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी का सदन में आश्वासन था, उसके बाद भी उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : जो आश्वासन दिया गया था, उसके आधार पर ही एक्शन लेते हुए, हमारे मंत्रालय की ओर से यह प्रोपोजल फाइनेन्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन में मशविरा हेतु भेजा गया है। वहां यह प्रोसैस में है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले 67 जिले चुने गये थे। उसमें बिहार का भी एक जिला चुना गया

था। इसमें दस प्रतिशत पैसा जनता को लगाना है और 90 प्रतिशत सरकार को देना है और इस तरह से गांवों में जलापूर्ति करनी थी। हमारे यहां इससे लोगों में जागरण हुआ है और 1400 गांवों में से एक हजार गांवों में काम हो गया है, लेकिन अभी पांच सौ गांवों में काम शुरू हो रहा है, लेकिन अब स्वजलधारा योजना में जनता को बीस प्रतिशत पैसा लगाना है, जबकि दस प्रतिशत वाली पहले ही योजना अभी सफल होने जा रही थी। लेकिन इन्होंने उसे अब बीस प्रतिशत कर दिया है। अब जनता ज्यादा पैसा दे और सरकार कम पैसा देगी, यह उचित नहीं है। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि खासकर वैशाली जिले में अभी काम बाकी है। वहां गांवों के लोग पैसा जमा कर चुके हैं, लेकिन इनका तत्काल निदेश गया कि काम तुरंत रोका जाए, जिससे वहां लोग उलझन में पड़ गये हैं। अगर जनता का जमा किया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा तो उससे लोगों में बहुत खराब रिएक्शन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वैशाली जिले में जिन गांवों में लोगों द्वारा पैसा जमा किया जा चुका है, क्या उनका काम पूरा किया जायेगा और जो बचे हुए चार सौ गांव हैं, क्या उनमें भी इस योजना को पूरा किया जायेगा।

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : जो 1400 गांव पूरे हो गये हैं, पहले उनके लिए धन्यवाद तो दीजिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जिन गांवों में काम हो गया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन बचे हुए गांवों में जब काम हो जायेगा तब उसके लिए ज्यादा धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा धन्यवाद दिया गया, ऐसा इस सदन में पहली बार हुआ है।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष जी, पहली बात यह है कि माननीय सदस्य ने जो कहा कि लोगों का अंशदान दस परसेन्ट से बढ़ाकर बीस परसेन्ट पैसा किया जायेगा, वह बीस परसेन्ट नहीं किया जायेगा, वह दस परसेन्ट ही रहेगा – चाहे वह सैक्टर रिफॉर्म्स के माध्यम से हो, चाहे स्वजलधारा योजना के माध्यम से हो, क्योंकि मार्च, 2004 के बाद भले ही वह स्वजलधारा में भी कन्वर्ट हो जाए तो भी वह बीस परसेन्ट नहीं होगा। आपकी जो शंका है कि बाकी काम कब होगा, वह बाकी काम भी जरूर होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 302 लेंगे। श्री ब्रह्मनैया, उपस्थित नहीं हैं।

शहरी निराश्रितों हेतु रैनबसेरों की योजना

*303. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में शहरी निराश्रितों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित रैनबसेरा योजना के कार्यनिष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा इसका कार्यान्वयन कारगर ढंग से किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के कारगर कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 से 2003-04 (17.12.2003 की स्थिति के अनुसार) के दौरान रैनबसेरा योजना के अंतर्गत 18059 बिस्तर, 17204 डब्ल्यू०सी०, 2671 स्नानघर तथा 2422 मूत्रालय उपलब्ध कराने हेतु कुल 104 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना मांग परक है और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के समय पर प्रस्तुत करने एवं भूमि उपलब्ध कराने व निर्माण लागत वहन करने हेतु उनकी सहमति पर निर्भर करता है।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त निवेश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिशा-निर्देशों को अक्तूबर, 2002 में उदार बनाया गया है। परिशोधित दिशानिर्देशों में शहरी बेसहारा लोगों के लिए सामुदायिक शौचालयों एवं स्नानघरों के साथ संयुक्त रैन बसेरों के निर्माण की व्यवस्था है। इसके अलावा, भारत सरकार की आर्थिक सहायता राशि रैनबसेरा की निर्माण लागत की 20% तथा 1000/- रु० प्रति व्यक्ति तक समिति, को संशोधित करके, निर्माण लागत की 50% प्रति बिस्तर 20000/- रु० तक सीमित, कर दी गई है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने नाइट शैल्टर स्कीम का इवैल्यूएशन किया और करैक्टिव स्टैप्स लेकर, रिवाइज्ड गाइड लाइन्स इश्यू कीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1988 से 2003 तक देश भर में केवल 17,000 ब्लॉक बने हैं। उसका एक कारण यह पाया गया है। कि इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत हिस्सा देती थी, लेकिन अब उसने 50 प्रतिशत देना तय किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक और स्कीम है। उसमें एन०जी०ओज०

का पार्टीसिपेशन है और 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन लोकल पीपुल का है। फिर – निर्मल भारत अभियान – के नाम से भारत सरकार ने एक स्कीम अभी घोषित की है जिसमें 100 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट संस्थाओं का है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस अर्बन पूअर की सैनीटेशन स्कीम्स को उसके साथ में लेकर, कॉमन गाइड लाइन्स और कॉमन नियम बनाए जाएंगे और जिसमें लोगों को 50 प्रतिशत देना है, उसमें सरकार 100 प्रतिशत अंशदान देगी, क्या इस बारे में सरकार ने कोई विचार किया है?

[अनुवाद]

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सभी योजनाओं को एक साथ मिलाने और उनके क्रियान्वयन के लिए समान दिशानिर्देश बनाने के बारे में विचार करेंगे।

[हिन्दी]

क्या एम०पी०एल०ए०डी०एस० निधि से जैसे कि स्वजलधारा में अभी प्रश्न हुआ कि

[अनुवाद]

इस समय स्वजलधारा योजना के मामले में एम०पी०एल०ए० डी०एस० निधि से 10 प्रतिशत योगदान दिया जाता है।

[हिन्दी]

इसमें अगर एम०पी०एल०ए०डी०एस० से 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन की बात आए, तो क्या माननीय मंत्री जी इसे मान्य करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, यह कार्यक्रम मुख्यत: रैनबसेरा कार्यक्रम है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने रैनबसेरा कार्यक्रम के लिए रु० 30.97 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन हमने जिन राज्यों को धनराशियां आवंटित की हैं उनका कार्यनिष्पादन इतना उत्साहजनक नहीं है। इसीलिए, 27 जुलाई 2003 को सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन ने अपनी अध्यक्षता में राज्य सरकारों के सभी सचिवों की बैठक जुलाई 1 इसमें कुछ गैर-सरकारी संगठन और फील्ड स्तर के लोग भी सम्मिलित थे। उस समय हमारे पास कुछ 'फीडबैक' था। तदनुसार, हम राज्य सरकारों की सहभागिता और बढ़ाकर इस कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश में संशोधन करना चाहते थे।

दूसरे, इसी के साथ-साथ जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने 8 अक्टूबर, 2003 को आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। उस समय भी, मैंने एक बार इस योजना की समीक्षा की थी। मैंने संशोधित दिशानिर्देशों का प्रस्ताव भी किया था।

रैन बसेरा योजना जो कि मुख्यत: दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकता और हैदराबाद जैसे महानगरों और अहमदाबाद और लखनऊ जैसे अन्य शहरों के गरीबों के लिए है जो भिक्षावृत्ति करने वालों और इसी तरह मांगने वाले अन्य लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यद्यपि भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध है।

सदस्य महोदय ने इस प्रश्न के खण्ड (ख) में निर्मल भारत अभियान के बारे में पूछा है। यह योजना एक स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम है जो कि बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना का एक संघटक है। यह कार्यक्रम उन शहरों के लिए जहां मलिन बस्तियां नहीं हैं। हम इस संघटक का 20 प्रतिशत निर्मल भारत अभियान के लिए रखना चाहते थे। इसलिए, शहरी क्षेत्रों में यह मुख्यत: सामुदायिक शौचालयों तक सीमित है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि क्या आप इन सभी योजनाओं को एक साथ मिलाने को तैयार हैं और प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या एम०पी०एल०ए०डी०एस० निधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये दो छोटे प्रश्न हैं।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : जैसा कि मैंने कहा, इस योजना के अंतर्गत हम 20 प्रतिशत रखते हैं। माननीय सदस्य ने इन कार्यक्रमों विशेषकर रैन बसेरा कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान और अन्य कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने के बारे में पूछा है। हम इस योजनाओं को मिलाने जा रहे हैं और हम उन्हें एक साथ शुरू करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि हम एम०पी०एल०ए०डी०एस० योजना के संबंध में भी जांच कर सकते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, इस सरकार ने सभी स्कीमों के संबंध में यह निर्णय लिया है कि

[अनुवाद]

सभी योजनाओं के संबंध में आपने पहले ही निर्णय ले लिया है कि जहां कहीं भी राज्य अंशदान देते हैं अथवा किसी अन्य स्थान से अंशदान प्राप्त होना है – तो यह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम०पी०एल०ए०डी०एस०) योजना के माध्यम से भी दिया जा सकता है। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

इस स्कीम में खाली यही बाकी रह गया है। क्या इस स्कीम में ऐसी व्यवस्था सरकार मान्य करेगी *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत वाजिब बात है। माननीय मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा भी अनुरोध है कि वे इसे मान्य करें। इसमें क्या हर्ज है? माननीय मंत्री जी, आश्वासन दे दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि वह जांच करेंगे।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का क्या हुआ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम०पी०एल०ए०डी०एस०) निधि से राज्यों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए अंशदान किया जा सकता है, तो हम निश्चय ही इस पर विचार कर सकते हैं और राज्य के कार्यों में इससे अंशदान किए जाने पर सहमत हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सहमत हो गए हैं। यदि वह सहमत हो गए हैं, तो यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अनुपूरक प्रश्न था।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए हैं। अब और क्या सप्लीमेंट्री रह गया।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : श्रीमिकों का रोजगार की तलाश में जनजातीय क्षेत्रों से विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रवजन हो रहा है, विशेषकर जनजातीय लोग जो महानगरों में मजदूर तथा घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास शहरों में रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वास्तव में, भारत सरकार ने यह योजना आरम्भ की है और महानगरों में रैन बसेरे बनाने के लिए अनेक राज्यों को धनराशि दी है। अनेक राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय ने उन राज्यों के संबंध में क्या कार्यवाही की है जो कि इस धनराशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक महानगर हैं जिन्होंने धनराशि ले ली है लेकिन रैनबसेरे नहीं बनाए हैं। इन रैनबसेरों के बन जाने के बाद, भारत सरकार कैसे इनका रख-रखाव करने का विचार करती है ताकि इन प्रवासी श्रमिकों, जो कि कार्य करने के लिए आते हैं, के पास कम से कम रहने की जगह तो हो?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : माननीय सदस्य ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह संकल्पना मुख्यत: उन लोगों के लिए है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन भूमि, एक मुख्य समस्या है। घनी आबादी वाले क्षेत्र, जैसे रेलवे स्टेशन और बस-स्टैंड इत्यादि स्थानों का काफी व्यवसायीकरण हो गया है। इसलिए, जबकि अनेक राज्य सरकारों ने धनराशि ले ली है लेकिन उन्होंने उसके उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अत: जैसा कि मैंने पहले कहा था, शहरी क्षेत्रों के लिए विशेषकर शहरों के मध्य में भूमि एक बड़ी समस्या है। यह एकमात्र समस्या है। वहां अन्य कोई समस्या नहीं है। यदि राज्य सरकारें भूमि और परियोजना का प्रस्ताव करती हैं तो कोई समस्या नहीं होगी *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : गुजरात सरकार ने अभी तक धनराशि का उपयोग नहीं किया है। अत:, मैं जानना चाहूंगा कि यह देखने के लिए कि गुजरात सरकार धनराशि का उपयोग करे, आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : जैसा कि मैंने कहा है, गुजरात सरकार ने धनराशि का उपयोग किया है। लगभग 410 लाख रु० की परियोजना लागत है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में गुजरात सरकार से पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : डब्ल्यू०बी०सी० *(व्यवधान)* उन्होंने परियोजना तैयार की है *(व्यवधान)*

डा० वी० सरोजा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि महानगरों में रैन-बसेरा कार्यक्रम लागू किया गया है। अत: क्या सरकार नगर पंचायतों में भी इस योजना को आरम्भ करने पर विचार करेगी और क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा? मेरे जिले में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 21 नगर पंचायतें हैं। तमिलनाडु सरकार ने वी०ए०एम०बी०ए०वाई० और अन्य विकासशील कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव भेजा है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : यदि राज्य सरकार से प्रस्ताव आता है तो हम जांच कर सकते हैं *(व्यवधान)*

डा० वी० सरोजा : क्या अन्य नगर पंचायतों और समूचे भारत में भी यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा? *(व्यवधान)*

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

*304. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लिए जाने के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान रद्द किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

हाल ही में, पंजाब में फर्जी संस्वीकृति पत्रों के आधार पर पेंशन ले रहे व्यक्तियों के कुछेक मामले प्रकाश में आए हैं। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है और इसकी जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) जब कभी भी अपात्रता के मामले मंत्रालय के ध्यान में आते हैं, तब पेंशन रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

विवरण

मामलों की राज्य-वार सूची जहां स्वतंत्रता सैनिक सम्मान (एस०एस०एस०) पेंशन रद्द की गई है

राज्य	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल
1	2	3	4	5
बिहार	15	44	1	60
दिल्ली	—	2	—	2
मणिपुर	35	116	—	151
उड़ीसा	1	—	1	2
पंजाब	2	1	—	3
तमिलनाडु	1	—	—	1
त्रिपुरा	—	5	—	5
उत्तर प्रदेश	2	3	—	5
कुल	56	171	2	229

श्री भान सिंह भौरा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब में दिया है कि बिहार में 2000-2001 में 15, 2001-2002 में 44, 2002-2003 में एक पेंशन कैंसिल हुई। दिल्ली में 2001-2002 में दो, मणिपुर में 2000-2001 में 35, 2001-2002 में 116, इसी तरह पंजाब में 2000-2001 में दो, 2001-2002 में एक और त्रिपुरा में 2001-2002 में पांच पेंशन कैंसिल हुई। 2000-2001 में टोटल पेंशन 56 पेंशन कैंसिल हुई, 2001-2002 में 171 और 2002-2003 में दो पेंशन कैंसिल हुई। टोटल पेंशन 229 कैंसिल हुई। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भौरा जी, आप यहां पढ़ नहीं सकते, यह सदन का नियम है।

श्री भान सिंह भौरा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जितनी शिकायतें आई हैं, जो पेंशन कैंसिल हुई हैं, क्या वे पोलिटिकल बेसेस पर की गईं और जो लोग पहले पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन क्यों कैंसिल की गई, क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द : अध्यक्ष महोदय, जो कुल शिकायतें आई थीं, उनमें कुल 3079 शिकायतें ऐसी पाई गईं, जिनमें 1557 पेंशन कैंसिल कर दी गई।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : महोदय, मैंने प्रश्न में पूछा था कि जो जाली पेंशन लेते थे, उनकी लिस्ट आपने नहीं दी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग जाली पेंशन लेते थे, वे कितने मामले हैं, स्टेट वाइस इसका ब्यौरा दें और वह पेंशन कैसे स्वीकृत हुई, इसका भी जवाब दें?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को स्टेट वाइस डिटेल में इसकी सूचना भिजवा दूंगा।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से यह पूछना है कि देश में फ्रीडम फाइटर्स की तादाद दिन-प्रति-दिन घटती जा रही है, बहुत कम फ्रीडम फाइटर रह गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो फ्रीडम फाइटर्स की अगली जेनरेशन है, उसे भी कोई फेसीलिटी देने की सरकार की कोई योजना है?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द : अध्यक्ष महोदय, पहले से योजना चली आ रही है कि जो स्वाधीनता सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा को पेंशन दी जाती है। अगर उनकी कोई लड़की है और उसके पास कोई जॉब नहीं है और उसे भी पेंशन दी जाती है। अभी इसके अतिरिक्त किसी अन्य को यह सुविधा देने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन् : महोदय, यहां अनेक स्वतंत्रता सेनानी हैं। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मांग लिया था लेकिन उन्हें तकनीकी आधार पर पेंशन देने के लिए मना कर दिया गया है। मैं ऐसे अनेक मामलों के बारे में जानता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कलैक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वास्तव में पात्र लोगों को पेंशन देने के संबंध में समीक्षा करने के लिए क्या सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

न केवल यही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन मिल रही है, वह मूल्य-वृद्धि और अनेक अन्य कारकों को देखते हुए बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह वर्तमान परिस्थितियों में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन समुचित रूप से बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री स्वामी चिन्मयानन्द : अध्यक्ष जी, इसकी समय-समय पर समीक्षा होती रहती है। अभी कुछ शिकायतें मिली थीं, उन शिकायतों की जांच की गई और उसमें जिनकी शिकायतें ठीक पाई गई थीं, उनकी पेंशन रोक दी गई है तथा समीक्षा के बाद कुछ पेंशन निरस्त भी कर दी गई हैं। कुछ मामले सी०बी०आई० जांच हेतु दे दिए गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और वह जांच चल रही है। जहां तक पेंशन बढ़ाए जाने का सवाल है, महंगाई भत्ते के हिसाब से उसमें बढ़ोत्तरी की जाती है, जैसे पिछले दिनों ही की गई है। इसलिए उसे और आगे बढ़ाने पर कोई विचार संभव नहीं है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा विस्फोटकों का प्रयोग

*306. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए बम विस्फोटों में आतंकवादियों ने मूलरूप से व्यावसायिक संगठनों को घातक हथियारों के निर्माण और खनन आदि के लिए सप्लाई किए गए विस्फोटकों का प्रयोग किया था, जैसाकि दिनांक 3, सितम्बर, 2003 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के हथियारं निर्माताओं की ओर से सुरक्षा में होने वाली चूकों का पता लगाने के लिए सरकार ने किसी पैनल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जैसाकि दिनांक 3.9.2003 के "हिन्दू" में रिपोर्ट किया गया है दिल्ली पुलिस ने दिनांक 30.8.2003 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक नीले रंग का बैग मिला, जिसमें 148 जिलेटिन छड़ें थीं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) आतंकवादियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा में विस्फोटकों के बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर, सरकार ने विस्फोटकों के निर्माण, वितरण विपणन, परिवहन तथा विस्फोटकों के प्रयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पटल पर रखे गए उत्तर से आश्वस्त नहीं हूं। मैंने घटनाओं की संख्या के बारे में पूछा था जहां आतंकवादियों को विस्फोटक सुलभ थे, किन्तु उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। आन्ध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में भी विस्फोटक पदार्थ व्यापक रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। कतिपय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ बहुधा उग्रवादियों के पास पहुंच रहे हैं। इन विस्फोटकों के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, मानव जीवन की क्षति के अलावा करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का भी नुकसान होता है। जब दूरभाष केन्द्र और रेल लाइनें विस्फोट करके उड़ा दी जाती हैं, तो उससे भी संचार और परिवहन व्यवस्था में काफी असुविधा होती हैं। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जेनरल शंकर राय चौधरी और सीमा सुरक्षा बल ने आतंकवादियों तक विस्फोटक पहुंचने की इस प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त की है। प्रयासों के बावजूद, सरकार इसपर नियंत्रण पाने में विफल हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए क्योंकि उन्हें किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है।

डा० मन्दा जगन्नाथ : यह एक प्रासंगिक विषय है। सरकार ने विस्फोटकों के विनिर्माण, वितरण, विपणन, परिवहन और प्रयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह सभी सिर्फ कागजी हैं। कई मामलों में, अधिकांश राज्यों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में, जम्मू-कश्मीर में, आन्ध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये आसानी से सुलभ हैं। चूंकि इस पर नियंत्रण के हमारा प्रयास अभेद्य नहीं हैं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार भविष्य में किन कदमों को उठाने जा रही है ताकि ये विस्फोटक आतंकवादियों को उपलब्ध नहीं हों।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एन०जी० आधारित विस्फोटकों का संबंध है जिसके बारे में वे उल्लेख कर रहे हैं, ये एन०जी० आधारित विस्फोटक व्यावसायिक प्रयोजनों विशेषकर कोयला खानों और खनन क्षेत्रों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने कतिपय सुझाव दिए थे और धीरे-धीरे तथा क्रमश: 'एन०जी० आधारित विस्फोटक' का विनिर्माण बंद किया जा रहा है। इस समय उन्हें वर्ष 2006 तक का समय दिया गया है किन्तु हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसे लगभग एवं वर्ष पहले ही बंद कर दिया जाए। इसके तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक कुल मिलाकर तीन कारखाने हैं और इन कारखानों में इन विस्फोटकों का विनिर्माण हो रहा है। वे व्यावसायिक और खनन प्रयोजनों के लिए अलग प्रकार के विस्फोटकों का विनिर्माण शुरू कर रहे हैं। इस संबंध में कार्यवाही की गई है।

जहां तक छोटे लाइसेन्सों का संबंध है, हमने उपायुक्तों को अनुदेश जारी किए हैं और वे एन०जी० आधारित विस्फोटकों के विनिर्माण अथवा बिक्री इत्यादि के लिए कोई लाइसेन्स जारी नहीं करेंगे।

डा० मन्दा जगन्नाथ : वे इस पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आपका अनुपूरक प्रश्न मानूंगा।

डा० मन्दा जगन्नाथ : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 1,299.19 करोड़ रु० की मंजूरी के अनुरोध के साथ एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केन्द्र सरकार उग्रवादी कार्यकलापों, जो कि कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर रहे हैं, पर नियंत्रण, मशीनों और संचार प्रणाली के उन्नयन तथा उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के लिए इस राशि को कब मंजूर करेगी? हाल ही में उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री की हत्या करने की कोशिश की। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कब इस राशि को मंजूर करेंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : वास्तव में, हम पहले ही न सिर्फ आन्ध्र प्रदेश के मामले में अपितु सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मामले में भी कतिपय कदम उठा चुके हैं। लगभग 55 जिले हैं जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। उनके लिए हमने योजना आयोग से सम्पर्क किया है। सुरक्षा से संबंधित व्यय के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश और सभी अन्य राज्यों को पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है। लगभग नौ राज्य हैं जो इस प्रकार के उग्रवाद से प्रभावित है। इसके अलावा इंडियन रिजर्व फोर्स बटालियन की स्थापना की जा रही हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार प्रति बटालियन 14 करोड़ रु० दे रही है। लगभग 14 बटालियन स्थापित की जा चुकी हैं और एक या दो आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की गई हैं।

तीसरे, देश के सभी राज्यों और विशेषकर इन राज्यों में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हमने योजना आयोग के माध्यम से एक और प्रयास किया है और तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 15 करोड़ रु० की राशि आधारभूत संरचना के विकास और भौतिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के सभी सात जिले पहले ही उस योजना में शामिल किए जा चुके हैं। इसलिए, उस योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद की समस्या के अलावा, इस तरह की खबर है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के पर्वतीय राज्यों में नक्सली गतिविधि शुरू की गई है। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है?

मेरे प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में, सरकार ने प्रभावित राज्यों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण का निर्णय किया है। तथापि, यह कार्यक्रम अत्यन्त धीमा चल रहा है और समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से कदम उठाने का अनुरोध कर सकता हूं ताकि वे प्रभावित राज्यों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्याओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकें?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत, पहले कठिनाई यह थी कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 50 प्रतिशत धन दिया जा रहा था और 50 प्रतिशत की व्यवस्था स्वयं राज्यों द्वारा की जानी थी। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, हमने हाल ही में इस योजना की समीक्षा की है। अब, सभी राज्यों को तीन श्रेणियों, श्रेणी क, ख 1 तथा ख 2 में विभाजित किया गया है।

मणिपुर, त्रिपुरा और असम को श्रेणी क में शामिल किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार को शत-प्रतिशत धनराशि व्यय करनी है; राज्य

सरकार को कुछ नहीं देना होगा। श्रेणी ख 1 में, केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मात्र 25 प्रतिशत राशि दी जाएगी। श्रेणी ग में, जहां उग्रवाद थोड़ा कम है, केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत धन दिया जाएगा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये सभी योजनाएं सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए नहीं हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा पूरी-पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है। इन सभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हम सिर्फ इसके लिए कुछ अनन्य सी०आर०पी०एफ० बटालियनों की स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें इस प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रकार से प्रशिक्षण देने के बाद जहां कहीं आवश्यकता हो उन्हें सभी राज्यों में प्रयुक्त किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, नेपाल से माओवादियों को खदेड़ कर बाहर करने आए हाल में भूटान द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के बाद उग्रवादी पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र जो सीधे (क) बांग्लादेश, (ख) नेपाल और (ग) भूटान की सीमा से लगे हैं जो कूचबिहार के पंचसिलिंग सीमा से शुरू होकर माल्दा तक फैला है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है? मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। क्या मंत्री जी उस क्षेत्र को भी श्रेणी क क्षेत्र मानेंगे क्योंकि वहां अभी अत्यधिक संवेदनशील स्थिति है और राज्य सरकार को अपने पुलिस बल के उन्नयन के लिए भारी अवसंरचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यदि राज्य सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव या सुझाव देती है तो केन्द्र सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। इस समय, हम पहले ही सभी राज्यों पर विचार कर चुके हैं। उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल, विशेषकर दक्षिण बंगाल से नक्सलवादियों और माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर के उग्रवादियों द्वारा हाल में गतिविधियां चलाए जाने की खबर मिली है। बारूदी सुरंग फटने की दो घटनाएं हुई हैं। इसमें बन्दवान पुलिस स्टेशन का एक ओ०सी० भी मारा गया। मैं सामान्य आंकड़े जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल को इस प्रयोजन के लिए आवंटित धन का समुचित उपयोग कर लिया गया है, या कम उपयोग किया गया है अथवा उनका उपयोग ही नहीं किया गया है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। में निश्चित तौर पर माननीय संसद सदस्य को जो राशि उपयोग कर ली गई है और जो उपयोग नहीं की गई है उनके आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 307 – श्री मानसिंह पटेल – उपस्थित नहीं। – श्री राम टहल चौधरी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं० 308 – प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु – उपस्थित नहीं।

पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचा एवं आवास विकास

*309. **श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे एवं आवास के विकास में तेजी लाने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने और आवास के विकास हेतु कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे और आवास विकास को तेज करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :–

(i) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के विकास के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत कार्यान्यित परियोजनाएं

(ii) छोटे और मंझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई०डी०एस०एम०टी०)

(iii) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०ए० सी०पी०)

(iv) वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

(v) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०)

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) क्षेत्र में ढांचागत विकास तथा आवास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे के बारे में अनुबंध I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII तथा IX सभा पटल पर रखे हैं।

अनुबंध-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान

वर्ष 2001-2002 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

कुल प्रावधान : 8249.37 लाख रुपये

(लाख रुपये)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	तुरा, मेघालय के व्यवसायिक क्षेत्र में जल निकास प्रणाली (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	40.00	36.00	22.08.01
2.	मेघालय के शिलांग में जलआपूर्ति स्रोतों के एकीकरण की कार्य योजना (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	341.42	307.28	30.03.02
3.	दक्षिणी सिक्किम के चेमचे स्थित पर्यटक केन्द्र के लिए जलापूर्ति स्कीम (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	385.74	192.87	31.10.01
4.	गंगटोक जलापूर्ति प्रणाली फेज-I, सिक्किम का विस्तार (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	759.57	303.83	31.10.01
5.	सिक्किम के कम्पोस्ट आधारित ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के द्वारा नगर के कचरे का पर्यानुकूल शोधन सहित गंगटोक नगर के लिए म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन योजना (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	389.94	194.97	31.10.01
6.	मेघालय के शिलांग के पुलिस बाजार में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1086.00	543.00	29.11.01
7.	आइजोल, मिजोरम में राज्य सरकार कर्मचारी आवास परिसर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1496.15	748.08	29.11.01
8.	आइजोल, मिजोरम में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए ट्रांजिट आवास का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	186.00	186.00	29.11.01
9.	त्रिपुरा में अगरतला में नगर की सड़कों का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1305.61	652.80	4.12.01
10.	त्रिपुरा में अगरतला जल निकास प्रणाली का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	1311.37	655.68	4.12.01
11.	तुरा, मेघालय वर्मी कम्पोस्ट संयत्र का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी हडको)	85.00	85.00	22.08.01
12.	बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन स्कीम, मेघालय (कार्यान्वयन एजेंसी हडको)	45.00	45.00	22.08.01
13.	मेघालय के शिलांग में डॉनबास्को सब-वे का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	30.00	30.00	22.08.01
14.	पार्किंग सह-शॉपिंग कम्प्लेक्स का निर्माण, पुलिस बाजार, शिलांग, मेघालय (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	753.05	300.00	26.09.01

1	2	3	4	5
15.	गंगटोक, सिक्किम में एन०एच०-31ए, के किनारे बरसाती पानी निकासी प्रणाली का डिजायन	546.50	225.80	28.03.02
16.	अमस राइफल एरिया, आइजोल, मिजोरम के खतला जंक्शन में फलाइओवर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1386.00	693.00	28.03.02
17.	त्रिपुरा के अगरतला नगर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	761.82	380.91	28.03.02
18.	अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में हेलीपैड क्षेत्र में आवास परिसर (फेज-I) के लिए अवस्थापना विकास कार्य (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1492.93	746.46	28.03.02
19.	अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में हेलीपैड क्षेत्र में आवास परिसर (फेज-I) में रिहायशी तथा गैर-रिहायशी भवन (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1421.56	710.78	28.03.02
20.	सिक्किम के गंगटोक में लाल बाजार फेज-I का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1447.22	578.89	28.03.02
21.	मणिपुर के इम्फाल म्यूनिसिपल क्षेत्र तथा जीरीबाम, काटचिंग, थाउबाल, नामबोल, नोईरंग, विशनूपुर तथा निंगथाऊखोंग म्यूनिसिपल क्षेत्रों में बारसाती पानी नालों का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	543.87	250.96	28.03.02
22.	मणिपुर के शहरी क्षेत्रों (इम्फाल, थाउबाल, मयंग, यैरपूक, लिलांग, काकचिंग, सेकमाल तथा ऐंड्रो) में दो सीटों वाले 155 भुगतान करो तथा उपयोग करो शौचालयों का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	26.32	23.69	28.03.02
23.	इटानगर जलापूर्ति परियोजना, अरुणाचल प्रदेश	—	358.37*	18.02.02
	कुल	15841.07	8249.37	

*परियोजना पहले ही पी०एच०ई० अनुभाग द्वारा स्वीकृत, दूसरी किश्त जारी।

अनुबंध-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान

वर्ष 2001-2002 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

कुल प्रावधान : 7600.00 लाख रुपये

(लाख रुपये)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	गौहाटी नगर निगम सड़कों/बाइलेनों के एकीकृत विकास के लिए स्कीम गौहाटी, असम (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	2426.54	1213.27	18.7.2002

1	2	3	4	5
2.	बड़ा बाजार में भारी वाहनों की पार्किंग, शिलांग, मेघालय (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	1195.00	597.50	18.7.2002
3.	लाल बाजार का विकास, गंगटोक फेज-II सिक्किम (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	154.08	77.04	10.7.202
4.	जलआपूर्ति स्कीम, चेमचे, सिक्किम (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	—	192.87 *	10.7.2002
5.	गंगटोक जलआपूर्ति स्कीम फेज-I, सिक्किम (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	—	227.87 *	10.7.2002
6.	मणिपुर के चिंगा में पुराने शोधन संयंत्र का उन्नयन (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	77.90	38.95	12.08.2002
7.	निंगथेंग पुखरी जलआपूर्ति स्कीम, मणिपुर (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	83.95	41.97	12.08.2002
8.	मणिपुर के 5 कस्बों में ठोस कचरा निपटान परियोजनाएं (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	388.76	194.38	12.08.2002
9.	थाऊवाल जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	90.98	45.49	12.08.2002
10.	मणिपुर के इम्फाल में मौजूदा वितरण तंत्र का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	64.00	32.00	12.08.2002
11.	काकचिंग जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	108.62	54.31	12.08.2002
12.	गौहाटी के नूनमती क्षेत्र के लिए बरसाती पानी के निकास की स्कीम, असम (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	2468.59	1234.30	8.11.2002
13.	दिमापुर कस्बा (फेज-I) में बरसाती पानी के नालों के विकास की स्कीम, नागालैण्ड (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	2094.25	1047.12	8.11.2002
14.	महारानीपुर के निकट फ्लाइओवर के निर्माण के लिए स्कीम, इम्फाल मणिपुर (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	2492.95	1246.47	8.11.2002
15.	शिलांग, मेघालय में जलापूर्ति के लिए म्यूनिसिपल स्रोतों के एकीकरण की कार्य योजना (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	38.49 #	38.49 #	27.11.202
16.	पार्किंग सह-शापिंग कम्प्लैक्स का निर्माण, पुलिस बाजार, शिलांग (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	—	453.05 *	2.12.2002
17.	मिजोरम के आइजोल में नगर केन्द्र का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	1236.90	618.45	6.3.2003
18.	त्रिपुरा के अगरतला नगर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	—	246.47 *	12.3.2003
	कुल	12921.01	7600.00	

*दूसरी किश्त, वर्ष 2001-02 के दौरान स्वीकृत स्कीम।

#अतिरिक्त राशि मुहैया की गई (वर्ष 2001-02 के दौरान स्कीकृत स्कीम)।

अनुबंध-III

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान

वर्ष 2001-2002 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

कुल प्रावधान : 92.00 लाख रुपये

(लाख रुपये)

क्रम सं०	स्कीम/राज्य	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत तारीख
1.	गंगतोक, सिक्किम में गंगतोक जल आपूर्ति प्रणाली में फेज-I की वृद्धि (राज्य सरकार)	—	227.87 #	21.5.2003
2.	आईजौल, मिजोरम में अखिल राज्य सरकारी कर्मचारी आवास परिसर का निर्माण (एन०बी०सी०सी०)	—	579.69 *	30.5.2003
3.	कृतिम चैनल की निर्माण (जल निकासी की पुनर्स्थापना) प्रणाली, आइजौल, मिजोरम का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	540.00	540.00	18.6.2003
4.	गंगतोक में लाल बाजार फेज-I का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	—	837.58 *	14.7.2003
5.	अगरतला त्रिपुरा में शहरी सड़कों का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	—	469.78 *	21.8.2003
6.	अगरतला त्रिपुरा में अगरतला जल निकासी का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी० सी०सी०)	—	460.98 *	9.12.2003
7.	वोखा नागालैंड में विश्राम घर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	40.65	20.32	25.11.2003
8.	ओखा नागालैंड में मार्किट परिसर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	117.52	58.75	25.11.2003
9.	टोबू मोन नागालैंड में विश्राम घर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	39.82	19.91	25.11.2003
10.	नागालैंड में नोकलाक कस्बा सड़क का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	86.81	43.40	27.11.2003
11.	मोन, नागालैंड में वालों विश्राम घर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	159.28	79.64	27.11.2003
12.	जलूकी कस्बे में मार्किट परिसर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	42.00	21.00	27.11.2003
13.	नागालैंड में मोन कस्बा सड़क का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	90.00	45.00	28.11.2003
14.	आईजौल मिजोरम में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान भवन (कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार)	890.97	445.00	9.12.2003
15.	मणिपुर में थाऊबल जिले में 100 बिस्तरों का अस्पताल (कार्यान्वयन एजेंसी एन०बी०सी०सी०)	2479.58	1239.79	9.12.2003
	कुल	4586.63	5088.71	

*दूसरी किस्म (2001-02/2002-03 के दौरान स्वीकृत परियोजना)।

#तीसरी किस्त (2001-02 के दौरान स्वीकृत परियोजना)।

अनुबंध-IV

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय अंश

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/कस्बे का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (20.12.2003 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.00 *	—	—	—
	शामिल कस्बे				
	(i) ईटानगर*				
	(ii) न्हारियागुन				
2.	असम	—	—	571.60	249.94
	शामिल कस्बे				
	(i) नालबाड़ी				
	(ii) बिजनी				
3.	मणिपुर	206.00	241.26	174.80	139.53
	शामिल कस्बे				
	(i) विष्णुपुर				
	(ii) निन्हथाउखोंग				
	(iii) क्वाक्ता				
	(iv) ओइनम				
	(v) वानजिंग				
	(vi) थाऊंखांग-लक्ष्मीबाजार				
	(vii) सेकमी				
	(viii) समुराऊ				
	(ix) लमलई				
4.	मेघालय	98.53	96.52	0.00	0.00
	शामिल कस्बे				
	(i) बाघमारा				
5.	मिजोरम	138.11	120.82	46.57	46.57
	शामिल कस्बे				
	(i) वेरिंगटे				
	(ii) लेंगपुई				
6.	नागालैंड	85.98	0.00	85.42	0.00
	शामिल कस्बे				
	(i) फेक				
	(ii) जुनेहबोटो				

1	2	3	4	5	6
7.	सिक्किम	0.00	28.92	83.97	83.97
	शामिल कस्बे				
	(i) जोरेथंग				
8.	त्रिपुरा	175.25	344.39	241.66	147.37
	शामिल कस्बे				
	(i) कुमार घाट				
	(ii) सोनामुरा				
	(iii) उदयपुर				
	(iv) खोवाल				
	(v) सबरूम				
	(vi) अमरपुर				
	(vii) कैलाशहर				

टिप्पणी :– राज्यों में कस्बों के लिए स्वीकृत स्कीमों के लिए राज्यवार धनराशि जारी की जाती है ताकि सरकारों को सभी अनुमोदित स्कीमों के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में मदद मिल सके।

* वर्ष 1997 में स्कीम के अंतर्गत चयनित कस्बों में कार्य पूरा करने हेतु जारी की गई।

अनुबंध-V

आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के अंतर्गत शामिल कस्बे, पूर्वोत्तर राज्यों को जारी केंन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

राज्य/कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (20.12.03 तक)	योग
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश					
तेजू	–	–	25.00	–	25.00
शेपा	–	–	38.00	–	38.00
रोइंग	–	16.00	8.00	–	24.00
पासीघाट	–	–	–	24.00	24.00
खोन्सा	–	–	–	24.00	24.00
दियोमाली	–	–	–	24.00	24.00
यूपिया	–	–	–	24.00	24.00
जिरो	–	–	–	24.00	24.00

1	2	3	4	5	6
दापोरिजो	—	—	—	24.00	24.00
एलॉग	—	—	—	24.00	24.00
बसर	—	—	—	24.00	24.00
उप योग	—	16.00	71.00	192.00	279.00
असम					
गोलपाड़ा	—	55.00	—	—	55.00
रंगिया	—	29.30	—	—	29.30
बारपेटा	—	—	—	40.00	40.00
बोकाखाट	15.00	—	—	—	15.00
डिगबोई	16.00	—	—	—	16.00
डिब्रूगढ़	—	105.00	—	—	105.00
होजई	—	45.00	—	—	45.00
विश्वनाथ-चरियाली	—	24.00	—	—	24.00
गोसाईगांव	—	—	24.00	—	24.00
सोनारी	—	—	24.00	—	24.00
गोहपुर	—	—	24.00	—	24.00
उदलगुरी	—	—	24.00	—	24.00
बिजनी	—	—	24.00	—	24.00
नार्थ गोवाहाटी	—	—	24.00	—	24.00
बिलासीपारा	—	—	24.00	—	24.00
उप योग	31.00	258.30	168.00	40.00	497.30
मणिपुर					
मयंग-इम्फाल	32.00	—	—	—	32.00
मोइरंग	—	24.00	—	—	24.00
सुगनू	—	—	21.00	—	21.00
कैकचिंग-खोउनू	—	—	18.00	—	18.00
क्वाटा	—	—	24.00	—	24.00

1	2	3	4	5	6
वागनोई	—	—	24.00	—	24.00
समूरु	—	—	24.00	—	24.00
ओयनम	—	—	24.00	—	24.00
अंडरु	—	—	24.00	—	24.00
सिखोंग-सेकमई	—	—	24.00	—	24.00
हेरोक	—	—	24.00	—	24.00
उप योग	32.00	43.00	207.00	—	287.00
मेघालय					
शिलांग	—	—	123.60	—	123.60
उप योग	—	—	123.60	—	123.00
मिजोरम					
चम्पाई	—	60.00	—	—	60.00
हनाहथियाल	—	32.00	—	—	32.00
सैहा	—	32.00	—	—	32.00
लेंगपुई	—	24.00	—	—	24.00
ममित	—	—	24.00	—	24.00
उप योग	—	148.00	24.00	—	172.00
नागालैंड					
वोखा	32.00	—	—	—	32.00
फेक	15.00	—	16.00	—	31.00
दीमापुर	50.00	—	—	100.00	150.00
किफिरे	15.00	—	—	30.00	45.00
कोहिमा	—	—	—	33.00	33.00
उप योग	112.00	—	16.00	163.00	291.00
सिक्किम					
सिंगटम	—	36.00	—	—	36.00
गेजिंग	16.00	—	—	—	16.00

1	2	3	4	5	6
सोरेंग	16.00	—	—	—	16.00
रंगलीबाजार	—	24.00	—	—	24.00
उप योग	32.00	60.00	—	—	92.00
त्रिपुरा					
कुमारघाट	—	30.00	—	—	30.00
सोनामुरा	16.00	16.00	—	—	32.00
कमलपुर	16.00	16.00	—	—	32.00
तेलियामुरा	—	51.00	—	—	51.00
सबरूम	—	—	13.60	—	13.60
रनीरबाजार	16.00	—	32.00	—	48.00
उप योग	48.00	113.00	45.60	—	206.60
सकल योग	255.00	643.30	655.20	395.00	1948.50

अनुबंध-VI

एन०बी०सी०सी० द्वारा निष्पादित की जाने वाली वर्ष 2001-02 के दौरान स्वीकृत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	प्रदत्त राशि (करोड़ रुपये में)
1.	सिक्किम	(i) शहरी क्षेत्रों के लिए सफाई परियोजना	4.1283 रु०	4.1283 रु०
		(ii) लोवर लिंगडिंग पूर्व सिक्किम में स्लम पुनर्वास केन्द्र		
		(iii) सिक्किम-रोंगली उप डिवीजन के उप डिवीजनों में अवसंरचनात्मक विकास, पायलेट परियोजना		
2.	मेघालय	शिलांग में सफाई कर्मचारियों के लिए आवास	5.00 रु०	5.00 रु०
3.	मिजोरम	स्लम सुधार/8 जिला मुख्यालयों को उन्नयन	4.88 रु०	4.88 रु०
4.	असम	(i) बोरसोजई, गुवाहाटी में शहरी गरीब (180 यूनिट) के लिए तीन मंजिले आर०सी०सी० भवन का निर्माण	8.21 रु०	6.00 रु०
		(ii) गुवाहाटी में सफाई कर्मचारियों के लिए आवास	7.46 रु०	5.00 रु०
5.	त्रिपुरा	दुर्गा चौमुहानी, अगरतला में निष्कासित हॉकरों के पुनर्वास के लिए शॉपिंग सेंटर का निर्माण	10.63 रु०	7.9917 रु०
		कुल	40.3083 रु०	33.00 रु०

अनुबंध-VII

एन०बी०सी०सी०/बी०एम०टी०पी०सी० द्वारा निष्पादित की जाने वाली वर्ष 2001-02 के दौरान स्वीकृत और प्रदत्त पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाएं/स्कीमें

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तारीख	प्रदत्त राशि (लाख रु० में)	निष्पादन अभिकरण
त्रिपुरा	अगरतला शहर के महाराजगंज बाजार (लाल मटिया) के शॉपिंग सेंटर का निर्माण	773.13	8.11.02	386.56	एनबीसीसी
मिजोरम	चम्फाल, मिजोरम में शॉपिंग सेंटर का निर्माण	1188.53	8.11.02	594.18	एनबीसीसी
त्रिपुरा	जी०ए० चक्कर, अगरतला में निष्कासित हॉकरों के पुनर्वास के लिए शॉपिंग सेंटर का निर्माण	331.13	23.12.02	165.57	एनबीसीसी
त्रिपुरा	बारदोवाली अगरतला में शॉपिंग सेंटर का निर्माण	219.09	23.12.02	109.55	एनबीसीसी
त्रिपुरा	चन्द्रपुर, अगरतला में शॉपिंग सेंटर का निर्माण	440.28	23.12.02	220.14	एनबीसीसी
नागालैंड	शहरी क्षेत्रों में स्लम सुधार व उन्नयन	494.06	23.12.02	247.03	एनबीसीसी
मणिपुर	थाऊबल अथोकपम में शहरी स्लमों का उन्नयन	131.80	23.12.02	65.90	एनबीसीसी
मणिपुर	इम्फाल नगर पालिका में शहरी स्लमों का उन्नयन	139.04	23.12.02	69.52	एनबीसीसी
मणिपुर	पूणां बाजार, इम्फाल की दुकानों/स्टालों का निर्माण	1977.91	31.03.03	988.95	एनबीसीसी
मणिपुर	न्यू मार्किट, इम्फाल को दुकानों/स्टालों का निर्माण	1531.53	31.03.03	765.77	एनबीसीसी
मणिपुर	लक्ष्मी मार्किट, इम्फाल की दुकानों/स्टालों का निर्माण	1022.20	31.03.03	511.10	एनबीसीसी
सिक्किम	भानुग्राम के पुनर्वास क्षेत्र में एकीकृत सामाजिक और वास्तविक अवस्थापनाएं	409.91	31.03.03	204.95	एनबीसीसी
त्रिपुरा	प्रदर्शन भवनों एवं प्रदर्शन और उत्पादन सेंटर का निर्माण	130.39	31.03.03	65.20	बीएमटीपीसी
मिजोरम	प्रदर्शन हाऊसों का निर्माण	44.84	31.03.03	22.42	बीएमटीपीसी
	कुल	8833.66		4416.84	

अनुबंध-VIII

पूर्वोत्तर राज्यों में वाम्बे के कार्यान्वयन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04)

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में आवंटन, प्रदत्त राशि और शामिल इकाइयों का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्यों का नाम	अनुमानित स्लम आबादी लाख में	2001-2002			2002-03			2003-04 20.12.2003 की स्थिति के अनुसार			अभिकरण
			भारत सरकार आवंटन	भारत सरकार प्रदत्त राजसहायता	शामिल रिहायशी इकाइयां	भारत सरकार आवंटन	भारत सरकार प्रदत्त राजसहायता	शामिल रिहायशी इकाइयां	भारत सरकार आवंटन	भारत सरकार प्रदत्त राजसहायता	शामिल रिहायशी इकाइयां	
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.375	4.19	—	—	15.58	—	—	88.14	—	—	
2.	असम	5.826	65.02	—	—	242.04	—	—	1369.30	—	—	
3.	मणिपुर	1.132	12.63	—	—	47.03	7.875	35	266.06	2.920	13	मूडा
4.	मेघालय	1.161	12.96	—	—	48.23	—	—	272.87	—	—	
5.	मिजोरम	1.156	12.90	—	—	48.03	—	—	271.70	—	—	
6.	नागालैंड	0.609	6.80	—	—	25.30	9.00	40	143.14	47.250	210	डूडा/सूडा
7.	त्रिपुरा	0.893	9.97	10.05	45	37.10	144.978	644	209.88	—	—	अगरतला एमसी/यूडी
8.	सिक्किम	0.123	1.37	—	—	5.11	—	—	28.91	—	—	
	कुल	11.275	125.84	10.05	45	468.42	161.853	719	2650.00	50.17	223	

नोट : मांग आधारित स्कीम होने के कारण राज्यों द्वारा वाम्बे लेखा में 50% जमा कराने तथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार सभी रूप से पूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद राज्यों को केन्द्र सरकार राज्य सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-IX

नेशनल स्लम विकास कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदत्त निधियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04 20.12.03 की स्थिति अनुसार	
	आवंटन	प्रदत्त राशि	आवंटन	प्रदत्त राशि	आवंटन	प्रदत्त राशि	आवंटन	प्रदत्त राशि
अरुणाचल प्रदेश	110.00	25.40	110.00	51.97	104.00	104.00	104.00	78.00
असम	312.00	79.80	312.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
मणिपुर	110.00	28.78	110.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
मेघालय	110.00	28.55	110.00	0.00	104.00	15.43	104.00	74.00
मिजोरम	110.00	110.00	110.00	110.00	104.00	104.00	104.00	74.00
नागालैंड	110.00	28.55	110.00	0.00	104.00	104.00	104.00	74.00
सिक्किम	110.00	25.40	110.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
त्रिपुरा	110.00	110.00	110.00	110.00	104.00	104.00	104.00	74.00
कुल	1082.00	436.48	1082.00	271.97	1024.00	431.43	1024.00	374.00

श्री पी०आर० किन्डिया : अध्यक्ष महोदय, अव्यपगत मूल स्रोतों से 10% का उपयोग करने के संबंध में पूर्वोत्तर के संसद सदस्यों के बीच आशंका बनी हुई है। लोगों में यह भावना है कि यह उन प्रयोजनों के लिए खर्च नहीं की जा रही है जिसके लिए यह रखी गई है।

मेरा प्रश्न है क्या भारत सरकार, शहरी विकास अवसंरचना के सृजन और आवास विकास करने के मामले में, अव्यपगत मूल निधि की 10% राशि का पूरी तरह उपयोग कर रही है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित मंत्रालय की योजना निधियों का 10 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। खर्च न की गई राशि को देने वाले (सरकार) द्वारा बनाए गए अव्यपगत निधि में हस्तान्तरित कर दिया जाता है। लेकिन अन्य स्कीमें, नये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, मांग आधारित स्कीमें होती हैं। इसीलिए जो भी राज्य आगे आता है उसे बजट से आवंटन किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। मैं पुन: कहूंगा कि 10% राशि मंत्रालय की योजना निधियों से होती है और उसका रख-रखाव नीति निर्णय के अनुसार नियमित रूप से किया जाएगा।

लेकिन 10 प्रतिशत योजना निधियों के अलावा शहरी विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं को मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री पी०आर० किन्डिया : महोदय, पूर्वोत्तर में कई कस्बे हैं। हमारी एक समस्या सीवरेज की व्यवस्था की है। अत: मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने इस समस्या का जिसमें पूर्वोत्तर के कई शहर प्रभावित हैं बेहतर तरीके से हल करने के लिए कोई प्रयास किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है उसमें असम के कई शहरों को सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि सिक्किम और मेघालय के शहरों को सम्मिलित किया गया है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मल प्रणाली की व्यवस्था जो कि पूर्वोत्तर के शहरों की मुख्य समस्याओं में से एक है। की समस्या को इस राशि के साथ भारत सरकार द्वारा सुलझाया जा रहा है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : शहरी विकास राज्य का विषय है तो राज्यों को ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। पूर्वोत्तर के भिन्न-भिन्न राज्यों में मलव्ययन परियोजनाओं पर मंत्रालय की 10% योजना निधियों के अधीन भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यह योजना सम्बद्ध राज्य सरकार से ही आनी चाहिए हमारे पास पहले

से ही राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम नामक एजेंसी है। हम उनकी सहायता से हम इन योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं बशर्ते कि राज्य सरकार इस व्यवस्था के लिए सहमत हो।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंन रामदास आठवले जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों एक ही हैं।

श्री रामदास आठवले : केन्द्र सरकार द्वारा अम्बेडकर वाल्मीकि हाउसिंग योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत मकान बनाने के लिए रूरल एरिया में 40,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 60,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नार्थ-ईस्ट से सम्बन्धित है।

श्री रामदास आठवले : हमारी मांग है कि मुम्बई जैसे अन्य शहरों में इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए जो 60,000 रुपए दिए जाते हैं, उस राशि को बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया जाए। आज के महंगाई के जमाने में नार्थ-ईस्ट और मुम्बई जैसे अन्य शहरों में 40,000 रुपए या 60,000 रुपए में मकान नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जब से यह सरकार आई है, महंगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नार्थ-ईस्ट के शहरों में और देश के अन्य शहरों में अम्बेडकर वाल्मीकि हाउसिंग योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 60,000 रुपए की राशि को एक लाख रुपए तक बढ़ाने के बारे में विचार करेगी?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर हाउसिंग योजना अभी तीन श्रेणी के लिए है। मैट्रोपोलिटन सिटीज में इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 60,000 रुपए देने का प्रावधान है, मैगा सिटीज में 50,000 रुपए का प्रावधान है और नार्मल म्यूनिसिपैलिटी एरिया में 40,000 रुपए का प्रावधान है। इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी है। 50 प्रतिशत लोन का कम्पोनेंट अलग है, परंतु लोन बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था कि स्पीकर रहते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जीवन भर हाउसिंग फैसिलिटी मिलती रहेगी। पिछले दिनों बालयोगी जी की मृत्यु सदन के स्पीकर रहते हुए हो गई।

अध्यक्ष महोदय : अभी जीरो आवर शुरू नहीं हुआ है, प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामविलास जी, आप तो रूल्स अच्छी तरह से जानते हैं। क्या यह रामदास आठवले जी के पास बैठने का असर है? अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

अल्प सूचना प्रश्न

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं

1. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
   श्री अधीर चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारा) के कार्यान्वयन में विभिन्न अनियमितताओं के बारे में व्यक्तियों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विशेषज्ञों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को उद्घाटित करने वाले लोग और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोग हिट-लिस्ट में हैं और इनमें से एक व्यक्ति की हाल ही में हत्या कर दी गई थी, जैसा कि दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी सभी मानदंडों की जांच करने का है; और

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी] : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और अलग-अलग अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और मुख्य रूप से विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में होती हैं। 1999 से अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 51 शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उल्लिखित शिकायतें/अभ्यावेदन भी शामिल हैं। सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सतर्कता डिविजन द्वारा की जाती है और उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक होने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया जाता है।

ऐसी ही एक शिकायत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी अर्थात् स्वर्गीय श्री सत्येन्द्र कुमार दुबे से नवम्बर, 2002 में प्राप्त हुई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में प्रक्रियागत कमियों और त्रुटियों के बारे में उल्लेख किया गया था। इस शिकायत के अतिरिक्त, जून, 2002 से जुलाई, 2003 तक, जब वह कोडरमा स्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाई के प्रबंधक थे, उन्होंने उस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में जिस पर वह कार्य कर रहे थे, स्वयं देखी गई त्रुटियों के बारे में अपने परियोजना निदेशक, पर्यवेक्षण परामर्शदाता और ठेकेदार को अनेक रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। इन रिपोर्टों पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई कर दी गई थी।

श्री दुबे की हत्या की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहा है जो कि खुली और पारदर्शक हैं। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय निकाय-फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इंजीनियर्स कॉंउसिल्स (एफ०आई०डी०आई०सी०) द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर आधारित हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में अनेक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करता है।

तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की प्रणाली और प्रक्रियाओं को निरंतर परिष्कृत और संशोधित किया जा रहा है। ब्यौरे संलग्न अनुबंध पर दिए गए हैं। कुछ की गई कार्रवाइयां इस प्रकार हैं :–

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को सरल और कारगर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.7.2001 को एक संचालन ग्रुप का गठन किया गया था।

(ख) संचालन ग्रुप की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं की समीक्षा और मानक दस्तावेजों में और अधिक सुधार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 10.12.2002 को एक और आंतरिक समिति का गठन किया। समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए संशोधित दस्तावेजों को लागू कर दिया गया है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ठेकेदारों और परामर्शदाताओं की पूर्व-अर्हता और चयन में सुधार करने तथा सामग्री और उपस्कर इकट्ठा करने से संबंधित अग्रिम का विनियमन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपाय किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की परियोजनाओं की गुणता संपरीक्षा करने के लिए दिनांक 7.6.2002 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० को नियुक्त किया गया था।

(ङ) मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.12.2001 को आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, न मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के प्रारूपण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता की है।

अनुबंध

परामर्शदाताओं/ठेकेदारों के चयन को सरल और कारगर बनाने, बोली और अन्य दस्तावेजों के मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना

पिछले दो वर्षों के दौरान परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, बोली और अन्य दस्तावेजों के मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और मैनुअलों को सरल और कारगर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.7.2001 को श्री एस०सी० शर्मा, पूर्व-महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन ग्रुप का गठन किया गया था।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने के लिए मानक दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सदस्य (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्षता में व्यापक सिफारिशें तैयार करने के लिए 10.12.2002 को एक अन्य समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने शर्मा ग्रुप की सिफारिशों पर विचार किया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) को अंतिम रूप दे दिया है। इस समिति ने सिविल कार्य ठेकों के लिए पूर्व-अर्हता के लिए संशोधित दस्तावेज को भी अंतिम रूप दे दिया है। यह समिति अन्य दस्तावेजों को भी सरल और कारगर बना रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मौजूदा खरीद प्रक्रिया में नए आर०एफ०पी० दस्तावेज तथा पूर्व-अर्हता दस्तावेज को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iii) **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करना**

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में त्रुटियों को अल्पतम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई और सुधारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) उन मामलों में जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में त्रुटियों के कारण मुख्य परिवर्तन करने पड़े थे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाताओं के विरुद्ध कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिजाइन) परामर्शदाताओं को अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के प्रत्येक चरण में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी०आई०यू०) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ फील्ड स्तर पर समन्वय करना अपेक्षित होगा। इस उद्देश्य के लिए पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के लिए अगस्त, 2002 से शुरू 20 अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की स्थापना की गई है।

(ग) जहां पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिए विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिजाइन) परामर्शदाता संयुक्त रूप से परियोजना निदेशकों के साथ कई स्तर की चर्चाएं करते हैं।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाताओं/परियोजना निदेशकों को विस्तृत दिशानिर्देश भी परिचालित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुचित डिजाइन, स्थानीय आवश्यकताओं और प्रस्ताव की सुसंगतता के सभी पहलुओं को सावधानीपूर्वक उठाया गया है।

(ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की पुनरीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे परियोजना आवश्यकताओं और विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, प्रूफ परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है।

(च) नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ठेकों में सिविल ठेकों को देने के बाद तीन से चार महीनों की अवधि के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाताओं के कुछ प्रमुख कार्मिकों को लगातार उपलब्ध बनाए रखने का निर्णय लिया गया है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्श-दाताओं, पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं और ठेकेदार के बीच तकनीकी समन्वय में सुगमता बनी रहे और त्रुटियां, यदि कोई हों, सुधरी जा सकें।

(छ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाताओं की और अधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए नए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ठेकों में अब निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधान जोड़ दिए गए हैं :–

(क) सिविल कार्य ठेके के पूरा होने तक बैंक गारंटी के रूप में परामर्शी ठेका मूल्य का 10% निष्पादन सुरक्षा;

(ख) सिविल कार्य ठेका पूरा होने के पश्चात् लाटाई जाने वाली ठेका मूल्य की 50% रोकी गई धनराशि;

(ग) अलग-अलग मात्राओं में अंतर होने पर अथवा समग्र लागत ±15% से अधिक होने पर परामर्शी नियंत्रण ठेका मूल्य के 5% का दंड; और

(घ) बड़ी त्रुटि के मामले में बहिष्करण सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई।

(iv) **ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता और चयन**

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I के अनुभव को देखते हुए सिविल ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता और अधिप्रापण की पुनरीक्षा की गई है और लागू किए गए कुछ परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) बोलीदाताओं की बोली क्षमता का आकलन करने के लिए मानदंडों को संशोधित कर दिया गया जिसके अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा किसी भी समय रखे जा सकने वाले ठेका मूल्य को सीमित कर दिया गवा है।

(ख) संयुक्त उद्यमों के मामले में छोटे भागीदारों को भी अल्पतम संबद्ध अनुभव की आवश्यकता होगी।

(ग) संयुक्त उद्यमों के मामले में सभी भागीदारों को अब संयुक्त उद्यमों में अनेक हिस्से के अनुपात में निष्पादन गारंटी जमा कराने की आवश्यकता होगी (पहले अधिकांश मामलों में कोई भी एक हिस्सेदार संपूर्ण गारंटी दे सकता था)।

(v) **सामग्री और उपस्कर इकट्ठा करने से संबंधित अग्रिम**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सामग्री और मशीनरी इकट्ठा करने से संबंधित अग्रिमों की स्वीकृति प्रणाली की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि सामग्री इकट्ठा करने से संबंधित अग्रिम को परियोजना की प्रगति से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप में जारी किया जाएगा। मशीनरी-अग्रिम की स्वीकृति के लिए आगे कुछ और सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों पर भुगतान जारी करते समय ठेकेदार द्वारा अग्रिमों के उपयोग की कठोरता से जांच करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

(vi) **पर्यवेक्षण/डिजाइन परामर्शदाताओं का चयन**

पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के चयन का मानदंड जिसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I के अंतर्गत अपनाया जा रहा था, विश्व बैंक और ए०डी०बी० मानकों के अनुसार था जिसमें पर्यवेक्षण कार्य सौंपते समय तकनीकी अर्हताओं को प्रबल तरजीह दी जाती थी।

इन मानकों को अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए संशोधित कर दिया गया है। परामर्शदाताओं के पूर्व-अर्हता मानदंड और तैनात किए जाने वाले कार्मिकों की अनिवार्य योग्यताओं का निर्धारण करते समय तकनीकी अर्हता प्राप्त चयनित परामर्शदाताओं के बीच अल्पतम बोलीदाताओं को कार्य सौंपे जा रहे हैं। प्रमुख कार्मिकों की उम्र और अर्हता के दस्तावेजी साक्ष्य पर भी अब जोर दिया जा रहा है।

(vii) **गुणता संपरीक्षा**

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं की गुणता संपरीक्षा के लिए दिनांक 7.6.2002 को मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० को नियुक्त किया गया था। अभी तक मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० ने 38 परियोजनाओं की गुणता संपरीक्षा की है और 37 परियोजनाओं पर रिपोर्ट सौंप दी है। 27 परियोजनाओं की अनुवर्ती संपरीक्षा पूरी कर ली गई है। संपरीक्षा में देखी गई सामन्य त्रुटियों के बारे में सभी परियोजना निदेशकों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं को निवारक कार्रवाई करने के लिए परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चुनिंदा खंडों में निष्पादित कंक्रीट पेवमेंट की गुणता का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 22.9.2003 को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को नियुक्त किया गया है।

(viii) **आंतरिक लेखा परीक्षा**

आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में दिनांक 24.12.2001 को नियुक्ति मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने मानक प्रचालन पद्धति (एस०ओ०पी०) और आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता की।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, क्या मैं दो प्रश्न पूछ सकती हूं अथवा मुझे एक प्रश्न तक ही अपने को सीमित रखना होगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को पहले उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त दुख के साथ मैं श्री सत्येन्द्र दूबे की मृत्यु के बारे में कहती हूं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे जो संयोगवश मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। जिस नृशंस तरीके से श्री सत्येन्द्र दूबे की हत्या की गई उसके लिए यह सदन अत्यंत शोकाकुल है। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां बताना चाहती हूं।

श्री सत्येन्द्र दूबे ने पी०एम०ओ० से लगातार अनुरोध किया था कि उनका नाम गुप्त रखा जाए और यह भी अनुरोध किया था कि उनके नाम पर विचार किया गया था उसे प्रकट किया गया तो वह गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा था। उन्होंने यह अनुरोध भी किया था कि उनका स्थानांतरण बारापट्टी-औरंगाबाद लेन में करने की आवश्यकता नही है बल्कि उन्हें उनके मूल केडर मूल स्टेशन कोडरम में ही रहने दिया जाए। उनके अनुरोध को अनसुना कर दिया गया।

इस तथ्य के बावजूद कि यह पत्र गोपनीय समझा जाना चाहिए था और यह भी कहा गया था कि इसमें उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में गम्भीरता से नहीं लिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय में यह पत्र गृह मंत्र को भेजा जा सकता था लेकिन वैसा नहीं किया गया। क्यों? कि यह पत्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया जिसने उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस भेज दिया ये वही लोग थे जिनके विरुद्ध

श्री सत्येन्द्र दूबे शिकायत कर रहे थे *(व्यवधान)* महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन आठ लोगों *(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर संतोषजनक नहीं है। सभी आठों लोगों से पूछताछ की गई थी। वही आठ अधिकारी जिन्होंने इस पत्र को प्राप्त किया था, श्री सत्येन्द्र दूबे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। उसने बार-बार कहा था *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्यामा सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

आप सीधे प्रश्न पर आइए।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इस पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इस प्रश्न की विषय-वस्तु बिल्कुल भिन्न है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य को सभी प्रकार की बातें लिखित में मुझसे पूछनी चाहिए थी जो वह अभी पूछ रही हैं और मुझे उसका उत्तर देने में प्रसन्नता होती *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मंत्री जी उनके प्रश्न पूछने पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वह इन सभी बातों से अनभिज्ञ हैं? *(व्यवधान)* यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मेरी बात सुनने के लिए धीरज रखिए मैंने उनकी बात सुनी है क्या आपने प्रश्न पढ़ा है? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्न के भाग (ग) में पूरा विवरण दिया गया है जिसके बारे में यह पूछ रही हैं। मंत्री महोदय किस प्रकार कह सकते हैं कि उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय, आपको मेरी अनुमति के बिना किसी सदस्य के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

*(व्यवधान)**

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मैंने उत्तर नहीं दिया है। मैं उत्तर दे रहा हूं।

हम सभी को अत्यन्त होनहार, बहुत अच्छे और अत्यन्त सत्यनिष्ठ अधिकारी की हत्या पर खेद है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमें भी उतना ही दुख है जितना की अन्य लोग महसूस कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं। लेकिन यह कहने के बाद, मैं यह भी कहूंगा कि यहां विचारों को पूर्णत: तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है *(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, यह आपत्तिजनक है। इस मामले के संबंध में प्रमाणिक सूचना है *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, कृपया मुझे आप यह बताने दें कि वास्तव में क्या हुआ। तत्पश्चात् आपको यह पता चलेगा कि सच क्या है और यह कि विभिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना सही नहीं है। कृपया मुझे घटनाओं को क्रम से बताने दीजिए।

महोदय, 11 नवम्बर को प्रधान मंत्री कार्यालय में एक बिना तारीख और बिना हस्ताक्षर के पत्र प्राप्त हुआ था।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, पत्र में तारीख थी और हस्ताक्षर भी थे और उसका कवर सत्येन्द्र दूबे ने लिखा था। लैटर हैड भी था *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं ऐसा उन लोगों के अधिकार से कह रहा हूं जिनको पत्र प्राप्त हुआ था। मेरे विचार में जो मैं आपको कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास करवाना चाहूंगा। पत्र में हस्ताक्षर नहीं थे। वह पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय को सम्बोधित था। पत्र में यह कहा गया था कि 'गोपनीयता के कारण, मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूं'। मेरा व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न पत्र में दिया गया है। उस संलग्न पत्र में उनका ब्यौरा दिया गया था। लेकिन उस पर भी हस्ताक्षर नहीं थे।

अब उचित प्रक्रिया के अनुसार न ही मेरे मंत्रालय के निर्देश और न ही प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देश बल्कि बेनाम और बिना हस्ताक्षर के किसी पत्र पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है *(व्यवधान)*। कृपया मुझे बात समाप्त करने दें। उसके बाद, आप मुझसे जितने चाहें, प्रश्न पूछ सकते हैं। चूंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे और अधिकारी का नाम भी उसमें निहित था, इसलिए इसे मेरे कार्यालय में भेजा गया था। अब, पत्र में वह सब बातें निहित नहीं हैं, जो कि माननीय सदस्य ने कही हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए और उनके जीवन को खतरा है। पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। वह पत्र उपलब्ध है। अत: बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक यह पत्र हमें भेजा गया था क्योंकि पत्र में कुछ प्रक्रियात्मक मामले अंतर्विष्ट थे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। चूंकि मामलों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एन०एच०ए०आई०) द्वारा सुधार किया जाना था इसलिए इसे एन०एच०ए०आई० के सतर्कता अधिकारी को भेजा गया था। उन मामलों पर कार्यवाही की गयी है *(व्यवधान)*। उस पत्र में सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा गया था। इस तरह की बात बिल्कुल गलत है। प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसे मेरे कार्यालय में भेजकर सही किया है। मैंने इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) के कार्यालय में अध्यक्ष को भेजकर सही किया जिन्होंने उस पर उचित कार्यवाही की *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सत्येन्द्र दुबे जी ने सच्चाई को उजागर किया लेकिन इन्होंने उसे दबा दिया। *(व्यवधान)* इन्होंने माफिया लोगों से उसकी हत्या करवा दी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की कोई बात अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलता है तो कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ सकती हैं, वह उत्तर देंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं मामले के प्रति उनकी उदासीनता और उनके द्वारा हलके तरीके मे जवाब दिए जाने के बारे में जानती हूं। जो कुछ भी आपने कहा है, मैं उससे अप्रसन्न हूं।

मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आना चाहती हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधान मंत्री की सपनों की परियोजना, जैसा कि वह इसे कहते हैं, सपनों की परियोजना ही प्रतीत होती है क्योंकि इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की प्रणाली में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस देश में अधिकतर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 43 प्रतिशत कार्य अधूरा पड़ा है। जयपुर से मुम्बई राजमार्ग पर 672 किलोमीटर सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरा, आपने सड़क निर्माण की अवसंरचना से संबंधित 672 योजनाओं की घोषणा की है। प्रतिदिन, भारत सरकार सड़क निर्माण के लिए योजनाओं की घोषणा कर रही है जबकि वर्तमान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य अधूरा पड़ा है जो कि मुम्बई राजमार्ग से जयपुर और दिल्ली तक 672 किलोमीटर लम्बी सड़क है। यह सभी सड़कें अधूरी पड़ी हैं। मैं, यह मानता हूं कि इसमें काफी पैसा लगा है और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में इतना ही कहना है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय प्रधान मंत्री की 'सपनों की परियोजना' सपनों की परियोजना ही है। इस परियोजना के अंतर्गत अच्छा कार्य हो रहा है। देश भर में इस परियोजना के अंतर्गत अच्छा कार्य हो रहा है। विदेशों के लोग भी इस परियोजना को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ लोगों और कुछ राजनीतिक कारणों से यह सपनों की परियोजना दु:स्वपन प्रतीत हो रही है। उनको यह समस्या है। यह बहुत अच्छी परियोजना है। लगभग 2,000 किलोमीटर का पहले ही निर्माण हो चुका है *(व्यवधान)*

महोदय, जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे का संबंध है, मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे देश में अनेक परियोजनाएं चल रही हैं और उन परियोजनाओं पर काफी पैसा भी खर्च हो रहा है *(व्यवधान)* लेकिन यह 'सपनों की परियोजना' अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि कोई विशिष्ट समस्याएं हैं तो वे मेरे पास आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। यहां वे कुछ भी कह देते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको प्रश्न पूछना है तो मेरी परमीशन से पूछ सकते हैं। आप बैठिये। बाद में पूछियेगा। आप सदन के बहुत अच्छे मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में भ्रष्टाचार की विकटता और महत्ता के संबंध में कुछ अर्थपूर्ण कथन हैं और उसके प्रति निराशापूर्ण उदासीनता है जो कि उनके मंत्रालय में व्याप्त है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो कि फौजी थे और अब राजनीतिज्ञ हैं जो कि पहले मूंछें रखते थे और चीते की तरह दहाड़ते थे। लेकिन अब वह मूंछें बिल्ली की मूंछों में बदल गई हैं और अब वह केवल म्याऊं-म्याऊं करते हैं। मुझे उनसे केवल दो प्रश्न पूछने हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। यह सत्र का अन्तिम दिन है। मैं आपकी कृपादृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मेरे प्रश्न का भाग एक यह है कि सी०जी०एम० का पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष है। लेकिन कोई श्री बख्शी हैं, जिनकी तीन बार प्रोन्नति हुई है, को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सी०जी०एम० बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वह ग्रेजुएट इंजीनियर भी नहीं हैं। मंत्रालय श्री बख्शी को सी०जी०एम० के रूप में कैसे नियुक्त कर रहा है जबकि 1970-71 के बैच के आई०पी०एस० अधिकारियों का अन्य सरकारी विभागों में सी०जी०एम० के रूप में चयन किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, अब और प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। आप जानते हैं कि अल्प सूचना प्रश्न क्या है। यह छोटा होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मेरे प्रश्न का भाग दो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है। लेकिन कार्यसूची पर चर्चा होने और उसे परिचालित किए जाने से काफी पहले ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा बोर्ड की कार्यसूची को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, मुझे आपको यहां रोकना होगा। आप यहां ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मैं अगले सदस्य का नाम लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, आप उनके प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, 5206 कर्मचारी लगे हुए हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी की आगे की टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेंगी।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यही प्रश्न है।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे व्यक्तित्व और मेरी मूछों को लेकर मेरी तारीफ की है। मैं उसके लिए उनका आभारी हूं।

महोदय, जहां तक अधिकारियों अथवा ठेकेदारों के चयन का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : ये चीजें आपकी अनुमति से चल रही हैं *(व्यवधान)* आपकी भी जिम्मेवारी है *(व्यवधान)* महोदय, यह माननीय मंत्री जी के लिए आवश्यक है कि वह सभी आरोपों की छानबीन करें जिन्हें मंत्रालय के अधिकारियों के इशारे पर लगाया गया है। *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, अधिकारियों के चयन के लिए मानदण्ड हैं। चयन के लिए एक समिति है और वही समिति अधिकारियों का चयन करती है। अत: इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जहां तक ठेकेदारों के चयन का सम्बन्ध है इसकी उचित प्रक्रिया है *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : श्री बख्शी के बारे में क्या है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपने प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री जी ने प्रक्रिया के बारे में आपको बताया है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैंने पूछा है कि क्या सरकार चालू निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की सी०बी०आई० जांच कराने के बारे में सोच रही है *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, अभी सी०बी०आई० जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि श्री दूबे की हत्या जैसा कोई विशेष मामला होता है तो ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। अथवा सी०बी०आई० जांच के लिए कोई मामला नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : इस हत्या का कारण क्या था *(व्यवधान)*

[हिन्द]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यहां गोल्डल क्वाडीलेटरल योजना के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, यह अच्छी बात

है कि उसका काम चल रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। मैं अपने क्षेत्र रीवा की पीड़ा आपको बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 7, 27 और 75, जो सीवा से गुजरते हैं, कभी उन सड़कों की हालत को भी देखा जाए। वहां पैदल चलना भी मुश्किल है। आम आदमी साइकिल से भी उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं चल सकता। इसके लिए हमने कई पत्र लिखे हैं। हम लोग शहर में धरने पर भी बैठे थे और चुनावों में माननीय जेटली जी ने भी इस काफी हाईलाइट किया था। प्रदेश सरकार ने कई प्रस्ताव इन सड़कों को बनाने के लिए आपके यहां भेजे हैं, लेकिन वे प्रस्ताव कहां पड़े हैं, उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढों को पाटने का काम आम नागरिक करते हैं। उन गड्ढों में आम आदमी मुरुम डाल रहे हैं, जो हवा से उड़ रही है और लोगों के पेट में जा रही है जिससे वहा बीमारियां फैल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये। मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए। आप इतना लम्बा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : आप राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं। आप केन्द्र सरकार की ओर से कोई कमेटी भेजकर इन राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत दिखवा लें कि जो हाईवेज रीवा से गुजरते हैं, क्या वे चलने योग्य हैं। अगर आप ऐसा पाते हैं कि लोग उन पर पैदल या साइकिल से भी नहीं चल सकते हैं क्या आप तुरंत कोई पैसा इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए देंगे, यही मेरा निवेदन है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खण्डूड़ी : माननीय सदस्य ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7, 27 और 75 की बात कही है, मैं माननीय तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि इस कार्य को मैं वहां आदमी भेजकर दिखवा दूंगा। वैसे आपको जानकारी है कि नेशनल हाईवेज की मेन्टीनेन्स के लिए पैसा केन्द्र सरकार की ओर से पी०डब्ल्यू०डी० को भेजा जाता है और पी०डब्ल्यू०डी० उन्हें ठीक करती है। लेकिन अभी जो मार्ग ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें मैं वहां आदमी भेजकर दिखवा लूंगा और जहां-जहां पैसा देने की जरूरत होगी, वहां पैसा भी दूंगा।

मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना

2. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2003 को एक लाख शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु मुम्बई में "साल्ट पैन लैंड" को विकसित करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने लगभग 100 एकड़ "साल्ट पैन लैंड" को डंपिंग ग्राउंड में परिवर्तित करने का निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस भूमि के उपयोग के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि मलिन बस्ती पुनर्वास हेतु निर्धारित केन्द्र सरकार की भूमि को डंपिंग ग्राउंड के लिए नगर निगम को आवंटित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा मलिन बस्ती में रहने वाले एक लाख गरीबों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 15.8.2003 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उल्लेख किया था कि राज्य सरकारों के परामर्श से मलिन बस्ती पुनर्वास और शहरी अवस्थापना विकास के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इस बारे में व्यावहारिक परिवर्तन दर्शाने के लिए सरकार का संकल्प प्रतिपादित करने के लिए अगले दस वर्षों में बम्बई को मलिन बस्ती मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई जाएगी। प्रथम चरण में, अगले 2-3 वर्षों में अच्छे आवास परिसरों में, एक लाख से अधिक मलिन बस्ती निवासी परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा।

विभिन्न कार्यक्रमों को कवर करते हुए, राज्य सरकारों द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, स्लम निवासियों के पुनर्वास हेतु बम्बई में खार भूमि (साल्ट पैन लैंड) के उपयोग की भी परिकल्पना की गई है। मुम्बई में साल्ट पैन लैंड के बारे में भारत सरकार ने मुम्बई में अतिरिक्त साल्ट पैन लैंड को औद्योगिक नीति तथा सवंर्धन मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार की सहभागिता से शहरी विकास

और गरीबी उपशमन मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त साल्ट पैन लैंड के उपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंत्री दल का भी गठन किया गया है और इसके बाद इसकी सिफारिशों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है।

(ग) और (घ) एस०एल०पी० सं० 18717/2001 (चिन्चोली बंदर रेजीडेंट एसोसिएशन बनाम ग्रेटर मुंबई एवं अन्य) में दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सर्वेक्षण सं० 275 (भाग) में 141.77 हेक्टेयर भूमि की 50 प्रतिशत भूमि तीन महीने की अवधि के भीतर चिन्चोली बंदर में मौजूदा डंपिंग ग्राउंड को बंद करते हुए प्रदूषण संबंधी कानूनों के अवलोकन के अधीन डंपिंग ग्राउंड के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु ग्रेटर मुंबई नगर निगम को सौंप दे। सर्वेक्षण सं० 275 (भाग) ग्राम कंजूर स्थित मुंबई में साल्ट पैन लैंड से संबंधित है जिसका क्षेत्रफल 283 हेक्टेयर है।

(ङ) से (ज) ग्राम कंजूर स्थित साल्ट पैन लैंड के उपयोग हेतु विकास संबंधी विकल्पों जिनमें सी०आर०जेड०-I के अंतर्गत भूमि (141 हेक्टेयर), सी०आर०जेड०-III के अंतर्गत क्षेत्रफल (56 हेक्टेयर), ''नो डेवलपमेंट जोन'' के अंतर्गत क्षेत्रफल (45 हेक्टेयर) तथा मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए क्षेत्रफल (41 हेक्टेयर) शामिल है, पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है तथा केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा मुम्बई में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले पात्र मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए उक्त भूमि का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी तथा जो प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए अपेक्षित हैं। राज्य सरकार ने भी मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने हेतु भूमि उपयोग को ''नो डेवलपमेंट जोन'' से ''रिहायशी उपयोग'' में परिवर्तित करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत करा दिया था। लैंडफिल साईट (भूमि भराव स्थल) के रूप में भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से नवम्बर, 2002 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास एवं उपरोक्त के लिए राज्य सरकार की सहमति हेतु साल्ट पैन लैंड के उपयोग संबंधी प्रस्ताव से राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था तथा राज्य सरकार भूमि भराव (लैंड फिल) प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का उन्हें परामर्श दिया गया था।

भूमि भराव स्थल (लैंड फिल साईट) के रूप में ग्राम कंजूर में साल्ट पैन लैंड के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार के नोटिस में उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद इसने महिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के प्रर्याजनार्थ ग्राम कंजूर में साल्ट पैन लैंड के उपयोग संबंधी आवश्यकता से राज्य सरकार को सूचित कर दिया था जो पहले से ही उनके प्रस्ताव से सहमत थी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए लैंडफिल प्रयोजनों और कानूनी कदम उठाने के लिए वैकल्पिक स्थल खोजने हेतु उनसे अनुरोध किया जा चुका है ताकि ग्राम कंजूर में साल्ट पैन लैंड के लिए विकास योजना को बिना किसी कठिनाई के कार्यान्वित किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वे साल्ट पैन लैंड पर मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु भारत सरकार की चिन्ता को समझते हैं और वे वैकल्पिक भूमि की तलाश करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्राम कंजूर स्थित भूमि के बजाए ऐसी भूमि का डंपिंग प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सके।

एक लाख मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास में राज्य सरकार द्वारा निर्मित वृहत कार्यक्रम का विकास भी शामिल है। ग्राम कंजूर में साल्ट पैन लैंड का प्रयोग जिसका प्रस्ताव मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश की समीक्षा पर निर्भर करेगा।

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गत सैशन के सैकिंड लास्ट डे आपके चैम्बर में महाराष्ट्र का एक आल पार्टी डेलिगेशन मिला था, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ मुम्बई की दृष्टि से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ था। वह निर्णय यह था कि मुम्बई शहर में केन्द्र सरकार की साल्ट पैन लैंड है। इस साल्ट पैन लैंड में कंजूर गांव की लगभग 141 हेक्टेयर जमीन यानी तीन सौ एकड़ जमीन पर केन्द्र सरकार के साथ बैठकर, मुम्बई के झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों और प्रोजैक्ट अफैक्टिड दो लाख लोगों के पुनर्वास करने का निर्णय हुआ था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सभी पक्षों के नेताओं, सांसदों और मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था कि इस जमीन को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को एक साथ मिलकर एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुम्बई की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, क्योंकि मुम्बई में कहीं जमीन उपलब्ध नहीं है। इस जमीन पर जो मुम्बई के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट प्रोजैक्ट्स जैसे घाटकोपर और अंधेरी के बीच स्काई रेल है, उसके बाद मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजैक्ट, मुम्बई एयरपोर्ट एक्सपैन्शन प्रोजैक्ट, इन सभी प्रोजैक्ट्स से अफैक्टिड लोग वहां रिहैबिलिटेट होने वाले थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दो साल से महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच बात चल रही थी कि इस जमीन को इस प्रकार से एक्सप्लॉयट करना है। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गत दो दिसम्बर को केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की सब-कमेटी की एक मीटिंग हुई और इस प्रोजैक्ट को 26 जनवरी को प्रधान मंत्री जी द्वारा लांच कराने का निर्णय हुआ, परंतु अभी पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को अंधेरे में रखकर, मुम्बई के लोगों के साथ विश्वासघात करके, इस भूमि को डम्पिंग यार्ड घोषित कर दिया है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र

सरकार की निन्दा करता हूं। यह मुम्बई की जनता के साथ विश्वासघात है। मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो साल से महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच क्या चर्चा चल रही थी। आपके चैम्बर में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी और सब पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा था और क्या इस जमीन पर प्रोजैक्ट अफैक्टिड लोगों का पुनर्वसन होने वाला था और इसके ऊपर डम्पिंग ग्राउंड क्या आपकी अनुमति से घोषित हुआ है, ये सब जानकारियां आप सदन के सामने दें।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर श्री किरीट सोमैया जी ने एक इम्पौर्टैंट इश्यू रेज किया है। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुम्बई को स्लमलैस सिटी बनाया जाएगा। इसके लिए एक लाख फेमिलीज को रीहैबिलिटेट करके, री-लोकेट कर के, बहुत बड़ी स्कीम घोषित की थी और विशेष कर जहां पर सैंट्रल गवर्नमैंट की जो एजेंसीज हैं, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस, रेलवेज और डिफेंस आदि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनकी लैंड में, यानी सैंट्रल गवर्नमेंट की लैंड में, बहुत सालों से गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की, उसी के अंतर्गत स्कीम को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया गया था। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की तीन बार मीटिंग हुई है। इसी के तहत पहले जो हमारी स्कीम है, कंजूर विलेज, जिसके बारे में सोमैया जी ने बताया, उसमें कुछ 283 हेक्टेयर लैंड है, उसमें से 86 हेक्टेयर लैंड को डैवलप करने के लिए और 41 हेक्टेयर लैंड में बिल्डिंग टैनामेंट्स इमीडिएटली बनाने के लिए एक स्कीम तैयार करने का निर्णय हुआ है।

[अनुवाद]

हडको वित्त पोषक एजेंसी होगी और एन०बी०सी०सी० निर्माण करने वाले ऐजेंसी होगी।

[हिन्दी]

इस प्रकार का निर्णय हुआ है। इसी के तहत इसमें सैल्फ फायनेंसिंग स्कीम है। इस प्रकार झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको कोई पैसे नहीं देने हैं, उन्हें मुफ्त में अच्छा मकान देने का, सैल्फ फायनेंसिंग बेसिस पर हमने निर्णय किया है। 41000 स्लम ड्वैलर्स को रीहैबिलिटेट करने का हमने निर्णय किया है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 प्लस 7 स्टोरीज बनाने का निर्णय किया।

[अनुवाद]

इसका 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का हिस्सा होगा और अन्य 50 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि डम्पिंग ग्राउंड डिक्लेयर किया है या नहीं – यह बात सही है या नहीं?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : सुप्रीम कोर्ट ने उसे डम्पिंग ग्राउंड डिक्लेयर किया है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक ऐफेडेविट दाखिल किया गया था। बहुत पहले से एक पब्लिक लिटीगेशन मुम्बई में चल रही थी। उसमें राज्य सरकार ने उसे डम्पिंग ग्राउंड डिक्लेयर करने के लिए ऐफीडेविट दिया।

अध्यक्ष महोदय : जमीन किस की थी?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : सैंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है?

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : उन्होंने पिटीशन डाली है। हमें बताया भी नहीं है। स्कीम चल रही थी। इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से कहा है कि आल्टरनेटिव लैंड भी बताए। राज्य सरकार आल्टरनेटिव लैंड की खोज कर रही है।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकरण में पांच साल से इन्वाल्व हूं। इसके आंसर में यह लिखा है कि–

[अनुवाद]

मलाड के लोगों द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। महोदय, आपको तो मालूम है कि मलाड कहां है और कंजूर मार्ग कहां है। यह जनहित याचिका मुम्बई के लिए किसी डम्पिंग ग्राउंड से सम्बन्धित है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें डम्पिंग ग्राउंड के लिए भूमि खण्ड की पहचान की जानी चाहिए। इसके पहले अगस्त 2002 में भारत सरकार से पूछे बिना, उन्हें अंधेरे में रखते हुए, मुम्बई के लोगों को अंधेरे में रखते हुए

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार के चीफ सैक्रेट्री ने अगस्त, 2002 में सुप्रीमकोर्ट में एक ऐफिडेविट दाखिल किया। *(व्यवधान)* इसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने एक एफिडेविड फाइल किया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या इसकी उन्होंने आपसे कंसेंट ली थी? *(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अब इस संबंध में क्या कदम उठाएगी? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। इसका उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : महाराष्ट्र सरकार ने आपको क्या बताया और क्या वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटीशन दायर करेगी। *(व्यवधान)* इस प्रकार का कार्य करने वाली, प्रधानमंत्री जी को अंधेरे में रखने वाली महाराष्ट्र सरकार से क्या एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार : तेलगी के बाद यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को क्या कहना है। कृपया अपने स्थाने पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट से डिसकशन हुई है और सैक्रेटी, अरबन डेवलपमेंट की महाराष्ट्र सरकार से मीटिंग भी हुई है। हमने उन्हें कहा है कि आइडेंटीफाई एन अल्टरनेटिव लैंड करके, फिर डंपिंग ग्राउंड परपज़ के लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए एक रिव्यू पेटीशन डालें। इसका प्रैलिमिनरी रिएक्शन यहां तक हुआ है। अभी हमने उनसे सम्पर्क बनाया हुआ है और मीटिंग भी हो रही है। *(व्यवधान)* इसकी और अल्टरनेटिव व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार से बात करके, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी हमारी मीटिंग चल रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पांच मिनट में पूरा हो जाएगा। कृपया धैर्य रखिए। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुम्बई का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 40 लाख से 50 लाख तक लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। उनके लिए आपके कार्यालय में, जब आप मुख्य मंत्री थे, तब इन 40-50 लाख झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त मकान की योजना माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने बनाई थी। वह कार्य चालू भी हुआ था। *(व्यवधान)* ठाकरे जी की यह कल्पना थी, मैं उस समय हाउसिंग मिनिस्टर था और मैंने इस काम को चालू किया था। *(व्यवधान)* 1.1.95 को जितने भी नाम मतदाता सूची में थे, उन्हें इसका फायदा होने वाला था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, आप प्रश्न पूछिए, समय बहुत कम है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं अरबन एंड रूरल डेवलपमैंट से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूं। अरबन रूरल डेवलपमेंट कमेटी ने मुम्बई में ये योजनाएं स्वयं जाकर विजिट की हैं। वहां अंधेरी की काफी अच्छी स्कीम थी। स्टैंडिंग कमेटी ने इस योजना की तरफदारी की। इस 40 लाख मकानों की स्कीम में न केन्द्र सरकार को पैसा लगाना पड़ता और न ही राज्य सरकार को लगाना पड़ता। विकास फंड और सोसायटी के लोग को साथ मिलाकर वह प्रोजेक्ट बनाना था।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक लाख मकान बनाने की योजना डिक्लेयर की थी। ये मकान जहां बनने थे, वहां साल्ट लैंड चली गई। अभी मंत्री जी ने कहा कि इस लैंड पर काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थगित हुआ। मुम्बई के कम से कम 40 लाख झुग्गी वालों के लिए वहां मकान बनाने का काम शुरू हुआ था। उनके लिए जो स्कीम शुरू हुई, उसमें हुडको, एन०बी०सी०सी० को फाइनेंस करना था। उन्होंने वायदा किया था कि जो भी प्रोपोजल आएंगे, उन पर आप ध्यान देंगे, उन्हें हुडको के माध्यम से मान्यता दी जाए और लोन दिया जाए ताकि वह स्कीम पूरी हो जाए। इस काम को जल्दी से जल्दी कब तक पूरा करेंगे ताकि मुंबई सुन्दर, स्वच्छ और निरोगी बने तथा वहां के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके। *(व्यवधान)* यह आप काम कब तक करने वाले हैं? आप क्या हुडको से फाइनेंस के सब प्रोपोजल्स मंजूर करेंगे – यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? स्टैंडिंग कमेटी ने वहां विजिट किया था और हमने इसकी रिकमेंडेशन भी भेजी है। *(व्यवधान)*

श्री बंडारू दत्तात्रेय : ऑनरेबल मैम्बर ने जो पूछा है, नेशनल स्लम पॉलिसी में भी हम यही निर्धारित कर रहे हैं कि इनीशिएटिव डैवलपमेंट जहां-जहां स्लम में हम बिठा सकते हैं, वहां पर मकान बनाते

हैं, जहां हैजार्डस एरियाज हैं, उनका रीलोकेशन करके, जहां पर जरूरत है, लोगों को वहां से बाहर ले जाने के लिए हमने रीलोकेशन स्कीम में लगाया है। अभी जैसा ऑनरेबिल मैम्बर ने पूछा है।

[अनुवाद]

धारावी पुनर्वास योजना के लिए 71,000 आवासीय इकाइयों को 4 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की लागत से बनाना है गैर-धारावी पुनर्वास योजना के लिए 55,000 आवासीय इकाइयों को पहले चरण में तीन वर्षों के भीतर 550 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 920 करोड़ रुपये की लागत से कुल मिलाकर 90,000 मकान बनाए जाएंगे योजना तो है लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के सहयोग से ही किया जा सकता है। राज्य सरकार को योजना और सभी अन्य चीजों के साथ आगे आना होगा। राज्य सरकारें तो आगे आ रही हैं लेकिन अभी इसकी तैयार करनी पड़ेगी।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, मैं डम्पिंग ग्राउंड के विवाद में नहीं पड़ रहा हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे फिर कभी पूछना।

श्री चन्द्रकांत खैरे : जो सोसायटी है, उनके जो डैवलपर हैं, उन्हें देने के लिए जो पैसा उपलब्ध कराना है, लोन बेसिस पर हुडको से वह मिलने वाला है क्या? दोनों सरकारों का उसमें पैसा नहीं लगने वाला है, सिर्फ हुडको को फाइनेंस करना चाहिए। सर, आप मंत्री जी से बोलिये।

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, जहां तक हुडको का सम्बन्ध है ऋण समस्या नहीं है हम उसे प्रदान कर सकते हैं *(व्यवधान)* केवल एक चीज है कि राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इसके प्रश्न को मैंने स्वीकृत नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, जहां तक मुझे मालूम है लवण उत्पादन भूमि (स्लाट पेन लैण्ड) का 60 प्रतिशत पट्टे पर है और भूमि का 30 प्रतिशत शेष भाग "नो डैवलपमेंट जोन" में आता है। स्थिति इस प्रकार की है। पट्टे की समाप्ति अवधि जिस पर ये लवण उत्पादन की भूमि दी गई होती है, 2060 से शुरू होगी और 2080 तक रहेगी। यदि इन सारी जमीनों की अधिप्राप्ति करनी है तो भारी मात्रा में क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी।

महोदय, श्री किरीट सोमैया ने मुलुन्ड और थाणे के बीच की भूमि के सम्बन्ध में गलत सूचना दी है। मुलुन्ड की लवण उत्पादन करने वाली भूमि, जो मुम्बई शहर में है, लवण बनाने वालों के पास पट्टे पर है और यह पट्टा पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या वह इस आवासीय विकास में भागीदारी योजना ला रहे हैं क्योंकि वे पूरी तब्दीली कर रहे हैं और क्या वह उन्हें इसमें भाग लेने का मौका देंगे? मेरा यह विशेष प्रश्न है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, पट्टे की अवधि के सम्बन्ध में कुछ संगठन अथवा संस्थाएं हैं और उनकी पट्टा अवधि 2015 तक पूरी होने जा रही है हम उन संगठनों अथवा संस्थाओं को नहीं छेड़ेंगे जो लवण बनाने के लिए इसका अभी भी उपयोग कर रही हैं। लेकिन वे लोग जो भूमि का उपयोग लवण बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं और उसे अन्य प्रयोजनों के लिए रख रहे हैं, हम उनके विरुद्ध कानून के अनुसार और प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, इस विशेष भूखण्ड के लिए पट्टा पहले ही समाप्त हो गया है *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : क्या माननीय मंत्री उन्हें क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए तैयार हैं? यह मेरा अन्य प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि मैं उन्हें अनुमति नहीं देता हूं तो कृपया उनके प्रश्न का उत्तर मत दीजिए।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, अन्य भूमि की तरह यह लवण उत्पादन करने वाली भूमि केन्द्र सरकार की है। माननीय प्रधान मंत्री ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, जिस स्थान से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, वह सत्ता पक्ष का है *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, वह सदन का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछ रहे हैं और वह सदन के सदस्य हैं *(व्यवधा।)*

श्री अनन्त कुमार : महोदय, लवण उत्पादन करने वाली भूमि की साझेदारी और उसके पुनर्विकास का कार्य संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच का है।

अत: मेरे प्रश्न के दो भाग हैं जिन्हें मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पहला क्या भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगने जा रही है? दूसरा मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार से भूमि वापस ले रही है ताकि सारी परियोजनाओं का पूर्व नियोजित पुन: विकास किया जा सके।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है। सचिव और हमारे लोग राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। लेकिन जहां तक उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र का सम्बन्ध है यह संघ सरकार को मालूम नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परियोजना अपने आप में एक बड़ी परियोजना है। मैं महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण लूंगा।

श्री अनन्त कुमार : आप भूमि वापस लें। महोदय, इन्हें भूमि वापस लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम, अगली मद – सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों – को लेते हैं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नगर आयोजना संबंधी अध्ययन

*302. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी विकास के लाभार्थ देश में नगर आयोजना संबंधी अध्ययन के स्तर में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अलग से केवल नगर आयोजना और शहरी अभियांत्रिकी आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ आई०आई०टी० जैसी संस्थाएं स्थापित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के लिए योग्य शहरी योजनाकारों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) ने वास्तुकला और आयोजना/नगर आयोजना शिक्षा से संबंधित पक्षों की जानकारी देने के लिए ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग एजुकेशन का गठन किया है। बोर्ड प्रणाली में सुधार लाने और क्वालिटी सुधारने के लिए वास्तुकला तथा नगर आयोजना शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है। बोर्ड आफ स्टडीज के गठन का संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि वास्तुकला और नगर आयोजना शिक्षा में पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए, जो आज की व्यावसायिक मांग को पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप हो।

ए०आई०सी०टी०ई० ने नगर एवं ग्राम आयोजना पाठ्यक्रमों के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया है :–

1. प्रो० जे०एच० अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजीकल प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर 4 ब्लाक बी, आई०पी०एस० एस्टेट, नई दिल्ली-110002

2. प्रो० ए०एन० सच्चिदानंदन, डीन, एम०ई०ए०एस०आई० एकेडेमी आफ आर्किटेक्चर "एसोसिएशन गार्डनस" 87, पीर्प्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014 ।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर आयोजना और शहरी इंजीनियरिंग जरूरतों के लिए आई०आई०टी० के मॉडल पर अलग से कोई संस्थान स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) नगर नियोजकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ए०आई०सी०टी०ई० ने नगर आयोजना तथा संबंधित क्षेत्रों में अंडर ग्रेजूएट स्तर पर शिक्षा के लिए वार्षिक कुल 85 छात्रों के साथ 2 संस्थानों को अनुमोदन दिया है। ए०आई०सी०टी०ई० ने नगर आयोजना तथा संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए कुल वार्षिक 239 छात्रों के साथ संस्थानों को भी अनुमोदन दिया है। अंडर ग्रेजूएट तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

ए०आई०सी०टी०ई० को अगले शैक्षिक वर्ष 2004-05 के दौरान नये संस्थानों (अंडर ग्रेजूएट स्तर) की स्थापना के लिए 5 प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार के प्रस्तावों पर मानदंड और मानक पूरे करने पर अनुमोदन देने के लिए विचार किया जाएगा। प्राप्त प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

विवरण-I

फा०सं० 453-2/ए०आई०बी०ए०आर०सी०एच०/2003
आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2003

आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23(घ)के साथ पठित धारा 13(2) तथा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए०आई०सी०टी०ई० 1 सितम्बर, 2003 से आल इंडिया बोर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग एजुकेशन का एतद्द्वारा पुनर्गठन करता है। बोर्ड का गठन और सदस्यता इस प्रकार है :–

गठन और सदस्यता

क्रम सं०	शामिल सदस्य	सदस्य का नाम/पदनाम
1	2	3
1.	अध्यक्ष का नामांकन ए०आई०सी०टी०ई० के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।	प्रो० ई०एफ०एन० रिबेरियो, निदेशक, एसोसिएशन ऑफ मेट्रो डवलपमेंट अथारिटिज 7/6, सीरीफोट इंस्टीट्यूशन एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049
2-3.	यूजर एम्प्लायीज एजेंसी के प्रतिनिधि – मुख्य वास्तुक, के०लो० नि०वि० (पदेन) तथा मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (पदेन)	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ई ब्लाक, विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नयी दिल्ली-02। मुख्य वास्तुक-1, के०लो०नि०वि०, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
4-5.	व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि – इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट के अध्यक्ष (पदेन) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स के अध्यक्ष (पदेन)	अध्यक्ष, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट, प्रॉस्पेक्ट चेम्बरस एनेक्सी, डा० आर०एन० रोड, फोर्ट, मुम्बई-01 अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, इंडिया 4 ए, रिंग रोड, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नयी दिल्ली-02
6.	कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ का नामांकन अध्यक्ष, ललित कला अकादमी, नयी दिल्ली द्वारा किया जाएगा।	अध्यक्ष, ललित कला अकादमी रवीन्द्र भवन, 35, फिरोज शाह रोड, (मंडी हाऊस के पास) नई दिल्ली-09
7-10.	वास्तुकला और नगर आयोजना के क्षेत्र से विशेषज्ञों का नामांकन अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा किया जाएगा (4)	श्री जे०आर० भल्ला पूर्व अध्यक्ष काउंसिल आफ आर्किटेक्चर 5 सुन्दर नगर, नयी दिल्ली-03 प्रो० मो० हेरिस, हेरिस ग्रुप 39-ए (न्यू नं० 74) मुख्य तल स्ट्रीट पुरसावलकम, चेन्नई-07 प्रो० रजनीश वत्स, विभागाध्यक्ष, कॉलेज आफ आर्किटेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़-12 प्रो० बी०वी० दोषी, आर्किटेक्ट प्लानर, 14 सीरी सदमा सोसायटी, नवरंग पुरा, अहमदाबाद-09
11-14.	स्कूल ऑप आर्किटेक्चर और स्कूल ऑफ टाउन प्लानिंग के प्रतिनिधि जो ए०आई०सी०टी०ई० अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जाएगा (चार)	प्रो० डी०के० सेनगुप्ता प्रोफेसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर-721302 पश्चिम बंगाल

1	2	3
		प्रो० सुरेश रावत रचना संसद कालेज आफ एम्पलाइड आटर्स एंड क्राफ्ट 278, शकर घानेकर मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025 डा० मुकुल सिंह प्रधानाचार्य गवर्नमेंट कालेज ऑफ आर्किटेक्चर टैगोर मार्ग, लखनऊ-226007 प्रो० एस० गड़ हेड, सर जे०जे० कालेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर 78/3, डॉ० दादाभाई नौरोजी रोड, मुम्बई-400 025
15.	आल इंडिया बोर्ड अंडर ग्रेज्यूएट स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी के प्रतिनिधि जो ए०आई०सी०टी०ई० अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जाएंगे।	डा० प्रेम कृष्ण सिविल इंजीनियरी विभाग आई०आई०टी०, रुड़की-61, सिविल लाइन्स, रुड़की-247 667 उत्तरांचल
16.	ए०आई०सी०टी०ई० के अधिकारी, सदस्य सचिव	सलाहकार (यू०जी०) ए०आई०सी०टी०ई०

पदेन सदस्य को छोड़कर किसी अन्य सदस्य की पदावधि अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक की होगी।

हस्ता०/-
(के० सुब्रहामन्यम)
सलाहकार (प्रशासन)

विवरण-II

नियोजन/नगर नियोजन से संबंधित अंडरग्रेजुएट के पाठयक्रमों की सूची

क्रम सं०	संस्थान का नाम और पता	डिग्री/स्थापना वर्ष	पाठयक्रम	छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	जे०एन०टी०यू० स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हैदराबाद	स्नातक/1999	नगर नियोजन	45
2.	भायकाका सेंटर फोर ह्यूमन सेटलमेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एन्वायरनमेंटल डिजाइन डी०सी० पटेल स्कूल आफ आर्किटेक्चर वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	स्नातक/1994	नगर नियोजन	40

नियोजन/नगर नियोजन से संबंधित एम०ई०/एम० टेक स्तर के पाठ्यक्रमों की सूची

क्रम सं०	संस्थान का नाम और पता	डिग्री/स्थापना वर्ष	पाठ्यक्रम	छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	जे०एन०टी०यू० स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हैदराबाद	एम०यू०आर०पी०/ 1994	शहरी और क्षेत्रीय नियोजन	18
			कुल	18
2.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली	एम०पी०/1994	पर्यावरणीय नियोजन	13
			क्षेत्रीय नियोजन	12
			शहरी नियोजन	24
			परिवहन नियोजन	18
			कुल	67
3.	एम०वी० रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, सूरत-395 007	एम०ई०/1994	नगर और क्षेत्रीय नियोजन	25
			कुल	25
4.	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट-673 601	एम० टेक/1994	यातायात और परिवहन नियोजन	18
			कुल	18
5.	गवर्नमेंट कालेज आफ इंजीनियरिंग, शिवाजी नगर, पुणे-415005	एम०ई०/1994	नगर और ग्राम नियोजन	31
			कुल	31
6.	स्कूल आफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल रोड, गुंडई, चेन्नई-600 025	एम०टी०पी०/1994	नगर ओर ग्राम नियोजन	24
			कुल	24
7.	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, भोपाल	एम० टैक/1995 एम० आर्कि/1995	पर्यावरणीय इंजीनियरिंग व नियोजन	18
			शहरी विकास	10
8.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा	एम०टी०पी०/1975	नगर नियोजन	10
9.	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यट आफ टैक्नोलोजी, नागपुर	एम० टैक	शहरी नियोजन	18
				239

विवरण-III

शैक्षिक वर्ष 2004-2005 में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने के लिए प्राप्त आवेदन

क्षेत्र : उत्तर पश्चिम

कार्यक्रम : डिग्री आर्किटेक्चर/नगर नियोजन

क्रम सं०	न्यास का नाम	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदन किया है	छात्रों की प्रति वर्ष लिए जाने वाले प्रस्तावित संख्या
1.	लवली इंटरनेशनल ट्रस्ट, लवली माल, डॉ० अम्बेडकर चौक, जालंधर सिटी, पंजाब 144001	लवली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, जालंधर लुधियाना, जी०टी० रोड, फगवाड़ा, चेहरू रेलवे ब्रिज के निकट, जालंधर के पास, जिला-कपूरथला, पंजाब-144402	नगर नियोजन	40
2.	श्री जैनेन्द्र गुरूकुल, पंचकुला, हरियाणा-134108	महावीर स्कूल आफ आर्किटेक्चर श्री जैनेंद गुरूकुल, पंचकुला, हरियाणा-134108	नियोजन	40
3.	ऊषा कोओपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि०, खसरा नं० 69-71, हैदरपुर वजीराबाद, सैक्टर-53, गुड़गांव-122002, हरियाणा	आई०आई०एल०एम० इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, खसरा सं० 69-71, हैदरपुर, वजीराबाद, सैक्टर-53, गुड़गांव, 122002, हरियाणा	आर्किटेक्चर और नगर नियोजन	40
4.	सतप्रिय महमिया मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट, 0.5 कि०मी०, माइलस्टोन, जिन्द रोड, रोहतक-1240001, हरियाणा 06/04/हरि/आर्क/2004/003	सतप्रिय इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्चर 0.5 कि०मी०, माइलस्टोन, जिन्द रोड, रोहतक-124001 हरियाणा	आर्किटेक्चर और नगर नियोजन	40
5.	स्टोरक्स एजूकेशन सोसाइटी गांव, बिनोला, डाकघर-भोराकलां, बिलासपुर चौक के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 गुड़गांव हरियाणा-122413 06/04/हरि/आर्क/2004/002	स्टोरक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्चर गांव-बिनोला, डाकघर-भोराकलां, बिलासपुर चौक के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, गुड़गांव हरियाणा-122413	आर्किटेक्चर और नगर ,नियोजन	40

'नक्सलाइट कॉरीडोर जोन'

*305. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई वामपंथी उग्रवादी संगठन बिहार, झारखंड, उड़ीसा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि होते हुए नेपाल से श्रीलंका तक एक 'कॉरीडोर जोन' बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या इस तरह की रिपोर्टें आई हैं कि माओवादी और अन्य वामपंथी उग्रवादी संगठन भारत में नए क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का प्रसार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि सी०पी०एम०एल०-पी०डब्ल्यू० और एम०सी०सी०(आई०) ने नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ मिलकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो कर नेपाल से आन्ध्र प्रदेश तक एक काम्पेक्ट रिवलूशनरि जोन बनाने की योजना बनाई है।

(ग) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि सी०पी०एम०एल०-पी०डब्ल्यु० और इसके अग्रणी संगठन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में अपना प्रभाव/गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एम०सी०सी०(आई०) और सी०पी०एम०एल०-पी०डब्ल्यू० भी बिहार, उड़ीसा और झारखंड में नए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण देना, आसूचना आधारित नक्सलवाद-विरोधी अभियानों के लिए विशेष कार्य बल बनाना; विकास कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना, और निम्न स्तर पर लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सुचारू बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

हिन्दी को प्रोत्साहन

***307. श्री मानसिंह पटेल :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी भाषा से संबंधित पैकेज स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए विशेषकर गैर हिन्दी भाषी राज्यों में इसके लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं और क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) हिन्दी भाषा सीखने संबंधी पैकेज, लीला (लर्न इण्डियन लैंग्वेजेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ 14.09.2003 से इन्टरनेट पर उपलब्ध है। यह सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई है। अत: मंत्रालयों/विभागों में प्रत्येक निजी कम्प्यूटर पर अलग से पैकेज स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के उपाए, गैर-हिन्दी भाषी राज्यों सहित संलग्न विवरण में दिए अनुसार, समस्त भारत में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। सभी प्रोत्साहन योजनाओं की राजभाषा विभाग में समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जहां-कहीं आवश्यकता होती है, सुधार किए जाते हैं।

विवरण

केन्द्र सरकार के कार्यालय में हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम

1. राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइपिंग तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है।
2. राजभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाना तथा कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना।
3. टेलीविजन तथा रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण तथा प्रसारण।
4. राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण।
5. वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
6. तिमाही रिपोर्टों तथा निरीक्षण के जरिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों का प्रबोधन करना।
7. विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन।

[अनुवाद]

नए निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश

***308. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे दिशानिर्देश हैं कि सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सभी नए भवन आवश्यक रूप से पर्यावरण अनुकूल होंगे और वर्षा जल ग्रहण सुविधाओं से युक्त होंगे तथा ऊर्जा की बचत वाले होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य अभिकरणों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिनांक 28.7.2001 की अधिसूचना द्वारा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में केन्द्र सरकार ने दिल्ली में 100 वर्गमीटर और उससे अधिक आकार के भूखण्डों पर सभी नए भवनों में बरसाती पानी सहित अप्रवाह पानी का भण्डारण करके जल संग्रहण की व्यवस्था करना अनिवार्य बना दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्र सरकार ने भी दिनांक 27.10.2003 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 1994 की उक्त अधिसूचना के क्षेत्राधिकार में, नए उप नगरों, औद्योगिक उप नगरों, आदि सहित नई निर्माण परियोजनाओं/औद्योगिक सम्पदाओं से संबंधित गतिविधियों को लाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 के प्रस्तावित संशोधन के लिए आपत्तियां मांगी हैं। विद्युत मंत्रालय में केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्रकल्पिक ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोडों का अभी निर्धारण किया जाना है।

(ग) सरकारी भवनों की डिजाइन बनाते समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विद्यमान अनिवार्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखता है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

[हिन्दी]

सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठक

***310. श्री महेश्वर सिंह :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के अनुरोध के बावजूद ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए गठित सतर्कता और निगरानी समितियों ने किन-किन राज्यों में बैठकें नहीं की हैं और इसके जिलावार क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता रोकने का विचार है जहां ये समितियां गठित नहीं की गई हैं अथवा इन समितियों की बैठकें नहीं हुई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समितियों की बैठकें नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकारों ने यह जानकारी नहीं दी है कि उनकी सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं या नहीं और उनकी बैठकें हो रही हैं अथवा नहीं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन समितियों के महत्व पर बल देते हुए सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है और यह स्पष्ट किया है कि ये लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उपयोग प्रमाण-पत्रों, जो दूसरी किस्त की रिलीज के लिए अनिवार्य हैं, से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। चूककर्ता जिलों के लिए मंत्रालय रिलीजों को रोकने पर विचार कर सकता है, जैसा कि लेखा परीक्षा रिपोर्टों आदि के प्रस्तुत न किये जाने के मामले में किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को ये निर्देश बार-बार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मृत्युदंड

***311. श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संकल्प में मृत्युदंड दिए जाने के विरुद्ध 5 वर्ष के लिए रोक लगाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय देश में कितने व्यक्तियों को फांसी दी जानी है और संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प के पश्चात् की अवधि के बाद कितने व्यक्तियों को फांसी दी जा चुकी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 59वें सत्र, जो मार्च/अप्रैल 2003 में जेनेवा में आयोजित हुआ था, में "मृत्युदण्ड के प्रश्न" पर एक संकल्प रखा गया था। भारत निम्न आधारों पर संकल्प पर अनुपस्थित रहा :–

(i) उक्त संकल्प में देशों से यह अनुरोध किया गया है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड तब तक न दिया जाय तब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लम्बित हो, जो भारत के इस रुख के विरुद्ध है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का फैसला राष्ट्रीय न्यायालय और राष्ट्रीय कानून निर्धारित करेंगे।

(ii) संकल्प में देशों से अनुरोध किया गया है कि मृत्युदंड पर अधिस्थगन (मोरेटोरयम) निर्धारित करे और यह कि यह मामला राष्ट्रीय नीति और कार्यान्वयन का है; और

(iii) संकल्प में उन देशों जहां कानून में मृत्युदंड की व्यवस्था है, को व्यक्तियों के प्रत्यर्पण पर अनावश्यक प्रतिबन्ध रखे गए हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संकल्प अभी हाल ही का है इसलिए यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियां

*312. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों का विकास और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण खेलों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सभी राज्यों में खेल परिसंघों की स्थापना की गई है और उन्हें मान्यता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों से कितनी धनराशि की मांग की गई है और उक्तावधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) "खेल" राज्य सूची का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी स्थानों पर खेल संबंधी सुविधाओं का सृजन करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, उनसे व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना; और
2. खेल उपस्कर की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, कोई राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते हैं। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। इन मानदण्डों के अनुसरण में, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त दो अवस्थापना संबंधी योजनाओं और ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिखाया गया है।

(घ) सरकार राज्य खेल परिसंघों की स्थापना के लिए जिम्मेवार नहीं है। सरकार केवल वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त खेल विधाओं में ही राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता देती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	1	60.00	2	13.74	1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	56.85	4	213.29	6
3.	असम	25.305	2	50.00	2	73.50	3
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	गुजरात	1.18	1	3.89	2	0.00	0
7.	हरियाणा	35.80	2	37.00	2	1.20	1
8.	हिमाचल प्रदेश	51.41	3	45.05	6	6.61	3
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.409	1	5.02	5
10.	कर्नाटक	45.712	5	31.45	4	82.20	14
11.	केरल	22.544	5	1.66	1	0.124	1
12.	मध्य प्रदेश	24.00	1	58.83	5	62.40	4
13.	महाराष्ट्र	0.50	1	100.00	4	165.00	7
14.	मणिपुर	40.00	2	33.04	3	62.50	5
15.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	मिजोरम	125.50	12	0.00	0	57.75	11
17.	नागालैण्ड	20.00	1	107.62	29	194.00	8
18.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	15.50	2
19.	पंजाब	275.57	11	162.52	11	10.00	1
20.	राजस्थान	0.00	0	0.04	1	10.71	2
21.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22.	तमिलनाडु	16.47	2	79.05	5	97.011	8
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24.	उत्तर प्रदेश	0.50	1	32.58	2	16.29	1
25.	पश्चिम बंगाल	0.49	1	10.00	1	28.00	2
26.	दिल्ली	0.00	0	2.52	1	0.00	0
	संघशासित क्षेत्र						
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	784.981	51	872.509	86	1057.995	85

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक खेल उपस्कर की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्रम सं०	राज्य	2000-2001 जारी की गई राशि	2001-2002 जारी की गई राशि	2002-2003 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	0.00	1.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.32	1.79	0.00
3.	असम	6.26	14.00	8.673
4.	बिहार	2.42	0.93	1.716
5.	छत्तीसगढ़	0.00	2.58	6.398
6.	दिल्ली	1.46	0.00	0.00
7.	गुजरात	2.73	2.02	0.85
8.	गोवा	2.69	1.10	1.549
9.	हरियाणा	5.07	42.92	12.64
10.	हिमाचल प्रदेश	1.12	33.25	9.97
11.	जम्मू व कश्मीर	1.59	0.90	1.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	3.58	18.57	25.08
11.	केरल	2.71	4.01	2.26
15.	मध्य प्रदेश	20.81	25.78	14.12
16.	महाराष्ट्र	3.42	16.00	35.766
17.	मणिपुर	8.06	3.21	6.30
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.75
20.	नागालैण्ड	16.27	3.25	5.125
21.	उड़ीसा	11.25	15.67	27.538
22.	पंजाब	0.67	8.10	4.785
23.	राजस्थान	4.08	17.78	11.71
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	82.04	77.29	15.93
26.	त्रिपुरा	0.71	1.89	0.738
27.	उत्तर प्रदेश	14.12	14.29	21.05
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	8.33
29.	पश्चिम बंगाल	50.22	38.45	88.55
30.	संघ शासित क्षेत्र — अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	242.68	343.87	310.99

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2000-2001 से 2002-2003 तक के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य	2000-2001 (राशि लाख रुपयों में)	2001-2002 (राशि लाख रुपयों में)	2002-2003 (राशि लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	असम		1.50 (1999-2000)	
			3.00 (2000-2001)	
2.	आन्ध्र प्रदेश	2.70	2.70 (1999-2000)	
3.	बिहार	1.80	1.50 (1998-1999)	2.40
			3.00 (2000-2001)	
			2.40	
4.	हरियाणा			2.10
5.	जम्मू व कश्मीर	1.01 (1998-1999)	3.00 (2000-2001)	2.70
		1.02 1.50 (1999-2000)	2.70	
6.	हिमाचल प्रदेश	1.20	1.20	1.20
7.	पंजाब			3.00
8.	केरल			3.00
9.	राजस्थान	3.00	3.00 (1999-2000)	3.00
10.	नागालैंड	3.00	3.00 (1999-2000)	1.50 (2001-2002)
11.	गोवा			
12.	मध्य प्रदेश			
13.	उड़ीसा			
14.	कर्नाटक	1.50		
15.	त्रिपुरा	3.00	3.00 (1999-2000)	3.00
16.	तमिलनाडु		3.00 (1999-2000)	3.00
			3.00	
17.	उत्तर प्रदेश			3.00
18.	महाराष्ट्र	2.70	3.00	2.10 (1999-2000)
				2.10
19.	मिजोरम		2.10	3.00

1	2	3	4	5
20.	पश्चिम बंगाल	3.00 (1998-1999)	3.00 (2000-2001) 3.00	1.80
21.	उत्तरांचल	2.71 (1999-2000)	3.00 (2000-2001)	1.80
22.	लक्षद्वीप	2.10 (1999-2000) 2.10		0.60
23.	चंडीगढ़	1.50 (1999-2000)		0.60
24.	छत्तीसगढ़		3.00	

रूग्ण लघु उद्योग

*313. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "रूग्ण लघु उद्योग" इकाइयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लघु उद्योगों में मंदी को खत्म करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित रूग्ण लघु उद्योग (एस०एस०आई०) इकाइयों के संबंध में आंकड़े संकलित करता है, के अनुसार रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या में पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी आई है। देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या निम्नलिखित हैं :–

वर्ष (मार्च के अन्त में)	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों
2001	2,49,630
2002	1,77,336
2003	1,67,980 (पी)

(पी) – अंनतिम

रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लघु उद्योगों (एस०एस०आईज) का संवर्धन और विकास करना, सरकार की चेतनशील नीति रही है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मन्दी के बावजूद, लघु उद्योग क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र औद्योगिक वृद्धि की तुलना में उच्च वृद्धि दर बनाए रखी है और यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन करने में सफल रहा है। हालांकि, लघु उद्योगों का विकास करना मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं, क्रेडिट के प्रवाह में सुधार करने, आधारिक संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं उद्यमिता विकास से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की, ताकि घरेलू और वैश्वी तौर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। नीति पैकेज में शामिल है, बढ़ा हुआ राजकोषीय एवं क्रेडिट समर्थन, बेहतर आधारिक संरचना एवं विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयनीकरण के लिए प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए वर्तमान पहलों में शामिल हैं, क्लस्टर विकास, संयुक्त ऋण सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना, बैंकों को प्राईम लेण्डिंग दरों से 2 प्रतिशत ऊपर एवं नीचे का ब्याज दर बैण्ड अपनाने की सलाह देना, अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाली लघु उद्योग इकाइयों को 25 लाख रुपये तक सम्पार्श्विकता मुक्त ऋण प्रदान करना, क्रेडिट गारंटी फन्ड योजना के अन्तर्गत गारंटी सुरक्षा के लिए पात्रता के संबंध में 5 लाख रुपये तक के ऋण की निम्न सीमा को हटाना, इत्यादि।

(घ) और (ङ) सरकार के अनुरोध पर, रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 2000 में इण्डियन बैंक-एसोसिएसन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस०एस० कोहली की अध्यक्षता में लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्णता की समस्या की

जांच करने तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन करना, उनकी जीवनक्षमता का निर्णय लेने के लिए मानदण्ड, रियायती वित्त, इत्यादि। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 16 जनवरी, 2002 को संशोधित दिशा-निर्देश परिचालित किए। संशोधित मानदण्ड से बैंकों को रूग्णता का शुरू में ही पता लगाने तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

उपर्युक्त को देखते हुए इस मामले की जांच करने के लिए किसी नई विशेषज्ञ समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य लघु उद्योगों (राज्य/संघ क्षेत्र-वार) की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंत में		
	2001	2002	2003(पी)
1	2	3	4
असम	8632	5530	3592
मेघालय	376	281	119
मिजोरम	27	25	11
बिहार	16423	15181	16479
झारखंड	—	2105	2766
अरुणाचल प्रदेश	75	12	15
पश्चिम बंगाल	113846	53957	44496
नागालैंड	119	130	154
मणिपुर	4150	1060	1012
उड़ीसा	6668	5334	8489
सिक्किम	23	56	31
त्रिपुरा	5352	1945	1793
अंडमान व निकोबार	18	13	21
उत्तर प्रदेश	23117	17843	15768
उत्तरांचल	—	2193	467
दिल्ली	2143	1892	1999
पंजाब	1836	1902	3022
हरियाणा	1285	889	1515
चंडीगढ़	153	145	233
जम्मू एवं काश्मीर	848	2438	2114
हिमाचल प्रदेश	368	394	618
राजस्थान	6395	3792	4005
गुजरात	5408	6679	4723
महाराष्ट्र	8056	7270	4762
दमन एवं द्वीव	57	4	23
गोवा	98	149	119
दादरा एवं नगर हवेली	12	12	12
मध्य प्रदेश	6614	6964	11601
छत्तीसगढ़	—	64	386
आन्ध्र प्रदेश	11841	9324	6589
कर्नाटक	4400	4254	3180
लक्षद्वीप	1	0	0
तमिलनाडु	9959	11513	13517
केरल	11144	13825	14133
पांडिचेरी	186	161	216
कुल	249630	177336	167980

(पी) अनंतिम।

उर्वरकों के उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता

*314. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल उपलब्ध गैस भंडार तथा वर्ष के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में इसका उपभोग कितना है तथा खपत की वर्तमान दर पर इसके कितनी अवधि तक चलने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्गापुर और सिंदरी दोनों में कोल बैड मिथेन पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरक बनाने में इसकी कितनी संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कोल बैड मिथेन का एक प्रायोगिक संयंत्र में उपयोग किया जा रहा है जिसे बोकारो जिले में पालगोड़िया में स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों का उत्पादन करने हेतु गैस का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) दिनांक 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार देश में शेष गैस भंडार 0.9 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपभोक्ता है और गैस की कुल खपत का लगभग 38% खपत करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान उर्वरक इकाइयों को गैस की औसत वास्तविक आपूर्ति लगभग 21.54 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी।

गैस भंडार कितनी अवधि तक चलेंगे, इस बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि यह उत्पादन और खपत की प्रवृत्ति, नई गैस की खोज, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों आदि जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करता है।

(ख) से (ङ) देश में कोल बैड मीथेन (सी०बी०एम०) की खोज का आकलन किया जा रहा है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार देश में सी०बी०एम० स्रोत 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर हैं।

प्रारंभिक अध्ययनों तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान, पुरूलिया और बांकुरा जिलों में तथा झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रांची और पलामू जिलों में स्थित कोयला खानों में सी०बी०एम० विद्यमान है। सी०बी०एम० की खोज और उत्पादन के लिए सरकार ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन ब्लॉकों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में सी०बी०एम० की खोज आकलन की अवस्था में है और उर्वरक क्षेत्र में इसका उपयोग इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता प्रमाणित होने के बाद ही किया जा सकता है।

नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का खपत अनुपात

*315. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-2003 के दौरान नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का खपत अनुपात क्या रहा है;

(ख) नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश के आदर्श खपत अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1992 से नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश के मूल्यों में परिवर्तन के कारण इनकी मांग में कोई अंतर आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) वर्ष 1992-2003 के दौरान एन, पी और के का खपत अनुपात इस प्रकार हैं :–

वर्ष	एन : पी : के
1992-93	9.5 : 3.2 : 1
1993-94	9.7 : 2.9 : 1
1994-95	8.4 : 2.6 : 1
1995-96	8.5 : 2.5 : 1
1996-97	10.0 : 2.9 : 1
1997-98	7.9 : 2.8 : 1
1998-99	8.5 : 3.1 : 1
1999-2000	6.9 : 2.9 : 1
2000-01	7.0 : 2.7 : 1
2001-02	6.8 : 2.6 : 1
2002-03	6.5 : 2.5 : 1

(ख) आदर्श एन, पी एवं के का खपत अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सरकार उर्वरकों के उपयोग के आधार पर मृदा परीक्षण की अनुशंसा करती है। ''उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग'' की योजना के तहत देश में 1991-92 से 1999-2000 तक 311 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाया गया है और 17 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। अक्तूबर, 2000 से इस योजना को कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रयास करके राज्यों की वृहत प्रबंधन संपूरण/संवर्धन के संबंध में केन्द्र प्रवर्तित योजना में समामेलित कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्यों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने/सुदृढ़ बनाने सहित अपने आवश्यकता आधारित कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिक छूट है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 से मूल्य में भिन्नता होने के कारण नाइट्रोजनयुक्त (एन) उर्वरकों की मांग की तुलना में फास्फेटयुक्त (पी)

और पोटाशयुक्त (के) उर्वरकों की मांग में वृद्धि हुई है। इससे उर्वरक खपत अनुपात 9.5 : 3.2 : 1 (1992-93) के स्तर से सुधरकर 6.5: 2.5 : 1 (2002-03) हो गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत भागीदारी

*316. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें तैयार करने और उन्हें मूर्तरूप देने में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों की भागीदारी पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने-अपने राज्य में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय की कई योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों में लोगों की भागीदारी के लिए समुचित प्रावधान हैं। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी व्यवस्था सुस्थापित की गयी है।

कुटीर उद्योगों को संरक्षण

*317. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुटीर उद्योगों को विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, अपना अस्तित्व बनाए रखने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है कि कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित मदों पर बड़े औद्योगिक घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कब्जा न कर लें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण से देश के कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों सहित उद्योग मार्किट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। सरकार की रणनीति कुटीर और ग्रामीण उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण की है, ताकि यह मार्किट लेड अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में सक्षम हो सके और अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर सके। सरकार ने 14.5.2001 को एक "खादी पैकेज" की घोषणा की है जिसमें बदलते मार्किट परिपेक्ष्य में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों से प्रतिस्पर्धात्मकता की तीक्ष्णता बनाए रखने की चाह की गई है। पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किट सम्वर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) 675 मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है, जिनमें कुटीर उद्योगों द्वारा बनायी जा रही अनेक मदें भी शामिल हैं। ऐसे प्रावधानों के लिए उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है।

[हिन्दी]

पुलिस बलों में सुधार

*318. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने पुलिस बलों में सुधार लाने के लिए सिफारिशों की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों का जनता के प्रति व्यवहार अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने वर्ष 2000 में पुलिस प्रशासन में कमियों पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में मानव बल की आवश्यकता, अवर और उच्च अधीनस्थों के लिए आवास, अस्त्र-शस्त्र विभिन्न उपस्कर, महिला पुलिस के लिए

सुविधाओं सहित गैर-आवासीय भवनों का निर्माण आदि शामिल हैं। उन्होंने आकलित की गई कमियों को पूरा करने के लिए 26,633 करोड़ रु० की जरूरत बताई है।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000-01 से दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम०पी०एफ० योजना) के लिए गैर-योजना स्कीम के तहत निधियों के वार्षिक केन्द्रीय आवंटन में वृद्धि करके इसे 1000 करोड़ रु० कर दिया है। राज्यों से और 1000 करोड़ रु० का अंशदान करने की अपेक्षा थी। यह विचार किया गया था कि 10 वर्ष के दौरान 20,000 करोड़ रु० के निवेश से अधिकांश ज्ञात कमियां पूरी की जा सकती हैं। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनेक राज्य अपने हिस्से की उतनी ही राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम०पी०एफ० योजना) की योजना 2003-04 से संशोधित की गई है। राज्यों द्वारा जिस स्तर पर विद्रोह, उग्रवाद/सीमा पार से आतंकवाद का सामना किया जा रहा है, राज्यों को उसी आधार पर तीन श्रेणियों — ए, बी-1 और बी-2 ग्रुप में रखा गया है और एम०पी०एफ०, योजना के अधीन राज्यों की इन तीन श्रेणियों को क्रमशः 100%, 75% तथा 60% केन्द्रीय निधि का आबंटन होगा और परिणामस्वरूप वार्षिक केन्द्रीय आबंटन बढ़कर 1400 करोड़ रु० कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को अब केवल 600 करोड़ रुपये का अंशदान करना होगा।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1997-98 से, माल के रूप में सहायता दी गई है तथा इन राज्यों को वर्ष 2000-01 से 185.57 करोड़ रु० मूल्य की सहायता प्रदान की गई है। जम्मू और कश्मीर राज्य को 2000-01 से 2002-03 के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (एस०आर०ई० स्कीम) की प्रतिपूर्ति स्कीम के तहत 1006.27 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं जिसमें पुलिस आधुनिकीकरण का घटक भी शामिल है। इसे अतिरिक्त, वामपंथी अतिवाद प्रभावित राज्यों के लिए संचालित एस०आर०ई० योजना के तहत उनके पुलिस बलों को सज्जित करने के लिए इन राज्यों को 2000-01 से 2002-03 तक 36.46 करोड़ रु० दिए गए। इसके अतिरिक्त, 11वें वित्त आयोग ने भी पुलिस विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को 509.00 करोड़ रु० आवंटित किए।

केन्द्र सरकार, पुलिस का जनता-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निरंतर परामर्श देती रहती है। इस संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के साथ-साथ पुलिस पर पद्मनाभय्या समिति की सिफारिशें राज्यों को कार्यान्वयन हेतु भेजी गई हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस कार्मिकों को भर्ती के समय तथा सेवा के दौरान दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों को नया रूप देने के लिए सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को सलाह भेजी गई हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलनों में इस पहलू पर बल दिया जा रहा है।

समुद्री पुलिस बल

*319. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों ने अपनी तटीय सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष राज्यों की लम्बित योजनाओं पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) तटीय राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी तटीय राज्यों के लिए लागू एक तटीय सुरक्षा स्कीम का मसौदा तैयार किया गया है। इसमें पर्याप्त वित्तीय दबाव अन्तर्निहित है, इसलिए तटीय राज्यों तथा प्रस्तुत अलग-अलग योजनाओं पर विचार करना, प्रस्तावित तटीय सुरक्षा स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही सम्भव होगा।

[अनुवाद]

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

*320. श्री अमर राय प्रधान : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 16 फरवरी, 1990 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में बनाई गई एक योजना के अंतर्गत नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी दरजा देने और नियमित किए जाने के विषय में कार्मिक-मंत्रालय ने एक कार्यालय-ज्ञापन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय का किसी भी सरकारी कार्यालय/मंत्रालय/विभाग में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) राज कमल और अन्य बनाम भारत-संघ के मुक़दमे में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा दिए गए दिनांक फरवरी 16, 1990 के निर्णय के अनुसरण में अनियत कर्मचारियों को अस्थायी दरजा दिए जाने के बारे में भारत-सरकार द्वारा "अनियत श्रमिकों को अस्थायी दरज़ा दिए जाने और उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने की योजना, 1993" नामक एक योजना बनाई गई। उपर्युक्त योजना के बारे में दिनांक सितंबर 10, 1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं० 51016/2/90-स्थापना (ग) की प्रतिलिपि, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि उपर्युक्त योजना, उसे अधिसूचित किए जाने की तारीख अर्थात् 10.09.1993 को मौजूद स्थिति के अनुसार, नौकरी में लगे अनियत श्रमिकों के संबंध में एकबारगी उपाय के रूप में लागू की गई थी, अत: उपर्युक्त निर्णय के सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यान्वित नहीं किए जा रहे होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संख्या-51016/2/90-स्थापना-(ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितंबर 10, 1993

कार्यालय-ज्ञापन

विषय :— *नैमित्तिक मज़दूरों का नियमितीकरण और उन्हें अस्थायी दरजा प्रदान किया जाना — श्री राजकमल तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 16.02.90 के अधिनिर्णय के अनुसरण में इस हेतु एक योजना तैयार करना।*

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में दिहाड़ी आधार पर व्यक्तियों की भर्ती के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत इस विभाग के दिनांक नवम्बर 07.06.88 के कार्यालय-ज्ञापन 49014/2/86-स्थापना (ग) द्वारा जारी किए गए थे। इस नीति की और आगे पुनरीक्षा श्री राजकमल तथा अन्य बनाम भारत-संघ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 16.02.90 के अधिनिर्णय को ध्यान में रखते हुए की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि जहां दिनांक 07.06.88 के कार्यालय-ज्ञापन में दिए गए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाता रहेगा वहीं, उसके साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में दूरसंचार, डाक तथा रेलवे के कर्मचारी को छोड़कर इस समय कार्यरत एक वर्ष की लगातार सेवा करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को अनुबंध के रूप में संलग्न योजना के अनुसार अस्थायी कर्मचारी का दरजा प्रदान करने की कार्यवाही विनियमित की जाए।

2. वित्त-मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह इस योजना को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नियोक्ता प्राधिकारियों की जानकारी में लाएं तथा नैमित्तिक मज़दूरों की भर्ती दिनांक 07.06.88 के कार्यालय-ज्ञापन में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुनिश्चित करे। लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें तत्काल और उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाए।

ह०/-
(वाई०जी० परांडे)
निदेशक

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय।
(मानक सूची के अनुसार)

अनुबंध

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, नैमित्तिक मजदूर (अस्थायी दरजा प्रदान करना तथा नियमित करना) योजना

1. इस योजना को "भारत-सरकार की 1993 की नैमित्तिक मजदूर (अस्थायी दरजा प्रदान करना तथा नियमित करना) योजना" कहा जाएगा।

2. यह योजना पहली सितंबर, 1993 से लागू होगी।

3. यह योजना भारत-सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत नैमित्तिक मज़दूरों पर इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होगी। लेकिन यह योजना रेलवे, दूरसंचार विभाग तथा डाक विभाग जिनकी पहले ही अपनी योजनाएं हैं, के नैमित्तिक कामगारों पर लागू नहीं होंगी।

4. **अस्थायी दरजा :**

(i) अस्थायी दरजा उन सभी नैमित्तिक मज़दूरों को प्रदान किया जाएगा जो इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तारीख को रोज़गार में थे तथा जिन्होंने कम से कम एक साल की लगातार सेवा कर ली है इसका अर्थ है जो कम से कम 240 दिन (जिन कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह लागू है उनके मामले में 206 दिन) की अवधि के लिए कार्यरत रह चुके होने चाहिए।

(ii) ऐसा स्थायी दरजा नियमित समूह 'घ' पदों के सृजन/उपलब्धता के बिना प्रदान किया जाएगा।

(iii) नैमित्तिक मज़दूरों को अस्थायी दरजा प्रदान करने पर उनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। नियुक्ति आवश्यकतानुसार वेतन की दैनिक दरों पर होगी। उन्हें कार्य की उपलब्धता के आधार पर भर्ती यूनिट/क्षेत्रीय मण्डल के भीतर कहीं भी पुनर्नियोजित किया जा सकता है।

(iv) नैमित्तिक मज़दूर जिन्हें अस्थायी दरजा प्राप्त है उन्हें तब तक स्थायी स्थापना में नहीं लाया जाएगा अब तक कि वे समूह 'घ' पदों के लिए नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चुन नहीं लिए जाते।

5. नैमित्तिक मजदूर अस्थायी दरजा ग्रहण करने पर निम्नलिखित प्रसुविधाओं के हक़दार होंगे :–

(i) तद्नुरूपी नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों के समान दिहाड़ी मजदूर का वेतन वेतनमान का न्यूनतम होगा जिसमें महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्त भी शामिल होंगे।

(ii) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आनुपातिक वेतन की गणना के लिए उन दरों पर वेतन-वृद्धि की प्रसुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा जो समूह 'घ' कर्मचारियों पर लागू होती हैं बशर्ते कि अस्थायी दरजा दिए जाने की तारीख से एक वर्ष में कम से कम 240 दिन (5 दिन के सप्ताह वाले प्रशासनिक कार्यालयों में 206 दिन) की सेवा पूरी कर ली गई हो।

(iii) छुट्टी की हक़दारी आनुपातिक आधार पर प्रति 10 कार्य दिवसों के लिए एक दिन की दर से होगी। आकस्मिक छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी, प्रसूति अवकाश को छोड़कर, अनुज्ञेय नहीं होगी। उन्हें नियमित होने पर छुट्टियों को अपने खाते में अग्रेषित करने की अनुमति होगी। किसी कारण से सेवा की समाप्ति अथवा उनके सेवा छोड़ने पर वे छुट्टी नक़दीकरण के हक़दार नहीं होंगे।

(iv) महिला नैमित्तिक मज़दूरों को प्रसूति अवकाश की उसी प्रकार की अनुमति होगी, जो नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय है।

(v) अस्थायी तौर पर की गई सेवावधि का 50 प्रतिशत कर्मचारियों का नियमन होने के पश्चात् सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

(vi) अस्थायी दरजा देने के पश्चात् तीन वर्ष की सतत् सेवा करने पर नैमित्तिक मज़दूरों को सामान्य भविष्य निधि, में अंशदान के उद्देश्य से अस्थायी समूह 'घ' कर्मचारियों के समतुल्य गिना जाएगा और वे आगे उन्हीं शर्तों पर त्योहार अग्रिम/बाद अग्रिम प्रदान किए जाने के पात्र होंगे, जो अस्थायी समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए लागू होंगी, बशर्ते कि वे अपने विभाग के स्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए दो गारंटी पत्र प्रस्तुत करें।

(vii) जब तक नैमित्तिक मज़दूर नियमित नहीं हो जाते, वे केवल नैमित्तिक मज़दूरों पर लागू दरों पर ही उत्पादकता से जुड़ा बोनस/तदर्थ बोनस के हक़दार होंगे।

6. उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रसुविधाओं के अतिरिक्त अस्थायी दरजे वाले नैमित्तिक मज़दूरों के लिए अन्य कोई प्रसुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संस्थापनाओं में कार्यरत नैमित्तिक मज़दूरों को यदि कोई अन्य अतिरिक्त प्रसुविधाएं अनुज्ञेय हैं, तो वे ऐसे नैमित्तिक मज़दूरों के लिए अनुज्ञेय बनी रहेंगी।

7. अस्थायी दरजा देने के बावजूद भी नैमित्तिक मज़दूरों की सेवाएं एक माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। अस्थायी दरजे वाला कार्यरत नैमित्तिक मज़दूर भी एक माह का लिखित नोटिस देकर सेवा छोड़ सकता है। नोटिस अवधि के लिए मज़दूरी की दरें केवल उन्हीं दिनों के लिए देय होंगी, जितने दिन ऐसे नैमित्तिक मज़दूर कार्यरत थे।

8. समूह 'घ' पदों को भरने की क्रियाविधि :

समूह 'घ' संवर्गों में प्रत्येक तीन रिक्तियों में से दो रिक्तियां कार्यालय पर ध्यान दिए बिना जहां नैमित्तिक मजदूर कार्यरत हैं, विद्यमान भर्ती नियमों तथा कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अस्थायी दरज़े वाले नैमित्तिक मज़दूरों में से भरी जाएंगी। तथापि विद्यमान/भविष्य की रिक्तियों पर संविलियन किए जाने के लिए किसी कारणवश अधिशेष घोषित किए गए नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों का प्रथम दावा होगा। अशिक्षित नैमित्तिक मज़दूरों अथवा वे जो पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं रखते, के मामले में नियमित किए जाने पर केवल उन्हें पदों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके संबंध में साक्षरता अथवा न्यूनतम योग्यता की कमी अपेक्षित योग्यता नहीं होगी। उन्हें उस अवधि के बराबर आयु-सीमा में छूट की अनुमति होगी जिस अवधि तक उन्होंने नैमित्तिक मज़दूर के रूप में लगातार कार्य किया है।

9. अस्थायी दरजे वाले नैमित्तिक मज़दूरों को नियमित किए जाने के पश्चात् उसके स्थान पर कोई एवजी नियुक्त नहीं किया जाएगा क्योंकि

वह किसी पद पर नहीं था। इसका उल्लंघन करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाएगा।

10. भविष्य में, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में नैमित्तिक मज़दूरों को नियुक्त करने के मामलों में इस विभाग के दिनांक 07.06.88 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

11. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को इस योजना में समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन करने अथवा उपबंधों में छूट देने की अनुमति होगी।

संसद सदस्यों के पत्रों का जवाब

3041. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने मकान मालिकों को बढ़े हुए गृह कर नोटिस भेजने के संबंध में नगरपालिका आयुक्त, दिल्ली को पत्र लिखा है और नगरपालिका आयुक्त ने संसद सदस्यों को शीघ्र जवाब देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद नगरपालिका आयुक्त दिल्ली ने संसद सदस्यों को अभी तक जवाब नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र जवाब भेजने के लिए नगरपालिका आयुक्त को निर्देश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गृह कर मामलों के संबंध में संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्रों को तत्परता से देखा जाता है तथा करदाताओं की शिकायतों का समाधान करने के बाद उन्हें उपयुक्त उत्तर भेजे जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयां

3042. श्री अनन्त नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान से आज तक संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) पोषकों के रूप में उर्वरकों के उत्पादन और सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों का अप्रैल से अक्तूबर तक का लाभ/हानि विवरण सीधे दिया गया है :—

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	पोषक के रूप में उर्वरकों का उत्पादन (लाख टन में) (अनन्तिम)		लाभ/(-) हानि करोड़ (रुपये में) (अनन्तिम)
		नाइट्रोजन	फास्फेट्स	
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	8.92	—	35.10
2.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	5.39	0.58	69.47
3.	फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ट्रावनकोर लि०	0.81	0.61	(-)114.24
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	1.40	0.57	(-)27.04
5.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	—	—	(-)86.20
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०	—	—	(-)425.44
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०	—	—	(-)681.14
8.	प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लि०	—	—	3.98
9.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०	0.63	—	(-)21.73

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में मार्गों को शामिल करना

3043. श्री टी० गोविन्दन :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कतिपय मार्गों को शामिल करने के संबंध में राज्य सरकारों के कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को संसद सदस्यों से यह शिकायतें मिली हैं कि इस बारे में उनकी सिफारिशों पर योजना के तहत विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और योजना के तहत मनमाने ढंग से मार्गों को बदले जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। पी०एम०जी० एस०वाई० चरण-I तथा पी०एम०जी०एस०वाई० चरण-II के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को क्रमश: 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान स्वीकृत किया गया। अब तक चरण-III के अंतर्गत असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। रूट कोर नेटवर्क तथा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों जैसा कि पी०एम०जी०एस०वाई० के दिशा-निर्देशों में व्यवस्था की गई है, के अनुसार है।

(घ) और (ङ) पी०एम०जी०एस०वाई० दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि शुरू किए जाने वाले सड़क कार्यों की सूची को अंतिम रूप देते समय संसद सदस्यों से प्राप्त किए गए पात्र प्रस्तावों पर जिला पंचायतों द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति प्रस्तावों को मंजूरी हेतु भेजने से पहले उनकी जांच करें जिससे यह देखा जा सके कि वे दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं तथा संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्णरूपेण विचार किया गया है या नहीं। दिशा-निर्देशों में राज्य गुणवत्ता समन्वयक/पी०आई०यू० के अध्यक्ष का चयन कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए प्राधिकारियों के रूप में भी किया गया है। चरण-III कार्यों के संबंध में श्री महेश्वर सिंह, संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त की गई थी जिसमें सड़क कार्य के रूट में परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गई है।

नागालैण्ड को आर्थिक पैकेज

3044. श्री एम०के० सुब्बा : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने नागालैण्ड के अपने हाल के दौरे के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुमराह युवकों को रोजगार देने सहित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैकेज के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) 27-29 अक्टूबर, 2003 को नागालैण्ड में आपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने नागालैण्ड के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में ये शामिल थे :–

(i) भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से नागालैण्ड में युवाओं के लिए रोजगार और स्व:रोजगार के 25000 अवसरों के सृजन के लिए एक योजना तैयार करेगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन०एच०डी०पी०) के तहत कोहिमा को पूर्व-पश्चिम गलियारे (कोरीडोर) के साथ जोड़ा जायेगा। कोहिमा-दीमापुर क्षेत्र, चार लेन वाला होगा, इस पर 400 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(iii) त्यूनसांग, मॉन, किफायर और वोखा जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को 75 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ किया जायेगा।

(iv) लगभग 105 करोड़ रुपये की लागत से 23 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के लिए भारत सरकार निधियां प्रदान करेगी।

(v) लूमामी में नागालैण्ड विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार 35 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेगी। इसके अतिरिक्त कोहिमा कैम्पस के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(vi) कोहिमा में एक नए सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(vii) 20 करोड़ रुपये की लागत से नागालैण्ड में एक क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जायेगा।

(viii) विज्ञान शिक्षा हेतु उच्चतर माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के उन्नयन और बालिकाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ix) मॉन और त्यूनसांग सहित सभी जिला मुख्यालयों में, 15 करोड़ रुपये की लागत से सभी जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(x) दीमापुर में रेफरल अस्पताल चालू नहीं हुआ है। एक संयुक्त दल द्वारा धन की आवश्यकता का जायजा लिया जायेगा और आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

(xi) स्व: सहायता समूहों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xii) झूम को नियंत्रित करने और राज्य में बागवानी के विकास के लिए तीन वर्ष की अवधि में 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xiii) बागवानी, पुष्पकृषि और औषधीय पादपों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापित बांस मिशन को सहायता देने के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जायेंगे।

(xiv) पर्यटन से सम्बन्धित एक संयुक्त कार्यबल सार्वजनिक निजी साझेदारी पर आधारित एक कार्य योजना तैयार करेगा। विशेष रूप से मॉन जिले को मिलाने के लिए एक पर्यटन सर्किट विकसित किया जायेगा, जिसके लिए अगले तीन वर्षों में 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xv) दीमापुर, कोहिमा और अन्य कस्बों में पर्यावरण हितैषी, नगरपालिका अपशिष्ट संशोधन संयंत्रों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xvi) कोहिमा में इंदिरा गांधी स्टेडियम के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्षों की अवधि में 18 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xvii) तुली स्थित नागालैण्ड कागज और लुगदी कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सम्बन्धित मंत्रालयों को शामिल करके नये सिरे से विचार किया जायेगा।

(xviii) दीमापुर से कोहिमा तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात इस परियोजना पर विचार किया जायेगा।

इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसका ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जा रहा है।

लघु और मध्यम शहरों का विकास

3045. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं और दसवीं योजनावधि के दौरान विकास के लिए चुने गए लघु और मध्यम शहरों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक शहरों में अब तक राज्यवार और योजनावार कितनी राशि का निवेश किया है;

(ख) विकास कार्यों हेतु इस प्रकार के शहरों के नामांकन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी राशि व्यय की गई और कितने राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान कौन-कौन से शहरों में विकास कार्य शुरू किए जाने की संभावना है और प्रत्येक शहर के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूख मुक्त भारत मिशन

3046. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 5.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2135 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिनांक 5.8.2003 के प्रश्न का विषय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित है। उक्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई जानकारी निम्न प्रकार है :–

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब लोगों के लाभार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने और उसे उन्नत बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की गई है। उसके बाद, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पता लगाए गए लाभार्थियों को 2/- रु० प्रति कि०ग्राम गेहूं और 3/- रुपये प्रति कि० ग्राम चावल सबसे अधिक किफायती दरों पर प्रति माह प्रति परिवार 25 कि० ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई थी। अप्रैल, 2002 से इन लाभार्थियों को यह मात्रा बढ़ाकर 35 कि० ग्राम प्रति परिवार प्रति मास कर दी गई है। इस योजना जिसमें आरंभ में एक करोड़ सबसे अधिक गरीब परिवारों को शामिल किया गया था, का अन्य 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को शामिल करने हेतु विस्तार किया गया है।

इसके अलावा, घरेलू एवं वैयक्तिक स्तरों पर खाद्य सुरक्षा अभियान चलाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड-डे-मील, एकीकृत बाल विकास योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाएं

3047. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार का प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों और प्रदान की गई सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1.4.1999 से चलाया जा रहा है। विद्यालयों में शौचालय का प्रावधान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के घटकों में से एक है। विगत तीन वर्षों यथा 2000-01, 2001-02, 2002-03 तथा वर्तमान वर्ष 2003-04 (19.12.2003 तक) के दौरान प्राप्त 389 प्रस्तावों में से 335 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। विद्यालयों में स्वीकृत शौचालयों और इससे संबंधित केन्द्र सरकार के अंशदान का राज्यवार और वर्षवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष 54 प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए थे।

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जांच की जाती है और तकनीकी छानबीन तथा यदि कोई कमी होती है तो उसे राज्यों द्वारा दूर कर स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि ऐसा करना निधियों की उपलब्धता सहित विभिन्न तथ्यों पर निर्भर होता है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालय की राज्य-वार एवं वर्ष-वार स्वीकृति

क्रम सं०	राज्य	2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004 (19 दिसम्बर, 2003 तक)	
		स्वीकृत कुल शौचालय	अनुमोदित केन्द्र सरकार का हिस्सा (लाख रु० में)	स्वीकृत कुल शौचालय	अनुमोदित केन्द्र सरकार का हिस्सा (लाख रु० में)	स्वीकृत कुल शौचालय	अनुमोदित केन्द्र सरकार का हिस्सा (लाख रु० में)	स्वीकृत कुल शौचालय	अनुमोदित केन्द्र सरकार का हिस्सा (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	3322	398.64	10902	1308.24	5555	666.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	201	24.12	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0	0.00	1411	127.34	0	0.00	0	0.00
4.	बिहार	4120	494.40	5804	696.48	3000	360.00	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	590	70.80	4326	519.12	11129	1335.48
6.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	283	33.96
8.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	2122	254.64	0	0.00
9.	हरियाणा	734	88.08	488	58.56	686	96.32	2293	275.16
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	125	15.00	1533	183.96	0	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	414	33.30	0	0.00	880	89.64	0	0.00
12.	झारखंड	5	0.60	2170	260.40	2181	261.72	0	0.00
13.	कर्नाटक	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14.	केरल	506	60.72	1185	142.20	2101	252.12	0	0.00
15.	मध्य प्रदेश	5063	607.56	1388	160.56	6642	797.04	43490	5218.80
16.	महाराष्ट्र	5888	610.92	0	0.00	9980	1188.49	12832	1543.04
17.	मणिपुर	156	18.72	0	0.00	450	54.00	0	0.00
18.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	169	20.28	220	26.40
19.	नागालैंड	296	35.09	0	0.00	272	32.64	0	0.00
20.	उड़ीसा	0	0.00	1483	177.96	11027	1323.24	0	0.00
21.	पांडिचेरी	0	0.00	26	4.68	0	0.00	0	0.00
22.	पंजाब	635	75.04	210	25.20	2164	159.84	8836	1060.32
23.	राजस्थान	330	39.60	0	0.00	6959	835.08	0	0.00
24.	सिक्किम	0	0.00	576	70.56	0	0.00	0	0.00
25.	तमिलनाडु	1902	228.24	1742	209.04	9195	1103.40	8636	1036.22
26.	त्रिपुरा	1014	94.30	801	78.18	0	0.00	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	4946	513.72	7425	740.00	6405	512.87	14207	1704.84
28.	उत्तरांचल	0	0.00	87	10.44	2539	300.49	6124	734.88
29.	पश्चिम बंगाल	11013	1082.00	5231	376.63	8438	911.30	5903	628.11
	कुल	37022	3982.29	34265	3646.79	91971	10564.43	119508	14263.91

[अनुवाद]

वाहनों की चोरी

3048. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में वाहनों की चोरी में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चोरी किए गए वाहनों के कितने मामले पुलिस द्वारा पंजीकृत किए गए और अब तक जिला-वार कितने मामलों को सुलझाया गया; और

(ग) दिल्ली में वाहनों की चोरी की बढ़ रही घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। वास्तव में, पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान सूचित ऐसे मामलों की संख्या की तुलना में गत 12 महीनों के दौरान सूचित ऐसे मामलों की संख्या में कमी हुई है। गत 12 महीनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या और जिला-वार सुलझाए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राजधानी में ऑटो चोरी को रोकने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, हरेक जिले में ऑटो चोरी-रोधी दस्ते बनाना; सीमा जांच चौकियों पर उचित सतर्कता बरतना; आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती करना और ऑटो चोरी करने वाले संगठित गिरोहों को पकड़ना; ऑटो चोरी करने वालों के संबंध में डाटा एकत्र करना; ऑटो चोरी करने वालों को पकड़ने हेतु लुभावने वाहन खड़े करना; पड़ोसी राज्यों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करना; व्यस्ततम समय के दौरान पार्किंग स्थल के नजदीक मोटर साईकिल से गश्त लगाना और चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी/लिंकिंग को सुकर बनाने हेतु दिल्ली में आपराध शाखा द्वारा एस०एम०एस० सेवा शुरू करना शामिल हैं।

विवरण

जिले का नाम	1.12.2002 से 30.11.2003 तक सूचित वाहन चोरी के मामलों की संख्या	1.12.2002 से 30.11.2003 तक सुलझाए गए वाहन चोरी के मामलों की संख्या
1	2	3
उत्तर	331	65
उत्तर-पश्चिम	1223	236
केन्द्रीय	454	68
नई दिल्ली	309	38
पूर्वी	911	166
उत्तर-पूर्व	451	134
दक्षिण	1815	481
दक्षिण-पश्चिम	726	89
पश्चिमी	1119	243
कुल	7339	1520

वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन

3049. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन ने चंडीगढ़ के विकास हेतु आवासीय/वाणिज्यिक कार्यों के लिए स्थानीय विस्थापितों को अधिगृहीत भूमि के बदले वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन की शुरुआती नीति को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जैसा कि पूर्व में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया गया था, "चंडीगढ़ स्कीम के विस्थापितों के लिए पट्टा-धारण आधार पर स्थलों का चंडीगढ़ आबंटन, 1972" नामक स्कीम के अंतर्गत प्लॉट आबंटित किए जाते थे। इस स्कीम को अब रद्द कर दिया गया है तथा "चंडीगढ़ स्कीम के विस्थापितों के लिए रिहायशी इकाइयों का चंडीगढ़ आबंटन, 1996" नामक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अनुसार, जिसे अप्रैल, 2002 में संशोधित किया गया है, विस्थापित व्यक्ति, जिसकी भूमि या रिहायशी इकाई, पंजाब राजधानी परियोजना के विकास के प्रयोजन हेतु 1.11.1996 को या उसके पूर्व या उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिगृहीत की जाती है, एल०आई०जी०, एम०आई०जी० या एच०आई०जी० के रिहायशी फ्लैट के आबंटन हेतु पात्र है, जो कि चंडीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा आबंटित किया जाना है।

नेताजी की संदेहास्पद मृत्यु की जांच संबंधी मुखर्जी आयोग

3050. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस की संदेहास्पद मृत्यु की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति एम०के० मुखर्जी आयोग अपने कार्यकाल के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद दुर्घटना स्थल के बारे में अभी भी किसी सुराग का पता नहीं लगा पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा जांच में आयोग को सहायता प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) आयोग ने सूचित किया है कि विचारार्थ विषय के अनुसार उसे सौंपी गई जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है। तथापि आयोग अब तक की गई जांच के परिणामों के आधार पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं समझता है।

(ग) सरकार आयोग को हर प्रकार की सहायता तथा सहयोग देने हेतु प्रतिबद्ध है। जहां तक रिकार्ड/दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रश्न है यह निवेदन किया जाता है कि जब कभी आयोग से अनुरोध प्राप्त होता है, तो मंत्रालय तथा अन्य संबंधित सरकारी विभागों/मंत्रालयों अथवा संगठनों में उपलब्ध रिकार्ड से स्थिति की जांच की जाती है तथा रिकार्ड की उपलब्धता के अध्यधीन वे आयोग को उपलब्ध कराए जाते हैं। वास्तव में, आयोग द्वारा की जा रही जांच में सभी सरकारी विभाग/मंत्रालय/संगठन सभी संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(घ) दिनांक 14.5.1999 की समय-समय पर संशोधित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आयोग से अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु अधिक 14.5.2004 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

मुम्बई शॉप्स और स्थापना अधिनियम, 1948 की कतिपय धाराओं में संशोधन

3051. **श्री प्रकाश बी० पाटील** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के मुम्बई शॉप्स और स्थापना अधिनियम, 1948 की कतिपय धाराओं में संशोधन के प्रशासनिक अनुमोदन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) मुंबई शॉप्स और स्थापना अधिनियम, 1948 में, (क) वाणिज्यिक स्थापनाओं के बंद करने का समय 8.30 अपराह्न से 9.30 अपराह्न तक बढ़ाने, (ख) महिला कर्मचारियों को अपराह्न 9.30 बजे तक कार्य करने की अनुमति देने (ग) समयोपरि कार्य करने के लिए अधिकतम सीमा 3 घंटे रखने तथा परिणामी प्रावधान करने और उक्त समयोपरि घंटों के अतिरिक्त कार्य के उद्देश्य से अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने तथा (घ) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड बढ़ोत्तरी करने की व्यवस्था करने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव करते हुए गृह मंत्रालय को दिनांक 1.9.2003 को मुम्बई शॉप्स और स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2002 प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य विधायनों की तीन कोणों से जांच की जाती है अर्थात् (क) किसी भी केन्द्रीय कानून से प्रतिकूलता (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विपथन तथा (ग) कानूनी तथा संवैधानिक वैधता। जहां-कहीं आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपर्युक्त के मद्देनजर ऐसे विधायनों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करें। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंचने के लिए राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से विचार-विमर्श भी किया जाता है। विधेयक की जांच की जा रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में चक्रवात

3052. **श्री विष्णु पद राय** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिग्लीपुर (अंडमान और निकोबार) में 1989 के चक्रवात पीड़ितों को कितनी राहत धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) कितने पीड़ितों को वित्तीय राहत दी गई;

(ग) इनमें से कितने पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली है;

(घ) उपर्युक्त आवंटनों में से अप्रयुक्त शेष धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) खर्च न की गई शेष धनराशि के कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या इस राहत कार्य के संबंध में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) इन जांचों पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) दिग्लीपुर में 1989 में आये चक्रवात के पहचाने गए 4958 पीड़ितों को राहत के लिए सरकार ने 140.954 लाख रु० की राशि स्वीकृत की है।

(ख) 3847 चक्रवात और बाढ़ पीड़ितों को राहत का भुगतान किया गया है।

(ग) 4958 पीड़ितों में से, 1111 पीड़ितों को राहत नहीं मिली है।

(घ) 140.954 लाख रु० की स्वीकृत राशि में से, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 100.00 लाख रु० की राशि निकाली और इसमें से केवल 67.32 लाख रु० की राशि पीड़ितों को वितरित की गयी। 32.68 रु० की उपयुक्त राशि विशेष अवधि जमा के रूप में बैंक में रखी गयी है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने कुल स्वीकृत राशि में से 40.954 लाख रु० की शेष राशि आहरित नहीं की है।

(ङ) अप्रयुक्त शेष राशि का संबंधित पीड़ितों को वितरित करने का निर्णय सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ परामर्श करके लिया जाएगा।

(च) जी हां, श्रीमान।

(छ) दो जांचों के निष्कर्षों से, अंडमान और निकोबार प्रशासन के कृषि ओर मत्स्य पालन विभाग द्वारा पीड़ितों को राहत की अदायगी में भारत सरकार ने मानदण्डों के उल्लंघन, प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट का सही न होने और जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट का सत्यापन न करने का पता चला है।

(ज) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जांचों के निष्कर्षों पर तत्कालीन कृषि और मत्स्य पालन निदेशकों का स्पष्टीकरण मांगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनकी गलतियां इरादतन और दुर्भावपूर्ण नहीं है।

अधिकारियों के विरुद्ध जांच

3053. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न मामलों में संलिप्त अधिकारियों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच की गई है और उनके विरुद्ध आरोप निर्धारण करने में विलंब, प्रारंभिक जांच शुरू करने, आरोप-पत्र जारी करने, साक्ष्य लेने में विलंब और मामला शुरू करने और उसे अंतिम रूप देने में विलंब करके, उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों के संबंधित प्रशासन द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विभिन्न चरणों अर्थात् प्रारंभिक जांच करने, आरोप निर्धारण करने, आरोप-पत्र जारी करने, साक्ष्य लेने, जांच अधिकारी के निष्कर्ष और मामले को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को किसी उत्पीड़न से बचाने के लिए इन मामलों को तत्काल निपटाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुशासनिक प्राधिकारी, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने में सक्षम होते हैं। विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारियों के पास लंबित चल रही अनुशासनिक कार्यवाही से जुड़े मामलों से संबंधित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। अनुशासनिक जांच के संचालन में, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के किसी भी कर्मचारी से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किए जाने का कोई भी दृष्टांत इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) सरकार ने विभिन्न चरणों की अनुशासनिक जांच पूरी किए जाने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित होता है :

(i) जब कभी आरोपों की केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा छान-बीन की जानी अपेक्षित हो और उपर्युक्त छान-बीन की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो तो उपर्युक्त छान-बीन की रिपोर्ट मिलने के एक माह के भीतर, विभागों द्वारा अपनी टिप्पणियां, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को भेज दी जानी अपेक्षित होती हैं।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा अन्वेषित मामलों के संबंध में, संबंधित विभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से परामर्श

किए जाने में लगे समय सहित, छान-बीन की रिपोर्ट मिलने के 3 माह के भीतर, दोषी कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी कर दिया जाना अपेक्षित होता है।

(iii) यदि केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं हो तो दोषी कर्मचारियों को आरोप-पत्र, 2 माह के भीतर जारी कर दिया जाना अपेक्षित होता है।

(iv) सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार करके अपने बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत कर दिए जाने के तुरंत बाद, अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा जांच-अधिकारी और प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त कर दिया जाना अपेक्षित होता है।

(v) जांच-अधिकारी द्वारा, अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने सहित, मौखिक जांच, सामान्यत:, अपनी (जांच अधिकारी की) नियुक्ति किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जानी अपेक्षित होती है।

(vi) जहां कहीं अपेक्षित हो, वहां, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की सलाह सहित जांच-अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के उपरांत, विभागों द्वारा, जिन मामलों में संघ-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो, उनके सिवाय अन्य सभी मामलों में 2 माह की अवधि के भीतर अन्तत: निर्णय ले लिया जाना अपेक्षित होता है।

(vii) जिन मामलों में संघ-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो, उनमें अन्तत: निर्णय, उपर्युक्त आयोग की सलाह मिलने के एक माह के भीतर ले लिया जाना अपेक्षित होता है।

सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों/विभागों द्वारा उपुर्यक्त अनुदेशों का, आरोपित कर्मचारी की जाति और उसके समुदाय पर कोई भी ध्यान दिए बिना अनुसरण किया जाना अपेक्षित होता है।

विस्तारणीय आवास योजना, 1996

3054. डा० रमेश चंद तोमर : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की विस्तारणीय आवास योजना, 1996 के अंतर्गत फ्लैटों को अत्यधिक कीमत/बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरुद्ध रोहिणी क्षेत्र के आबंटियों द्वारा दायर मामले के बारे में अपना निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार इन आबंटियों विशेषकर जिन्होंने "कैश डाउन" विकल्प के अंतर्गत फ्लैटों की पूरी कीमत का भुगतान किया था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजा/धनराशि वापसी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत सभी आबंटियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इस तथ्य के दृष्टिगत इसके विस्तृत कारण क्या हैं कि रोहिणी क्षेत्र के जिन आबंटियों के नाम उपर्युक्त मामले में नहीं आए हैं; वे भी फ्लैटों की अत्यधिक कीमत/बुनियादी सुविधाओं की कमी से पीड़ित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) हालांकि मुकदमे का शीर्षक अथवा रिट याचिका का विवरण नहीं दिया गया है फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996 के तहत फ्लैटों के आबंटन हेतु आवेदन करने वाले कई व्यक्तियों, जिन्हें 21.3.1997 के ड्रा में आबंटन देने की घोषणा की गयी थी, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आशय के परमादेश की मांग करते हुए सिविल रिट याचिका दर्ज की थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण विवरणिका में बतायी गयी दर प्रचारित करे न कि बढ़ायी गयी दर पर जैसाकि मांग सह आबंटन पत्रों के तहत मांगे गये हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.11.2003 को सिविल रिट याचिका सं० 2142/99, 2143/99 और 2733/99 में अपना फैसला दिया है। न्यायालय के आदेशानुसार जहां तक विक्रय लागत में संशोधन पर आपत्ति का प्रश्न है इन रिट याचिकाओं में कोई तत्व नहीं है और इन्हें पारित नहीं किया जाता है। रिट याचिकाओं को पारित करते हुए यह निदेश दिया गया है कि याचिकाकर्त्ता आबंटन सह मांग की तारीख से 50 प्रतिशत राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करेंगे और सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की तारीख से 100 प्रतिशत राशि का भुगतान करेंगे। वैकल्पिक तौर पर, याचिकाकर्त्ता 45 दिनों की अवधि के अंदर वर्तमान लागत के आधार पर भुगतान कर दें और उक्त पेशकश का लाभ उठायें।

आगे की कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फैसले के निहितार्थों और कानूनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

पनधारा विकास कार्यक्रम और सूखापीड़ित क्षेत्रों की सहायता संबंधी समिति

3055. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री अम्बरीश :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त समिति का जारी रखने और पनधारा योजना के प्रशासनिक लागत घटक में से कर्मचारियों की स्थापना लागत को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या कुछ राज्यों विशेषकर दक्षिणी राज्यों ने इन राज्यों के कुछ जिलों में भयंकर सूखे को देखते हुए पनधारा कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा राज्य-वार मांग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कारगर निगरानी के लिए सतर्कता और निगरानी समितियां गठित की गयी हैं।

(च) से (ज) भूमि संसाधन विभाग को आंध्र प्रदेश की सरकार से सूखे प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०) के अंतर्गत 4837.74 लाख रुपये की राशि जारी करने के बारे में मई, 2003 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान आई०डब्ल्यू०डी०पी० परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश के राज्य को 2997.46 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

सरकारी फ्लैटों का बिना बारी के आबंटन

3056. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी फ्लैटों का टाइप-वार और श्रेणी-वार बिना बारी के आबंटन का कोटा कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष टाइप-वार और श्रेणी-वार कितना वास्तविक आबंटन किया गया;

(ग) क्या ये सभी आबंटन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सिविल रिट याचिका सं० 585/94 (एस०एस० तिवारी बनाम केन्द्र सरकार) में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर एक वर्ष में मकानों की प्रत्येक श्रेणी में, रिक्त होने वाले सभी मकानों का 5 प्रतिशत तक कार्यात्मक, सुरक्षा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए बिना बारी के आबंटन को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आबंटन नियमावाली में केन्द्रीय केबिनेट मंत्रियों, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, अध्यक्ष, लोक सभा और उपसभापति, राज्य सभा के वैयक्तिक स्टाफ के लिए अधिकतम 3 मकानों तथा केन्द्रीय राज्य मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के लिए अधिकतम 2 मकानों का कोटा निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) बिना बारी के आबंटनों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है। आबंटन उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी आवासों का आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियामवली, 1963 के अनुसार, किये जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अधिकतम 6 प्रतिशत सीमा तक प्रतिबंधित बिना बारी के वास्तविक आबंटन

क्रम सं०	आवास का टाइप	वर्ष	श्रेणी		
			कार्यात्मक	मेडिकल	अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	टाइप-1	2001	33	07	—
		2002	21	01	—
		2003	10	10	—
2.	टाइप-2	2001	51	51	—
		2002	71	43	—
		2003	49	24	—

1	2	3	4	5	6
3.	टाइप-3	2001	—	—	—
		2002	02	02	—
		2003	01	01	—
4.	टाइप-4	2001	07	02	—
		2002	03	08	01
		2003	02	02	—
5.	टाइप-4 (स्पेशल)	2001	00	01	—
		2002	—	—	—
		2003	—	—	—
6.	टाइप-5ए(डी-I)	2001	06	01	01
		2002	05	04	01
		2003	02	00	03
7.	टाइप-5बी(डी-I)	2001	08	—	01
		2002	02	—	—
		2003	—	—	—
8.	टाइप-6ए(सी-I)	2001	03	—	—
		2002	01	—	01
		2003	04	—	04
9.	टाइप-6बी(सी-I)	2001	01	—	01
		2002	—	—	01
		2003	01	—	—
10.	टाइप-7	2001	—	—	—
		2002	—	—	—
		2003	—	—	—
11.	टाइप-8	2001	—	—	—
		2002	—	—	—
		2003	—	—	—

टिप्पणी : 2003 के आंकड़े 30 सितम्बर, 2003 तक के हैं।

विवरण-II

सरकारी आवासों का आबंटन (दिल्ली के सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के एस आर-317-बी-8ए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रियों आदि के वैयक्तिक स्टाफ के बिना बारी के वास्तविक आबंटन

क्रम सं०	आवास का टाइप	वर्ष		
		2001	2002	2003
1.	टाइप-1	03	04	05
2.	टाइप-2	30	10	25
3.	टाइप-3	16	09	15
4.	टाइप-4	—	7	8
5.	टाइप-4 (स्पेशल)	—	—	—
6.	टाइप-V-ए(डी-II)	7	12	16
7.	टाइप-V-बी(डी-I)	18	9	12
8.	टाइप-VI-ए(सी-II)	—	—	1

टिप्पणी : 2003 के आंकड़े 30 सितम्बर, 2003 तक के हैं।

कर्नाटक के लंबित विधेयक

3057. श्री अम्बरीश : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनेक संशोधन विधेयक स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त ऐसे विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विधेयकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिस पर केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान-वर्ष-वार अपनी स्वीकृति दी है; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास लंबित विधेयकों का ब्यौरा क्या है और इन विधेयकों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) 1.12.2000 से 17.12.2003 तक गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान, कर्नाटक सरकार से 22 राज्य विधेयक प्राप्त हुए। राष्ट्रपति ने, जिन विधेयकों को अपना अनुमोदन/स्वीकृति दे दी है उनका

ब्यौरा और अंतिम रूप देने के लिए लंबित विधेयकों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

राज्य विधायनों की तीन कोणों अर्थात् (क) किसी भी केन्द्रीय कानून के साथ असंगति, (ख) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से विचलन और (ग) विधिक और संवैधानिक विधिमान्यता से जांच की जाती है। जब कभी भी आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों को उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधायनों के प्रावधानों में बदलाव/संशोधन करने की सलाह दी जाती है। शीघ्रातिशीघ्र निर्णय पर पहुंचने की दृष्टि से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्ताएं भी की जाती हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

(17.12.2003 की स्थिति)

क्रम सं०	विधेयक का नाम	प्राप्ति की तारीख	विधेयक की स्थिति
1	2	3	4
1.	कर्नाटक शराब की कालाबाजारी करने वालों, नशीली दवाओं का धंधा करने वालों, जुआरियों, गुंडों, अनैतिक देह व्यापार अपराधियों और मलिन बस्तियों पर कब्जा जमाने वालों की खतरनाक गति-विधियों का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2000	05.01.2001	01.05.2001 की राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
2.	कर्नाटक वित्तीय संस्थापनों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	19.01.2001	28.11.2002 को राष्ट्रपति की स्वीकृति रोक ली गई।
3.	कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2000	30.01.2001	22.12.2001 को राष्ट्रपति द्वारा दी गई।
4.	कर्नाटक ऑयल पाम (खेती, उत्पादन और संसाधन का विनियमन विधेयक, 2000)	31.01.2001	09.10.2002 को राष्ट्रपति की स्वीकृति रोक ली गई।
5.	कर्नाटक किराया, विधेयक, 1999	16.02.2001	22.11.2001 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
6.	पंजीकरण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2000	19.02.2001	25.7.2001 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
7.	कर्नाटक हिन्दू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ वृत्तिदान विधेयक, 1997	23.02.2001	25.10.2001 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
8.	कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति (नियुक्ति में आरक्षण इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2001	5.09.2001	दिनांक 9.7.2002 को राष्ट्रपति के इस संदेश के साथ भेजा गया जिसमें राज्य विधानमण्डल को विधेयक पर पुनर्विचार करने का निदेश दिया गया था।
9.	विद्युत (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2001	17.09.2001	31.12.2001 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
10.	दि फैक्टरीज (कर्नाटक एमेन्डमेंट्स) बिल, 2002	09.09.2002	31.12.2002 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
11.	पंजीकरण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2002	12.09.2002	08.12.2002 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
12.	दि कर्नाटक प्रोहिबीशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ नॉन-स्मोकर्स बिल, 2001	24.09.2002	28.02.2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
13.	दि कर्नाटक इंडस्ट्रीज (फैसिलिटेशन) बिल, 2002	27.09.2002	18.7.2003 को राष्ट्रपति के इस संदेश के साथ वापिस भेजा गया कि राज्य विधानमंडल बिल पर पुनर्विचार करे।

1	2	3	4
14.	दि कर्नाटक वेल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003	10.01.2003	18.3.2003 को राज्य सरकार को भारत सरकार का अनुमोदन सूचित किया गया।
15.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2002	28.05.2003	13.8.2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
16.	दि कर्नाटक इन्लैंड फिशरीज (कंजरवेशन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 1996	10.06.2003	07.07.2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
17.	दि कर्नाटक इंडस्ट्रीज (फेसिलिटेशन) बिल, 2002	01.09.2003	27.10.2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।
18.	कर्नाटक भू-जल (पेयजल के स्रोतों के संरक्षण हेतु विनियमन) विधेयक, 1999	10.09.2003	17.10.2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई।

विवरण-II

(17.12.2003 को स्थिति)

क्रम सं०	विधेयक का नाम	प्राप्ति की तारीख
1.	दि कर्नाटक टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ सर्टेन गुड्स (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, 2002	09.07.2002
2.	दि कर्नाटक वेल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003	01.04.2003
3.	दि कर्नाटक स्टैम्प (एमेन्डमेन्ट) बिल, 2003	01.04.2003
4.	दि कर्नाटक स्पेशल इकोनोमिक जोन्स डेवलपमेन्ट बिल, 2003	01.09.2003

उर्वरक उद्योग में धीमी प्रगति

3058. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पाया है कि मंत्रालय के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में प्रगति धीमी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में और परियोजनाओं में प्रगति धीमी अथवा निराशाजनक हैं;

(घ) मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) अक्तूबर, 2003 में हुई तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक के दौरान योजना आयोग ने यह पाया कि मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की कुछ परियोजनाओं/योजनाओं से संबंधित योजना व्यय की प्रगति धीमी है।

(ग) वर्ष 2003-04 की पहली दो तिमाहियों में सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सी०आई०पी०ई०टी०), इंस्टीच्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉरम्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आई०पी०एफ०टी०), हिन्दुस्तान ऑरगैनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच०ओ०सी०एल०), हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एच०आई०एल०) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) के लिए योजना व्यय की गति धीमी थी।

(घ) और (ङ) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग योजना व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखे हुये है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलाप समूह

3059. **श्री वी० वैत्रिसेलवन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण गैर-कृषि कार्यकलाप कृषि क्षेत्र के बाहर अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन कार्यकलापों में लगी अनेक संस्थाओं की सहायता कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो योजनाओं यानि मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी० आर०वाई०) और स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के अंतर्गत गैर-कृषिगत गतिविधियों को लिया जा सकता है। इन दोनों योजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) (ख) और (ग) के उत्तर के संदर्भ में, प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास नीति

3060. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापित लोगों से संबंधित राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और कौन-कौन सी परियोजनाओं को रोका जा रहा है अथवा विलम्बित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो नई नीति के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) मंत्रियों के दल (जी०ओ०एम०) ने 10.9.2003 को हुई इसकी बैठक में पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति-2003 (एन०पी०आर०आर०-2003) के प्रारूप को इस निदेश के साथ अनुमोदित किया है कि इसे मंत्रिमंडल के समक्ष उनके विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। एन०पी०आर०आर०-2003 के साथ-साथ मंत्रिमंडल के लिए नोट का प्रारूप मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जाती हैं :–

(i) यह नीति उन परियोजनाओं के संबंध में लागू होगी जिनसे मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवार अथवा इससे अधिक परिवार और पहाड़ी क्षेत्रों, डी०डी०पी० ब्लॉकों और भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में उल्लेख किए गए क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप से विस्थापित होते हैं।

(ii) पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ उन परियोजना प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में इसके प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा किए जाने की तारीख से पूर्व तीन वर्षों की अवधि के लिए लगातार रह रहे हैं अथवा अपना व्यवसाय चला रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं अथवा काम-धंधा चला रहे हैं।

(iii) जनजातीय परिवार, यदि वे अपने तालुक/जनजातीय क्षेत्रों के बाहर पुनर्स्थापित होते हैं तो वे पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप में 25% अधिक प्राप्त करेंगे।

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए इस अवस्था में कोई निश्चित समय-अवधि नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका कार्यान्वयन मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

रेजीडेंट वेल्फेअर एसोसिएशन

3061. श्री ए० वेंकटेश नायक :
डा० प्रसन्न कुमार पाठसाणी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने केन्द्र सरकार-कर्मचारी-रेजीडेंट वेलफेअर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने निवासियों के मध्य सूचनाओं/परिपत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी अथवा इसके उत्पादों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दक्षिणी दिल्ली के किसी क्षेत्र के रेजीडेंट वेल्फेअर एसोसिएशन से ऐसे कार्यों के विरुद्ध डी०ओ०पी०टी० को कोई शिकायतें/आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या डी०ओ०पी०टी० को रेजीडेंट वेलफेअर एसोसिएशन की प्रबंध-समिति के चुनावों में नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायतें मिली हैं, जैसा कि 27 अक्तूबर, 2003 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो डी०ओ०पी०टी० ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवासी-कल्याण-संघों द्वारा अपने परिपत्रों इत्यादि में वाणिज्यिक उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापन निकलने देने के इक्का-दुक्का उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त समाचार-पत्र में प्रकाशित हुए पत्र में, आवासी-कल्याण-संघों के पदाधिकारियों का चुनाव, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर लड़े जाने का आरोप लगाया गया है। उपर्युक्त मसले की छान-बीन कर ली गई है, किन्तु उपर्युक्त आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

नारट्रोग्लिसरीन के उत्पादन पर प्रतिबंध

3062. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाइट्रोग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि उग्रवादी बारूदी सुरंगों 'क्ले माइन्स' के रूप में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे देश में नागरिकों और पुलिस कार्मिकों की मौतें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उग्रवादियों का हिंसात्मक कार्यवाहियों से प्रभावित कुछ राज्य सरकारों ने चरणबद्ध ढंग से नाइट्रोग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों का उत्पादन बंद करने और उनके स्थान पर 'स्लरी' विस्फोटकों को प्रचलन में लाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने एन०जी० आधारित विस्फोटकों को कुछ समयावधि में समाप्त करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से एन०जी० आधारित विस्फोटकों को समाप्त करने का अनुरोध किया था। सरकार ने एन०जी० आधारित विस्फोटकों को समाप्त करने का निर्णय लिया है जैसी कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की पदोन्नति

3063. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय को संविधान के अनुच्छेद 16(4) (क) के संशोधन और तत्पश्चात् कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2002 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001-स्थापना (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उपर्युक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 2002 के परिपत्र सं० 20011/1/2001 स्थापना (घ) को 30 जनवरी, 1997 से कार्यान्वित किया है।

अधिसूचना की प्रभाविता

3064. श्री अजित कुमार पांजा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 8 जून, 2002 की अधिसूचना की प्रभाविता का प्रश्न उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनहित से संबंधित नीति के संबंध में अपने कार्य के निर्वहन में दिशा-निर्देश के रूप में सरकार ने संबंधित सरकारी उपक्रमों के नियमों/विनियमों के अधीन इसे विधिक मान्यता देने के लिए आगे क्या कदम उठाए हैं;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किए गए मामलों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार और मामला-वार क्या निष्कर्ष निकले हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमें के संदर्भ में 08 जून, 2002 की अधिसूचना के संबंध में आपत्ति उठाते हुए कोई नोटिस शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 08 जून, 2002 को अधिसूचित गैर सांविधिक संकल्प के तहत जारी दिशा-निर्देश सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं के बारे में ही हैं और अन्य लोक परिसरों से संबंधित नहीं है। इस विषय पर कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए इन दिशा-निर्देशों को लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के नियमों के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं के परिसरों का प्रबंधन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधान के तहत नियुक्त संपदा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थायें अपने परिसरों से संबंधित मुकदमों की न्यायिक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। सार्वजनिक उपक्रमों अथवा वित्तीय संस्थाओं के परिसरों से संबंधित मुकदमों के आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

पेयजल की समस्या

3065. श्री परसुराम माझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के शहरी क्षेत्रों की पेयजल की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) योजना आयोग के दसवें योजना दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ संलग्न विवरण में दिए गए उपायों का प्रावधान है जिन्हें उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करने तथा जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जाना है। यद्यपि जल-आपूर्ति राज्य का विषय है, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में जल-आपूर्ति स्कीमें चलाने के लिए उनकी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का वित्तपोषण कर रहा है। ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के तहत कार्यक्रम के प्रारंभ से दिनांक 17.12.2003 तक 944 कस्बों में 1237.01 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति स्कीमों के लिए 573.34 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश जारी किया जा चुका है।

विवरण

योजना आयोग के 10वें योजना दस्तावेज में पारिकल्पित बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली के लिए उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले उपाय

- जल प्रणाली के पुराने तथा जंग लगे पाइपों का खराब रखरखाव के कारण होने वाले रिसाव तथा बेकार जाने वाले जल को नियंत्रित तथा न्यूनतम स्तर तक लाया जाना चाहिए। जल के रिसाव तथा बेकार होने के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों पर कठोर शास्तियां लगाई जानी चाहिए।

- निकट भविष्य में जल की और कमी को देखते हुए शोधित सीवेज के पुन: उपयोग को अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तृतीयक शोधन से शोधित सीवेज के जल का उपयोग वातानुकूलन, औद्योगिक- शीतलन तथा अन्य गैर-पेय उपयोगों के लिए किया जा सकता है।

- पेयजल का वाहनों को धोने, बागों के रखरखाव इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने को रोका जाना चाहिए। बरसाती जल के संरक्षण को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

- केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज के लिए तकनीकों के विकास में लगा हुआ है जिन्हें उपर्युक्त परिस्थितियों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भू-जल के उपयोग

को निरंतर मॉनीटर किया जाना चाहिए ताकि इस महत्वपूर्ण स्रोत को सूखने से बचाया जा सके।

– जल-कर इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि शोधित जल के आवश्यकता से अधिक उपयोग को रोका जा सके। जल के संरक्षण के लिए कम मात्रा वाले फ्लशिंग सिस्टर्न जैसी जल के बेहतर उपयोग वाली प्रणालियों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

औषधियों के लिए मूल्य मानक

3066. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औषधियों के मूल्य मानकों को परिवर्तित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों से आंकड़े प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ औषधि कम्पनियों ने सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद भी आंकड़े नहीं भेजे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नए औषधि मानक उपभोक्ताओं के लिए कितने फायदेमंद हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (छ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की लागत एवं लेखा शाखा द्वारा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) के अनुरोध पर परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभारों, प्रसंस्करण हानि जैसे लागत मानकों की पुनरीक्षा हेतु अध्ययन किया जा रहा है। एन०पी०पी०ए० द्वारा भी पैकिंग सामग्री के संबंध में अध्ययन शुरू किया गया है जिसे नैशनल इन्सटीट्यूट ऑफ फार्मेस्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एन०आई०पी०ई०आर०), चण्डीगढ़ द्वारा पूरा कर लिया गया है। सभी औद्योगिकी एसोसिएशनों को समय-समय पर उक्त दो अध्ययनों के संबंध में सहयोग देने हेतु अपने सदस्यों से अनुरोध करने को कहा गया है और इस बारे में कुछ सूचना उपलब्ध हो गई है।

पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

3067. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्री मोइनुल हसन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज में महिला अधिकारिता सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत में पंचायती राज में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई और कार्य कर रही हैं;

(ग) ग्राम प्रधानों और अन्य प्रतिनिधियों को प्रदान की जा रही बुनियादी शिक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश की विभिन्न पंचायतों में राज्य-वार कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और महिलाएं हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या, 21,86,914 की तुलना में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 8,90,605 है।

(ग) ग्राम प्रधानों तथा पंचायती राज संस्थानों के अन्य निर्वाचित सदस्यों को अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षणों में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज संबंधी विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में बुनियादी जानकारी देना भी शामिल है।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 243-डी के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। निर्वाचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला प्रतिनिधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तीनों स्तरों में पंचायती राज संस्थाओं की राज्यवार संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में इनके निर्वाचित प्रतिनिधिओं की संख्या

(क) पंचायतों के निर्वाचित सदस्य

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत (जी.पी.)						मध्य स्तरीय पंचायत (आई.पी.)						जिला पंचायत (डी.पी.)					
		जी.पी. की सं.	निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.					आई.पी. की सं.	निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.					डी.पी. की सं.	निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.				
			सामान्य	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	महिला	कुल		सामान्य	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	महिला	कुल		सामान्य	अनु. जा.	अनु.ज. जा.	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	21913	160386	31243	16662	68736	208291	1095	10938	2586	1093	4919	14617	22	812	196	87	364	1095
2.	अरुणाचल प्रदेश	1747	**	**	**	**	6260	150	**	**	**	**	1615	15	**	**	**	**	138 तीरप जिला को छोड़कर
3.	असम	2153	14060	782	778	7851	15620	187	1236	80	86	746	1402	20	236	19	18	117	273
4.	बिहार	8471	96513	18650	866	40553	116029	531	9661	1859	91	4065	16111	38	966	187	9	410	1162
5.	छत्तीसगढ़	9139	56481	15532	52198	41913	124211	146	1259	318	1062	906	2639	16	152	30	112	95	274
6.	गोवा	190	982	0	0	457	982	***	***	***	***	***	***	2	33	0	0	17	33
7.	गुजरात	13819	56028	9895	17290	40985	83213	225	1953	265	550	1393	2768	25	390	39	115	275	544
8.	हरियाणा	6034	42800	11846	0	18356	54646	114	1879	551	0	842	2430	19	247	67	0	109	314
9.	हिमाचल प्रदेश	3037	12657	4898	994	6822	18549	75	1108	437	113	562	1658	12	165	65	21	87	251
10.	जम्मू व कश्मीर	3746	*	*	*	*	*	211	*	*	*	*	*	22	*	*	*	*	*
11.	झारखंड	2683	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12.	कर्नाटक	5659	31051	14871	7499	35922	53421	175	1335	583	244	1375	2162	27	379	158	54	339	591
13.	केरल	991	6802	1487	169	4801	8458	152	803	188	18	629	1009	14	165	33	4	105	202
14.	मध्य प्रदेश	22029	119313	32585	56458	106491	208356	313	2476	682	1139	2159	4297	45	286	78	122	248	486
15.	महाराष्ट्र	28553	118996	26824	31826	77548	178132	349	1902	447	528	1407	2877	33	931	225	267	658	1473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	166	1025	38	48	611	1111	***	***	***	***	***	***	4	36	1	2	22	39
17.	उड़ीसा	6234	49568	14930	23049	31414	87547	314	3498	1025	1704	2188	6227	30	496	139	219	296	854
18.	पंजाब	12445	33280	15580	0	27108	48860	140	1141	526	0	813	1667	17	130	60	0	89	190
19.	राजस्थान	9189	70027	24129	20126	39450	114282	237	3434	968	855	1908	5257	32	653	191	164	364	1008
20.	सिक्किम	159	571	39	263	322	873	***	***	***	***	***	***	4	50	6	36	29	92
21.	तमिलनाडु	12618	51155	19301	821	26181	71277	385	3384	1369	47	1770	4800	29	341	139	3	173	483
22.	त्रिपुरा	537	2757	876	157	1895	3790	23	100	78	15	106	193	4	28	22	4	28	54
23.	उत्तर प्रदेश	52028	293868	83443	207	230865	377518	813	25530	7743	17	18580	33290	71	1025	313	0	788	1338
24.	उत्तरांचल	7227	237793	5378	703	18041	243874	95	1807	241	44	1133	2092	13	193	28	5	119	226
25.	पश्चिम बंगाल	3360	22586	13645	3472	11497	39703	333	3669	2383	604	1923	6656	18	314	202	51	156	567
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	67	498	0	0	261	498	7	42	0	0	25	42	1	20	0	0	10	20
27.	चंडीगढ़	17	135	27	0	55	162	1	11	4	0	6	15	1	7	3	0	3	10
28.	दादरा व नगर हवेली	11	4	2	118	45	124	***	***	***	***	***	***	1	0	0	12	4	12
29.	दमन व दीव	10	33	1	12	17	46	***	***	***	***	***	***	1	12	0	3	10	15
30.	लक्षद्वीप	10	0	0	49	30	49	***	***	***	***	***	***	1	0	0	14	8	14
31.	पांडचेरी	98	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	कुल	234340	1479369	346002	233765	838227	2065882	6081	77166	22333	8210	47455	109324	537	8067	2201	1322	4823	11708

मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पारम्परिक परिषदें हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – पंचायती राज प्रणाली को अभी शुरू किया जाना है।

*स्थानीय निकायों का चुनाव अभी कराया जाना है।

***मध्य स्तरीय पंचायत मौजूद नहीं है (द्वितीय स्तर)।

= में अभी तक संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू नहीं किया गया है।

**तीरप जिलें को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 2.4.03 को पंचायत चुनाव कराए गए।

महिला कर्मचारी

3068. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र-सरकार की सेवाओं में कुल कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं;

(ख) क्या महिला कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान चलाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की रिपोर्ट में निहित जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की 7.51 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं।

(ख) इस समय, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के हबीब बैंक द्वारा जाली भारतीय नोटों का परिचालन

3069. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की आई०एस०आई० हबीब बैंक की सहायता से काठमांडू होकर भारत में नकली मुद्रा को भेज रही है, जैसा कि 26 नवम्बर, 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश की आसूचना इकाई से इस बारे में रिपोर्ट मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) हबीब बैंक द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) पाकिस्तानी आई०एस०आई० भारत में जाली मुद्रा भेजने में संलिप्त है।

हिमालयन बैंक लिमिटेड (पाकिस्तान का हबीब बैंक और नेपाली संप्रवर्तकों का एक संयुक्त उद्यम) के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक, भारतीय जाली मुद्रा नोटों (एफ०आई०सी० एन०) को एक नेपाली राष्ट्रिक के माध्यम से प्रवेश कराने के मामले में ध्यान में आया है।

स्थिति से निपटने के उद्देश्य से, सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें मुख्य रूप से, सीमा निगरानी में सुधार करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई०एस०आई० एजेंटों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल हैं। एफ०आई०सी०एन० खतरे से निपटने हेतु जवाबी रणनीतियां तैयार करने के लिए, समय-समय पर इस संबंध में प्राप्त जानकारियां, राज्य सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों के साथ आपस में बांटी जाती हैं।

एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूह

3070. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत गठित स्वयं-सहायता समूहों द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन समूहों द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि की बचत की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूह आरंभ में आंतरिक बचत और उधार कार्य करते

हैं। उसके बाद समूहों को प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के अंतर्गत कृषि, दुग्ध-उत्पादन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, रेशम उद्योग, हथकरघा, दस्तकारी आदि के क्षेत्रों में विभिन्न आय सर्जक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए समूहों को सहायता दी जाती है। कुछ समूह ऐसे कार्य भी करते हैं जिनसे गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है।

(ख) मंत्रालय एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत बनाए गए समूहों द्वारा की गई बचतों की निगरानी नहीं कर रहा है।

डी०ए०पी० की जरूरत

3071. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में डी०ए०पी० की जरूरतों को पूरा करने में इफको (आई०एफ०एफ०सी०ओ०) तथा पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी०पी०एल०) की असफलता से संबंधित कोई शिकायत वहां की राज्य सरकार से मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवम्बर तथा दिसम्बर, 2003 के महीने में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि० (इफको) और पारादीप फॉस्फेट्स लि० (पी०पी०एल०) द्वारा प्रतिबद्ध स्तर तक डी०ए०पी० की आपूर्ति की समस्या के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री को लिखा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में वर्तमान रबी मौसम के दौरान डी०ए०पी० की आवश्यकता के अनुसार समग्र उपलब्धता में कोई कमी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के संबंध में रबी 2003-04 (1.10.2003 से 31.3.2003 तक) के मौसम के लिए डी०ए०पी० की 9.35 लाख मी० टन अनुमानित आवश्यकता की तुलना में, इस राज्य को 30.11.2003 तक 6.26 लाख मी० टन डी०ए०पी० उपलब्ध कराया गया था और इसी अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा 5.23 लाख मी० टन बिक्री की सूचना दी गई थी। अत: 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार राज्य में लगभग 1 लाख मी० टन डी०ए०पी० का स्टॉक उपलब्ध था, जो दर्शाता है कि राज्य स्तर पर डी०ए०पी० पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। जहां तक इफको तथा पी०पी०एल० द्वारा डी०ए०पी० की आपूर्ति का संबंध है, इफको ने रबी मौसम के लिए अपनी 4.8 लाख मी० टन की प्रतिबद्ध आपूर्ति की तुलना में दिनांक 15.12.2003 तक राज्य को 4.31 लाख मी० टन डी०ए०पी० उपलब्ध कराया। इसी प्रकार, पी०पी०एल० ने 15.12.2003 तक 1.2 लाख मी० टन डी०ए०पी० उपलब्ध कराया।

आज की तारीख तक किसी भी राज्य से डी०ए०पी० की कमी की कोई सूचना नहीं है और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मांग की तुलना में यदि कोई कमी हो, तो उसे पूरा करने के लिए उत्पादक/आयातक डी०ए०पी० की अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता

3072. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों ने भारतीय नागरिकता दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में निवास कर रहे ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है; और

(ग) शेष अनुरोधों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय रूप से ऐसा रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तान से प्रवास किए गए व्यक्तियों सहित भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदनों पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत विचार किया जाता है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है।

खनिजों का उत्पादन, आयात और निर्यात

3073. **श्री रामदास आठवले :**
श्री अनन्त नायक :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आयात और निर्यात किए जा रहे खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन खनिजों का वर्ष-वार कितना वार्षिक आयात और निर्यात हुआ;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विभिन्न आयातित खनिजों की गुणवत्ता, भुगतान की गई धनराशि और अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) देसी और आयातित खनिजों की दरों में भिन्नता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देसी खानों की खोज करके मांग को पूरा करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इन खनिजों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ज) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम उपक्रमों की तर्ज पर विदेशों में खनन के संबंध में उद्यम स्थापित करने या उनके शेयर खरीदने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(झ) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र की खान कम्पनियों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत से निर्यात किए जा रहे महत्वपूर्ण गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, चूनापत्थर, निकेल, एल्यूमिना, बॉक्साइट, इमारती और स्मारकीय पत्थर, क्रोमाइट, हीरा (अधिकतर तराशा हुआ), एमरल्ड, ग्रेनाइट, मार्बल, बहुमूल्य और अल्पमूल्य पत्थर, स्लेट, जस्ता अयस्क और सान्द्र आदि शामिल हैं। भारत में आयात किए जा रहे मुख्य खनिज एन्टीमनी, मोलीब्डेनम, निकेल, प्लेटिनम समूह की धातुएं, टिन, टंगस्टन, पोटाश, नेटिव सल्फर, आधार धातुएं, ग्रेफाइट की कुछ श्रेणियां, नोबल धातुएं, बहुमूल्य पत्थर, रॉक फॉस्फेट, एस्बस्टस, बोरोन खनिज (बोरेक्स), अपरिष्कृत हीरा, फ्लूओराइट, मेग्नेसाइट आदि हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात (पुनः निर्यात सहित) और आयात किए गए सभी खनिजों का मूल्य निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

	2000-01	2001-02	2002-03
आयात	96522	92797	117294
निर्यात	34411	35136	46618

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खनिज-वार अनुमानित मांग, देसी और आयातित खनिजों की दरों में भिन्नता से संबंधित ब्यौरा सभी खनिजों के लिए केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय खनिज नीति (एन०एम०पी०), 1993 के अनुसार सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों का गवेषण और विदोहन निजी निवेश हेतु खोल दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप खनिजों का वाणिज्यिक विदोहन, संबंधित खनिज की आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार होता है। इसी प्रकार किसी खनिज का निर्यात उसकी उपलब्धता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

(ज) और (झ) खान मंत्रालय ने विदेशों में खनन संबंधी शेयर खरीदने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा है। भारतीय कंपनियां विदेशों में खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग उत्पादों की कीमत का आकलन

3074. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों की कीमतों का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान इस क्षेत्र में हुए उत्पादन की कुल कीमत कितनी रही है और देश में हुए कुल औद्योगिक उत्पादनों की कीमतों की तुलना में इसकी प्रशितता क्या रही है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र से निर्यातित उत्पादों की वर्ष-वार कीमतें क्या रही हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान लघु उद्योग (एस०एस०आई०) सेक्टर द्वारा किए गए उत्पादन का कुल मूल्य क्रमश: 639024 करोड़ रु०, 690316 करोड़ रु० तथा 763013 करोड़ रु० आंका गया है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के डाटा अनुसार देश में लघु उद्योग सेक्टर का अंशदान वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान औद्योगिक उत्पादन (विनिर्माण सेक्टर) के कुल मूल्य का 39.99% तथा 39.63% रहा है।

(ग) वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान (नवीनतम उपलब्ध) लघु उद्योग सेक्टर से निर्यात किए गए उत्पादों का वर्ष-वार आंकलित मूल्य निम्नोक्त है :–

वर्ष	2000-2001	2001-2002
निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु० में)	69797	71422

[अनुवाद]

वाहनों में जाली नम्बर प्लेट

3075. **श्री कमलनाथ** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में ऐसे बड़ी संख्या में वाहन हैं जो जाली नम्बर प्लेटों से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली यातायात पुलिस जाली नम्बर प्लेटों से चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने में असफल रही है;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस असल में चूक करने वाले वाहन मालिकों को नोटिसें न देकर निर्दोष वाहन मालिकों को ही बार-बार नोटिस दे रही है;

(घ) क्या दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों की असली संख्या को रिकार्ड कर रही है जिससे निर्दोष मालिकों के वाहनों का चालान किया जा रहा है और उन्हें ही जुर्माना देना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस, अन्य बातों के साथ-साथ, जाली नम्बर प्लेटों के साथ दिल्ली की सड़कों पर चल रहे वाहनों का पता लगाती है और ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और पता लगाए गए जाली नम्बर प्लेटों वाले वाहनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं०	वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	पता लगाए गए जाली नम्बर प्लेटों वाले वाहन
1.	2001	11	26	24
2.	2002	18	40	23
3.	2003 (30 नवम्बर तक)	25	58	44

(ग) से (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस के कार्मिक वाहन के दर्ज मालिकों/चालकों के खिलाफ मौके पर चालान जारी करने से पहले ऐसे उल्लंघनों की तारीख, जगह और समय के साथ-साथ यातायात उल्लंघनों में संलिप्त वाहन के ब्यौरे नोट करते हैं। ऐसे मामलों जिनमें

मौके पर चालान जारी नहीं किए जाते हैं, में वाहनों के दर्ज मालिकों को नोटिस जारी करने से पहले वाहनों/दर्ज मालिकों के ब्यौरे दिल्ली यातायात पुलिस के डाटाबैंक में उपलब्ध रिकार्ड से सत्यापित किए जाते हैं। वाहन के दर्ज मालिकों को नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई का प्रतिवाद करने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। ऐसे मामलों जिनमें यह पाया जाता है कि मालिक ने कोई अपराध नहीं किया है, तो नोटिस रद्द किए जाते हैं/वापिस लिए जाते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस के अधीनस्थ स्टाफ को भी चालान/नोटिस जारी करने से पूर्व वाहनों/मालिकों के ब्यौरे रिकार्ड करने/जांच करने में सावधानी बरतने के लिए समय-समय पर बताया जाता है।

मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत धन

3076. **श्री एन०एन० कृष्णदास :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत चालू वर्ष 2003-04 के दौरान दिनांक 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत/जारी की गई केन्द्रीय आर्थिक सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष 2003-04 में, आवास और नगर विकास निगम लि० (हडको) को 1647.20 लाख रु० की केन्द्रीय आर्थिक सहायता से 6236 रिहायशी इकाइयों का निर्माण करने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि ये प्रस्ताव अधूरे थे, अत: हडको ने राज्य सरकार से इन प्रस्तावों को सरकार को भेजने से पूर्व, योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूरे अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।

विवरण

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत वर्ष 2003-04 (30.11.2003 की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वीकृत/जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आबंटन (भारत सरकार राज सहायता	स्वीकृत/जारी भारत सरकार की आर्थिक सहायता		
1.	आंध्र प्रदेश	2364.080	5973.893	0.000	5973.893
2.	अंडमान व निकोबार	20.120			
3.	अरुणाचल प्रदेश	88.140			
4.	असम	1389.300			
5.	बिहार	1044.520			
6.	चंडीगढ़	83.810			
7.	छत्तीसगढ़	296.580	369.990	0.000	369.990
8.	दादरा व नगर हवेली	1.530			
9.	दमन व दीव	5.460			
10.	दिल्ली	1279.610			
11.	गोवा	44.830			
12.	गुजरात	1351.200			
13.	हरियाणा	395.560	652.600	0.000	652.600
14.	हिमाचल प्रदेश	63.420			
15.	जम्मू व कश्मीर	305.820	99.450	0.000	99.450
16.	झारखंड	348.170			
17.	कर्नाटक	697.880	2650.100	532.000	3182.100
18.	केरल	646.440			
19.	लक्षद्वीप	2.830			
20.	मध्य प्रदेश	801.810	255.220	0.000	255.220
21.	महाराष्ट्र	4218.740	4185.825	0.000	4185.825

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आबंटन (भारत सरकार राज सहायता	स्वीकृत/जारी भारत सरकार की आर्थिक सहायता		
22.	मणिपुर	266.060	2.920	0.000	2.920
23.	मेघालय	272.870			
24.	मिजोरम	271.700			
25.	नागालैण्ड	143.140	47.250	0.000	47.250
26.	उड़ीसा	440.350	15.400	0.000	15.400
27.	पांडिचेरी	83.610			
28.	पंजाब	744.050			
29.	राजस्थान	1282.950			
30.	सिक्किम	28.910	0.000	0.000	0.000
31.	तमिलनाडु	1712.570	492.200	0.000	492.200
32.	त्रिपुरा	209.880			
33.	उत्तर प्रदेश	2877.920	1899.000	0.000	1899.000
34.	उत्तरांचल	151.470			
35.	पश्चिम बंगाल	2584.670	159.410	0.000	159.410
	कुल	26500.000	16803.258	532.000	17335.258

[हिन्दी]

हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन को निर्गत धन

3077. श्री रामशकल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संगठनों को धन निर्गत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार ऐसे कितने संगठन हैं और उनमें से प्रत्येक को अब तक कितना धन निर्गत किया गया है; और

(घ) राज्यवार कितने एकड़ भूमि क्षेत्र में इन संगठनों ने खेती की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 165 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी०आर०डी०ए०)/जिला पंचायतों (जेड०पी०) को 7337.63 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। अभी तक राज्य-वार जारी की गई निधियों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग का कार्यात्मक उत्तरदायित्व हरियाली संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड पद्धति के आधार पर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करना है और न कि कृषि योग्य भूमि को विकसित करना है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	संगठनों की संख्या (डी०आर०डी०ए०/ जेड०पी०)	वर्ष 2003-04 में जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	495.00
2.	बिहार	9	371.25
3.	छत्तीसगढ़	8	330.00
4.	गोवा	2	82.50
5.	गुजरात	11	399.38
6.	हिमाचल प्रदेश	8	354.75
7.	हरियाणा	4	165.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1	41.25
9.	झारखण्ड	6	272.25
10.	कर्नाटक	9	371.25
11.	केरल	3	123.75
12.	महाराष्ट्र	9	371.25
13.	मध्य प्रदेश	16	717.75
14.	उड़ीसा	7	313.50
15.	राजस्थान	9	371.25

1	2	3	4
16.	तमिलनाडु	11	453.75
17.	उत्तर प्रदेश	13	536.25
18.	उत्तरांचल	3	132.00
19.	पश्चिम बंगाल	2	82.50
20.	असम	14	693.00
21.	मिजोरम	5	330.00
22.	नागालैण्ड	5	330.00
	योग	165	7337.63

पीपवाड़ में रेल साइडिंग प्रोजेक्ट पर कार्य

3078. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पीपवाड़ में चालू रेल साइडिंग प्रोजेक्ट पर कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पीपरवार रेलवे साइडिंग की कुल लम्बाई 30.5 किलोमीटर है, जिसमें से 13.8 किलोमीटर ट्रैक लाइन पूरी हो चुकी है। एल०ए० अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत की गई भूमि के एवज में कुछ रोजगार दिए गए हैं। परन्तु बाद में, राज्य सरकार ने भूमि को, इस आधार पर कि पहले अधिसूचित की गई, भूमि काश्तकारी भूमि नहीं बल्कि जी०एम०के० भूमि थी, अधिसूचित कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप, इस भूमि के एवज में जिन व्यक्तियों को रोजगार दिए गए थे, सी०सी०एल० को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा था। ये व्यक्ति अभी भी रोजगार तथा अन्य लाभों के लिए दावा कर रहे हैं और रेलवे साइडिंग के निर्माण की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्या है जिससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। रेलवे साइडिंग के टर्न-की संविदाकार मैसर्स इरकॉन ने 15.7.2000 से कार्य को समय से पूर्व बन्द कर दिया है।

एफ०आई०आर० का दर्ज करना

3079. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज न किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिकायत दर्ज न करने के लिए पुलिस के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) मामलों को दर्ज न करने के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। 1 दिसंबर, 2002 से 30 नवम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान, ऐसी 679 शिकायतें प्राप्त हुई। अभी तक जांची गईं 653 शिकायतों में से, 42 प्रथम दृष्टया सही और 611 सारहीन पाई गईं थी।

(ग) आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है, और यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें उपयुक्त रूप से दंडित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान (30 नवंबर, 2003 तक), 23 पुलिस कर्मियों की "परिनिन्दा" की गई और 9 को चेतावनी दी गई।

[अनुवाद]

प्रदर्शन बेहतर बनाने वाली दवाएं

3080. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल अधिकारियों और प्रशिक्षकों के बीच यह आम धारणा है कि प्रदर्शन बेहतर बनाने वाली दवाओं पर मौजूदा प्रतिबंध अव्यावहारिक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या स्टेरॉयड्स और प्रदर्शन बेहतर बनाने वाली अन्य दवाओं के संबंध में अनुमत्य दृष्टिकोण के संबंध में व्यावहारिक

रवैया अपनाने हेतु विश्व में विभिन्न खेलकूद संगठनों द्वारा कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले का उचित समाधान खोजने के लिए क्या कदम उठा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारत विश्व डोपिंग विरोधी एजेन्सी (वाडा) का संस्थापक सदस्य है और इसने मार्च, 2003 में आयोजित विश्व डोपिंग विरोधी सम्मेलन में भाग लिया था जब अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघों, राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और संहिता के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा वाडा संहिता के अन्तिम रूपान्तर को अनुमोदित किया गया था तथा उस पर हस्ताक्षर किये गये थे। स्टेरॉयड्स और प्रदर्शन बेहतर बनाने वाली अन्य दवाओं के मसले के संबंध में व्यावहारिक रवैया अथवा अनुमत्य दृष्टिकोण अपनाये जाने के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श नहीं हुआ है। वाडा संहिता के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, किसी भी पीड़ित खिलाड़ी द्वारा अपील करने के लिए ढांचा विद्यमान है। विभिन्न सरकारें जो वाडा की पणधारी हैं, ने खेलों में डोप विरोधी कोपनहेगन घोषणा पर हस्ताक्षर करके संहित को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3081. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और उन संस्थानों की सूची क्या है जिन पर विचार किया जाना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थानों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा क्या है और उस अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं या कार्य किए गए;

(घ) इन अनुसंधान संस्थानों में ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास समूह क, ख और ग में ओबीसी को प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की विस्तृत रिपोर्ट है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

हीरे के लिए उपग्रह सर्वेक्षण

3082. **श्री चाई०वी० राव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हीरे की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपग्रह चित्र प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके चित्र तैयार किये गये हैं और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इन चित्रों के आधार पर हीरे का उत्खनन आरंभ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां। उपग्रह चित्र प्रणाली का प्रयोग भू-गर्भीय ढांचों तथा भू-आकृतिक फीचरों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जिससे किम्बरलाइट/लेम्प्रोइट ढेरों के संभावित क्षेत्रों की पहचान हो जिसमें आमतौर से हीरे होते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपग्रह चित्र प्रणाली का प्रयोग, आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर, नालगोंडा, कुर्नूल, अनन्तपुर, खम्माम तथा कृष्णा जिलों; कर्नाटक के रायचूर, गुलबर्गा और टुमकुर जिलों; महाराष्ट्र के चन्द्रपुर तथा गड़चिरोली जिलों; छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायगढ़ तथा जांगीह चम्पा जिलों और उड़ीसा के बारगढ़, नौपाडा, बोलानगिर, सम्बलपुर, सोनपुर और झारसुडूडा जिलों में किम्बरलाइट/लेम्प्रोइट पाइप्स/बाडीज की पहचान करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में ईवनदी के कंकड़ों से और आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में बजराकारूर किम्बरलाइट फील्ड में हीरे होने के संकेत मिले हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय सहायता

3083. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 के दौरान देश में गरीबी उन्मूलन के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदन की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों के लाभार्थ सभी पुराने कार्यक्रमों को मिलाकर दिनांक 1.12.1997 से सम्पूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) नामक एक केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन योजना चला रहा है जिसका उद्देश्य नौंवी कक्षा तक शिक्षित व्यक्तियों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारी या अल्प रोजगार युक्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है।

एस०जे०एस०आर०वाई० के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 2003-04 में जारी की गयी केन्द्रीय धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) के तहत वर्ष 2003-04 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई केन्द्रीय धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी केन्द्रीय धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1290.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.84
3.	असम	0.00
4.	बिहार	66.51
5.	छत्तीसगढ़	229.65
6.	गोवा	0.00
7.	गुजरात	260.19
8.	हरियाणा	319.95
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	30.41
11.	झारखंड	0.00
12.	कर्नाटक	577.46
13.	केरल	238.76
14.	मध्य प्रदेश	497.33
15.	महाराष्ट्र	270.13
16.	मणिपुर	0.00
17.	मेघालय	0.00
18.	मिजोरम	59.03
19.	नागालैंड	1.90
20.	उड़ीसा	0.00
21.	पंजाब	0.00
22.	राजस्थान	70.32
23.	सिक्किम	1.33
24.	तमिलनाडु	514.59
25.	त्रिपुरा	37.61
26.	उत्तरांचल	46.27
27.	उत्तर प्रदेश	1471.74
28.	पश्चिम बंगाल	349.36
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00
30.	चंडीगढ़	44.51
31.	दादरा व नगर हवेली	2.97
32.	दमन व दीव	0.00
33.	दिल्ली	0.00
34.	पाण्डिचेरी	0.00
	कुल	6387.95

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय-सेवाओं (सी०एस०एस०) का संवर्ग पुनर्गठन

3084. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 03 अक्तूबर, 2003 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय सचिवालय-सेवाओं (सी०एस०एस०) के संवर्ग-पुनर्गठन के लिए गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संवर्ग की पुनर्संरचना किए जाने के बारे में गठित समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और उनके संबंध में उपयुक्त निर्णय ले लिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त निर्णयों में से प्रमुख निर्णय, अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण में दर्शाए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निम्नलिखित निर्णयों से संबंधित आदेश, पहले से ही जारी कर दिए गए हैं :–

(i) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में भर्ती के तरीके में बदलाव।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के सहायक के ग्रेड से निदेशक के ग्रेड तक के संवर्गों के पदों की संख्या का निर्धारण।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों को गैर कार्यात्मक वेतनमान दिए जाने के चलन का आरम्भ।

जहां तक अन्य निर्णयों के कार्यान्वित किए जाने का संबंध है, उन्हें कार्यान्वित किए जाने की कोई स्पष्ट समय-सीमा विशेष बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि इनके संबंध में अन्य विभागों/मंत्रालयों से भी परामर्श किया जाना और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का निर्वाह किया जाना अपेक्षित है।

विवरण

(i) 14,300-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के रूप में पदनामित किए जाने वाले एक नए वरिष्ठ चयन-ग्रेड का सृजन और केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में निदेशकों के संवर्ग के पदों की संख्या 110 निश्चित करना।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में उप सचिवों के और अवर सचिवों के संवर्ग के पदों की संख्या क्रमश: 330 और 1400 निश्चित करना।

(iii) केन्द्रीय स्टाफ़िंग योजना के नियमों में इस दृष्टि से परिणामी संशोधन करना कि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में निदेशक, उप सचिव और अवर सचिव के पद अब केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों को सुलभ नहीं हैं।

(iv) संयुक्त सचिव और अपर सचिव के पद पर नियुक्ति की दृष्टि से केन्द्रीय सचिवालय-सेवाओं के अधिकारियों की पात्रता के मानदण्ड बदलकर, अन्य सेवाओं के अधिकारियों की पात्रता के मानदंडों की ही तर्ज़ पर बनाने के प्रयोजन से केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में आशोधन।

(v) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग के पदों की संख्या 3000 निश्चित करना।

(vi) अनुभाग अधिकारियों को भावी प्रभाव से 8000-13500/- रुपए का गैर कार्यात्मक ग्रेड सुलभ करवाना।

(vii) अनुभाग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती करना समाप्त करना।

(viii) अनुभाग अधिकारी के कुल पदों के 50 प्रतिशत पद, समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से और शेष 50 प्रतिशत पद, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरने की दृष्टि से भर्ती का तरीका बदलना।

(ix) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में पदों के स्वस्थाने उन्नयन की योजना समाप्त करना।

(x) सहायक के कुल पदों के 75 प्रतिशत पद, कम्प्यूटर में प्रवीणता रखने वाले स्नातकों की सीधी भर्ती के माध्यम से, 15 प्रतिशत पद, उच्च श्रेणी-लिपिकों की पदोन्नति से तथा 10 प्रतिशत पद, उच्च श्रेणी-लिपिकों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान करके, सहायक के पद पर भर्ती का मौजूदा तरीक़ा बदलना। केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संवर्ग की पुनर्संरचना

के परिणामस्वरूप होने वाली सहायक के पदों की रिक्तियां, एक बारगी आपवादिक व्यवस्था के तौर पर, 50 प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से और शेष 50 प्रतिशत, वरिष्ठता के आधार पर उच्च श्रेणी-लिपिकों की पदोन्नति से भरी जाएंगी।

(xi) अनुभाग अधिकारी और सहायक के स्तर पर अन्तर संवर्गीय स्थानान्तरण किए जा सकने का प्रावधान करना।

(xii) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के केन्द्रीय सेवा-प्रभाग में, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के कार्मिकों की तैनाती सहित, संवर्ग-प्रबंधन को केन्द्रीकृत करना।

(xiii) अवर श्रेणी-लिपिक के पद पर सीधी भर्ती करना समाप्त करना।

(xiv) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अवर श्रेणी-लिपिक के रिक्त पद समाप्त करना।

(xv) अवर श्रेणी-लिपिक के कुल पदों के 70 प्रतिशत पद, समूह घ कर्मचारियों की पदोन्नति से तथा शेष 30 प्रति शत पद, समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान करके अवर श्रेणी-लिपिक के पद पर भर्ती का मौजूदा तरीक़ा बदलना।

(xvi) केन्द्रीय सचिवालय की आशुलिपिक-सेवा के अधिकारियों के केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में पार्श्विक प्रवेश से संबंधित निर्णय फ़िलहाल आस्थगित करना।

(xvii) सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम किए जाने के कारण हुई किन्हीं विकृतियों को समाप्त करने की दृष्टि से तीन वर्ष बाद केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संवर्ग की समीक्षा करना।

डी०डी०ए० द्वारा किश्तों पर ब्याज

3085. **श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी० ए०) अपने मांग पत्र के अनुसार संभावित खरीददारों द्वारा भुगतान किये जाने के तुरन्त बाद फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की लापरवाही के कारण निर्धारित अवधि निकल जाने के लिए खरीददारों द्वारा देय किश्तों पर ब्याज वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए ब्याज की दर क्या थी और डी०डी०ए० की गलती का गरीब लोगों पर भार डालने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी०डी०ए० के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आबंटियों द्वारा भुगतान करने के पश्चात उनके लिए फ्लैटों का शीघ्र कब्जा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) किराया खरीद आधार पर आबंटन की वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत मांग पत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने के बाद पहले महीने से (10 तारीख तक देय) किश्त का भुगतान शुरू हो जाता है। आबंटिती को मांग पत्र में उल्लिखित नियत तारीख को किश्त जमा करानी होती है चाहे फ्लैट का कब्जा दिया/लिया गया हो अथवा नहीं। यदि आबंटिती नियत तारीखों पर किश्तों का भुगतान नहीं करता है तो उसे पहले महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष और बाद के महीनों के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।

तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वे भावी आबंटिती द्वारा शपथपत्र, वचनपत्र, फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत करना और मांग पत्र के अनुसार भुगतान करने जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 60 दिन के अंदर कब्ज़ा पत्र जारी करने के लिए वचनबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी संबंधित यूनिटों को परामर्श दिया है कि भुगतान प्राप्ति और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आबंटियों को कब्जा पत्र जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करें।

अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई फिल्मी हस्तियां

3086. **श्री उत्तमराव पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बॉलीवुड सितारों और अंडरवर्ल्ड की सांठ-गांठ की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार ने बॉलीवुड सितारों और अंडरवर्ल्ड के संबंधों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) बालीवुड सितारों और अन्डरवर्ल्ड के बीच सांठ-गांठ की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई०सी०एल०) द्वारा कोयला खानें बंद किया जाना

3087. श्रीमती मिनाती सेन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सोदपुर क्षेत्र के चिनाकुरी में आठ अलाभकारी खानों और एक लाभकारी खान संख्या-2 को इस तथ्य के बावजूद बंद करने का है कि इस खान में कोयले के विशाल भंडार हैं और संतलदीही, दुर्गापुर, राऊरकेला, डी०पी०एल० जैसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०) में चिनाकुरी-II सहित पांच कोयला खानों में कार्यशील सीमों में भंडार के समापन, आर्थिक अव्यवहार्यता तथा सुरक्षा आधार पर जैसे कारणों से संकार्यों को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। चिनाकुरी-II खान में खनन संकार्य को कार्यशील सीम में भंडार के समापन के कारण स्थगित किया गया है। चार और खानों में संकार्यों को उपर्युक्त वर्णित आधार पर स्थगित किए जाने का प्रस्ताव है। संकार्य को स्थगित करने के कारण उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए इन खानों की जनशक्ति और परि-सम्पत्तियों का उपयोग निकटवर्ती संभाव्य खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। संतालडीह, दुर्गापुर, राउरकेला तथा डी०पी०एल० जैसे विद्युत उत्पादक स्टेशन को कोयला लिंकेज उत्पादन के उपर्युक्त स्थगन से प्रभावित नहीं होगा।

(ख)(I) ई०सी०एल० में उन खानों के नाम निम्नानुसार है, जिनमें उत्पादन संकार्य पहले ही स्थगित किये जा चुके हैं :–

1. समला
2. कापासारा
3. भमुरिया (परबेलिया की एक इकाई)
4. कुआरडीह 11 तथा 12 पिट
5. चिनाकुरी खान सं०-II

(II) उन खानों के नाम निम्नानुसार हैं, जिनमें भंडारों के समापन, आर्थिक अव्यवहार्यता, तथा सुरक्षा आधार जैसे कारणों से खनन संकार्यों को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव है :–

1. लाचीपुर (आर०डी० इकाई)
2. मधुसूदनपुर 3 तथा 4 पिट
3. चकबल्लवपुर
4. खोइराबाद

(ग) जिन खानों में संकार्यों को स्थगित किया गया है उनकी परिसंपत्तियों तथा श्रमिकों का उत्पादन में वृद्धि के लिए निकटवर्ती संभाव्य खानों में लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा रहा है और खानों के संकार्यों को स्थगित किए जाने के कारण श्रमिकों की कोई छंटनी नहीं होगी।

दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन

3088. श्री रामजीवन सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया गया है और इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 7 से 11 में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान तैयार करने/प्लान में संशोधन करने की प्रक्रिया विहित है। दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान तैयार किया गया था तथा 20 वर्ष की आगे की अवधि (1981 तक) के साथ 1 सितम्बर, 1962 को इसे लागू किया गया था। बाद में, दिल्ली मास्टर प्लान, 1981 में व्यापक संशोधन किये गये थे और 20 वर्ष की आगे की अवधि (2001 तक) के लिए दिल्ली मास्टर प्लान (एम०पी०डी०), 2001 के रूप में 1 अगस्त, 1990 को अधिसूचित किया गया था। 20 वर्ष की आगे की अगली अवधि (2001-2021) के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

शहर की बदलती जरूरतों के लिए मास्टर प्लान की समीक्षा करने तथा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

एन०डी०एम०सी० को देय बकाया धनराशि

3089. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री महेश्वर सिंह :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०एम०सी० ने उक्त चार होटलों से बकाया लाइसेंस शुल्क वसूल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वसूली किस तिथि को की गई;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण इन होटलों के लाइसेंस रद्द किये जाने से संबंधित नोटिस भेजे गये;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आज की स्थिति के अनुसार एन०डी०एम०सी० की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों और होटलों पर कितनी धनराशि बकाया है और यह धनराशि कब से बकाया है;

(छ) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसने लाइसेंसधारी होटलों की बकाया राशि की आंशिक वसूली कर ली है। ब्यौरे निम्नवत हैं :–

(1) **मैसर्स सी०जे० इंटरनेशनल होटल्स लि०**

150 करोड़ रुपए की धनराशि में से नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद ने न्यायालय के आदेशों के अनुसार नवम्बर, 2003 तक 26.41 करोड़ रुपए की वसूली की है।

(2) **मैसर्स प्रोमीनेंट होटल्स लि०**

14 करोड़ रुपये की धनराशि में से नवम्बर, 2003 तक 5.89 करोड़ रुपए की वसूली की गयी है।

(3) **मैसर्स ताज होटल्स लि०**

1.65 करोड़ रुपये की समग्र राशि की 2.4.2002 को वसूली की गयी है।

(4) **मैसर्ज सुनेयर होटल्स लि०**

दिनांक 3.1.2002 और 30.12.2002 की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए की समग्र धनराशि की वसूली की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि होटलों के साथ निष्पादित लाइसेंस विलेख के प्रावधानों के अनुसार पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। ब्यौरे निम्नवत हैं :–

(1) **मैसर्ज सी०जे० इंटरनेशनल**

लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके खिलाफ होटल ने माननीय दिल्ली उच्च में मामला दायर किया है। अब मामला न्यायाधीन है।

(2) **मैसर्ज प्रोमिनेंट होटल्स लि०**

लाइसेंस दिनांक 1.2.1995 को निरस्त किया गया था। होटल ने न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।

(3) **मैसर्ज ताज होटल**

चूंकि ताज होटल ने पहले ही धनराशि जमा कर दी है, अत: आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(4) **मैसर्ज सुनेयर होटल्स लि०**

चूंकि भुगतान कर दिया गया है, अत: आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(च) विभिन्न समयावधियों से संबंधित निम्नलिखित धनराशि इस समय बकाया है :–

(1) सरकारी कार्यालय	–	270.63 करोड़ रुपए
(2) गैर-सरकारी कार्यालय	–	14.73 करोड़ रुपए
(3) होटल	–	162.26 करोड़ रुपए

(छ) और (ज) जहां तक सरकारी लाइसेंस धारकों के खिलाफ बकाया राशि का संबंध है, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद ने मामला संबंधित विभाग के साथ उठाया है। गैर-सरकारी कार्यालय लाइसेंस धारकों के मामले में, बकाया राशि की वसूली के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गयी है।

[अनुवाद]

सी०पी०डब्ल्यू०डी० पार्कों का रखरखाव

3090. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागवानी विभाग दिल्ली में विशेषकर पुष्प विहार, नई दिल्ली स्थित सी०पी०डब्ल्यू०डी० पार्कों का रखरखाव जानबूझकर नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पुष्प बिहार, स्थित पार्कों सहित दिल्ली में सी०पी०डब्ल्यू०डी० के विभिन्न पार्कों का रखरखाव इसके बागवानी स्कन्ध द्वारा किया जाता है। जल की भारी कमी पार्कों में हरियाली को प्रभावित करती है।

(ग) सीवेज उपचार संयंत्र वसंत कुंज से उपचारित बहि:स्राव का उपयोग करके फिल्टर न किए गए जल की आपूर्ति बढ़ाने से जल की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा इस प्रकार सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा रखरखाव किए गए पार्कों में हरियाली में सुधार आयेगा।

[हिन्दी]

विवाह जलूस पर प्रतिबंध

3091. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने सड़क पर विवाह जलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिबंध लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुछ चुनिन्दा सड़कों के हिस्सों पर बारातों पर, 21 नवम्बर 2003 से 60 दिन की अवधि के लिए, या अवधि से पूर्व इसे हटा लिये जाने तक, रोक लगा दी है। उक्त निषेधाज्ञा यातायात में रूकावट से बचने, मानव जीवन को खतरे से बचाने तथा सार्वजनिक शान्ति कायम रखने के लिए जारी की गई है और इस प्रकार से ये किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन नहीं करते।

[अनुवाद]

दिल्ली के बुराड़ी में अप्रयुक्त भूमि

3092. **श्री रघुनाथ झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बुराड़ी गांव में 1911-12 के दौरान 215.41 करोड़ रुपये में 100.430 एकड़ भूमि खरीदी गई थी लेकिन उपरोक्त भूमि तभी से अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस भूमि को अधिग्रहित किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इसमें व्यावसायिक दोहन की संभावना का कभी भी पता नहीं लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित क्रय नीति

3093. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने अपनी क्रय नीति को संशोधित कर दिया है लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन कब किया गया और इस नीति को संशोधित करने के क्या कारण थे;

(ग) संशोधित नीति, पूर्व नीति से किस प्रकार भिन्न है;

(घ) इस नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाल ही में बनाई गई नीतियां/लिए गए निर्णय में उत्तरवर्ती प्रबंधन द्वारा कोई परिवर्तन न किया जाए, सरकार का क्या प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) पहले के अनुभव के आधार पर, केन्द्रीय भंडार ने पहले से और अधिक सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस की और तद्नुसार उसने एक नई-क्रय-नीति निर्धारित कर दी है। उपर्युक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(i) वस्तुएं, ब्रैंडिड और अन्ब्रैंडिड वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

(ii) ब्रैंडिड वस्तुएं, निर्माताओं से अथवा जहां कहीं ऐसा संभव नहीं हो, वहां निर्माताओं के प्राधिकृत वितरकों से मंगवाई जानी हैं।

(iii) अन्ब्रैंडिड वस्तुओं के संबंध में, निर्माताओं से और/अथवा प्राधिकृत वितरकों से निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं।

(iv) केन्द्रीय भंडार में वस्तुएं, निर्माताओं अथवा प्राधिकृत वितरकों, जैसी भी स्थिति हो, से अधिकतम एक वर्ष की अवधि विशेष का द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार करके विक्रय हेतु रखी जानी हैं। क्रय-नीति, 2003, कार्यान्वयन के अधीन है। प्रस्ताव/निविदाएं उपर्युक्त नीति के अनुसार आमंत्रित की गई हैं।

(ङ) किसी संगठन से संबद्ध नीति-निर्धारिण, सतत् विकसित होती रहने वाली प्रक्रिया है वह विधिवत् रूप से गठित निदेशक-मंडल द्वारा, परिस्थितियों के अनुरूप, ऐसे मुद्दों की समीक्षा की जानी तथा उनके बारे में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लि०

3094. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लि० को अपना कारोबार समेटने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष कम्पनी के पुनरूद्धार तथा प्रबंधन में बदलाव के लिए नए कोष के साथ कोई पुनर्वास प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह संकेत दिया है कि आने वाले प्रोमोटरों को किस सीमा तक राहत तथा छूट दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां। बी०आई०एफ०आर० ने कंपनी को परिसमाप्त करने के लिए संबंधितों को अपनी आपत्तियों/सुझाव पंजीकार के समक्ष दर्ज करने हेतु 5 सितंबर, 2003 को नोटिस जारी किए हैं।

(ख) बी०आई०एफ०आर० ने 18 दिसम्बर, 2003 को मामले की सुनवाई एच०ए०एल० के परिसमापन के लिए कारण बताओ नोटिस स्थगित रखते हुए, परिचालन एजेंसी (आई०डी०बी०आई०) को कतिपय निर्देश जारी किए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अलीग्रीन का उत्पादन

3095. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अलीग्रीन का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों से आयातों के पंजीकरण के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में एलेथ्रिन का एकमात्र विनिर्माता – मेसर्स एस०सी० एन्वाइरो एग्रो इंडिया प्रा०लि०, मुम्बई है।

(ग) और (घ) जी, हां। पादप संरक्षण, क्वारेनटाइन और भंडारण निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने देश में नकली कीटनाशकों के आगम को रोकने और उत्पादों की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया है।

सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देना

3096. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2002 से लेकर आज की तारीख तक वर्ष-वार, सरकारी सामान्य पूल के क्वार्टरों को किराए पर लगाने के संबंध में अनेक स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा कॉलोनी तथा सेक्टर-वार कितने क्वार्टरों की जांच की गई;

(ग) संपदा निदेशालय द्वारा पता लगाए गए किराए पर देने के मामलों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन सरकारी कॉलोनियों में इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) वर्ष 2002 (जनवरी-सितम्बर) तथा 2003 (जनवरी-नवम्बर) के दौरान सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देने की क्रमश: 617 तथा 659 शिकायतें थीं।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायतों के आधार पर और साथ ही अपनी ओर से भी संपदा निदेशालय द्वारा किराएदारी का पता लगाने के लिए सरकारी कालोनियों में 2695 क्वार्टरों (2002 में 1182 तथा 2003 में 1513) का स्थल पर निरीक्षण किया गया जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तदनुसार सूचना के अनुसार 1049 मामलों (2002 में 668 तथा 2003 में 381) में किराए पर दिए जाने का संदेह है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकारी कालोनियों में नियमित निरीक्षण के लिए संपदा निदेशालय में विशेष दल बनाए गए हैं। आवंटन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 820 दोषी आवंटियों का आबंटन रद्द कर दिया गया है तथा 712 क्वार्टर खाली कराए गए हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की शेष अवधि के लिए सरकारी क्वार्टर का पुन: आबंटन करने पर रोक लगाने के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को कहा गया है कि वे दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आचरण नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करें।

उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ सरकारी आवास के आवंटन हेतु आवेदन पत्र में प्रकाशित किया गया है कि सरकारी क्वार्टरों को किराए पर देने/दुरूपयोग किए जाने पर अनुपूरक निमय (एस०आर०) 317-बी-21 के तहत शास्ति लगाई जाएगी।

विवरण-I

वर्ष 2002 और 2003 के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा निरीक्षण किये गये सरकारी क्वार्टरों की संख्या

कालोनी	2002	2003 (30.11.2003 तक)
1	2	3
अल्बर्ट स्क्वायर	7	6
अलीगंज	6	2
एन्ड्यूजगंज	24	19
आरामबाग	40	13
बी०के०एस० मार्ग	3	9
चित्रगुप्त रोड	8	2
देव नगर	—	1
डी०आई०जेड० एरिया	71	152
हनुमान रोड	3	4
जामनगर हाऊस	3	—
जनपथ	4	—
कालीबाड़ी मार्ग	35	396
किदवई नगर	40	55
लांसर रोड	22	6
लक्ष्मी बाई नगर	7	2
लोदी कालोनी	12	9
लोदी रोड काम्पलेक्स	17	24
मंदिर मार्ग	32	18
एम०बी० रोड	243	133
मिंटो रोड	13	4
मोहम्मदपुर	9	7
मोती बाग	15	45
नानकपुरा	13	32
नौरोजी नगर	33	10
नेहरू नगर	—	1

1	2	3
नेताजी नगर	115	65
पी०के० रोड	9	6
प्रेम नगर	6	12
पी०वी० होस्टल	—	3
पूसा	—	6
आर०के० पुरम	181	162
सरोजिनी नगर	84	57
सादिक नगर	25	37
सेवा नगर	30	106
श्रीनिवासपुरी	22	6
तिमार पुर	47	77
बसंत विहार	3	26
योग	1182	1613

विवरण-II

वर्ष 2002 और 2003 के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा पता लगाये गये ऐसे सरकारी क्वार्टरों की संख्या जो किराये पर दिये गये हैं

कालोनी	2002	2003 (30.11.2003 तक)
1	2	3
अल्बर्ट स्क्वायर	—	3
अलीगंज	2	1
एन्ड्रयूजगंज	6	4
आरामबाग	15	1
बी०के०एस० मार्ग	—	1
चित्रगुप्त रोड	3	—
देव नगर	—	—
डी०आई०जेड० एरिया	20	28
हनुमान रोड	—	4
जामनगर हाऊस	—	—
जनपथ	4	—
कालीबाड़ी मार्ग	8	43
किदवई नगर	8	19
लांसर रोड	3	6
लक्ष्मी बाई नगर	2	1
लोदी कालोनी	4	2
लोदी रोड काम्पलेक्स	7	6
मंदिर मार्ग	14	4
एम०बी० रोड	220	34
मिंटो रोड	2	1
मोहम्मदपुर	1	1
मोती बाग	3	14
नार्थ वेस्ट मोती बाग	1	—
नानकपुरा	2	9
नौरोजी नगर	21	3
नेहरू नगर	—	—
नेताजी नगर	75	15
पी०के० रोड	3	2
प्रेम नगर	8	6
पी०वी० होस्टल	—	1
पूसा	—	—
आर०के० पुरम	130	28
सरोजिनी नगर	26	27
सादिक नगर	18	9
सेवा नगर	15	63
श्रीनिवासपुरी	9	4
तिमार पुर	38	27
बसंत विहार	—	14
योग	668	381

[हिन्दी]

व्यापारियों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण

3097. **डा० बलिराम :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज की तारीख तक सरकारी भूमि पर स्थापित पेट्रोल/डीजल/सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन, एल०पी०जी० एजेंसियों और गोदामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित भूमि से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यापारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसे व्यापारियों से सरकारी भूमि खाली कराकर उनके विरुद्ध कब तक सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) (I) दिल्ली प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किए गए आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i)	फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-सह सर्विस स्टेशन सहित पेट्रोल पंप स्थल	179
(ii)	सी०एन०जी० स्थल	35
(iii)	एल०पी०जी० गोदाम	256

जुलाई 2002 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 28 पेट्रोल पंप स्थलों में अतिक्रमण पाया गया जिनमें से 16 में इसे हटा दिया गया है।

(II) भूमि तथा विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि 95 स्थलों में से 40 स्थलों में अतिक्रमण है।

(III) स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग, दिल्ली नगर निगम के प्रबंधन नियंत्रणाधीन 6 पेट्रोल/डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशनों में से 3 स्थलों पर अतिक्रमण है।

(IV) छावनी बोर्ड भूमि पर केवल एक पेट्रोल पंप है जिसमें सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाना/पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी ऐसा पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली पुलिस में रिक्त पद

3098. **श्री सईदुज्जमा :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 2003 की तारीख के अनुसार दिल्ली पुलिस में श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये कब से रिक्त हैं;

(ख) रिक्तियों को भरने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सभी रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) रिक्त पदों का भरना एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, उन मामलों में जहां रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जानी है, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन/संयोजन करना; उन मामलों में, जहां पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं, उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना; शारीरिक माप परीक्षा आयोजित करना, ऐसे मामलों में, जहां अधीनस्थ पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग को सूचित करना शामिल हैं।

विवरण

क्रम सं०	रैंक/संवर्ग	30.11.2003 को रिक्त पड़े पदों की संख्या	तारीख जब से पद रिक्त पड़े हैं
1	2	3	4
1.	पुलिस उपायुक्त	6	1.6.2001 से 5 रिक्तियां 1.6.2003 से 1 रिक्ति
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	2	1.5.2003 से 2 रिक्तियां
3.	पुलिस आयुक्त/प्रणाली विश्लेषक	1	1.6.2001 से 1 रिक्ति
4.	पुलिस उपायुक्त/संचार	1	28.11.2001 से 1 रिक्ति
5.	सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यकारी	29	1.4.2003 से 3 रिक्तियां 1.5.2003 से 6 रिक्तियां 1.6.2003 से 3 रिक्तियां

1	2	3	4
			1.7.2003 से 4 रिक्तियां 1.8.2003 से 6 रिक्तियां 1.9.2003 से 1 रिक्तियां 1.10.2003 से 4 रिक्तियां 1.11.2003 से 2 रिक्तियां
6.	सहायक पुलिस आयुक्त/ मोटर ट्रांसपोर्ट	3	2.2.1987 से 2 रिक्तियां 24.1.1996 से 1 रिक्ति
7.	सहायक पुलिस आयुक्त/ परिवहन इंजीनियर	1	10.11.95 से 1 रिक्ति
8.	सहायक पुलिस आयुक्त/ संचार	1	1.1.2003 से 1 रिक्ति
9.	निरीक्षक/कार्यकारी	19	2.9.2002 से 1 रिक्ति 22.10.2003 से 3 रिक्तियां 15.1.2003 से 1 रिक्ति 28.2.2003 से 1 रिक्ति 2.7.97 से 13 रिक्तियां
10.	महिला निरीक्षक/कार्यकारी	10	1.4.2000 से 2 रिक्तियां 1.4.2001 से 1 रिक्ति 14.11.2003 से 7 रिक्तियां
11.	निरीक्षक/लिपिक वर्गीय	6	1.2.2000 से 1 रिक्ति 1.5.2003 से 1 रिक्ति 1.6.2003 से 1 रिक्ति 1.8.2003 से 1 रिक्ति 1.9.2003 से 1 रिक्ति 1.11.2003 से 1 रिक्ति
12.	निरीक्षक (आशुलिपिक)	3	21.3.2001 से 3 रिक्तियां
13.	निरीक्षक (इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेस्सर)	1	12.2.1997 से 1 रिक्ति
14.	निरीक्षक/तकनीशियन (दूरसंचार)	1	23.11.2001 से 1 रिक्ति
15.	निरीक्षक/आपरेशन (दूरसंचार)	1	2.7.1997 से 1 रिक्ति
16.	उप-निरीक्षक (कार्यकारी)	293	2.7.1997 से 74 रिक्तियां 16.9.1999 से 7 रिक्तियां
			24.5.2001 से 1 रिक्तियां 28.5.2001 से 3 रिक्तियां 7.9.2001 से 2 रिक्तियां 16.11.2001 से 1 रिक्ति 14.8.2002 से 1 रिक्ति 1.10.2002 से 6 रिक्तियां 1.11.2002 से 3 रिक्तियां 1.12.2002 से 1 रिक्ति 1.1.2003 से 15 रिक्तियां 1.2.2003 से 28 रिक्तियां 1.3.2003 से 20 रिक्तियां 1.4.2003 से 17 रिक्तियां 1.5.2003 से 25 रिक्तियां 1.6.2003 से 14 रिक्तियां 1.7.2003 से 18 रिक्तियां 1.8.2003 से 26 रिक्तियां 1.9.2003 से 8 रिक्तियां 4.9.2003 से 1 रिक्ति 1.10.2003 से 15 रिक्तियां 1.11.2002 से 5 रिक्तियां 30.11.2003 से 2 रिक्तियां
17.	उपनिरीक्षक (लिपिकवर्गीय)	10	2.7.1997 से 10 रिक्तियां
18.	महिला उप-निरीक्षक (कार्यकारी)	21	1.1.2002 से 1 रिक्ति 1.10.2003 से 2 रिक्तियां 14.11.2003 से 18 रिक्तियां
19.	उप-निरीक्षक/मुख्य की पांचिंग आपरेटर	1	01.04.2001 से 1 रिक्ति
20.	उप-निरीक्षक/इन पुट-आउट पुट सहायक	4	11.04.2002 से 2 रिक्तियां 25.07.2003 से 2 रिक्तियां
21.	उप-निरीक्षक/बैंड	2	21.06.2000 से 1 रिक्ति 08.04.2003 से 1 रिक्ति
22.	उप-निरीक्षक/फोटोग्राफर	2	21.10.1998 से 2 रिक्तियां
23.	उप-निदेशक/पर्यवेक्षीय तकनीशियन/दूरसंचार	1	7.8.2003 से 1 रिक्ति

1	2	3	4
24.	सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी)	243	15.11.01 से 27 रिक्तियां 28.3.02 से 25 रिक्तियां 1.4.02 से 7 रिक्तियां 1.6.02 से 5 रिक्तियां 1.7.02 से 5 रिक्तियां 1.8.02 से 13 रिक्तियां 1.9.02 से 6 रिक्तियां 1.10.02 से 7 रिक्तियां 1.11.02 से 6 रिक्तियां 1.12.02 से 6 रिक्तियां 1.1.03 से 4 रिक्तियां 1.2.03 से 20 रिक्तियां 1.3.03 से 12 रिक्तियां 1.4.03 से 3 रिक्तियां 1.5.03 से 7 रिक्तियां 1.6.03 से 9 रिक्तियां 1.7.03 से 13 रिक्तियां 1.8.03 से 17 रिक्तियां 1.9.03 से 26 रिक्तियां 1.10.03 से 7 रिक्तियां 1.11.03 से 6 रिक्तियां 30.11.03 से 2 रिक्तियां
25.	महिला सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी)	38	2.7.97 से 2 रिक्तियां 1.7.2000 से 8 रिक्तियां 14.11.2003 से 28 रिक्तियां
26.	सहायक उप-निरीक्षक/चालक	25	2.7.97 से 15 रिक्तियां 1.5.2003 से 2 रिक्तियां 1.6.2003 से 1 रिक्ति 1.7.03 से 2 रिक्तियां 1.8.03 से 2 रिक्तियां 1.11.03 से 1 रिक्ति 1.4.03 से 2 रिक्तियां
27.	सहायक उप-निरीक्षक/रेडियो तकनीशियन (दूरसंचार)	16	2.7.97 से 2 रिक्तियां 10.11.2000 से 2 रिक्तियां 3.4.2002 से 2 रिक्तियां 31.12.02 से 1 रिक्ति 09.01.03 से 3 रिक्तियां 28.02.03 से 1 रिक्ति 1.7.03 से 1 रिक्ति 3.7.03 से 1 रिक्ति 24.09.03 से 1 रिक्ति 16.10.03 से 1 रिक्ति 30.11.03 से 2 रिक्तिया
28.	सहायक उप-निरीक्षक/कार्यशाला सहायक	11	2.7.1997 से 2 रिक्तियां 8.3.2000 से 2 रिक्तियां 12.11.2001 से 6 रिक्तियां 31.5.2003 से 2 रिक्त
29.	सहायक उप-निरीक्षक/(मोटर ट्रांसपोर्ट/ऑपरेशन्स)	3	10.2.1998 से 1 रिक्ति 14.4.2000 से 2 रिक्तियां
30.	सहायक उप-निरीक्षक (मोटर ट्रांसपोर्ट)/वाहन	3	17.4.2003 से 2 रिक्तियां 4.11.2003 से 1 रिक्ति
31.	सहायक उप-निरीक्षक/वायरलैस/ऑपरेटर	22	1.8.02 से 2 रिक्तियां 18.9.02 से 13 रिक्तियां 5.12.02 से 1 रिक्ति 3.1.03 से 3 रिक्तियां 18.9.03 से 3 रिक्तियां
32.	सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकवर्गीय)	2	2.7.1997 से 2 रिक्तियां
33.	महिला/हैड कांस्टेबल (कार्यकारी)	112	12.11.2003 से 112 रिक्तियां
34.	मोटर ट्रांसपोर्ट मोटर मैकेनिक	2	22.7.2002 से 1 रिक्ति 4.10.2002 से 1 रिक्ति
35.	सहायक वायरलैस ऑपरेटर	102	1.5.2000 से 15 रिक्तियां 7.8.2000 से 3 रिक्तियां 4.10.2000 से 4 रिक्तियां 14.11.2000 से 2 रिक्तियां 2.1.2001 से 4 रिक्तियां 1.2.2001 से 4 रिक्तियां 5.3.2001 से 2 रिक्तियां 4.4.2001 से 1 रिक्ति 4.7.2001 से 2 रिक्तियां 8.8.2001 से 20 रिक्तियां

1	2	3	4
			4.9.2001 से 3 रिक्तियां 11.9.2001 से 1 रिक्ति 15.10.2001 से 1 रिक्ति 14.11.2001 से 1 रिक्ति 9.11.2001 से 3 रिक्तियां 28.11.2001 से 1 रिक्ति 11.2.2002 से 8 रिक्तियां 14.2.2002 से 2 रिक्तियां 5.3.2002 से 5 रिक्तियां 8.4.2002 से 2 रिक्तियां 17.4.2002 से 1 रिक्ति 6.5.2002 से 1 रिक्ति 20.5.2002 से 1 रिक्ति 12.8.2002 से 4 रिक्तियां 3.1.2003 से 4 रिक्तियां 7.8.2003 से 7 रिक्तियां
36.	हैड कांस्टेबल (बैंड)	7	12.6.2003 से 7 रिक्तियां
37.	फोटोग्राफर	17	3.11.1987 से 17 रिक्तियां
38.	चालक	60	10.2.2000 से 1 रिक्ति 1.5.2000 से 1 रिक्ति 25.1.01 से 1 रिक्ति 1.8.01 से 1 रिक्ति 2.11.01 से 5 रिक्तियां 12.11.2001 से 12 रिक्तियां 19.11.2001 से 1 रिक्ति 23.8.2002 से 36 रिक्तियां 31.10.2002 से 1 रिक्ति 2.11.2002 से 1 रिक्ति
39.	आकस्मिक सेवा तकनीशियन	13	30.9.2001 से 1 रिक्ति 26.11.2001 से 5 रिक्तियां 29.12.2001 से 1 रिक्ति 31.12.2001 से 1 रिक्ति 25.2.2002 से 1 रिक्ति 21.12.2002 से 1 रिक्ति 27.12.2002 से 3 रिक्तियां
40.	मोटर ट्रांसपोर्ट/मोटर मैकेनिक	24	26.11.2001 से 23 रिक्तियां 25.10.2002 से 1 रिक्ति
41.	आर्मर	6	1.11.2001 से 2 रिक्तियां 1.7.2002 से 1 रिक्ति 1.8.2002 से 1 रिक्ति 13.8.2001 से 1 रिक्ति 6.3.2003 से 1 रिक्ति
42.	महिला (कांस्टेबल)	157	29.10.2003 से 157 रिक्तियां

क्लर्कों की भर्ती पर रोक

3099. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वैंकटेश नायक :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलर्कों की भर्ती बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने क्लर्कों की भर्ती की गई है;

(घ) भर्ती पर रोक लगाने के फलस्वरूप कितनी राशि की बचत होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार निचले स्तर के रोज़गारों की क़ीमत पर उच्च पद सृजित कर रही है;

(च) उच्च पदों के सृजन पर रोक न लगाने के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या क़दम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा की पुनर्संरचना किए जाने की कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में जहां केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा में अवर

श्रेणी-लिपिकों की नई सीधी भर्ती की जानी बंद कर दी गई है, वहीं उपर्युक्त सेवा के अवर श्रेणी-लिपिक-ग्रेड में 15 प्रतिशत रिक्ति पद, समूह 'घ' कर्मचारियों की 70 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने और 30 प्रतिशत उनकी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरे जाने हेतु उद्दिष्ट कर दिए गए हैं।

(ग) कर्मचारी-चयन-आयोग द्वारा संचालित की गई मैट्रिक स्तर की संयुक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर, वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान 503 उम्मीदवार, केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी-लिपिक-ग्रेड में, अवर श्रेणी-लिपिक के रूप में सीधी भर्ती किए जाने के लिए संस्तुत किए गए।

(घ) यह अनुमान है कि केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी-लिपिक-ग्रेड में अवर श्रेणी-लिपिकों की सीधी भर्ती करना बंद कर दिए जाने से, आरंभ में लगभग 09 करोड़ रुपए की बचत और उत्तरवर्ती अवधि में अत्यधिक धनराशि की बचत होगी।

(ङ) और (च) पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है जिसमें उच्चतर स्तर के पद भी शामिल हैं। फिर भी, आपवादिक मामलों में नए पदों के सृजन पर, जहां कहीं सभव हों, वहां अन्य बातों के साथ-साथ, पदों से जुड़े काम-काज के औचित्य के आधार पर और पदों के सृजन पर संभावित खर्च के बराबर बचत मुहैया करवाए जाने की शर्त पर विचार किया जा सकता है।

(छ) रोजगार मुहैया करवाने की बहुत-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका लाभ युवाओं को भी सुलभ है। उपर्युक्त योजनाओं में प्रधान मंत्री-रोज़गार-योजना, जवाहर ग्राम-समृद्धि-योजना, प्रधान मंत्री-ग्राम-सड़क-योजना, स्वर्ण जयंती-ग्राम-स्वरोजगार-योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार-योजना और ग्रामीण रोजगार-सृजन कार्यक्रम शामिल हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार को डी०डी०ए० फ्लैटों का आबंटन

3100. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 31.03.2003 की तारीख के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में डी०डी०ए० कालोनियों में उचित दर की दुकानें खोलने हेतु केन्द्रीय भंडार को कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार ने वर्ष 2003 के दौरान अपनी उचित दर की दुकानों में राशन के सामान का वितरण करना बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो डी०डी०ए० द्वारा केन्द्रीय भंडार प्रबंधन से आज की तारीख तक ऐसे सभी डी०डी०ए० फ्लैटों को उनके द्वारा खाली करने को न कहने के क्या कारण हैं; और

(घ) डी०डी०ए० द्वारा केन्द्रीय भंडार से फ्लैटों को कब तक खाली कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने उचित दर की दुकानें खोलने के लिए केन्द्रीय भंडार को कोई फ्लैट आबंटित नहीं किया है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार ने सूचित किया है कि उन्होंने मई, 2003 से अपनी उचित दर की दुकानों के जरिए राशन के सामान का वितरण बंद कर दिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया के मूल्य में वृद्धि

3101. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया और अन्य उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी संगठन/राज्य सरकारों से उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) यूरिया का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) और अन्य उर्वरकों का निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य 28.2.2002 को निर्धारित किए गए थे। यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के 28.2.2003 से प्रभावी अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक मूल्य वृद्धि को 12.3.2003 से वापस ले लिया गया था और अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक खुदरा मूल्यों को 28.2.2002 से निर्धारित किए गए स्तर पर ही रखा गया है। वर्ष 1999-2000 से प्रमुख रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य नीचे तालिका में दिए गए हैं :–

रुपये प्रति मी० टन

अवधि	यूरिया		डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)		म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी)	
	बिक्री मूल्य	से लागू	बिक्री मूल्य	से लागू	बिक्री मूल्य	से लागू
1999-2000	4600	29.2.2000	8900	29.2.2000	4255	29.2.2000
2000-2001	2000-01 के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई					
2001-2002	4830	28.2.2002	9350	28.2.2002	4455	28.2.2002
2002-2003	4830	27.12.2003 तक	9350	27.2.2003 तक	4455	27.2.2003 तक
	5070	28.2.2003 से 11.3.2003 तक	9550	28.2.2003 से 11.3.2003 तक	4655	28.2.2003 से 11.3.2003 तक
	4830	12.3.2003 से आज की तारीख तक	9350	12.3.2003 से आज की तारीख तक	4455	12.3.2003 से आज की तारीख तक

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

3102. श्री एम०के० सुब्बा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर 2003 को उप-प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय बैठक में बाढ़ और सूखा प्रभावित विभिन्न राज्यों को सहायता देने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो असम सरकार द्वारा दिए गए बाढ़ राहत उपायों के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों विशेषकर असम को बाढ़ राहत हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(घ) कुछ राज्यों जैसे असम सरकार द्वारा मांगी गई राहत में कटौती करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) असम, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से बाढ़ से निपटने के लिए तथा कर्नाटक से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सहायता देने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए 3 अक्टूबर 2003 को उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

(ख) असम सरकार ने वर्ष 2003 में आयी बाढ़ के कारण अवसंरचनात्मक ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत और पुनर्स्थापना उपायों के लिए 1134.45 करोड़ रु० की सहायता देने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) केवल उड़ीसा के मामले में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन०सी०सी०एफ०) से 104.43 करोड़ रु० तक की अतिरिक्त सहायता रिलीज करने की मंजूरी दी गई है।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राहत सहायता की मौजूदा स्कीम के अनुसार सी०आर०एफ० तथा एन०सी० सी०एफ० से प्राप्त धनराशि पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने तथा राहत अभियानों से वास्तविक रूप से जुड़े तात्कालिक किस्म के अवसंरचनात्मक ढांचे की मरम्मत/पुनर्स्थापना करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त एन०सी०सी०एफ० से सहायता, सी०आर०एफ० में पहले से उपलब्ध निधि को मद्देनजर रखते हुए रिलीज की जाती है। जिसके लिए केन्द्र सरकार 75% अंशदान करती है। समिति ने असम के लिए बाढ़ राहत उपायों के लिए 70.72 करोड़ रु० की सहायता मंजूर की। तथापि असम सरकार के पास सी०आर०एफ० के संग्रह निधि में 158.61 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध थी तथा धनराशि की इस पर्याप्त उपलब्धता के कारण एन०सी०सी०एफ० से कोई अतिरिक्त सहायता रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों को राजसहायता

3103. श्री महेश्वर सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में 'सुपर सिंगल फास्फेट' के नाम पर विभिन्न उर्वरक इकाइयों को संयंत्रवार कुल कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) वर्तमान में उर्वरक इकाइयों द्वारा इकाईवार कितनी राजसहायता की मांग की जा रही है;

(ग) क्या विभाग ने प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा सुपर सिंगल फास्फेट के उत्पादन तथा बाजार में बेची गई सुपर सिंगल फास्फेट की मात्रा के संबंध में तथ्यों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) उर्वरक विभाग नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों तथा सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०) की बिक्री पर रियायत योजना क्रियान्वित कर रहा है। एस०एस०पी० के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा बिक्री की मात्रा के सत्यापन के आधार पर मूल्य रियायत की एक निश्चित धनराशि (राजसहायता) सरकार द्वारा जारी की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान एस०एस०पी० की बिक्री पर अदा की गई कंपनी-वार रियायत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० के तत्वावधान में तकनीकी लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रकोष्ठ (टी०ए०सी०) का गठन, रियायत दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया पर उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 17.5.2001 को जारी दिशानिर्देशों के तहत किया गया है। टी०ए०सी० को रियायत दावों के लिए पात्र होने के नाते से इस योजना में शामिल होने से पहले एक एस०एस०पी० संयंत्र का तकनीकी निरीक्षण करने के अलावा, एस०एस०पी० उत्पादकों की छमाही प्रौद्यो-वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा करने का कार्य भी सौंपा गया है। छमाही लेखा परीक्षा निरीक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ एस०एस०पी० उत्पादन के लिए कच्चे माल और उपयोगिताओं की खरीद और खपत तथा इसकी बिक्री शामिल है। लेखा परीक्षा मुख्य रूप से दावाकर्त्ता की सत्यवादिता पर निगरानी के रूप में कार्य करती है। तथापि, रियायत दावे का अंतिम निपटान संबद्ध राज्य सरकार द्वारा एस०एस०पी० की बिक्री की सत्यापित मात्रा पर आधारित होता है। टी०ए०सी० ने पहले ही एस०एस०पी० उत्पादकों के लिए अक्तूबर, 2001 से सितम्बर, 2003 तक शुरू होने वाली अवधि के लिए छमाही निरीक्षण कर लिया है।

विवरण

(राज्य से बिक्री के सत्यापन की प्राप्ति पर मात्रा एवं भुगतान दोनों संशोधन के अधीन है)

क्रम सं०	कंपनी का नाम	2001-02		2002-03		2003-04 (नवम्बर, 2003 तक)	
		मात्रा (मी० टन में)	दी गई (लाख रु० में)	मात्रा (मी० टन में)	दी गई (लाख रु० में)	मात्रा (मी० टन में)	दी गई (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्रा शुगर्स लि०	26154.00	183.08	26615.5	150.38	24561	135.70
2.	अरावली फास्फेट लि०	10104.50	70.03	16498.5	104.49	20598.3	113.81
3.	अरीहन्त फर्टिलाइज़र्स एवं केमिकल्स लि०	867.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	अरीहन्त फास्फेट एंड फर्टिलाइज़र्स लि०	33908.55	232.18	32606.75	198.23	24336.35	106.79
5.	आशा फास्फेट लि०	0.00	0.00	1451	7.38	0.00	0.00
6.	एशियन फर्टिलाइजर्स लि०	1102.70	6.70	31345.8	186.27	40763.65	205.13
7.	बसंत एग्रो टेक (इंडिया) लि०	53324.30	369.38	48553.4	313.18	41359	215.74
8.	बीईसी फर्टिलाइज़र, पुलगांव	124058.01	842.15	143674.9	879.86	97301.4	537.69
9.	भारत फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ लि०	16013.80	111.14	21681	132.85	10427	57.61
10.	बोहरा इंडस्ट्रीज़ लि०	76875.07	504.94	95166.86	549.82	42596	235.34
11.	केमटेक फर्टिलाइजर्स लि०	2493.00	17.42	12504	81.28	11421	57.86

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कोयम्बटूर पायनियर फर्टिलाइज़र लि०	36654.95	254.27	39858.4	258.81	26690	149.83
13.	धरमसी मोरारजो केमिकल्स कंपनी लि०	241192.10	1663.42	263307.05	1607.40	115610.65	638.75
14.	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०	113369.70	785.07	101950.3	650.62	68497.4	400.71
15.	गायत्री स्पीनर्स लि०	7420.85	51.13	10206.85	61.76	12309.05	42.49
16.	हिंद लीवर केमिकल्स लि०	168646.25	1039.53	122681.45	774.25	62010.4	362.76
17	जयश्री केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	46173.4	319.25	85605	554.66	32558.5	180.26
18.	जयराम फास्फेट्स लि०	35437.30	223.96	36063.25	231.81	31037.9	179.50
19.	जुबिलेंट ऑर्गोनोनिस लि०	175803.65	1114.54	124526.9	693.04	91218.1	444.50
20.	काशी उर्वरक लि०	689.50	4.10	704	3.89	0	0.00
21.	खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० (I)	147587.05	927.12	145872.25	880.98	221365.25	982.44
22.	खेतान फर्टिलाइजर्स	49247.25	283.95	22700.45	110.78	0	0.00
23.	कोठारी इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लि०	5603.69	38.52	810.5	4.79	0	0.00
24.	कृष्णा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०	17778.90	123.50	20791.15	135.14	17110	94.53
25.	लिबर्टी फास्फेट लि०	220208.09	1443.01	210301.3	1273.14	156763.5	891.31
26.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि०	11437.85	72.23	6480.35	35.80	0	0.00
27.	मध्य प्रदेश आर्गोकेम लि०	4809.50	30.50	1401.15	7.74	0	0.00
28.	महादेव फर्टिलाइजर्स लि०	6965.90	37.93	7923.85	43.47	0	0.00
29.	महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेव० कारपोरेशन लि०	21155.41	147.21	0	0.00	0	0.00
30.	मंगलम फास्फेट लि०	11688.60	65.51	7782.60	43.00	1001	4.94
31.	मार्डिया केमिकल्स लि०	51540.22	342.69	14359	38.80	0	0.00
32.	मेक्सिकन	2305.00	16.14	0	0.00	0	0.00
33.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स लि०	3294.50	21.20	3386	18.71	273	0.33
34.	नर्मदा एग्रो केमिकल्स प्रा०लि०	188.00	1.30	1090	7.09	0	0.00
35.	नटराज आर्गेनिक्स लि०	1526.00	8.88	360	1.99	105.5	0.58
36.	निरमा लि०	70550.15	442.75	94287.31	568.74	38913.47	219.22
37.	ओरियन्टल कार्बन एंड केमिकल्स लि०	2070.00	14.49	30	0.20	0	0.00
38.	फास्फेट कंपनी लि०	50481.90	349.62	79714.9	507.40	55542.5	306.87

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	प्रगति फर्टिलाइजर्स लि०	24044.45	167.92	10027	64.30	10364.8	57.27
40.	प्रत्यूष केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	40832.05	249.22	29508.4	189.60	10862.25	60.01
41.	प्रेम सखी फर्टिलाइजर्स लि०	15529.30	89.80	22783.85	128.95	23277.5	128.87
42.	प्रियंका फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	8179.75	57.17	9000.8	58.51	6797.25	30.79
43.	पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	1317.15	1.17	1058.9	5.97	0	0.00
44.	राशि फर्टिलाइजर्स	15257.90	82.81	2087	11.45	0	0.00
45.	राजलक्ष्मी एग्रोटेक इंडिया लि०	8905.00	60.22	2619	14.47	0	0.00
46.	रामा कृषि रसायन लि०	88736.25	602.11	67934.65	430.01	47438.4	262.10
47.	रामा फास्फेट्स लि०	189592.80	1280.66	157476.05	957.43	121620.75	610.81
48.	रेवती मिनरल्स एंड केमिकल्स लि०	3128.75	20.62	1846.55	11.00	0	0.00
49.	साधना फास्फेट्स एंड केमिकल्स प्रा० लि०	52956.75	349.81	9161.85	54.52	8449	22.70
50.	शिव फर्टिलाइजर्स लि०	51113.00	354.79	61999.45	390.25	43906	242.58
51.	श्री एसिड्स एंड केमिकल्स लि०	14678.35	80.85	7472.75	41.29	0	0.00
52.	श्रीजी फास्फेट्स लि०	25391.75	177.74		0.00	0	0.00
53.	श्री भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०	6265.00	43.82	10640.5	63.55	6784	37.48
54.	श्री गणपति फर्टिलाइजर्स लि०	2168.00	10.95	631	3.08	0	0.00
55.	शूरवी कलर केमिकल्स लि०	4457.82	29.38	5754	33.61	4795	22.85
56.	सोना फास्फेट्स लि०	573.00	2.17	342	1.73	143.5	0.00
57.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स लि०	693.25	4.12	631	3.08	0	0.00
58.	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि०	48861.25	282.63	71215.05	393.48	0	0.00
59.	सुभोष्या केम्स लि०	15231.70	106.36	13285.5	76.75	6193.92	34.22
60.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	18756.40	118.69	22732.5	112.30	19046.7	105.23
61.	टेडको ग्रेनाइट लि०	10544.30	61.43	69	0.45	2444	13.50
62.	तीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज़ लि०	121424.6	822.46	104055.1	642.62	30134.45	167.19
63.	तुंगभद्रा फर्ट्स एंड केम्स क० लि०	18924.867	130.55	13880.75	84.96	14265	78.81
	कुल योग	2636292.07	17351.91	2458504.37	14891.08	1600892.44	8439.12

गैर-सरकारी संगठनों हेतु अनुदान

3104. श्री राजो सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा युवकों से संबंधित कार्यक्रम चलाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-04 में बिहार और झारखंड के गैर-सरकारी संगठनों से युवकों से संबंधित कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) पूरे देश से काफी संख्या में गैर-सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) युवा संबंधी योजनाओं और इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते आ रहे हैं। इन संगठनों में राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन तथा साथ ही साथ सम्बन्धित राज्यों में स्थित स्थानीय स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान, ऐसे कुल 608 संगठनों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। इनमें से 66 बिहार में और 5 झारखण्ड में स्थित थे।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत, बिहार और झारखण्ड से क्रमश: 220 और 74 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 87 प्रस्तावों (59 बिहार से और 28 झारखण्ड से) को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (आई०पी०सी०) में संशोधन हेतु सम्मेलन

3105. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वाइसिस अगेंस्ट सेक्शन 377' द्वारा नवम्बर, 2003 में महिला समूहों, बाल अधिकारों, स्वास्थ्य और मानवाधिकार संगठनों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 को रद्द करने का सुझाव दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों जैसे साक्षी, इन्टरवेंशन फार सपोर्ट, हीलिंग एण्ड अवयेरनेस (आई०एफ०एस०एच०ए०) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एशोसिएशन (ए०आई०डी०डब्ल्यू०ए०) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एन०सी०डब्ल्यू०) के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् विधि आयोग ने "बलात्कार कानूनों की पुनरीक्षा" पर अपनी 1.72वीं रिपोर्ट में धारा 375 में अपराध के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए और इसे लिंग के आधार पर समान बनाने के लिए परिवर्तन करने की सिफारिश की है। धारा 376 और 376क से 376घ में अन्य अनेक परिवर्तनों और गैर-कानूनी यौन संबंध से निपटने के लिए एक नई धारा 376ङ को जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों के मद्देनजर, विधि आयोग की यह राय है कि धारा 377 को हटाया जाना चाहिए।

विधि आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार जानने के लिए उन्हें भेजा गया है क्योंकि दाण्डिक कानून और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं। चूंकि काफी सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर गहन अध्ययन और सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है इसलिए, इस संबंध में, इस स्तर पर कोई विशिष्ट समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

हुडको का कार्य-निष्पादन

3106. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में हुडको के कार्य-निष्पादन का अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार/हुडको ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जलगांव नगरपालिका को विभिन्न योजनाओं के लिए दी गई राशि में से कटौती/वसूली करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) विभिन्न राज्यों में स्थित जोनल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) दिनांक 11.12.2003 की स्थिति अनुसार जलगांव नगरपालिका ने आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) को मूल और ब्याज की अदायगी के लिए बकाया कुल 8426.22 लाख

रु० की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) ने मामले को जलगांव नगर निगम और राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर उठाया है। तथापि, अभी तक महाराष्ट्र सरकार की अन्य स्कीमों से ऋणों की कटौती/वसूली का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हेतु प्रशिक्षण

3107. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अकादमी में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त अकादमी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक कब तक पहुंच पाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय द्वारा अकादमी को औद्योगिक सुरक्षा में प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम संस्थान के रूप में घोषित किया गया है और अकादमी में विशिष्टकृत विशेषज्ञता सहित अधुनातन उपकरण उपलब्ध हैं। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन एक हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

अधिकारियों की निगरानी

3108. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर निगरानी रखने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा निगरानी आरंभ करने से पहले अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा उक्त निगरानी को आरंभ करने से पहले सरकार को सूचित करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या आश्वासन दिया गया है कि अत्यधिक निगरानी से प्राइवेसी में कमी नहीं आएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) राजपत्रित अधिकारियों की ईमानदारी अथवा सत्यनिष्ठा के बारे में शिकायतें मिलने, शंका अथवा संदेह होने पर, निवारक सतर्कता के एक साधन के रूप में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को इन अधिकारियों के आचरण पर शान्त, निश्चल, गुप्त और निर्बाध रूप से नजर रखने दी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सतर्कता-अधिकारियों से परामर्श करके, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसी सूचियां, सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके तैयार की जाती हैं।

(घ) इस बारे में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा संदिग्ध अधिकारियों के आचरण पर शान्त, निश्चल, गुप्त और निर्बाध रूप से नजर रखे जाने से उनकी प्राइवेसी में किसी प्रकार से कमी नहीं आती।

आर०डब्ल्यू०ए०/केन्द्रीय भण्डार में चुनाव की अनुमति

3109. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर०डब्ल्यू०ए०/केन्द्रीय भण्डार जैसे चुनावों में खड़े होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा उनके विभागों से पूर्वानुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उक्त अनुमति को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन की छानबीन के पहले प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त नामांकन को उक्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति में रद्द कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डार में निर्वाचन निदेशकों के पद पर आसीन और केंद्रीय भण्डार के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे सरकारी सेवकों ने अपने नामांकन की छानबीन से पूर्व निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु मंत्रालय के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासी कल्याण-संघ, केन्द्रीय-भण्डार इत्यादि के किसी पदाधिकारी के, चुनाव के माध्यम से भरे जाने वाले पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु पहले से अनुमति ली जानी अपेक्षित है। मान्यता-प्राप्त आवासी-कल्याण-संघों के पदाधिकारियों के चुनाव, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा निर्धारित मानक संविधान के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त चुनाव लड़ने के लिए, सरकार से पहले से अनुमति लिया जाना, एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित नहीं होता और सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी अनुमति/ऐसे अनापत्ति-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जोर नहीं दिया जाता। केन्द्रीय भण्डार के निदेशक-मण्डल के चुनाव, बहुत राज्य-सहकारी संघ, अधिनियम, 2002 के अनुरूप, केन्द्रीय भण्डार द्वारा अंगीकार किए गए उप नियमों के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। उपर्युक्त उप नियमों में, निर्वाचन अधिकारी को, सरकार द्वारा जारी की गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(घ) से (च) किसी सरकारी कर्मचारी को, चुनाव के माध्यम से भरा जाने वाला पद धारण करने की अनुमति दिए जाने के बारे में निर्णय, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उस मंत्रालय/विभाग/संगठन के उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत हो।

इंदिरा आवास योजना/प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गृहों का निर्माण/उन्नयन

3110. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृहों के निर्माण एवं उनके उन्नयन हेतु धन प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लाभार्थियों को गृहों के निर्माण और इनके उन्नयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार चेक अथवा नकद के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों के गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों की आवासीय इकाइयों का निर्माण करने तथा वर्तमान खराब कच्चे मकानों की मरम्मत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। नए मकान के निर्माण के लिए मैदानी एवं पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई क्रमश: 20,000 रुपए एवं 22,000 रुपए की दर से सहायता दी जाती है। खराब कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए भी प्रति इकाई 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है।

ग्रामीण आश्रय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छ: घटकों में से एक है। राज्य की वार्षिक योजना में ग्रामीण आश्रय सहित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत योजना आयोग अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वयं की योजना की प्राथमिकताओं और विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छ: घटकों के बीच अपने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के आन्तरिक आबंटन के संबंध में निर्णय लेने की छूट है। हालांकि, अपनी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का 15 प्रतिशत आबंटन उन्हें पोषण घटक के लिए अभिनिर्धारित करना होता है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटकों में राज्यों के सामान्य आबंटन से बिल्कुल अलग होना चाहिए जैसा कि राज्य की योजना में परिलक्षित किया गया है। इंदिरा आवास योजना के अनुसार ही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (आवास) के अंतर्गत सहायता की पद्धति एकसमान है।

(ख) और (ग) इंदिरा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (आवास) के अंतर्गत सहायता की पद्धति, जैसा कि उपरोक्त (क) के उत्तर में बताया गया है, को अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सहित समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाया जाता है। सहायता या तो नकद या चेक द्वारा दी जा सकती है।

अन्तर्राज्यीय पलायन

3111. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय पलायन के स्तर का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों को पदोन्नति

3112. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अपना दिनांक जनवरी 21, 2002 का कार्यालय-ज्ञापन संख्या 20011/2/2001-स्थापना (डी), जनवरी 30, 1997 से, भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के बारे में, दिनांक 21.01.2002 के आदेश, जहां कहीं लागू किए जाने योग्य थे, वहां जनवरी 30, 1997 से, पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित कर दिए गए हैं। इस मंत्रालय के दो संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने उपर्युक्त आदेश कार्यान्वित करके, अपने संबंधित कर्मचारियों की वरिष्ठता, क्रमश: 06.02.2002 और 08.03.2002 को संशोधित कर दी है।

सरकारी स्थान अधिनियम, 1971

3113. **श्री अजित कुमार पांजा** :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें किराएदार को बदलने, किराएदार को हटाने अथवा बेदखल करने को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल के स्तर पर उठाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार स्थान अधिनियम, 1971 के बहाने अप्राधिकृत अधिभागियों के रूप में बेदखली के द्वारा किराएदार में कोई उक्त परिवर्तन किया गया था;

(ङ) क्या उपरोक्त आदेश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा संपदा अधिकारियों के न्यायालय के समक्ष लंबित पड़े सभी मामलों की समीक्षा करना और दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्देशित अन्य आधार पर मूल किराएदार के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही को वापस लेना उनका कर्तव्य होगा; और

(च) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा लंबित मामलों की संख्या कितनी है और आज तक की तिथि के अनुसार इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार और मामलेवार क्या परिणाम निकले?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ये दिशा-निर्देश भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में दिनांक 8.6.2002 को (असांविधिक संकल्प के रूप में) प्रकाशित किए गए हैं तथा इनकी प्रतियां केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दी गई हैं।

(ग) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि की संपत्तियों को लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 में "लोक परिसर" की परिभाषा में शामिल किया गया है। अत: संबंधित संगठन अपनी-अपनी संपत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार किरायेदारी में परिवर्तन, किरायेदारों की बेदखली, बेदखली प्रक्रिया की समीक्षा आदि मामले संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि द्वारा सांविधिक प्रावधानों और असांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करना उन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का उत्तरदायित्व है जिनका उक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि पर प्रशासनिक नियंत्रण है। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नियुक्त सम्पदा अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत उस जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसमें वह परिसर स्थित है।

विवरण

भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में दिनांक 8 जून, 2002 को प्रकाशित दिशा-निर्देश

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं के नियंत्रणाधीन लोक परिसरों से वास्तविक किरायेदारों की बेदखली की शक्तियों के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिसूचित करने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है।

लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 [पी०पी० (ई०) एक्ट, 1971] की धारा 3 के अनुसार नियमों संपदा अधिकारियों द्वारा लोक परिसरों से वास्तविक किरायेदारों की बेदखली की शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोकने और उनकी शक्तियों के उपयोग को सीमित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का निर्णय लिया है :–

(i) लोक परिसर (बदखली) अधिनियम, 1971 पी०पी० (ई०) एक्ट, 1971 के प्रावधानों का उपयोग मुख्यत: सार्वजनिक प्राधिकरणों के परिसरों के नितांत अनधिकृत दखलकारों अथवा उपकिरायेदारों अथवा उन कर्मचारियों जो कि सेवा में न होने के कारण दखल हेतु अपात्र हैं, की बेदखली के लिये ही प्रयोग करना चाहिये।

(ii) जहां पर परिसर वास्तविक किरायेदार के दखल में हो तथा, जिसे वह परिसर लोक परिसर प्राधिकारियों या जिस व्यक्ति से परिसर का अर्जन किया गया था, से प्राप्त हुआ हो, के संबंध में लोक (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का प्रयोग न तो व्यावसायिक उद्देश्य से तथा न ही उनके अपने कर्मचारियों के लिए खाली परिसर का दखल पाने के लिए किया जाना चाहिए।

(iii) किसी परिसर के दखलकार किसी व्यक्ति को किरायेदारी समाप्ति का नोटिस देने के आधार पर अनधिकृत दखलकार नहीं माना/घोषित नहीं किया जाना चाहिये। अनधिकृत दखल से संबंधित सच्चाई का निर्णय वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिये। आगे संविदागत सहमति को लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का लाभ लेकर समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। इसी के साथ लोक प्राधिकारी प्रत्येक राज्य के किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर किराये को परिशोधित करने या दखल प्राप्त करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रामाणिक आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे शब्दों में, लोक प्राधिकारियों को वास्तविक वैध किरायेदारों के संबंध में किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत प्राइवेट मकान मालिकों के समतुल्य अधिकार होंगे।

(iv) यह आवश्यक है कि इन आरोपों के लिए कोई स्थान न छोड़ा जाए कि किराये में अनुचित वृद्धि के प्रयोजन से चुने हुए मामलों में बेदखली की गयी अथवा किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्थान को लाभ पहुंचाने के लिए किरायेदारी में बदली की अनुमति दी गयी। ऐसे आरोपों अथवा विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिसरों को रिलीज करने अथवा किरायेदारी में बदली का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल स्तर पर किया जाना चाहिये।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम संपदा अधिकारी के समक्ष अथवा न्यायालयों में लम्बित सभी मामलों का इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में पुनर्विलोकन करें तथा इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथा उपबंधित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर वास्तविक किराएदारों के खिलाफ चल रही बेदखली की कार्रवाई को वापस ले लें। पी०पी०(ई०) एक्ट, 1971 के उपबंधों को अब से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रयुक्त किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या

3114. श्री परसुराम माझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या से निपटने हेतु कोई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के संबंध में गठित संचालन समिति ने ग्रामीण जल आपूर्ति में मांग युक्त दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है जिसमें सरकार की भूमिका प्रदाता की बजाए सुसाधक की होगी। इसके लिए ग्रामीणों को अधिकारसंपन्न बनाने पर बल दिया गया है ताकि योजना बनाने से लेकर उसकी रूपरेखा तैयार करने, स्थिति, कार्यान्वयन और प्रबंधन तक सभी स्तरों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जल संरक्षण, वर्षाजल एकत्रीकरण, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से चालू करने, बेकार जल की रिसाइक्लिंग आदि पर भी बल दिया गया है।

भारत सरकार ने 67 चुने गए जिलों में क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार किए हैं, जिसे अब निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर स्वजलधारा के रूप में आगे बढ़ाया गया है :–

– ग्रामीणों को अधिकार संपन्न बनाने के आधार पर मांग आधारित और अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाना ताकि स्कीम डिजाइन के चयन, वित्तों के नियंत्रण और प्रबंधन व्यवस्था में निर्णय लेते हुए परियोजना में उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

– सरकार की भूमिका को प्रत्यक्ष सेवा सुपुर्दगी से आयोजना, नीति निर्माण, निगरानी और शिक्षा एवं आंशिक वित्तीय सहायता में बदलना।

– नगद या किसी अन्य रूप में या दोनों रूपों में आंशिक लागत वहन करना और उपभोक्ताओं द्वारा संचालन एवं प्रबंधन की शत-प्रतिशत जवाबदेही।

एन०डी०एस०आई० और हाऊस कीपिंग पर हुआ व्यय

3115. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा नेशनल डिसीपलिन स्कीम इंस्ट्रक्टर और हाऊस कीपिंग कर्मचारियों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2003 तक राजस्थान सरकार द्वारा एन०डी०एस०आई० कार्यक्रम और हाऊस कीपिंग कर्मचारियों पर व्यय किए गए 42.69 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बकाया धनराशि की शीघ्र प्रतिपूर्ति करने हेतु राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि की प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) वर्ष 1972 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को राष्ट्रीय अनुशासन योजना के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने एन०डी०एस०आई० स्टाफ के वेतन और भत्तों पर राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने की वचनबद्धता की थी। इस प्रकार राजस्थान सरकार ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है।

(ख) से (घ) राजस्थान राज्य सरकार से 42.69 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और अन्य राज्य सरकारों से प्रतिस्पर्धी दावों के लिए, वर्ष 2003-04 के वास्ते अपर्याप्त गैर-योजनागत बजट प्रावधान होने के कारण देय राशि जारी करना अभी संभव नहीं है।

नागरिक चार्टर

3116. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अभी तक नागरिक घोषणापत्र जारी नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक घोषणापत्र जारी करने वाले मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन से हैं; और

(घ) नागरिकों को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं बाधारहित संपर्क को सुनिश्चित करने हेतु उक्त को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप अभी तक केन्द्रीय सरकार के 25 मंत्रालयों ने 95 नागरिक चार्टर निकाले हैं। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किये गये नागरिक चार्टरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

नागरिक चार्टर तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संगठन के ग्राहकों/मुवक्किलों सहित सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ परामर्श करने के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किये जाने भी शामिल हैं :–

(i) सभी पणधारियों/मुवक्किलों और संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/उत्पादों की पहचान करना;

(ii) उत्पादों/सेवाओं के मानक निर्धारित करना;

(iii) नागरिक चार्टर का मसौदा तैयार करना और उसे पणधारियों एवं स्टाफ के मध्य परिचालित करना;

(iv) चार्टर के मसौदे में सुझावों आदि को शामिल करके संशोधन करना;

(v) 'नागरिक चार्टरों के लिए गठित कोर ग्रुप' द्वारा विचार करना/अनुमोदन प्रदान करना;

(vi) कोर ग्रुप के सुझावों आदि को शामिल करने के लिए चार्टर को संशोधित करना;

(vii) प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना; तथा

(viii) जनता में चार्टर को जारी करना/प्रकाशित करना/प्रचारित करना।

(घ) सरकार ने नागरिक चार्टर बनाने और उनका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये हैं ताकि

पारदर्शिता, जवाबदेही ओर नागरिकों के साथ निर्बाध जन-संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :– (i) नागरिक चार्टरों के संबंध में क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन करना ताकि नागरिक चार्टरों के बनाने और उनके कार्यान्वयन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों और उनके पणधारियों को एक ही मंच पर लाकर उनके अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा सके; (ii) नागरिक चार्टरों के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना जिनमें नागरिक चार्टर बनाने/कार्यान्वित करने पर ध्यान केन्द्रित करना; (iii) राज्य प्रशिक्षण संस्थानों और सिविल सेवा स्टाफ कालेजों के लिए नागरिक चार्टरों से संबंधित प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण मोड्यूल्स का विकास करने के लिये कार्यशालाओं का आयोजन करना; (iv) चुने हुए नागरिक चार्टरों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना ताकि उनकी प्रभावकारिता को बेहतर बनाया जा सके; (v) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा जारी किये नागरिक चार्टरों को शामिल करके एक व्यापक वेबसाइट (www.goicharters.nic.in) तैयार करना और उपयोगी सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराना ताकि संगठनों को अपने चार्टर तैयार करने में सहायता मिल सके; (vi) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नागरिक चार्टरों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिये त्वरित कार्रवाई करना ताकि उन नागरिक चार्टरों, जिनका प्रलेखन किया गया है और जिन्हें प्रत्युत्तर के लिये अन्य सरकारी संगठनों के बीच परिचालित किया गया है, के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता का आदर्श स्थापित किया जा सके।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाये गये नागरिक चार्टरों की सूची

I. कृषि मंत्रालय

1. कृषि ओर सहकारिता विभाग

II. कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

2. कॉयर बोर्ड
3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग

III. नागर विमानन मंत्रालय

4. एयर इंडिया (नागर विमानन मंत्रालय)

IV. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

5. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
6. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय
7. राष्ट्रीय परीक्षण गृह
8. मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय (पूर्ति)
9. वाणिज्य विभाग
10. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

V. संचार मंत्रालय

11. दूरसंचार विभाग
12. डाक विभाग

VI. उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

13. लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०डी०पी०एस०) के लिए नागरिक चार्टर
14. उपभोक्ता मामलों का विभाग

VII. रक्षा मंत्रालय

15. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

VIII. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

IX. विदेश मंत्रालय

17. पासपोर्ट प्रभाग, विदेश मंत्रालय

X. वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

18. करदाता चार्टर – सी०बी०डी०टी०
19. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी०बी०ई०सी०)
20. भारतीय जीवन बीमा निगम
21. भारतीय सामान्य बीमा निगम
22. ओरिएण्टल बीमा निगम
23. कंपनी मामलों का विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक

24. विनिमय नियंत्रण विभाग
25. सरकारी तथा बैंक लेखा विभाग
26. विनिमय सुविधाओं से संबंधित नागरिक चार्टर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

27. इलाहाबाद बैंक
28. आन्ध्रा बैंक

29. बैंक ऑफ बड़ौदा
30. बैंक ऑफ इंडिया
31. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
32. केनरा बैंक
33. सैण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
34. कॉरपोरेशन बैंक
35. देना बैंक
36. इंडियन बैंक
37. इंडियन ओवरसीज बैंक
38. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
39. पंजाब नेशनल बैंक
40. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
41. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
42. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
43. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
44. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
45. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
46. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
47. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
48. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
49. सिंडिकेट बैंक
50. यूको बैंक
51. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
52. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
53. विजया बैंक

XI. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

54. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

XII. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

55. प्रत्येक अस्पताल के लिए उचित रूप से अपनाए जाने वाले सार्वजनिक अस्पतालों के लिए मॉडल चार्टर
56. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के लिए चार्टर
57. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए चार्टर
58. श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के लिए चार्टर
59. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, पंजाबी बाग, नई दिल्ली
60. मोरारजी देसाई योगा संस्थान, नई दिल्ली

XIII. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

61. भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर० एन०आई०)

XIV. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

62. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
63. केन्द्रीय सिविल सेवा संस्कृति एवं खेल बोर्ड
64. गृह कल्याण केन्द

XV. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

65. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

XVI. विद्युत मंत्रालय

66. विद्युत वित्तीय निगम लिमिटेड
67. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
68. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
69. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
70. भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड
71. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
72. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

XVII. रेल मंत्रालय

73. भारतीय रेलवे

XVIII. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

74. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

XIX. ग्रामीण विकास मंत्रालय

75. काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी (सी०ए०पी०ए०आर०टी०)

XX. लघु उद्योग मंत्रालय

76. लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

77. विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग)

78. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

XXI. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

79. न्यायो-प्रौद्योगिकी विभाग

80. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

XXII. अंतरिक्ष विभाग

81. अंतरिक्ष विभाग

XXIII. वस्त्र मंत्रालय

82. हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

83. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर

84. जूट विनिर्माण विकास परिषद, कोलकाता

85. वस्त्र समिति

86. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर

87. भारत जूट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता

88. भारत कपास निगम लिमिटेड

89. जूट विविधीकरण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

XXIV. शहरी विकास मंत्रालय

90. दिल्ली विकास प्राधिकरण

91. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

92. संपदा निदेशालय

93. भूमि और विकास कार्यालय

94. मुद्रण निदेशालय

XXV. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

95. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन

3117. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2003-2004 के दौरान एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा में कितने रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग प्रयोग (के०वी०आई०सी०) ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान उड़ीसा में 18,150 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना प्रस्तावित किया है। 10वीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में 81,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली पुलिस का समन्वय

3118. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री भास्करराव पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की गतिविधियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान में अपनी नेटवर्क को मजबूत बनाने हेतु पड़ोसी राज्यों से समन्वय करने का अनुरोध किया है, जैसा कि दिनांक 03.11.2003 के 'दि स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई मामलों में अपराधी और आतंकवादी राजधानी में अपराध करने के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/पड़ोसी नगरों में शरण ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों और आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए तैयार की जाने वाली रणनीति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के बीच आयोजित अन्तर्राज्यीय अपराध समन्वय बैठकों में, अन्तर्राज्यीय अपराध और आतंकवादी विरोधी अभियानों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बेहतर

समन्वय, सूचना, सुविधाओं और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में अपराधियों और आतंकवादियों और उन्हें शरण देने वालों के क्रियाकलापों और गतिविधियों के बारे में आसूचना जुटाने के लिए अपने आपको चुस्त दुरुस्त बनाया है और इनके नापाक इरादों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय बनाने के लिए यथेष्ट सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। इसमें पड़ोसी जिलों के पुलिस बलों और केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करना शामिल है। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया है अथवा मारा है, जिससे इन व्यवस्थाओं की प्रभावकारिता का पता चलता है।

खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव

3119. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों से खेलों के विकास के लगभग 400 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों ने ऐसे प्रस्तावों को संशोधनों के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त 204 प्रस्तावों को उनमें कमी होने अर्थात् जिन योजनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें निधि दी जानी थी, उनके अनुरूप न होने की वजह से अस्वीकार कर दिया था। खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए व्यवहार्य खेल अवस्थापना संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता सहित अनुमोदित कर दिया गया है। शेष प्रस्तावों को या तो अस्वीकार कर दिया गया था या कमियों को दूर करने के लिए सूचित किया गया था। 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत और कमी पाए गए प्रस्तावों की राज्य-वार मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	1999-2000				2000-2001				2001-2002			
		प्रस्तावों की संख्या				प्रस्तावों की संख्या				प्रस्तावों की संख्या			
		प्राप्त हुए	अनुमोदित	अस्वीकृत	सूचित की गई कमियां	प्राप्त हुए	अनुमोदित	अस्वीकृत	सूचित की गई कमियां	प्राप्त हुए	अनुमोदित	अस्वीकृत	सूचित की गई कमियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3	1	1	1	20	18	1	1	1	—	—	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	1	—	8	2	6	—	13	9	3	1
3.	असम	9	—	9	—	4	2	2	—	4	1	3	—
4.	बिहार	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	1
6.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
7.	गुजरात	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1
8.	गोवा	3	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—
9.	हरियाणा	2	1	1	—	8	1	6	1	21	7	6	8
10.	हिमाचल प्रदेश	6	6	—	—	10	4	—	6	15	12	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	जम्मू व कश्मीर	49	11	38	—	—	—	—	—	31	19	—	12
12.	झारखण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
13.	कर्नाटक	7	3	2	2	13	6	4	3	17	4	1	12
14.	केरल	10	6	1	3	7	4	—	3	3	—	2	1
15.	मध्य प्रदेश	24	18	6	—	19	13	2	4	9	1	4	4
16.	महाराष्ट्र	15	10	4	1	25	8	8	9	26	7	10	9
17.	मणिपुर	9	1	5	3	14	6	2	6	5	3	2	—
18.	मिजोरम	22	14	6	2	17	—	—	17	11	5	4	2
19.	मेघालय	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	नागालैण्ड	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
21.	उड़ीसा	11	—	11	—	4	1	3	—	14	8	6	—
22.	पंजाब	13	10	2	1	15	14	—	1	1	—	—	1
23.	राजस्थान	5	—	2	3	5	3	—	2	6	1	—	5
24.	तमिलनाडु	7	7	—	—	30	28	2	—	5	5	—	—
25.	त्रिपुरा	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	7	4	3	—	14	4	10	—	9	4	3	2
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	18	2	15	1	—	—	—	—	4	2	—	2

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

3120. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से संबंधित कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की शेष सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें हैं, जिनमें से 170 सिफारिशों को कार्यानिवत कर लिया गया है और 20 सिफारिशें प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों में से 57 को, अंतर्राज्जीय परिषद या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों ने स्वीकार नहीं किया है। अंतर्राज्जीय परिषद सचिवालय, अंतर्ज्यीय परिषद, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकार कर ली गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

पुराने, उपयोगिता अवधि समाप्त कर चुके और चुराए गए ड्रिल बिट्स और सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति

3121. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2003 के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों से इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि महानदी कोलफील्ड्स लि० की भूमिगत खानों में उपयोग के लिए आपूर्तिकर्ता पुराने, उपयोगिता अवधि समाप्त कर चुके और चुराए गए ड्रिल बिट्स और बियरिंग प्लेट्स जैसी अन्य सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधन ने ऐसी पार्टियों को काली सूची में डालने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (घ) चुराई गई ड्रिल बिट्स और अन्य मदों की आपूर्ति के संबंध में सांसदों से शिकायतें प्राप्त हुई थी।

मामले की जांच की गई और वह पाया गया कि मैसर्स डी०डी० इन्जीनियरिंग वर्क्स, झरसुगुडा को एक सहायक फर्म घोषित किया गया था और रूफ बोल्टों की बियरिंग प्लेटों और ड्रिल बिट्स का आर्डर 57 अवसरों पर उन्हें दिया गया था। 7 मामलों में यह देखा गया कि मैसर्स डी०डी० इन्जीनियरिंग वर्क्स द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री विनिर्देशों के अनुसार नहीं थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया। फर्म ने आपूर्ति आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी लागत पर सामग्री को प्रतिस्थापित कर दिया।

महानदी कोलफील्ड्स लि० (एम०सी०एल०) की अनुषंगी नीति के अनुसार, फर्म को अन्य मामलों में कई अन्य पंजीकृत सहायक फर्मों की तरह, एल०। दर की प्रति प्रस्तुति के द्वारा क्रय वरीयता दी गई थी। किसी भी अवसर पर एम०सी०एल० के प्रबंधन ने पार्टी को काली सूची में रखने का आदेश नहीं किया था।

(ङ) प्रमुख सतर्कता अधिकारी, कोल इंडिया लि० को एक सम्पूर्ण जांच आयोजित करने के लिए कहा गया है।

खेल अवसंरचना हेतु धनराशि

3122. **डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निजी संयुक्त प्रयासों के माध्यम से खेल अवसंरचना के प्रत्यक्ष वित्त पोषण हेतु दिशानिर्देश तैयार/जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खेल अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए किन-किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राज्य खेल अकादमी की एक नई योजना अनुमोदित की है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के बीच खेलों में उपलब्ध सर्वोत्तम क्षमता एवं 10-18 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना है ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने हेतु आने वाले वर्षों के दौरान तैयार किया जा सके।

योजनाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र, तथा प्रायोजक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा और एक तरह से यह एक सहयोगी उद्यम होगा। पूंजीगत, आवर्ती तथा अनावर्ती लागतों के संदर्भ में अकादमी को वित्तीय सहायता प्रयोजक, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 51:25:24 के अनुपात में वहन की जाएगी और केन्द्र सरकार के योगदान (1) अधिकतम 218 लाख रुपये और पूंजी/अनावर्ती लागत का 25% जो भी कम है (2) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 17 लाख रुपये के अधीन आवर्ती लागत; तक प्रतिबंधित होगा। अकादमी की स्थापना की अनुमानित लागत 9.68 करोड़ रुपये होगी।

अकादमी एक पंजीकृत सोसायटी होगी जो प्रायोजक द्वारा स्थापित तथा व्यवस्थित की जाएगी। एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें प्रायोजक, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा इसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों, राज्य खेल संघों के प्रतिनिधि तथा प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता आदि भी शामिल होंगे।

(ग) योजना सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खेल सचिवों को परिचालित की गई है तथा मंत्रालय की बेवसाइट www.yas.nic.in पर भी उपलब्ध है। योजना भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य मंडल तथा उद्योग के परिसंघ तथा वाणिज्य एवं उद्योग के पी०एच०डी० मंडल के अध्यक्षों को भी परिचालित की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार के खेलों के संवर्धन एवं खेल अवस्थापना के विकास के लिए निगमित क्षेत्र के सहयोग हेतु प्रयास किये हैं। इस मंत्रालय के प्रयासों के अनुसरण में, खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने फिक्की के साथ एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं तथा भारतीय ओलंपिक संघ ने सी०आई०आई० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने अपनी राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन०एस० डी०एफ०) योजना के अंतर्गत, जिसके अंशदान पर आयकर की छूट है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से और अधिक अंशदान प्राप्त करने के लिए पहल प्रारंभ की हैं।

अनुपस्थिति के कारण लोगों का काम से हटाया जाना

3123. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में मास्टर रोल में अनुपस्थिति का आरोप लगाकर कई लोगों को काम से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और लोडरों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, हां। जिन कर्मचारियों पर अनुपस्थिति रहने का आरोप लगाया गया था तथा जांच के पश्चात कदाचार का दोषी पाया गया था, उन्हें उन पर लागू होने वाले स्थायी आदेशों के अनुसार, बर्खास्त कर दिया गया।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों से अनुपस्थिति के आधार पर नौकरियों से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

2000-01	2001-02	2002-03
1089	1163	1211

(ग) अनुसूचित जाति 25%

अनुसूचित जनजाति 55%

लोडर (अनु०जा०/अनु०ज०जा० लोडर सहित) 65%

(घ) और (ङ) कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है परन्तु श्रमिकों के साथ चर्चा करके, परामर्श करके तथा अनुभवी प्रबन्धकों के माध्यम से सहायक कम्पनियों में कारणों का पता लगाया गया है।

अनुपस्थिति के कुछ मुख्य कारण–मदिरापान, गृह-वियोग, पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण इत्यादि हैं।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3124. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले से ही ऐसा दर्जा प्राप्त अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थाओं को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्थाओं द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं अथवा कार्यों को किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों में अ०पि० वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से अ०पि० वर्गों की समूह क, ख और ग में प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय के अधीन कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्टस् फैडरेशन एण्ड ओलंपिक बॉडीज को समर्थन

3125. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ्रो-एशियन गैम्स की सफलता ने प्रतिभाशील भारतीय खिलाड़ियों की संभावनाओं को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्पोर्टस् फैडरेशन एण्ड ओलंपिक बॉडीज को समर्थन प्रदान करने हेतु नए प्रयास करने का है ताकि वे उद्योग और कॉर्पोरेट घरानों की मदद से अपनी उत्कृष्टता को विकसित कर सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खेलों के संवर्धन के लिए निगमित क्षेत्र के सहयोग को प्राप्त करने के लिए सरकार पहले ही प्रयास करती आ रही है। इस संबंध में, भूतपूर्व वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 7 दिसंबर, 2001 को एक बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग के अग्रणी मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया था। बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) ने फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खेलों के क्षेत्र में सहयोग के वास्ते भारतीय ओलंपिक संघ (आई०ओ०ए०) ने सी०आई०आई० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सी०आई०आई० ने एथेन्स ओलंपिक्स, 2004 तक अपनी पसंद की 5 खेल विधाओं को समर्थन देने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। सी०आई०आई० ने अपी गोल्डन होप्स स्कीम के माध्यम से, बीजिंग ओलंपिक्स, 2008 तक समर्थन देने के लिए, चार अपवाद स्वरूप प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का भी पता लगाया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

3126. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में खेलों के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना और चालू दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों के विकास हेतु प्रदान की गई सहायता का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) सरकार द्वारा बिहार राज्य सहित देश में खेलों के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है :–

1. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
2. खेल छात्रवृत्ति की योजना
3. स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन
4. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
5. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
6. अर्जुन पुरस्कार
7. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि
8. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष
9. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप
10. खेल उपस्कारों की खरीद तथा खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान
11. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) योजनाओं के मानदण्डों के अनुसार राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है तथा शेष प्रस्तावों में पायी गयी कमियों को दूर करने के बारे में सभी संबंधितों को सूचित किया जा चुका है।

विवरण

नौवीं योजना और दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	योजनाओं के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	दसवीं योजना का पहला वर्ष
1.	खेल छात्रवृत्ति	113	220	348	382	400	394
2.	ग्रामीण खेल कार्यक्रम	65.12	21.78	65	85	116	71.11
3.	खेल संबंधी गतिविधियों के सवंर्धन के लिए प्रोत्साहन*	45.23	600	369	398	354	841.39
4.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	40	38	25.20	40	36	36
5.	अर्जुन पुरस्कार	9	12	45	38	52	67.82
6.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	2	10	3	6	10	25
7.	खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों का अनुदान	30.90	77.76	129.94	242.64	337.51	310.99
8.	विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान	311.04	392.50	500	454.96	673.50	660

*यह एक मिश्रित योजना है जिसमें इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के अंतर्गत क्रम सं० 3, 4, 5 और 7 पर दी गई उप-योजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्यमों के उत्पादों का विपणन

3127. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु उद्यमों के उत्पादों आदि सेवाओं के विपणन के लिए उनकी सहायता करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्यमों की पहचान करने में ऐसी बड़ी कंपनियों और खरीददारों की सहायता लेने का निर्णय लिया है जो संयुक्त उद्यमों और उप-ठेकों में उनकी सहायक कंपनियां भागीदार बन सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत सरकार पहले ही लघु उद्यमों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न सुविधाएं तथा सेवाएं जैसे लघु उद्योग क्षेत्र से विशेष रूप से खरीदे जाने के लिए 358 मदों का आरक्षण, सरकारी स्टोर्स से खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत निविदा सुविधाएं, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में लघु उद्योग इकाइयों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता मुलाकातें तथा संघ विपणन इत्यादि प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ) लघु उद्यमों को आनुषंगिक बनाने तथा जॉयंट वेंचर्स में भागीदार बनाने एवं सब कन्ट्रिक्टिंग के लिए पहचान करने हेतु बड़ी कम्पनियों तथा अन्य क्रेताओं की सहायता लेने के लिए देश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय वैंडर विकास कार्यक्रम सह क्रेता विक्रेता मुलाकातें तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

कारागारों का आधुनिकीकरण

3128. श्री सुरेश रामराव जाधव :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान और आज तक राज्य सरकारों को कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण के अंतर्गत कारागारों में सुधार हेतु राज्य-वार और वर्ग-वार कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई;

(ख) क्या सरकार ने खुले कारागारों के कार्यकरण और उनके प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त परिणामों की समीक्षा करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राज्य सरकारों को जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के तहत जेलों में सुधार करने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान संलग्न विवरण-I में दिए ब्यौरों के अनुसार 270 करोड़ रुपये की राशि, जारी की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2003-04 के दौरान आज तक 10.7850 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) संघ सरकार ने कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

विवरण

जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान आबंटित/जारी राशि

क्रम सं०	राज्य का नाम	आबंटित राशि (राज्य के हिस्से सहित) (करोड़ रुपये में)	जारी केन्द्रीय हिस्से की राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21.26	15.9450
2.	असम	7.83	5.8725
3.	बिहार	35.89	27.4865
4.	छत्तीसगढ़	7.47	5.6025
5.	गोवा	2.72	2.0400
6.	गुजरात	13.18	9.8760
7.	हरियाणा	20.55	15.4050
8.	हिमाचल प्रदेश	4.04	3.030
9.	जम्मू और कश्मीर	6.18	4.69350
10.	झारखंण्ड	8.45	6.3375
11.	कर्नाटक	10.78	8.0850
12.	केरल	6.55	4.9100
13.	मध्य प्रदेश	31.03	23.2700
14.	महाराष्ट्र	25.83	19.3725
15.	मणिपुर	3.14	2.3550
16.	मेघालय	3.27	2.4525
17.	मिजोरम	3.55	2.6625
18.	नागालैंड	3.17	2.3700
19.	उड़ीसा	21.48	16.1025
20.	पंजाब	14.89	11.1675
21.	राजस्थान	13.03	9.7725
22.	सिक्किम	3.64	2.7300
23.	तमिलनाडु	19.07	14.3025
24.	त्रिपुरा	5.60	4.2000
25.	उत्तर प्रदेश	6.06	4.5450
26.	उत्तरांचल	46.25	34.6875
27.	पश्चिम बंगाल	14.38	10.7850
	कुल (राज्य)	359.31	270.00

खेलों को मान्यता देने के लिए मानदंड

3129. डा० रमेश चंद तोमर : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता दिए गए खेलों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कौन से पारम्परिक हैं और कौन से विदेशी हैं;

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघ/संघ द्वारा खेलों को मान्यता देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन मानदंडों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो मानदंडों के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) वर्तमान में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को निम्नलिखित पारम्परिक/विदेशी खेलों के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गयी है :–

पारम्परिक खेल

तीरंदाजी, कबड्डी, आत्या-पत्या, कैरम, साइकिल पोलो, हॉकी, (पुरुष और महिला-पारम्परिक और विदेशी दोनों ही) खो- खो, मलखम्ब, टेनिसबाल, क्रिकेट, रस्साकशी, तथा कुश्ती (पारम्परिक और विदेशी दोनों ही)।

विदेशी खेल

एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्डस और स्नूकर, मुक्केबाजी, शतरंज, फुटबाल, हॉकी (पुरुष और महिला-पारम्परिक और विदेशी दोनों ही), रोइंग, निशानेबाजी, टेनिस, साइक्लिंग, कुश्ती (पारम्परिक और विदेशी दोनों ही), भारोत्तोलन, तैराकी, बास्केटबाल, क्याकिंग और केनोइंग, घुड़सवारी, फेंसिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबाल, जूडो, स्क्वैश, टेबल टेनिस, वॉलीबाल, याटिंग, शीतकालीन खेल, बेलूनिंग, बाल बैडमिंटन, बेसबाल, शरीर सौष्ठव, ब्रिज, क्रिकेट, क्रिकेट (महिला), कराटे, कोर्फबाल, मोटर स्पोर्टस, नेटबाल, पोलो, पावरलिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, सेपाक टाकरो, साफ्टबाल, शूटिंगबाल, ताईक्वांडों, टेनिकायट थ्रोबाल, ट्रीएथलन, टेन-पिन बोलिंग और वुशू।

(ख) किसी विशेष खेल विधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता देती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखे मानदण्डों को संलग्न विवरण पर उद्धृत किया गया है।

(ग) और (घ) कुछेक खेल परिसंघों को छोड़कर, जिन्होंने अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है, के अलावा खेलों के विकास के समग्र हित में राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा कुल मिला कर इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार ने हमारे खिलाड़ियों के और अधिक हित को ध्यान में रखते हुए, मान्यता वापस लेकर अथवा सहायता रोकने के रूप में, इन परिसंघों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

विवरण

1. परिसंघ के पास स्वैच्छिक पंजीकृत निकाय के रूप में मालिकाना संस्था अथवा साझेदारी की फर्म के रूप में नहीं, कानूनी हैसियत होनी चाहिए तथा इसे इस खेल विधा, जिसका नाम इसके पास है, के विकास के एकमात्र प्रयोजन हेतु विद्यमान होना चाहिए और कार्य करना चाहिए।

2. परिसंघ के पास असंदिग्ध शर्तों पर एक व्यापक लिखित संविधान होना चाहिए जो इसकी दक्ष प्रणाली हेतु, विशेषतया पदाधिकारियों का चुनाव, सामान्य निकाय का सही रूप से प्रतिनिधिक स्वरूप, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा, खेल संवर्धन, लेखों का रखरखाव संपरीक्षा, अविश्वास, संकल्पों आदि को उपलब्ध कराएगा।

3. मान्यता हेतु आवेदन पत्र की तारीख के समय परिसंघ को तीन वर्ष से अधिक समय से सक्रिय रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। इसकी सभी व्यवसायी बैठकें, जो इसके संविधान के अंतर्गत अपेक्षित हैं, विधिवत रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

4. मान्यता के लिए आवेदन करते समय, परिसंघ/संघ के पास भारत के कुल राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के कम से कम 2/3 भाग में संबद्ध इकाइयां होनी चाहिए।

5. पदाधिकारियों का कार्यकाल:– पदाधिकारियों का कार्यकाल पत्र सं० 11-4/74-खेल-1 दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के तहत जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। उपरोक्त आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारी चार वर्षों के कार्यकाल पर, अपने पद पर बने रह सकते हैं तथा इसी प्रकार की अवधि अथवा समय के लिए पुन: निर्वाचन हेतु पात्र हो सकते हैं बशर्ते पदाधिकारियों ने सदस्यों के 2/3 वोटों से कम वोट प्राप्त न किये हों। तथापि, ऐसा कोई भी पदाधिकारी लगातार दो कार्यकालों से अधिक अथवा आठ वर्षों से अधिक अपने पद पर बना नहीं रहेगा।

6. राष्ट्रीय परिसंघ का कोई भी पदाधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ के अलावा, किसी भी अन्य राष्ट्रीय परिसंघ का पद, एक साथ ग्रहण नहीं करेगा।

7. परिसंघ के पास लेखाविधि की स्वीकृत वाणिज्य प्रणाली होनी चाहिए, लेखों का उपयुक्त रूप से अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

8. परिसंघ को, यदि तकनीकी कारणों से छूट न मिली हो, तो जिस वर्ष मान्यता मांगी गयी है उससे पहले के तीन वर्षों में लगातार विशिष्ट आयु समूह के लिए सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर स्तरों पर वार्षिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें आयोजित करवानी चाहिए। ये प्रतियोगिताएं प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अंतर-जिला प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए।

9. परिसंघ की सदस्यता सदृश राज्य/संघ-शासित क्षेत्र तथा अन्य सम्बद्ध विशेष इकाइयों (जैसे खेल नियंत्रण बोर्ड आदि) तक सीमित होनी चाहिए और जहां परिसंघ पृथक क्लबों अथवा पृथक खिलाड़ियों को सदस्यता प्रदान करते हैं, ऐसी सदस्यता ऐसे सदस्यों को परिसंघ की किसी भी बैठक में मताधिकार प्रदान नहीं करती।

10. राष्ट्रीय स्तर पर, खेल की प्रत्येक विधा के लिए केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ होगा। केवल विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ ही स्वीकार्य वित्तीय अनुदानों के, हकदार होंगे। प्रत्येक राज्य/संघ-शासित क्षेत्र से केवल एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र ही परिसंघ के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते इसके साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत जिला स्तरीय संघ संबद्ध हों, अखिल भारतीय स्तर के किसी भी संगठन को, जो खेलों से जुड़ा हो, वो दर्जा दिया जा सकता है जो राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का हो, तथा उसे सम्बद्ध सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सदस्यता की अन्य श्रेणियां भी प्रदान की जा सकती हैं, परंतु जब प्रत्येक सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र का यह अधिकार होगा कि वह सामान्य निकाय की बैठकों में वोट दे सकें, तो किसी अन्य श्रेणी के सदस्य (सदस्यों) को परिसंघ की बैठकों में वोट देने का ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। राज्य/संघ शासित क्षेत्र संघ को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करते समय, राष्ट्रीय परिसंघ को राज्य/संघ शासित क्षेत्र के संघ के प्रतिनिधिक स्वरूप पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेलों के केवल सही प्रतिनिधि निकाय ने ही मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त की है।

11. परिसंघ की वेतनभोगी संयुक्त सचिव/सहायक सचिव के मुख्यालयों को दिल्ली में रखना जरूरी है ताकि वे अपने वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रयोजन के लिए, परिसंघ का दिल्ली में एक उपयुक्त कार्यालय होना चाहिए।

12. इस तथ्य का लिहाज रखे बिना कि विशेष खेल, युवाओं, पुरुषों, महिलाओं अथवा वयोवृद्धों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, प्रत्येक खेल विधा हेतु केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ होगा। तथापि, यह शर्त विभाग द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त परिसंघों पर लागू नहीं होगी।

13. परिसंघों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सामान्य निकाय की बैठकों व अन्य बैठकों के बारे में बहुत पहले से ही सरकार को सूचित करें जिनमें पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने होते हैं। जहां भी आवश्यक समझा गया है, उपरोक्त बैठकों के लिए अपना प्रेक्षक भेजना सरकार का अधिकार होगा।

14. वित्तीय वर्ष के पूरा होने के तुरंत बाद परिसंघ अपने लेखों को अद्यतन बनाएगा तथा वार्षिक रिपोर्ट निकालेगा जिसमें वर्ष के दौरान उनकी गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं दी गयी होंगी। परिसंघ अपने लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए एक कार्यरत लेखापाल नियुक्त करेगा। परिसंघ के लेखे और रिकार्ड सरकार के लिए सुलभ होंगे तथा जब कभी ऐसा कहा जाए, इन्हें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

15. जहां खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ विद्यमान है, वहां राष्ट्रीय परिसंघ को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ के साथ संबद्ध होना चाहिए।

16. जहां कहीं भी राष्ट्रीय परिसंघ किसी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से सम्बद्ध है, इसे विभाग को अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से एक साक्ष्यांकन फार्म प्रदान करना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि राष्ट्रीय परिसंघ एक अच्छे स्तर का सदस्य है।

17. परिसंघ को स्वायत्तशासी होना चाहिए और किसी भी तरह के सभी दबावों का प्रतिरोध करना चाहिए, चाहे वो राजनैतिक, धार्मिक, जातीय अथवा आर्थिक प्रवृत्ति के हों।

18. परिसंघ को वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य निकाय की बैठक आयोजित करनी चाहिए और अध्यक्ष, सचिव आदि सहित कार्यपालक निकाय के सदस्यों के निर्वाचन हेतु चार वर्षों में (अथवा पहले, जैसी भी पदाधिकारियों के कार्यकाल के अंतर्गत जरूरत हो) एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए।

19. राज्य स्तरीय संघों के, जो राष्ट्रीय परिसंघ से संबद्ध हैं, बारी-बारी से न्यूनतम संबंधित जिला स्तरीय संघ (अर्थात् राज्य में जिलों का 50 प्रतिशत) होने चाहिए।

20. कार्यकाल के आधार पर संबंधित खेल परिसंघों के सदस्यों के रूप में उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल करना। मताधिकार वाले ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों की संख्या परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल सदस्यों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत (अर्थात् 25 प्रतिशत) होनी चाहिए तथा ऐसे खिलाड़ियों का चयन इस विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए।

भारतीय खेल प्राधिकरण में सुधार

3130. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन सी नई प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां। किसी भी संस्थान की कार्यप्रणाली में सुधार और बेहतरी एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) में निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों को शुरू किया गया है :–

(1) भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संभावित प्रतिभा का पता लगाने के लिए अधिक व्यापक कवरेज देने के लिए संशोधित मानदंडों को लागू किया गया है। सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण बच्चों को खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए, अपेक्षित अवस्थापना वाले नवोदय विद्यालयों को अपनाया जा रहा है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए ग्यारह (11) नई खेल विधाएं नामत: निशानेबाजी, वुशू, ताईक्वांडो, रोइंग, क्याकिंग और केनोइंग, फेंसिंग, सॉफ्ट बाल, यार्टिंग, सेपक टकारो, कराटे और स्क्वैश को भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

(3) राष्ट्रीय कोचिंग योजना के अंतर्गत, खेलों में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोचों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे/प्रशिक्षणार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रोत्साहन और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है।

(4) कोचों की सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए निगरानी प्रणाली शुरू की गई है ताकि उनकी सेवाओं को अधिकतम उत्पादकता सहित देश भर को उपलब्ध कराया जा सके।

(5) भारतीय खेल प्राधिकरण की पटियाला, बंगलौर और कोलकाता की शैक्षणिक शाखाओं द्वारा कोचों के लिए छ: सप्ताह का उन्नत पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक 404 कोचों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया है। हमारे कोचों को विदेश में भेजकर विदेशों में प्रदर्शन का अवसर और बाहर से विशेषज्ञ कोचों को आमंत्रित करने के मामले पर काफी बल दिया जा रहा है।

(6) भारतीय खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिए विद्यमान उत्कृष्टता केन्द्र के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया था तथा इसे सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रारंभ किया गया था और खेल विधाओं की संख्या भी 1 से बढ़कर 18 हो गई है।

(7) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित डोप नियंत्रण केन्द्र ने 18 महीने के रिकार्ड समय में अनिवार्य प्रमाणन आई०एस०ओ० 9000:2000 और आई०एस०ओ०/आई०ई०सी०-17025 प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे भारत में खेलों को डोपिंग के खतरे से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षणार्थियों के डोप जांच में दोषी पाए जाने पर, पहली बार उनके कोचों को जिम्मेदार बनाया गया है।

(8) खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए निगमित लागत को प्रेरित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और फिक्की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ने एक नई शुरूआत की है।

[हिन्दी]

वाहन स्वामियों को कार्ड जारी करना

3131. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस दुपहिया और निजी कार स्वामियों को पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है जिससे कि चालकों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कापी और बीमा इत्यादि के कागजात वाहनों में रखना आवश्यक नहीं होगा और इन कार्डों को दिल्ली, यू०पी०, हरियाणा और राजस्थान इत्यादि में दस्तावेज के रूप में माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दिल्ली पुलिस को ऐसे सांविधिक उपबन्धों को छोड़ देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके अन्तर्गत वाहन चलाने वाले व्यक्ति

को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने साथ हमेशा ड्राईविंग लाइसेंन्स, पंजीकरण प्रमाणपत्र, कर-प्रमाण पत्र तथा परिवहन वाहनों के मामले में परमिट और फिटनेश प्रमाण पत्र रखने पड़ते हैं।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार-अधिनियमन को लागू करना

3132. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संवैधानिक प्राधिकारी सहित अधिनियम में उल्लिखित सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कौन से सार्वजनिक प्राधिकारियों/संवैधानिक निकायों ने अधिनियम विशेषकर अधिनियम की धारा 4 को लागू करना शुरू नहीं किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) जनवरी 06, 2003 को "सूचना के स्वातंत्रय-अधिनियम, 2002" के प्रति राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और जनवरी 07, 2003 को उपर्युक्त अधिनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। उपर्युक्त अधिनियम, जिस तारीख से लागू होगा, वह अभी तक निश्चित नहीं की गई है, अत: किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित किए जाने अथवा कार्यान्वित नहीं किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय युवा आयोग

3133. **श्री रामशकल :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 2002 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस आयोग ने कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। श्री बलबीर के० पुंज, सांसद (राज्य सभा) की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 15 मार्च, 2002 को राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव है। आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2004 तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

विवरण

युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के विचारार्थ विषय

(1) कार्योन्मुखी रणनीति तैयार करना तथा युवा विकास के लिए संपर्क करना तथा युवा बेरोजगारी की समस्या के विशेष संदर्भ में, उनके सामने आ रही समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करने के बाद, नई नीति के उपायों व कार्यक्रमों का सुझाव देना जो बहु-आयामी है तथा अस्पष्ट हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमता का पता लगाने, उन्हें प्रोत्साहन देने तथा उसका निर्माण करने के लिए उपाय सुझाना।

(2) रोजगार सृजन के लिए युवाओं की क्षमता के विशेष संदर्भ में, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही युवाओं से संबंधित विद्यमान योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उनको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा एन०सी०सी०, प्रादेशिक सेना, एन०एस०एस० जैसे अथवा अन्य युवा कार्यक्रमों के समूची युवा जनसंख्या को कवर करने पर विचार करते हुए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप उनकी पहुंच व कवरेज को बढ़ाना।

(3) राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र की युवाओं से संबंधित गतिविधियों के

समन्वय हेतु ढांचे की कल्पना करना तथा उनके अभिमुखीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(4) योजना आयोग द्वारा स्थापित किशोरों के कार्यसमूह की सिफारिशों की छानबीन करना तथा इस समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट मध्यस्थ कार्यनीतियां सुझाना।

(5) नई राष्ट्रीय युवा नीति की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना।

(6) अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, आयोग का मार्गदर्शन स्रोतों के वास्तविक अनुमान द्वारा किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

[अनुवाद]

अनधिकृत कालोनियों के लिए भवन योजना

3134. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली में नियमित अनाधिकृत कालोनियों के लिए भवन योजनाएं स्वीकृत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मकान गिराये गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बड़ी संख्या में मकान गिराये जाने के मामले दिल्ली नगर निगम अपीलीय अधिकरण के पास लम्बित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सड़कों की स्थिति

3135. **श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बहुत से भागों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी सड़कों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़कों की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) लोक निर्माण विभाग, रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली दिल्ली की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं तथा इन सड़कों की संतोषजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत/रखरखाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली/नई दिल्ली में अतिक्रमण/कब्जे

3136. **डा० बलिराम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में डी०डी०ए०, एन०डी०एम०सी०, एल० एण्ड डी०ओ० तथा अन्य सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों/कब्जों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां बेदखली के पश्चात् अतिक्रमण करने वालों द्वारा भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सार्वजनिक भूमि/परिसरों से अवैध कब्जे कब तक हटा पाएगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचित अतिक्रमणों/कब्जों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(1) डी०डी०ए० ने अपनी 1434.17 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण बताया है।

(2) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 37 झुग्गी समूह बताए हैं। इनमें से 5 एन०डी० एम०सी० की भूमि पर हैं और शेष 32 विभिन्न सरकारी एजेंसियों, यथा

भूमि तथा विकास कार्यालय, रेलवे, पी एंड टी, रक्षा मंत्रालय इत्यादि की भूमि पर हैं।

(3) भूमि तथा विकास कार्यालय ने अपनी 63.372 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा होने की सूचना दी है।

(4) दिल्ली छावनी बोर्ड ने अपनी 18279.11 वर्ग मी० भूमि पर 404 अतिक्रमणों की सूचना दी है।

(ख) उपर्युक्त सभी एजेंसियों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके सामने अतिक्रमणकर्त्ताओं द्वारा पुन: कब्जा करने का कोई मामला नहीं आया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने के लिए की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(1) डी०डी०ए० ने 1303 निर्माण गिराने के कार्यक्रम प्रारंभ करके करीब 378.49 एकड़ भूमि पुन: प्राप्त करने की सूचना दी है। इसके अलावा अर्जित भूमि का कब्जा लेते समय अतिक्रमणों को हटा दिया गया था और डी०डी०ए० की ओर से करीब 337.00 एकड़ भूमि का स्पष्ट कब्जा ले लिया गया था।

(2) एन०डी०एम०सी० ने अपने क्षेत्र में पांच झुग्गी समूहों के पुनर्स्थापन की सूचना दी है।

(3) भूमि तथा विकास कार्यालय ने अतिक्रमणों को हटाकर करीब 27.381 एकड़ भूमि वापस प्राप्त करने की सूचना दी है।

(4) दिल्ली छावनी बोर्ड ने 52 अतिक्रमणों को हटाया है।

(घ) सार्वजनिक भूमि/परिसर से अवैध दखलकारों की बेदखली की कार्रवाई एक सतत और चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा संबंधित प्राधिकरण नियमित आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं बशर्ते कि सार्वजनिक आदेश, पुलिस बल की उपलब्धता, सरकारी निर्देशों व नीति दिशानिर्देशों व न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखा जाए। अवैध दखलकारों की बेदखली के लिए कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

सुरक्षा बलों में आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की प्रतिनियुक्ति

3137. **श्री साईदुज्जमा :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के कितने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारी विभिन्न सुरक्षा बलों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उक्त अधिकारी कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें कब तक अपने मूल विभागों/संवर्गों में वापस भेजे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) श्रीमान, किसी भी सुरक्षा बल में कोई भी भा०प्र० सेवा अधिकारी काम नहीं कर रहा है। तथापि, गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न सुरक्षा बलों में कुल 83 भा०पु० सेवा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

(ख) भा०पु० सेवा अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति काल भा०पु० सेवा कार्यकाल नीति द्वारा शासित होता है, जो सामान्य रूप से निम्न प्रकार है :–

पुलिस अधीक्षक	–	4 वर्ष
उप महानिरीक्षक	–	5 वर्ष
महा निरीक्षक	–	5 वर्ष
अपर महानिदेशक	–	4 वर्ष
महानिदेशक	–	कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में पार्किंग क्षेत्र का आबंटन

3138. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने रायसीना रोड (ली मेरीडियन होटल के निकट) और सरदार पटेल मार्ग (ताज होटल के निकट) तथा शेन मार्टिन मार्ग के बीच सर्विस लेन का पार्किंग क्षेत्र के रूप में आबंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा इस नो पार्किंग जोन में उल्लंघन के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस अथवा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा रायसीना रोड पर ली-मेरीडियन होटल के नजदीक कोई पार्किंग स्थान आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने मासिक लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरदार पटेल मार्ग और सेंट मार्टिन मार्ग के बीच सड़क पर स्टाफ गेट साइड पर पार्किंग स्थल आबंटित किया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 15 दिसम्बर तक दिल्ली पुलिस ने रायसीना रोड, ली-मेरीडियन के नजदीक विंडसर प्लेस गोलचक्कर, सेन मार्टिन मार्ग और ताज होटल के नजदीक सड़क पर अनुचित पार्किंग के लिए 1549 वाहनों का चालान किया है।

(घ) दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा अनुचित पार्किंग के विरुद्ध किए गए उपायों में दोषी वाहनों को हटाना और दोषी वाहन मालिकों का अभियोजन शामिल है।

डी०जी०एस० एण्ड डी० के लिए विभिन्न दर संविदाएं

3139. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आपूर्तिकर्त्ता जिन्हें डी०जी०एस० एंड डी० द्वारा दर संविदाएं आवंटित की गयी हैं, वे डी०जी०एस० एण्ड डी० को उद्धृत दरों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को उसी प्रकार के केबल 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कम कीमत पर आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा डी०जी०एस० एण्ड डी० के दर संविदाओं के सच्चाई सहित इस मामले में क्या कार्रवाई करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका परषिद सरकार द्वारा नामित एजेंसी एन०सी०सी०एफ०आई० से स्टेशनरी और अन्य सामग्री नहीं खरीद रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सभी स्टेशनरी और अन्य सामग्री एन०सी०सी०एफ०आई० से ही खरीदे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य

3140. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०पी०डब्ल्यू०डी० आन्ध्र प्रदेश में कई कार्य हाथों में ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा सीधे ही किए जा रहे ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान सी०पी०डब्ल्यू०डी० के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश में सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा कई कार्य पूरे नहीं किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्यों कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार तथा निर्माण महानिदेशालय, के०लो० नि०वि०, द्वारा भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जाती है। शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास की संसदीय स्थाई समिति ने भी अक्टूबर, 2003 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है।

(ङ) से (छ) निर्माण कार्यों की प्रगति विभिन्न चरणों में हैं। की गई सुधारात्मक कार्रवाई के ब्यौरे सहित विलंब के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश राज्य में सी०पी०डब्ल्यू०डी० के मुख्य कार्यों का ब्यौरा

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और स्वीकृत व्यय		वास्तविक प्रगति	पूर्ण करने की लक्ष्य तारीख (महीना/वर्ष)	टिप्पणी	विलंब के कारण यदि कोई है	की गई निवारक कार्रवाई
		राशि लाख रु०	महीना एवं वर्ष					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि मंत्रालय विभाग : सीआईपीएम सी एण्ड सीसीआई							
1.1	आर नगर हैदराबाद में एनपीपीटी आई के लिए नये प्रयोगशाला भवन का निर्माण	166.41	फरवरी, 2001	87%	मार्च, 2004	फिनिशिंग कार्य चल रहा है	अप्रयाप्त निधियां उपलब्ध	ग्राहक से निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था अब निधियां प्राप्त हो गई है।
1.2	एनएएआरएम, हैदराबाद में सम्मेलन हाल और निदेशक का कार्यालय	142.68	अप्रैल, 2001	14%	जुलाई, 04	ग्रेड बीम्स एवं पिलिंथ बीम्स कास्टिंग चल रही है	ग्राहक द्वारा स्थल को अंतिम रूप देने में विलंब	स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य चल रहा है।
2.	महालेखाकार, आंध्र प्रदेश							
2.1	चार टाइप-vi क्वार्टरों का निर्माण हैराबाद : (क) भवन भाग (ख) विकास कार्य	134.40	दिसम्बर, 2000	90%	जनवरी, 2004	फाइनल फिनिशिंग कार्य चल रहा है	ग्राहक द्वारा आवश्यकताओं में परिवर्तन किये जाने कारण कार्य में विलंब हुआ	आवश्यकताएं बंद कर दी गई हैं और जनवरी, 2004 में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग							
3.1	बेगमपेट, हैदराबाद में तकनीकी एवं कार्यालय भवन का निर्माण	369.58	मई, 2000	89%	दिसम्बर, 2003	फाइनल फिनिशिंग कार्य चल रहा है	अपर्याप्त निधियां उपलब्ध	निधियां आबंटित करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	वित्त मंत्रालय							
4.1	आयकर विभाग गुडीवाड़ा (सिविल) के कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण तथा आंतरिक विकल्पिकरण एवं स्ट्रीट लाइटिंग (क) भवन भाग (ख) विकास कार्य	116.96	अगस्त, 2000	93%	जनवरी, 2004	फाइनल फिनिशिंग कार्य चल रहा है	दूरस्थ स्थान और सामग्री एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलंब हुआ	जनवरी, 2004 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।
4.2	रोड न० 10 बंजरा, हिल्स, हैदराबाद में आयकर विभाग के लिए 111 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	1254	मार्च, 2002					
	(क) 6 सं० टाइप-v और 12 सं० टाइप-vi क्वार्टर			28%	अगस्त, 04	फाउंडेशन कार्य चल रहा है		
	(ख) 90 सं० टाइप-iv क्वार्टर			13%	दिसम्बर, 04	कार्य चल रहा है		
4.3	ए०सी० गार्ड हैदराबाद आयकर टावरों का निर्माण		जुलाई, 02	9%	अगस्त, 04	फाउंडेशन कार्य चल रहा है		
5.	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय							
5.1	बिजयवाड़ा में सामान्य पूल कार्यालय आवास का निर्माण	748.39	मार्च, 1999				कठिन स्थल परिस्थितियों और स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण कार्य में विलंब हुआ	अंतिम निर्णय ले लिया गया है। पाइल फाउंडेशन पूरा हो गया है और सुपर स्ट्रेक्चर कार्य चल रहा है।
	(क) पाइल फाउंडेशन			100%	अक्तूबर, 03	(क) पाइल फउंडेशन पूरा हो गया है		
	(ख) सुपर स्ट्रेक्चर			3%	जनवरी, 05	(ख) भूमि तल स्लैब कार्य चल रहा है		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	खान मंत्रालय							
6.1	विजाग में जीएसआई के लिए कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन का निर्माण (क) निर्माण (ख) विकास कार्य	465.54	अप्रैल, 02	48%	सितम्बर, 04	संरचनात्मक कार्य पूर्ण		
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय							
7.1	टी०बी० अस्पताल, युसूफगुडा, हैदराबाद में ड्रग कंट्रोल प्रयोगशाला का निर्माण			3%		ग्राहक की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य रुका हुआ है	ग्राहक के अनुरोध पर कार्य रोक दिया गया	निर्माण कार्य जारी रखने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अनुमति देने हेतु ग्राहक मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है।
8.	मुख्य शीर्ष : 4059 रिहायशी भवन							
8.1	जीसी/सीआरपीएफ, जवाहर नगर आर आर जिला, आंध्र प्रदेश के लिए स्टोर ब्लोक	169.89	दिसम्बर 01	85%	जनवरी, 04	फिनिशिंग कार्य चल रहा है		
8.2	सीआरपीएफ/जीसी, जवाहर नगर आरआर जिला के लिए 1 सं० 180 मेन बैरेक्स का निर्माण	226.97	फरवरी, 03	40%	जुलाई, 04	प्रथम तल स्लैब कास्टिंग का कार्य चल रहा है		
8.3	हैदराबाद में जीसी/सीआरपीएफ के लिए 45 फैमलि क्वार्टरों को निर्माण (18 टी-II और 27 टी-III क्वार्टर)	206.80	मई, 02	85%	जनवरी, 04	सुधार संरचना में ईंट कार्य तथा फिनिशिंग कार्य चल रहा है		
9.	आरएएफ/सीआरपीएफ (एमएच-4055-रिहायशी भवन)							
9.1	जवाहर नगर आरआर जिला में 99 आरएएफ के लिए एसओ का मैस और डोरमिट्री	186.01	मार्च, 02	90%	जून, 04	फिनिशिंग और फ्लोरिंग कार्य चल रहा है		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2	जवाहर नगर में 99 बटालियन आरए एफ के लिए प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	102.20	अगस्त, 02	32%	मार्च, 04	प्रथम तल स्लैब कास्टिंग कार्य चल रहा है		
9.3	99 बटालियन आरएएफ, जवाहर नगर आरआर जिला के लिए 196 फैमलि क्वार्टरों को निर्माण टाइप-I, II, III, IV, V और VI क्वार्टर 13 टाइप-III क्वार्टर (शेष कार्य)	921.40	फरवरी, 01	98% 75%	मार्च, 04 मार्च, 04	शेष कार्य (टाइप-III क्वार्टर) दिया गया है		
10.	सीआईएसएफ निसा कार्य 4055-कार्यालय भवन							
10.1	सीआईएसएफ, एनआईएसए, हैदराबाद के लिए ग्रुप हैड क्वार्टरसे का निर्माण	343.43	सितम्बर, 98	0%	नवम्बर, 04	कार्य शुरू कर दिया गया		

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
(एन०बी०सी०सी०)

3141. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि० की वर्तमान भूमिका क्या है;

(ख) क्या एन०बी०सी०सी० केवल सरकारी परियोजनाओं पर ही कार्य करती है;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों के अंतर्गत एन०बी०सी०सी० कार्य करती है;

(घ) क्या सरकार का विचार एन०बी०सी०सी० को दूरस्थ क्षेत्रों में कतिपय कार्यों तक सीमित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह भी सच है कि एन०बी०सी०सी० ने अपने मूल मुख्य विशेषज्ञताओं से आगे विविधीकरण किया है;

(च) यदि हां, तो एन०बी०सी०सी० द्वारा अपने मुख्य विशेषज्ञताओं के अन्दर ही कार्य कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार ने एन०बी०सी०सी० के कार्य-निष्पादन और कार्य-करण की समीक्षा की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा एन०बी०सी०सी० को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एन०बी०सी०सी०) केन्द्रीय सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो देश के भीतर अनेक स्थानों पर तथा विदेशों में कुछ स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्यों/परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है। इसके कार्य वाणिज्यिक प्रकृति की होते हैं।

(ख) एन०बी०सी०सी० केन्द्रीय सरकार व अन्य संगठनों की परियोजनाओं पर कार्य करती है।

(ग) कोई विशिष्ट शर्तें नहीं हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एन०बी०सी०सी० ने अपने मूल मुख्य विशेषज्ञताओं से आगे विविधीकरण नहीं किया है।

(छ) और (ज) सरकार एन०बी०सी०सी० के निष्पादन और कार्यप्रणाली की नियमित मानीटरिंग/समीक्षा करती है। सरकार और एन०बी०सी०सी० के बीच हर वर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें एन०बी०सी०सी० द्वारा पूरे किए जाने वाले निष्पादन लक्ष्य/पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। एन०बी०सी०सी० समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रही है। एन०बी०सी०सी० का निदेशक मंडल, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, एन०बी० सी०सी० के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा भी करता है।

(झ) सरकार एन०बी०सी०सी० को संगठनात्मक और प्रशासनिक मामलों पर समय-समय पर सहायता प्रदान करती है। अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर एन०बी० सी०सी० को एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में कार्य करने हेतु प्रचालनात्मक छूट प्रदान की गई है।

बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र में भारतीय एन्क्लेव

3142. **श्री अमर राय प्रधान : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र में भारतीय एन्क्लेवों में भारतीय नागरिकों के जीवनयापन की खराब स्थिति के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय नागरिकों के जीवनयापन की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) और (ख) बांग्लादेश में भारतीय इन्क्लेवों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में माननीय संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार, 1974 के भूमि सीमा समझौते की शर्तों के अनुसार इन्क्लेवों की अदला-बदली के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार, बांग्लादेश में इन्क्लेवों तक पहुंच के अभाव के कारण इन्क्लेवों में रह रहे राष्ट्रिकों को कोई सेवा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। भारत सरकार और बांग्लादेश ने, इस समस्या और 1974 के समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लम्बित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त-सीमा कार्यकारी ग्रुपों की स्थापना की है।

लोकपाल-विधेयक

3143. **श्री सुरेश कुरूप :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकपाल-विधेयक, संसद में सबसे अधिक समय से लंबित विधेयकों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विधेयक को शीघ्र पारित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) लोकपाल-विधेयक, 2001, दिनांक 14.8.2001 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया। बाद में यह विधेयक, जांच- पड़ताल किए जाने और उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए गृह-मंत्रालय की विभाग-संबद्ध स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया। उपर्युक्त स्थायी समिति ने दिनांक 31.12.2001 को अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त स्थायी समिति ने इस विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें कीं, जिनकी विधि और न्याय-मंत्रालय से परामर्श करके जांच-पड़ताल कर ली गई है। उपुर्यक्त स्थायी समिति द्वारा की गईं विभिन्न टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर तैयार किया गया लोकपाल-विधेयक, 2001, उसमें आवश्यक आधिकारिक संशोधनों सहित, इस समय, लोक-सभा में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित चल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन

3144. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खेलकूद उपकरण और खेल मैदान हेतु ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान की योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों को सहायता दी गयी है; और

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और वास्तव में कितनी व्यय की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) वर्ष 2002-03 के दौरान, खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास हेतु ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत, 27.53 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ उड़ीसा के 39 ग्रामीण स्कूलों को सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) 2002-03 के दौरान, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान 320.00 लाख रुपये था, जिसके मुकाबले खर्च हुआ वास्तविक व्यय 311.00 लाख रुपये था।

नागपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण

3145. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नागपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के कितने कोच कार्य कर रहे हैं और क्या और कोच उपलब्ध कराने की मांग की गयी है;

(घ) क्या नागपुर में प्रस्तावित भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) केन्द्र की योजना पर एस०ए०आई० के प्रतिनिधियों और महाराष्ट्र सरकार द्वारा चर्चा की गयी है और अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो नागपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, नागपुर विश्वविद्यालय में एक बैडमिंटन प्रशिक्षक और क्षेत्र से प्रतिभावान बैडमिंटन, बास्केटबाल और टेबल टेनिस खिलाड़ियों को खेल संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशिक्षण केन्द्र (डी०सी०सी०) नागपुर में बास्केटबाल और टेबल टेनिस प्रशिक्षक की भी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, वर्तमान में, नागपुर में और अधिक भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई मांग नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना

3146. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा शुरू की गयी नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण महिलाओं विशेषत: पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है और दसवीं योजनावधि के दौरान राज्यवार कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जहां तक ग्रामीण मंत्रालय का संबंध है, देश में ग्रामीण महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम०सी०एल० में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार

3147. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि० के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भूतल पर खनन के ठेका कार्य में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा किसी अन्य जांच एजेंसी ने वर्ष 2002-2003 के दौरान इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) उक्त अनियमितताओं के दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) महानदी कोलफील्ड्स लि० की खानों में सतही खनिकों को नियोजित करने के लिए अगस्त, 2001 में एक निविदा निकाली गयी थी। निविदा की क्रियाविधियों, कार्य-आवंटन तथा पूर्व की निविदा के एवज में कार्य-विस्तार में भी अनियमितताएं पायी गयी थी।

(ग) और (घ) मामले की मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोल इंडिया लि० के माध्यम से जांच करवाई गई थी तथा आठ अधिकारी, अर्थात् – तीन महाप्रबंधक, तीन मुख्य महाप्रबंधक तथा दो बोर्ड स्तरीय अधिकारियों को अनियमितिताओं में प्रथम दृष्ट्या शामिल पाया गया।

(ङ) और (च) यद्यपि चार अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं फिर भी तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की गयी है और अन्य एक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत योजनाएं

3148. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि के अनुसार त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत और अनुमोदित योजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : दिनांक 17.12.2003 की स्थिति के अनुसार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत तथा अनुमोदित की गयी स्कीमों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

दिनांक 17.12.2003 की स्थिति अनुसार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
(ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०)

क्रम सं०	राज्य	अनुमोदित की गयी स्कीमों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	14
4.	बिहार	21
5.	छत्तीसगढ़	35
6.	गोवा	4
7.	गुजरात	48
8.	हरियाणा	31
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	जम्मू कश्मीर	4
11.	झारखंड	9

1	2	3
12.	कर्नाटक	34
13.	केरल	10
14.	मध्य प्रदेश	127
15.	महाराष्ट्र	25
16.	मणिपुर	21
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैण्ड	2
20.	उड़ीसा	26
21.	पंजाब	10
22.	राजस्थान	51
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	52
25.	त्रिपुरा	9
26.	उत्तर प्रदेश	345
27.	उत्तरांचल	18
28.	पश्चिम बंगाल	13
	योग	944

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3149. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को "मानद विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है जिन्हें मानद विश्वविद्यालय का पहले ही दर्जा प्रदान कर दिया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थानों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य किए गए;

(घ) इन अनुसंधान संस्थानों में ओ०बी०सी० को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास समूह क, ख और ग में ओ०बी०सी० के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की विस्तृत रिपोर्टें हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मंत्रालय के अंतर्गत कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पेयजल में फ्लुरोसिस के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट

3150. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेयजल में फ्लुरोसिस की मात्रा के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और वर्ष 2004 तक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12,545 करोड़ रुपये की योजना के भाग के रूप में इस समस्या के निदान के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इसने इसकी जांच करा ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस० पी०) नामक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्यों में प्रयासों में मदद करती है। ए०आर० डब्ल्यू०एस०पी० के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का 15 प्रतिशत भाग पेयजल से संबद्ध गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए, जिनमें सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों के आधार पर फ्लूओराइड की अधिकता से उत्पन्न समस्याएं शामिल हैं, उप-मिशन कार्यक्रमों के लिए हैं।

केवल गुणवत्ता समस्या को हल करने के लिए ही उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए उप-मिशन गठित किये गये

हैं। दिनांक 31.3.1998 तक 18 राज्यों में गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए 1231.54 करोड़ रुपए की लागत से 100 योजनाएं अनुमोदित की गई थीं। इसके पश्चात् गुणवत्ता समस्या को हल करने वाली योजनाओं को मंजूर करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

एस्बेस्टॉस के खनन पर प्रतिबंध

3151. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् एस्बेस्टॉस के खनन पर से प्रतिबंध हटा लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्य देशों से एस्बेस्टॉस का आयात करने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) एस्बेस्टॉस का खनन पहले से ही खनन पट्टे के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, सभी संबंधितों के स्वास्थ्य पर एस्बेस्टॉस खनन के खतरनाक प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने एस्बेस्टॉस तथा उसके साथ पाये जाने वाले खनिजों के खनन के लिए कोई नये पट्टे मंजूर न करने तथा एस्बेस्टॉस के मौजूदा खनन पट्टों का नवीकरण न करने का निर्णय लिया है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) एस्बेस्टॉस के आयात को मुख्यत: एस्बेस्टॉस के घरेलू उत्पादन के तौर पर अनुमति दी जा रही है, खासकर एस्बेस्टॉस सीमेंट की शीटें, एस्बेस्टॉस प्रेसर पाइप, एस्बेसटॉस क्लॉथ, ब्रेक लाइनिंग आदि के विनिर्माण इकाइयों की मांग को पूरा करने में क्रिसोटाइल एस्बेस्टॉस अपर्याप्त है। घरेलू तौर पर उपलब्ध एम्फीबोलाइट एस्बेस्टॉस उपर्युक्त कथित प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसका प्रयोग अधिकतर उष्मा इन्सुलेशन तथा एसिड के उपचार के लिए होता है।

वृद्ध कैदियों को रिहा किया जाना

3152. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिला कैदियों सहित अशक्त और वृद्ध कैदियों को समयपूर्व रिहा करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों के जारी होने के समय से समयपूर्व रिहा किए गए अशक्त कैदियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के तत्संबंधी निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन हेतु इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खनन विरोधी समूहों द्वारा समझौता ज्ञापन रद्द किया जाना

3153. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विरोधी समूहों ने भारत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच हुए सभी समझौता ज्ञापनों को रद्द करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन समूहों द्वारा किन खनिजों के लिए समझौता ज्ञापन का विरोध किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान मंत्रालय को खनन विरोधी समूहों से भारत और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने की मांग के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

क्वायर बोर्ड को बढ़ावा

3154. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वायर बोर्ड द्वारा क्वायर गूदा के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या क्वायर बोर्ड को तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में क्वायर गूदा आधारित उद्योग की स्थापना करने हेतु तमिलनाडु के जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्वायर बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) कॉयर बोर्ड ने कॉयर गूदे के अधिकतम उपयोग के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है :–

(i) कॉयर गूदा संसाधन इकाइयों सहित कॉयर संसाधन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ii) भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियों में कॉयर गूदा उत्पादों को प्रदर्शित करना;

(iii) पोलाची (तमिलनाडु) में एक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जहां कॉयर गूदे की जांच की जा सके और प्रमाणपत्र प्राप्त किया सके;

(iv) कॉयर गूदे को आरगैनिक खाद में बदलने का फील्ड प्रदर्शन किया जाता है; और

(v) कॉयर गूदे के उत्पादों के विभिन्न पैरामीटर्स के सत्यापन के पश्चात् गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। परन्तु कॉयर बोर्ड, कॉयर गूदा आधारित उद्योग की स्थापना अपने स्तर पर नहीं करता। यह ऊपर (क) में वर्णित तरीके से कॉयर गूदा आधारित उद्योग स्थापित करने में केवल सहायता तथा सुविधा प्रदान करता है। प्राप्त आवेदन-पत्रों को उद्योग निदेशक को तथा वाणिज्य, तमिलनाडु सरकार को अग्रेषित किया गया है।

सांविधिक विकास बोर्ड

3155. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कार्यरत सांविधिक विकास बोर्डों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे बोर्डों की स्थापना हेतु नए प्रस्ताव जांचाधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) इस समय, महाराष्ट्र में तीन सांविधिक विकास बोर्ड नामत: विदर्भ विकास बोर्ड, मराठवाड़ा विकास बोर्ड और शेष महाराष्ट्र हेतु विकास बोर्ड कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार का इस समय कोई भी नया विकास बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हुडको का वित्तीय निष्पादन

3156. **श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आवास वित्त पर ब्याज दर में हुई कटौती का आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय निष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हुडको की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) ने दिनांक 18.11.2003 से अपनी ऋण दरें कम की हैं। इस कमी से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। हुडको के वित्तीय निष्पादन की, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परिक्षित लेखों के संदर्भ में हर वर्ष जांच की जाती है। वर्ष 2001-02 तक सरकार की समीक्षा रिपोर्ट तथा कपंनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे संसद में रखे जा चुके हैं। निष्पादन के अलावा, कंपनी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में सम्मत पैरामीटर के संदर्भ में इसकी तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) सरकार ने कंपनी में इक्वटी अंतर्वेशन के स्तर में वृद्धि की है और 10वीं योजना के दौरान 1000 करोड़ रु० के नियतन की तुलना में वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान 480.60 करोड़ रु० की इक्विटी का अंशदान किया है। सरकार कंपनी के ब्याज व्यय को कम करने के लिए हुडको के पिछले ऊंची लागत के ऋणों को निपटाने में उसकी मदद कर रही है। इसके अलावा कंपनी को यह परामर्श दिया गया है कि वह चूक के मामलों पर कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित करें व महत्व दे।

वैधानिक एसोसिएशनें

3157. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन शीर्ष निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली है कि वे इस संबंध में बने नियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी एसोसिएशनों के लिए नियमों को किस हद तक लागू किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने तथा उनके स्थान पर और अधिक सक्षम और आधुनिक प्रणाली लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जो ऐसे सभी निकायों को दिशा-निर्देश दें ताकि उससे देश का युवा वर्ग लाभान्वित हों और उन्हें उचित और विश्वसनीय माने; और

(घ) वर्तमान में ऐसे अनुबंधों का अध्ययन व समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) खेलों का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन०एस०एफ०) की जिम्मेदारी होती है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकाय है और अपने कार्यकरण में ये स्वायत्तशासी होते हैं। इनका प्रबंधन उनके संबंधित संविधान के अनुसार होता है। तथापि इनके प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न खेल संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चूंकि खेल भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय खेल परिसंघों के कार्यकरण पर नियंत्रण सहित खेल के किसी भी मामले पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में टीमों की भागीदारी खेल उपस्कर की खरीद तथा अन्य संबंधित खेल गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता जारी करने की बात को नियंत्रित करने हेतु कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ कुल मिलाकर इन दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय खेल परिसंघ उन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं जिनका उनके पदाधिकारियों के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) विद्यमान दिशानिर्देश संशोधन हेतु विचाराधीन है।

अर्द्ध-सैनिक बलों की मांगें

3158. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में मारे गए अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों के आश्रितों और उनको दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने के संबंध में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मिलने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अर्द्धसैनिक बल के पहचान किए गए अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु ऐसे सभी आश्रितों के लिए विज्ञापन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे आश्रितों से न मिलने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि कश्मीर में मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को अपनी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनकी शिकायतों को उचित स्तर पर सुना जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से प्राप्त सूचना अनुसार संबंधित कल्याण अधिकारियों/शिकायत सुनने वाले अधिकारियों के नाम/पदनाम कार्यालय परिसरों में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित/अधिसूचित किए जाते हैं। विशेष सेवा ब्यूरो ने अपनी फील्ड फारमेशनों को समनुरूप आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में यूनिट/ग्रुप के वरिष्ठतम अधिकारी को आश्रितों की शिकायतों से निपटने के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। प्रतिनियुक्ति आधारित बल होने के कारण मूल बल से संबंधित मामलों की यथोचित कार्रवाई के लिए मूल बलों को भेजा जाता है।

रोजगार और मुआवजे हेतु आवेदन

3159. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष 2003 में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि० द्वारा विस्थापित व्यक्तियों और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड/भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से रोजगार और मुआवजे हेतु कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : रोजगार तथा मुआवजे के लिए मृत कर्मचारियों के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है :–

क्रम सं०	कम्पनी	प्राप्त आवेदनों की संख्या			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (नवम्बर 03 तक)
1.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	509	611	596	414
2.	भारत कोकिंग कोल लि०	896	798	623	442

विगत वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष 2003 के दौरान विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों की वर्ष-वार स्थिति :–

क्रम सं०	कम्पनी	प्राप्त आवेदनों की संख्या			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (नवम्बर 03 तक)
1.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	66	78	51	77
2.	भारत कोकिंग कोल लि०	121	28	40	12

पेट्रोकैमिकल्स विजन-2010

3160. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''पेट्रोकेमिकल्स विजन-2010'' मसौदा तैयार करने के लिए गठित सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ''पेट्रोकेमिकल्स विजन 2010 एडवाइजरी ग्रुप'' नामक कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक परिदृश्य, पेट्रोकैमिकल उद्योग तथा इसके वर्धन एवं विकास, पेट्रोरसायनों के विश्वव्यापी परिदृश्य, भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग की वर्तमान स्थिति, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु मांग प्रेक्षणों, भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग में प्रतिस्पर्धा और नीतिगत मामलों के संबंध में एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया है। इन मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद कृतिक बल ने विभिन्न सिफारिशें की हैं जिनमें फीडस्टॉक की उपलब्धता एवं इस पर आयात शुल्क, पेट्रोरसायनों एवं उनके उत्पादों पर टैरिफ को तर्कसंगत बनाने संबंधी विभिन्न सिफारिशें और उद्योग की आधारभूत आवश्यकताएं शामिल हैं। कृतिक बल ने कुछ सामान्य सिफारिशें भी की हैं जिनमें लघु उद्योगों हेतु आरक्षण, प्लास्टीकल्चर में पेट्रोरसायनों का उपयोग, जूट पैकेजिंग मैटीरियल एक्ट, 1987, पॉलिमर/पेट्रोरसायन उद्योग के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्लास्टिक सामग्री/अपशिष्ट पदार्थों का उपयुक्त रूप से निपटान एवं उनका पुन: उपयोग, श्रम कानून, उद्योग के लिए पूंजीगत लागत आदि जैसे विषय निहित हैं।

(ग) और (घ) चूंकि कृतिक बल की कुछ मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, इसलिए कृतिक बल की रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों को परिचालित की गई हैं और पेट्रोरसायन उद्योग तथा इसके डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उनके विचार/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3161. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले से ही ऐसा दर्जा प्राप्त अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थानों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्थानों द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं अथवा कार्यों को किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों में अ०पि० वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से अ०पि० वर्गों के समूह क, ख और ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान क्रियाकलाप करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एकमात्र संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद को आबंटित की गयी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(रुपये लाख में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना
2000-01	500.00	760.00
2001-02	500.00	755.00
2002-03	545.00	755.00

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों और आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	अनुसंधान अध्ययन	प्रशिक्षण कार्यक्रम
2000-01	36	155
2001-02	57	162
2002-03	64	177

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत तक की भागीदारी प्रदान करने के सरकारी आदेशों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) समूह क, ख एवं ग हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी आदेशों की प्रभावी तिथि, 08.09.1993 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या निम्नानुसार है :–

समूह क	–	02
समूह ख	–	01
समूह ग	–	06

मानवाधिकारों का ध्यान रखने हेतु सेना और अर्द्धसैनिक बल के लिए दिशा-निर्देश

3162. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के शोपियन क्षेत्र में सेना द्वारा छात्राओं के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कथित छेड़छाड़ और उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत दर्ज कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबद्ध प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार सिद्धान्त का ध्यान रखने हेतु सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें चौधरी गुंड में पड़ाव डाले सेना के जवानों द्वारा शोपियान कन्या उच्चतम माध्यमिक स्कूल और राजकीय कालेज, शोपियान जिला, दक्षिणी कश्मीर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें तंग करने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर, आयोग ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार से रिपार्ट मांगी है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर, निर्देश जारी किए हैं कि वे मानवीय रूप से व्यवहार करे और मानवाधिकारों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है, जांच तत्परता से की जाती है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों ने मानवाधिकार को पढ़ाने और प्रशिक्षण को, प्रशिक्षण का अभिन्न और आवश्यक अंग बनाया है।

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

3163. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने हेतु राज्य सरकारों के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लक्ष्य तिथि 15 अक्तूबर, 2003 निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक केवल आठ राज्यों ने केन्द्र सरकार के साथ सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो अभी तक किन-किन राज्यों ने सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर शेष राज्यों के कब तक हस्ताक्षर करने की संभावना है;

(ङ) इस निधि से अब तक राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(च) शहरी सुधारों हेतु इस निधि का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान देने के प्रस्ताव को 28.6.2003 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 30.9.2003 तक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर करने के लिए एक समय अनुसूची नियत की गई थी। तथापि, उसके बाद भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) अब तक तेरह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में कांट-छांट की है।

(ग) जैसाकि सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना/समझौता ज्ञापन में कांट-छांट करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की इच्छा पर पूर्णतया निर्भर करता है।

(ङ) जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) जैसे ही राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर/समझौता ज्ञापन में कांट-छांट किए जाते हैं इस मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को यह सलाह दी जाती है कि वह सहमत शहरी सुधारों के लिए दिए गए कुल महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003-04 के लिए स्वीकार्य अनुदान का 50% प्रदान करें। वर्ष 2003-04 के लिए अनुदान का शेष 50% सहमत सुधारों के वांछित स्तर को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किए जाने वाले आकलन के बाद ही प्रदान किया जायेगा। भावी वर्षों में प्रदान की जाने वाली राशि प्रत्येक सहमत सुधार क्षेत्र के लिए उस वर्ष हेतु नियत किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
1	2
1.	अरुणाचल प्रदेश **
2.	असम #
3.	बिहार #
4.	गोवा **
5.	गुजरात #
6.	हिमाचल प्रदेश #
7.	जम्मू कश्मीर **
8.	झारखंड #
9.	मेघालय **
10.	मिजोरम #
11.	पंजाब **
12.	राजस्थान **
13.	सिक्किम #
14.	उत्तर प्रदेश #
15.	उत्तरांचल **
16.	दादरा व नगर हवेली *
17.	दमन व दीव #
18.	लक्षद्वीप *
19.	पाण्डिचेरी #

*दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि यू०आर०आई०एफ० स्कीम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि दादरा और नगर हवेली में कोई नगर पालिका नहीं है। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने यू०आर०आई०एफ० स्कीम के अंतर्गत सुधार के सात क्षेत्रों में से छः क्षेत्रों में पहले ही कार्यान्वित कर ली है तथा इसलिए समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर करने का कोई इरादा नहीं है।

**ये राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। इन राज्य सरकारों को आवश्यक कागजात पहले भेज दिए गए हैं तथा इन राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

#इन राज्यों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से शीघ्र उत्तर भेजने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शहरी आबादी के प्रतिशतता के अनुसार 500 करोड़ रुपये में से कुल आबंटन (करोड़ रुपये में)	किए जाने वाले सहमत सुधारों को ध्यान में रखते हुए आबंटन की कुल पात्र राशि (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	47.25	38.20
2.	मध्य प्रदेश	28.20	28.20
3.	छत्तीसगढ़	7.30	5.84
4.	त्रिपुरा	0.95	0.95
5.	कर्नाटक	31.40	18.84
6.	महाराष्ट्र	71.85	71.85
7.	मणिपुर	1.00	0.80
8.	केरल	14.50	14.50
9.	हरियाणा	10.70	8.56
10.	चंडीगढ़	1.40	1.40
11.	आंध्र प्रदेश	35.95	17.975
12.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.20	0.20
13.	पश्चिम बंगाल	39.40	19.70
14.	उड़ीसा	9.65	9.65
15.	नागालैंड	0.60	0.42
16.	दिल्ली	22.45	17.96

नोट : समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर किए जाने/समझौता ज्ञापन में कांट-छांट किए जाने के बाद कुल पात्र राशि का 50% प्रदान किया जाना है। सचिव (यू०ई०पी०ए०) की अध्यक्षता में गठित अधिकार पात्र समिति द्वारा प्रगति का आकलन किए जाने के बाद शेष राशि प्रदान की जाएगी।

आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा

3164. **श्री रामजी मांझी :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता, परचून प्रभाग और स्टेशनरी मदों से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों से आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को दालों, चावल और आटे आदि की खराब गुणता और बाजार से अधिक मूल्यों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा किए जाने पर विचार करते समय, पहले से और अधिक सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा तदनुसार वस्तुएं मंगवाए जाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई और अधिकतम मूल्य हासिल किए जाने से जुड़ा लाभ लेने एवं वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय भंडार के निदेशक-मंडल द्वारा नई क्रय नीति, 2003 अनुमोदित कर दी गई।

(ग) केन्द्रीय भंडार को, उपभोक्ता, किराना तथा लेखन-सामग्री की वस्तुओं के संबंध में, निर्माताओं/वितरकों के पंजीकरण के 850 आवेदन मिले हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भंडार में दालें और चावल मंगवाने के सिलसिले में दालों और चावल के नमूने लेकर उनका अन्तरराष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है तथा उसके उपरांत दालें और चावल बिक्री हेतु स्टोरों को वितरित कर दिए जाते हैं। गेहूं के चक्की के आटे के एग्मार्क उत्पाद होने के कारण उसके मामले में, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आटे की मिलों द्वार मुहैया करवाए गए आटे में से प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने हेतु समय-समय पर नमूने लिए जाते हैं। केन्द्रीय भंडार, उत्पादों को अधिकतम खुदरा मूल्य से निम्नतर दरों पर बेचता आ रहा है। केन्द्रीय भंडार को कुछ शिकायतें मिली हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है तथा जहां कहीं अपेक्षित होता है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय भंडार लगातार, दाल, चावल और आटा की गुणवत्ता सुधारने और यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि वस्तुओं की कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक हों।

कोल इंडिया लि० में कर्मचारियों/अधिकारियों को उपदान

3165. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वषो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सेवानिवृत्त और मृत्यु के बाद सहायक कंपनी-वार कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को उपदान दिया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कितने कर्मचारी, ठेका कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्त हुए और कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ग) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सेवावृत्ति के दिन/मृत्यु के दिन उपर्युक्त में से कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को उपदान दिया गया;

(घ) सेवानिवृत्ति के दिन मृत्यु के 30 दिनों के भीतर ऐसे कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को उपदान दिया गया;

(ङ) सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक महीने के भीतर कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को उपदान नहीं दिया गया;

(च) क्या विलंब से किए गए भुगतान की अवधि के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान किया गया;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को ब्याज दिया गया है;

(ज) क्या सरकार को अतिविशिष्ट व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उपदान की राशि का भुगतान न करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) पिछले 3 वर्षों में सेवा-निवृत्ति और मृत्यु के पश्चात् उपदान दिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

कम्पनी	2000-01	2001-02	2002-03	2003-(नवम्बर 03 तक)
1	2	3	4	5
ईस्टन कोलफील्ड्स लि०	6973	7802	5414	2831
भारत कोकिंग कोल लि०	6707	6871	5687	3407
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	1179	1639	1751	1573
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1226	1213	1226	822
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	2136	2186	2272	1745
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	173	197	207	146
महानदी कोलफील्ड्स लि०	465	253	395	240
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	111	139	212	120
सेन्ट्रल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लि०	55	111	71	59
कोल इंडिया लि०	56	72	55	43

(ख) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्त हुए तथा दिवंगत हुए महानदी कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारियों, ठेके पर रखे गए कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (नवम्बर 03 तक)
सेवा-निवृत्त	401	211	327	195
दिवंगत	79	65	85	60

(ग) 130

(घ) 243

(ङ) 980

(च) और (छ) अधिकतर मामलों में भुगतान में विलम्ब के कारण हैं :– जांच का लंबित होना, सतर्कता ममलों का लंबित होना तथा सेवा-निवृत्ति के बाद क्वार्टरों को खाली न किया जाना। केवल 3 मामलों में महानदी कोलफील्ड्स लि० में उपदान की देर से अदायगी के लिए ब्याज का भुगतान किया गया था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(i) दिनांक 30.11.2002 को सेवा-निवृत्त हुए श्री के०आर०के० दयाल, भूतपूर्व उप मुख्य इन्जीनियर (ई० एण्ड एम०) को 22,246.57 रु० के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ii) श्री एन० कुमार, भूतपूर्व महा प्रबंधक (संयोजन), को 32 दिनों के लिए 2761.64 रु० के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(iii) श्री जोगेश्वर पाण्डा, भूतपूर्व ड्रैगलाइन आपरेटर, जगन्नाथ क्षेत्र को 78607.43 रु० के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ज) से (ञ) एम०सी०एल० में उत्पादन राशि की गैर-अदायगी के बारे में जन प्रतिनिधियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई, तो उन्हें उपयुक्त कार्रवाई किए जाने हेतु सम्बद्ध कोयला कंपनियों को भेजा गया था और सभी शिकायतों के निपटान का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है।

अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

3166. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले से ही ऐसा दर्जा प्राप्त अनुसंधान संस्थानों की सूची क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थाओं को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्थाओं द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाओं अथवा कार्यों को किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों में अ०पि० वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से अ०पि० वर्गों के समूह क, ख और ग में प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापना की गई है और इसे अपनी डिग्रियां प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नाइपर को आवंटित योजना कोष :

वर्ष		धनराशि (रु० लाख में)
2000-01	—	900.00
2001-02	—	1610.00
2002-02	—	1851.00

संस्थान द्वारा निष्पादित प्रमुख परियोजनाएं और निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न हैं।

(घ) से (च) नाइपर सरकार की आरक्षण नीति का पालन करती है। आज की तिथि के अनुसार समूह क, ख, ग में अ०पि० वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्थिति नीचे दी गई है :–

समूह	कुल स्वीकृत पद	अब तक कुल भरे हुए पद	अ०पि० वर्ग द्वारा भरे पद
क	113	42	2
ख	39	17	2
ग	124	60	11

विवरण

(क) परिसर के भीतर कुल 25,000 वर्ग मीटर सिविल कार्य पूरा किया गया।

(ख) विभिन्न अनुसंधान समूहों और विभागों के लिए बुनियादी जनशक्ति की आवश्यकता आरंभ की गई।

(ग) विभिन्न लक्ष्यित औद्योगिक समूहों, अकादमिक संस्थानों से प्रारंभिक संपर्क स्थापित किए गए।

(घ) विशेषज्ञ अनुसंधान आधारित सेवाओं की स्थापना की गई और उद्योग को इसकी पेशकश की गई।

(ङ) संस्थान ने औषध प्रबंधन विभाग और फार्मेसी प्रैक्टिस नामक दो नये विभागों को जोड़ा है।

(च) अकादमी, उद्योग और विनियामक एजेंसियों के लिए लघु-अवधि और मध्यम अवधि की लगभग 20 पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(छ) 107 अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन किया गया।

(ज) भारत में 14 पेटेंट दायर किए गए।

(झ) सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 57 प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए।

(ञ) एकक प्रसंस्करणों के लिए उपयोगी पर्यावरण-अनुकूल रासायनिक प्रसंस्करण विकसित किए गए।

(ट) एंटी-लेश्मैनियल और एंटी-डाएबेटिक एजेंटों के परीक्षण के लिए विट्रो मॉडल का विकास।

(ठ) डब्ल्यू०एच०ओ० प्रोटोकॉल के अनुसार एंटी-ट्युबरकुलर औषधों की नियत खुराक के सम्मिश्रण (एफ०डी०सी०) की जैव-उपलब्धता संबंधी अध्ययन।

पदक विजेताओं को पेंशन

3167. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं को पेंशन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में कितने ओलंपिक खिलाड़ी यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) जी, हां। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि की योजना के अंतर्गत, जो जुलाई, 1994 को कार्यान्वित की जा रही है, सरकार ओलंपिक्स, सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों/चैंपियनशिपों में पदक विजेताओं को पेंशन देती है। ओलंपिक पदक विजेता 2500/- रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त करते हैं। खिलाड़ियों द्वारा 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर तथा उनके जीवनपर्यन्त यह पेंशन दी जाती है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित सामान्य समिति द्वारा निधि का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 84 ओलंपिक खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रशिक्षकों का निलंबन

3168. **श्री प्रबोध पण्डा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के कई प्रशिक्षक निलंबित कर दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कुछ प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवा स्टैराइड लेने का दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। कुल 10 कोचों को इन आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है कि उनके प्रशिक्षणार्थी क्लीनिकल परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थों (डोपिंग) के दोषी पाये गये हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई०ओ०सी०) के नियमों तथा विश्व डोप-विरोधी एजेंसी (वाडा) की संहिता के अनुसार, कोच एथलीटों के सहायक कार्मिक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तथा वे डोप-विरोधी उल्लंघन के प्रतिबंध के अधीन आते हैं।

(ग) डोपिंग के लिए कोई कोच सकारात्मक नहीं पाया गया है। तथापि, कुछ खिलाड़ी प्रतिबंधित स्टैराइड्स के दोषी पाये गए हैं।

(घ) डोप विरोधी कार्यक्रम का प्रबंध भारत सरकार की 'डोप परीक्षण संबंधी स्कीम' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) द्वारा किया जाता है। सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में इन उद्देश्यों से डोप परीक्षण के लिए योजना प्रारंभ की है—(1) भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यताप्राप्त डोप नियंत्रण केन्द्र होना। (2) अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् आई०एस०ओ० 17025 द्वारा यथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का रखरखाव करना। (3) डोप के हानिकारक प्रभाव के बारे में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को शिक्षित करना। (4) औषध रहित खेलों और राष्ट्रीय डोप विरोधी योजना की जांच करना व उसके लिए तर्काधार विकसित करना। (5) खिलाड़ियों पर प्रतियोगिता के समय और जिस समय प्रतियोगिता न चल रही हो, डोप जांच संचालित करना। (6) अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। (7) मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विनियमों को विश्व डोप विरोध संहिता तथा विश्व डोप-विरोधी एजेंसी द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप संगत बनाना।

भारतीय खेल प्राधिकरण का एक डोप नियंत्रण केन्द्र (डी०सी० सी०) जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित है। डोप नियंत्रण केन्द्र ने आई०एस०ओ० 9001 2000 तथा आई०एस०ओ० 17025 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई०ओ०सी०) के मानदंडों के अनुसार, डी०सी०सी० के लिए स्थाई मान्यता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं हैं।

सरकार ने खेलों में डोपिंग की समस्या से बचाव तथा दंडात्मक दोनों ही स्तरों पर कार्रवाई की है। खिलाड़ियों को इस बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को डोपिंग के दोषी पाये गए खिलाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा उनसे अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त के लिए कहा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी कोचों द्वारा प्रशिक्षित

कुछ खिलाड़ियों के संबंध में, डोप परीक्षण में सकारात्मक पाये गए परिणामों को ध्यान रखते हुए, उनके कोचों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

अपराह्न 12.36 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं। सभा पटल पर रखे गए पत्र।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल पर पशु चिकित्सीय कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' और 'घ' पद (योधक) भर्ती नियम, 2003 जो 11 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 357 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8189/2003]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2003 जो 21 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8690/2003]

(2) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2003 जो 16 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 548(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धिपत्र जो 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 770(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8691/2003]

(3) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 780(अ) जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा मानव प्रयोग के लिए फेनफर्मिन के विनिर्माण, बिक्री अथवा वितरण का प्रतिषेध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 8692/2003]

(4) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8693/2003]

(5) (एक) आर०एस०टी० रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर०एस०टी० रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8694/2003]

(6) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 8695/2003]

(7) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8696/2003]

(8) (एक) कैंसर इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8697/2003]

(9) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8698/2003]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8699/2003]

(11) हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8700/2003]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : अध्यक्ष महोदय, मैं डा० मुरली मनोहर जोशी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8701/2003]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौडा पाटिल (यत्नाल) : महोदय, श्री नीतीश कुमार की ओर से मैं ''मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कंपनी को बुक स्टाल का आवंटन'' के बारे में श्री भीखाभाई, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7498 के 12 अप्रैल, 1984 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8702/2003]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, आज के पुनरीक्षित कार्य सूची की मद सं० 8 में उन्होंने 1984 में दिए गए उत्तर को सही करने की मांग की है। पहले, हमें जानना चाहिए कि कारण क्या हैं और वे इस उत्तर को क्यों ठीक करना चाहते हैं। दूसरे, यदि वे इसे ठीक करना चाहते हैं तो इसमें इतना विलम्ब क्यों है? इसके पीछे क्या है? इसका कारण क्या है? इसका ब्यौरा क्या है? यह मामला है जिसे हमें जानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको, जरूर अनुमति देता और मंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहता। चूंकि इस सभा में इसे पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : वे 18 वर्ष के बाद क्या सुधार करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यहां नहीं हैं और राज्य मंत्री यहां हैं। यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, फिर भी हम आगे बढ़ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री पटल पर पत्र रखने के लिए एक बार नामनिर्दिष्ट हो जाता है, मंत्री को प्राधिकृत करता है, उन्हें जानकारी देने का भी अधिकार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। किन्तु यह मद निकल चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों की जानकारी है। हम आगे बढ़ चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह विषय महत्वपूर्ण है। आप कृपया उन्हें इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री जी कृपया प्रश्न और मुख्य पाठ का सही किया हुआ भाग लाएं और इसे सभा पटल पर रखें। हम सभी इसकी जांच करेंगे। हम यही चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह नीति है या प्रश्न? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी चिन्ता समझता हूं। मैं परम्परा जिसका अब तक अनुकरण किया गया है के अनुसार चालूंगा और तत्पश्चात् मैं निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : 1984 में, क्या श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री नहीं थे? हम ब्यौरा जानना चाहते हैं *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण देना आवश्यक है। कारण नहीं दिया गया है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आशा करता हूं, आप सरकार को निदेश देंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 9 – श्री जुएल उराम।

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8703/2003]

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) पूर्व बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 2002 2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) पूर्व बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8704/2003]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8705/2003]

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

(3) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट के बारे में श्रीमती निवेदिता माने, श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक और श्री चन्द्रनाथ सिंह, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के 17 दिसम्बर, 2003 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8706/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विक्रम वर्मा जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) राष्ट्रीय युवा नीति-2002 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(2) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8707/2003]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8708/2003]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8709/2003]

(ख) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर मुम्बई के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8710/2003]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8711/2003]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993-1994 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-1995 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8712/2003]

(7) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (कार्य संचालन) संशोधन विनियम, 2003 जो 26 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53 (1)/03-डी०यू०सी० में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 8 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53(1)/03-डी०यू०सी० में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8713/2003]

(8) (एक) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8714/2003]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8715/2003]

(10) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8716/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

(क) (एक) सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8717/2003]

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002- 2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8718/2003]

(ग) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8719/2003]

(2) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 930(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट पैकेजिंग सामग्रियों में कतिपय वस्तुओं की अनिवार्य पैकेजिंग को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 8720/2003]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा- परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8721/2003]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, दुर्गापुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण). तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, दुर्गापुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8722/2003]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, सूरतकल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8723/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8724/2003]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8725/2003]

(2) (एक) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8726/2003]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8727/2003]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8728/2003]

(ग) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8729/2003]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री छत्रपाल सिंह]

(2) उपर्युक्त (1) के मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8730/2003]

(3) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8731/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जस कौर मीणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003* के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8732/2003]

*राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 सभा पटल पर 5.12.2003 को रखा गया था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गया। देखिए संख्या एल०टी० 8733/2003]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का०आ० 1097(अ) जो 24 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खंड) पर भूमि का अर्जन करने हेतु सब-डिविजनल आफीसर, नूरपुर को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का०आ० 1099 से का०अ० 1101(अ) जो 24 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 1197(अ) जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में बाईपासों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर भूमि का अर्जन करने हेतु डिप्टी कलेक्टर तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, पालनपुर, जिला बनासकांठा को प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का०आ० 1120(अ) जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14

और 76 पर भूमि का अर्जन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का०आ० 1121(अ) जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 76 के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के साथ जंक्शन प्वाइंट पर भूमि का अर्जन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

(छह) का०आ० 1122(अ) जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर भूमि का अर्जन करने हेतु झांसी कलेक्टरेट के विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

(सात) का०आ० 1064(अ) जो 16 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का०आ० 1066(अ) जो 16 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू-टिंडीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 1137(अ) जो 30 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 803(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का०आ० 1138(अ) जो 30 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (वालाजाह ताल्लुक खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 1144(अ) जो 30 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोलाघाट-खडगपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 1206(अ) जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 तथा 31ग को चौड़ा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकारियों को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 1207(अ) जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 37 को चौड़ा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकारियों को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 1242(अ) जो 30 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (विल्लुपुरम बाईपास भाग) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 1361(अ) जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 914(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का०आ० 1362(अ) जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिल्चरी-हरनगाजो खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 1285(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरलिमलाई-मदुरै खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का०आ० 1286(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (सैयद रजा बाईपास, बघीकुम्भलपुर और नौबतपुर बाईपास) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[श्री पोन राधाकृष्णन]

(उन्नीस) का०आ० 1287(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (गुलाबपुरा से स्टेशन नगर) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 1288(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (गुलाबपुरा से स्टेशन नगर तक) पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 1292(अ) जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाईस) का०आ० 1293(अ) जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का०आ० 1308(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर सतारा-पुणे खंड के कटराज बाईपास और पुणे शहर में वेस्टर्ली बाईपास के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 1309(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर सतारा-पुणे खंड के कटराज बाईपास और पुणे शहर में वेस्टर्ली बाईपास के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 1310(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा-पुणे खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 1311(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा-पुणे खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का०आ० 1312(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा-पुणे खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का०आ० 1347(अ) जो 24 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क और 8ख के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 1348(अ) जो 24 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख (पोरबंदर, जिला सीमा राजकोट) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का०आ० 1349(अ) जो 24 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राजकोट और जिला सीमा पाटन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क और 15 के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का०आ० 1375(अ) जो 28 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 1376(अ) जो 28 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (लक्ष्मणनाथ से खड़गपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतीस) का०आ० 1377(अ) जो 28 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का०आ० 1378(अ) जो 28 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर भूमि का अर्जन करने हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, उड़ीसा को समक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8734/2003]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, श्री हरिन पाठक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफीसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफीसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8735/2003]

(2) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8736/2003]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1154(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपधारी और भागीदार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार्स टू एन इश्यु एंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1157(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदारी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू एन इश्यु) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारक एजेन्सियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2003 जो 31 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 856(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर दलाल और सह-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 20 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० सेबी/एलई/20795/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और दंड देने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० सेबी/एलएडी/डीओपी/22093/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार भागीदारों का केन्द्रीय डाटा बेस) विनियम, 2003 जो 20 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० सेबी/एलई/26/2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8737/2003]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 कख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 735(अ) जो 12 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ब्याज की दर को 13 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8738/2003]

(3) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8739/2003]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) युनाईटेड इंडिया इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) युनाईटेड इंडिया इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8740/2003]

(ख) (एक) ओरियन्टल इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरियन्टल इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8741/2003]

(ग) (एक) नेशनल इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8742/2003]

(घ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8743/2003]

(ङ) (एक) जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8744/2003]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार भागीदारों का केन्द्रीय डाटाबेस) के विनिमय 1(2) और 4(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ सं० सेबी/एलई/03/22/75 जो 25 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विनियम 14 में उल्लिखित तथ्यों को विनिर्दिष्ट किया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8745/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8746/2003]

(3) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8747/2003]

(5) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2002- 2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8748/2003]

(6) (एक) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8749/2003]

(7) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[डा० संजय पासवान]

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (प्री-प्रोजेक्ट एक्टिविटीज), हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद और सर्व शिक्षा अभियान (प्री-प्रोजेक्ट एक्टिविटीज), चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8750/2003]

(9) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8751/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : महोदय, श्री तपन सिकदर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8752/2003]

(2) (एक) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवपलमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवपलमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8753/2003]

अपराह्न 12.42 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2003 को अपनी बैठक में पारित किए गए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के

लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

अपराह्न 12.43 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुमति सम्बन्धी समिति ने 22 दिसम्बर, 2003 को अपने 15वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :–

1.	श्री राजो सिंह	21 जुलाई 2003 से 22 अगस्त 2003
2.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	2 दिसम्बर 2003 से 18 दिसम्बर 2003
3.	श्री प्रकाश वी० पाटील	2 दिसम्बर 2003 में 23 दिसम्बर 2003
4.	श्री राजकुमार वंग्चा	2 दिसम्बर 2003 में 16 दिसम्बर 2003
5.	श्री वैको	2 दिसम्बर 2003 में 23 दिसम्बर 2003

क्या सभा समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.43¼ बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.43½ बजे

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तेरहवां, चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.43¾ बजे

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

चौदहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति (2003-2004) का 14वां, 15वां और 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और तत्संबंधी कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.44 बजे

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां, सैंतालीसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन

***श्री एम०एम० पलानीमनिक्कम** (तंजाबूर) : महोदय, मैं कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम०एम० पलानीमनिक्कम]

सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 34 – श्री बसुदेव आचार्य, पुन: हिन्दी में।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, अध्यक्ष महोदय को कहना नहीं चाहिए *(व्यवधान)* आप सभी के लिए समान हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सदस्य क्या चाहते हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, आप भाषा के आधार पर सदन को विभाजित नहीं कर सकते *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.44¾ बजे

[हिन्दी]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं ''जल विद्युत – एक समीक्षा'' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति (2003) का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.45 बजे

[अनुवाद]

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : महोदय, मैं ''विदेशों में स्थित सांस्कृतिक केन्द्रों के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कार्यकरण'' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.45¼ बजे

[हिन्दी]

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, मैं ''रुग्ण चीनी उद्योग और चीनी विकास निधि'' के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.45½ बजे

[हिन्दी]

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, मैं शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2003-2004 के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2003) के 45वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.45¾ बजे

[अनुवाद]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

138वां से 144वां प्रतिवेदन

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदय, मैं उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अलॉय स्टील प्लांट (ए०एस०पी०) दुर्गापुर (इस्पात मंत्रालय) की प्रचालनात्मक कार्यक्षमता और उत्तरजीविता के संबंध में समिति के 111वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 138वां प्रतिवेदन;

(2) "एस०ए०आई०एल० (इस्पात मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, विस्तार, और वित्तीय-सह-व्यापार पुनर्संरचना कार्यक्रम की कार्यान्वयन संबंधी स्थिति एक नजर में" के संबंध में समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 139वां प्रतिवेदन;

(3) नागालैंड पलप एंड पेपर मिल्स (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के पुनरुद्धार के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 140वां प्रतिवेदन;

(4) पश्चिमी बंगाल और अंडमान एवं निकोबार में कयर उद्योगों की संभावना और संवर्धन (कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) के बारे में 141वां प्रतिवेदन;

(5) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के संबंध में समिति के 123वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 142वां प्रतिवेदन;

(6) पूंजीगत सामान उद्योग के लिए समान अवसर (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के बारे में 143वां प्रतिवेदन; और

(7) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के संबंध में समिति के 124वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 144वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.47 बजे

[अनुवाद]

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में 26.11.2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं (एक) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में श्री शीशराम सिंह रवि और श्रीमती रेणूका चौधरी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 103 के 26.11.2002 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, शुद्धि क्या है? कृपया हमे बताया जाए कि आपने क्या शुद्धि की है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यदि वह चाहती हैं तो मैं आपको की गयी शुद्धि के बारे में बता सकता हूं। शुद्धि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में दिए गए आंकड़ों में की गयी थी। अनुबन्ध संलग्न था। लेकिन बाद में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने सही आंकड़े भेजे इसलिए उसमें कुछ गलती थी। कुछ त्रुटियां थी। अब उस विशेष आंकड़े को विवरण में सही कर दिया गया है।

विवरण

(i) 26.11.2002 को उत्तरित तारांकित प्रश्न सं० 103 के भाग (क) से (च) तक के उत्तर के संबंध में संलग्न विवरण में, राज्यवार विवरण के बारे में भाग (ख) का उत्तर अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2002 के लिए महिलाओं के प्रति इन अपराधों के संबंध में सभी राज्यों से प्राप्त आंकड़े केवल जून तक उपलब्ध हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक 'क' और 'ख' पर है।

उपर्युक्त उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(ख) वर्ष 2002 के लिए महिलाओं के प्रति इन अपराधों के संबंध में सभी राज्यों से प्राप्त आंकड़े केवल जून तक उपलब्ध हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक 'क' और 'ख' पर है।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में अनुलग्नक 'क' का संशोधित पाठ अनुलग्नक-'क' पर दिया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से बाद में संशोधित सूचना प्राप्त होने के कारण यह सुधार करना आवश्यक हो गया है।

त्रुटि के लिए खेद है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8490/2003]

अनुलग्नक-क

1999, 2000 और 2001 के दौरान बलात्कार, अपहरण और व्यपहरण, छेड़छाड़ और दहेज हत्या की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार			प्रतिशतता विभिन्नता		अपहरण और व्यपहरण			प्रतिशतता विभिन्नता		छेड़छाड़			प्रतिशतता विभिन्नता		दहेज हत्या			प्रतिशतता विभिन्नता	
		1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 बाद के	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 बाद के	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 बाद के	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 बाद के
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	895	944	847	5.5	-10.3	708	716	747	1.1	43	3238	3231	3338	-0.2	3.3	452	442	535	-2.2	21.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	36	33	-7.7	-8.3	40	42	32	5.0	-23.8	65	53	48	18.5	-9.4	0	0	0	—	—
3.	असम	703	762	775	8.4	1.7	1149	1101	785	-4.2	-28.7	720	777	339	7.9	-56.4	40	50	28	25.0	-44.0
4.	बिहार	1447	1570	687	8.5	-56.2	939	700	488	-25.5	-30.3	547	456	325	-16.6	-28.7	1021	1085	694	6.3	-36.0
5.	छत्तीसगढ़	एन ई	एन ई	889	—	—	एन ई	एन ई	190	—	—	एन ई	एन ई	1664	—	—	एन ई	एन ई	59	—	—
6.	गोवा	18	21	12	16.7	-42.9	7	7	6	0.0	-14.3	26	20	19	-23.1	-5.0	2	2	2	0.0	0.0
7.	गुजरात	331	330	239	-0.3	-27.6	1074	868	718	-19.2	-17.3	1083	944	764	-12.8	-19.1	94	93	88	-1.1	-5.4
8.	हरियाणा	372	421	345	13.2	-18.1	350	299	343	-14.6	14.7	553	605	461	9.4	-23.8	288	263	260	-8.7	-1.1
9.	हिमाचल प्रदेश	109	129	115	18.3	-10.9	89	95	111	6.7	16.8	297	288	303	-3.0	5.2	5	4	18	-20.0	350.0
10.	जम्मू और कश्मीर	170	183	169	7.6	-7.7	473	566	494	19.7	-12.7	507	480	622	-5.3	29.6	6	10	1	66.7	-90.0
11.	झारखण्ड	एन ई	एन ई	666	—	—	एन ई	एन ई	0	—	—	एन ई	एन ई	0	—	—	एन ई	एन ई	0	—	—
12.	कर्नाटक	301	281	293	-6.6	4.3	320	323	275	0.9	-14.9	1501	1568	1665	4.5	6.2	217	217	249	0.0	14.7
13.	केरल	423	552	542	30.5	-1.8	123	89	113	-27.6	27.0	1643	1695	2043	3.2	20.5	31	25	22	-19.4	-12.0
14.	मध्य प्रदेश	3561	3737	2724	4.9	-27.1	942	869	737	-7.7	-15.2	8054	8516	7361	5.7	-13.6	584	685	529	17.3	-22.8
15.	महाराष्ट्र	1320	1310	1239	-0.8	-5.4	727	662	861	-8.9	30.1	2766	2805	2820	1.4	0.5	395	371	336	-6.1	-9.4
16.	मणिपुर	12	8	20	-33.3	150.0	38	44	72	15.8	63.6	13	18	35	38.5	94.4	0	0	0	—	—
17.	मेघालय	27	35	30	29.6	-14.3	10	13	11	30.00	-15.4	17	8	26	-52.9	225.0	0	0	0	—	—
18.	मिजोरम	71	58	44	-18.3	-24.1	0	3	3	—	0:0	74	70	44	-5.4	-37.1	0	0	0	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.	नागालैंड	11	14	16	27.3	14.3	5	4	0	-20.0	-100.0	3	2	0	-33.3	-100.0	0	1	0	—	-100.0
20.	उड़ीसा	820	747	742	-8.9	-0.7	431	359	404	-16.7	12.5	1494	1658	1562	11.0	-5.8	234	276	297	17.9	7.6
21.	पंजाब	282	354	282	18.4	-15.6	280	292	403	4.3	38.0	198	340	321	71.7	-5.6	193	199	169	3.1	-15.1
22.	राजस्थान	1198	1242	1049	3.7	-15.5	2652	2550	2155	-3.8	-15.5	3109	3092	2878	-0.5	-6.9	443	429	460	-3.2	7.2
23.	सिक्किम	7	6	7	14.3	16.7	0	1	7	—	600.0	21	0	19	-100.0	—	0	0	0	—	—
24.	तमिलनाडु	430	538	393	25.1	-27.0	1000	805	677	-19.5	-15.9	1959	1948	1571	-0.6	-19.4	197	191	155	-3.0	-18.8
25.	त्रिपुरा	72	96	102	19.4	18.6	27	40	35	48.1	-12.5	71	59	58	-16.9	-1.7	17	16	15	-5.9	-6.3
26.	उत्तरांचल	एन ई	एन ई	49	—	—	एन ई	एन ई	125	—	—	एन ई	एन ई	67	—	—	एन ई	एन ई	39	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	1593	1865	1893	17.1	1.5	2746	2755	3090	0.3	12.2	2481	2607	2819	5.1	8.1	2088	2222	2197	6.4	-1.1
28.	पश्चिम बंगाल	819	814	707	-0.6	-13.1	804	749	685	-6.8	-8.5	1200	1057	932	-11.9	-11.8	257	284	273	10.5	-3.9
	कुल (राज्य)	15031	16023	14909	6.6	-7.0	14934	13952	13567	-6.6	-2.8	31640	32297	32104	2.1	-0.6	6564	6865	6426	4.6	-6.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	5	3	-16.7	-40.0	2	3	2	50.5	-33.3	13	23	19	76.9	-17.7	0	0	0	—	—
30.	चंडीगढ़	16	23	18	43.8	-21.7	36	52	46	44.4	-11.5	26	34	21	30.8	-38.2	7	2	3	-71.4	50.0
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	6	0.0	100.00	0	7	0	—	-100.0	8	4	2	-50.0	-50.0	2	0	0	-100.0	—
32.	दमन और दीव	4	1	0	-75.0	-100.00	2	3	3	50.0	0.0	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—
33.	दिल्ली	402	435	320	8.2	-26.4	986	998	969	1.2	-2.9	588	549	499	-6.6	-9.1	122	125	122	2.5	-2.4
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	—	-100.00	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—
35.	पांडिचेरी	6	5	8	-16.7	60.0	2	8	4	300.0	-50.0	36	33	36	-8.3	9.1	4	3	1	-25.0	-66.7
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	437	473	355	8.2	-24.9	1028	1071	1024	4.2	-4.4	671	643	577	-4.2	-10.3	135	130	126	-3.7	-3.1
कुल (अखिल भारत)		15468	16496	15264	6.6	-7.5	15962	15023	14591	-5.9	-2.9	32311	32940	32681	1.9	-0.8	6699	6995	6552	4.4	-6.3

स्रोत : 1999 और 2000 — भारत में अपराध और 2001 मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : 2001 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

(ii) गोवा सरकार ने अपने दिनांक 10.3.2003 के पत्र के तहत 26.11.2002 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 103 के उत्तर में हुई त्रुटि इंगित की थी। मामले की राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) के साथ उठाया गया। एन०सी०आर०बी० ने अपने दिनांक 26.6.2003 के यू०ओ० में स्पष्ट किया है कि यह त्रुटि आंकड़ों के तकनीकी संसाधन के कारण उस समय हुई जब अनुलग्नक 'क' में गोवा और छत्तीसगढ़ राज्यों के संबंध में पंक्तियां भूलवश अंतरित (स्विच) कर दी गईं। संशोधित आंकड़े प्राप्त होने तक दिनांक 22.8.2003 को सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था। अत: विलम्ब हुआ।

अब, वक्त दस्तावेज संसद के चालू सत्र में दिनांक 23.12.2003 को सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, कार्य सूची के अनुसार, सभा पटल पर रखे गए पत्रों के पश्चात् तुरन्त बेरोजगारी पर चर्चा आरम्भ की जानी चाहिए। हमारे सामने कार्य की यह मद है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ सहमत हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे पर आप मानव संसाधन मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक विधेयक भी था जिस वापस लिया जाना है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह तो विधायी कार्य है। विधायी कार्य अभी नहीं लिया जा सकता है *(व्यवधान)* मैं ऐसा ही कर रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं तो कह रहा हूं कि हर बार सरकार आएगी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, सरकार से सर्कूलर विदड्रा कराइए। *(व्यवधान)* आपने कहा था कि शिक्षा मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : चर्चा तो आरम्भ कराइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)* मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। मंत्री जी कहां हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है।

[हिन्दी]

आप बैठेंगे तभी तो मंत्री जी स्टेटमेंट शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सदन पहले ही सहमत हो गया है पहले मंत्री महोदय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे पर सरकार की ओर से वक्तव्य देंगे। उसके बाद, हम सीधे बेरोजगारी के मुद्दे पर जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। तत्पश्चात् हम बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो सकता है कि आज भोजनावकाश और शून्य काल भी न हो। प्रश्न केवल यही है।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मंत्री जी किस समय वक्तव्य देंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप स्टेटमेंट दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, आज बैठक का अन्तिम दिन है। हमने 'शून्य काल' के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कार्यमन्त्रणा समिति में यह सहमति हुई है कि 'शून्य काल' नहीं होगा। कृपया बैठ जाइए। नेताओं ने यह भी निर्णय लिया था कि कोई शून्य काल नहीं होगा। सभी नेता इससे सहमत हैं।

अपराह्न 12.50 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कथित हस्तक्षेप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टी०एम०ए० पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की ग्यारह सदस्यीय न्यायधीशों वाली संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 को बहुमत से दिए गए निर्णय के साथ पठित इस्लामिक शिक्षा अकादमी तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायधीशों वाली न्यायपीठ के 14 अगस्त, 2003 के निर्णय के अनुसरण में तथा विविध प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं के कारण छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक व भौतिक बोझ को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था कि देश में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (परीक्षाओं) के जरिए निर्धारित योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने मिनिस्टर का स्टेटमैंट नहीं सुनेंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको स्थिति बता दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा विचाराधीन है। मैं आपकी विशेषाधिकार संबंधी सूचना पर विचार कर रहा हूं। मैं उचित समय पर निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

डा० वल्लभभाई कथीरिया : ये परीक्षाएं राज्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों सहित उन सभी संस्थाओं के लिए होंगी जो इस समय अखिल भारतीय आधार पर अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं संचालित करके सभी छात्रों को अथवा उनमें से कतिपय प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दे रही हैं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है। मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का स्टेटमैंट पूरा होने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस वक्तव्य के समाप्त होने के बाद इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

डा० वल्लभभाई कथीरिया : इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालय है भी सम्मिलित है, को 07 नवम्बर, 2003 को यह अनुरोध किया था कि वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तब तक न तो कोई विज्ञापन दें और न ही कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित करें जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2004-2005 के लिए सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए अपने अंतरिम नीतिगत विनियम तैयार न कर ले। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमैंट का कोई मतलब नहीं है। *(व्यवधान)*

[श्री राशिद अलवी]

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय को विनिर्णय के उस भाग को उद्धरित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें वक्तव्य समाप्त करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। क्या आप मंत्री जी का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हैं?

(व्यवधान)

डा० वल्लभभाई कथीरिया : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (जी०) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 10 जून, 2003 के अंतरिम नीतिगत विनियमों का आंशिक अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रमों में प्रवेश) अंतरिम विनियम, 2003'' जारी किए *(व्यवधान)*। उक्त विनियमों के अनुसार वर्ष 2004-05 के लिए देश में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय आधार पर सभी प्रवेश 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' के माध्यम से निर्धारित योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। ये परीक्षाएं उन सभी संस्थाओं के लिए होंगी जो इस समय अखिल भारतीय आधार पर अपने सभी छात्रों अथवा उनमें से कुछ प्रतिशत छात्रों को दाखिला दे रही हैं। इंजीनियरी, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, फार्मेसी में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य अपने राज्य कोटे के लिए छात्रों को दिए जाने वाले प्रवेश हेतु अपने यहां स्थित संस्थाओं में प्रवेश देने हेतु अपनी-अपनी संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अत: कहा जा सकता है कि यह कार्रवाई भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तथा छात्र समुदाय के व्यापक हित में है। *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, उन्हें उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के उस भाग को उद्धरित करना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अल्पसंख्यकों पर हमला है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट का हिस्सा पार्लियामैंट को बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में, मुझे बार-बार नियमों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्यमान प्रक्रिया के अंतर्गत मंत्री जी के वक्तव्य के बाद उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : यह अल्पसंख्यकों पर हमला है और उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय की गलत व्याख्या है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं आपको तकनीकी आधार पर अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा प्रश्न-उत्तर सत्र नहीं हो सकता है। यह मुद्दा 'शून्य-काल' के दौरान उठाया गया था। एक विशेष मामले के रूप में माननीय मंत्री महोदय को यहां बुलाया गया था। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। यदि आप उनके उत्तर से प्रसन्न नहीं हैं, तो आप अन्य तरीका अपना सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अब केवल आपको तकनीकी आधार पर अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : क्या यह सच नहीं है कि सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित इस निर्देश का उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया है? संक्षेप में यह गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों और इस तरह के अन्य संस्थानों के लिए है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा अधिशासित है जहां उनकी शैक्षणिक परिषद् प्रवेश परीक्षा इत्यादि के संचालन और विनियमन के लिए सर्वोच्च होती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब इस सभा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। 1996 से लेकर अब तक कुल 1929 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है जिसमें से 1100 किलोमीटर की हालत जर्जर है। बिहार सरकार ने केन्द्र से 1040 करोड़ रुपये की मांग की थी कि इन सड़कों का सुधार कर दिया जाये लेकिन केवल 77 करोड़ रुपये सड़क सुधार के लिये दिये गये। इन राष्ट्रीय राजमार्गों में 28, 31, 77, 101, 102, 103 और 104 की स्थिति बहुत खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग-77 हाजीपुर-मुज़फ्फरपुर-सीतामढ़ी से होते हुये नेपाल को जोड़ता है। इसके अलावा यह सड़क बिहार के 17 जिलों को जोड़ती है। यह उत्तर बिहार की जीवन रेखा है। इस पर प्रतिदिन 22 हजार गाड़ियां चलती हैं। राज्य सरकार ने इस सड़क के सुधार के लिये बार-बार प्राक्कलन भेजा और राशि की मांग की लेकिन केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। मैंने इस संबंध में दर्जनों पत्र सरकार को लिखे लेकिन हर बार उपेक्षा ही उपेक्षा की गई है। मंत्रालय के पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी राजमार्ग की दुर्दशा को सुधारने के लिये एक पैसा नहीं दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राष्ट्र राजमार्गों की दशा सुधारने के लिये क्या योजना है, कितनी राशि का निर्धारण किया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से यह नहीं कह सकता हूं कि उन्हें आकर आपकी इच्छानुसार उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न-उत्तर नहीं होने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसद में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वह सभा को कैसे गुमराह कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप सभी जानते हैं कि आज सत्र का अन्तिम दिन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज इस शीतकालीन सत्र का अन्तिम दिन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। यदि आप अन्य मदों पर सभा का समय लगा देंगे, तो हमें उतना समय नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप सभा के संरक्षक हैं। इस सभा के स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू से स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी तक – अपने अल्पसंख्यक पहचान बनाए रखने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसी भी ओर से बिना किसी हस्तक्षेप के संसदीय वचनबद्धता प्रदान की है। आप ए०आई०सी०टी०ई० और यू०जी०सी० के इस परिपत्र पर जोर देकर उनके क्षेत्राधिकार में कैसे प्रवेश कर सकते हैं या उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप के पास अनेक तरीके हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अब इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता है। यह आशा नहीं की जा सकती है कि मंत्री महोदय आयें और आपकी इच्छानुसार उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अधिनियम को रद्द किए बिना सरकार ऐसा किस तरह कर सकती है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम इस बात को नहीं मान सकते हैं *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.58 बजे

(इस समय श्री सईदुज्जमा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्थानों पर वापस चले जायें। मैं जानता हूं कि विषय महत्वपूर्ण है लेकिन इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं और अपराह्न 1.15 बजे सभा पुन: समवेत होगी।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 01.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं आपसे पुन: अपील करता हूं कि माननीय मंत्री ने बड़ी खुशी के साथ वक्तव्य तो दिया, किन्तु उनके मंत्रालय ने संभवत: उन्हें निर्णय का वास्तविक अर्थ समुचित रूप में समझने नहीं दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह सिर्फ गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए ही है। संभवत:, मंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम की धारा 29 को नहीं पढ़ा है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय की विद्धत् परिषद् परीक्षा के निर्धारण के लिए सर्वोच्च निकाय है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कल ही मंत्री जी को लिखा कि उनकी संस्था में यह प्रचलन नहीं है, और इसलिए कृपया इस मामले में आगे नहीं बढ़ें। मैं माननीय मंत्री से यू०जी०सी० और ए०आई०सी०टी०ई० के परिपत्र को वापस लेने तथा कुलपति से मिलकर यह कहने के लिए कि वह अपनी परीक्षा ले सकते हैं का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर प्रश्न अलाऊ नहीं किये हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्टेटमैंट में क्लियरकट कहा है कि कोई ऑटोनोमी में पाबंदी किसी इंस्टीट्यूट या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर नहीं लगाई गई है। लेकिन जब यह मामला उठा है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम वाइस चांसलर से मिलकर उनको समझाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वाइस चांसलर कोई पार्टी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमैन्ट की गलत व्याख्या कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशीद अलवी (अमरोहा) : महोदय, इस परिपत्र को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : इसे वापिस लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूं कि अनइम्पलायमैंट के विषय पर आपको चर्चा नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मंत्री जी ने कहा है कि वे फिर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लोज बैठिए। सदन में दूसरे विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस विषय को पूरा समय दिया है। मंत्री जी ने अभी निवेदन किया और कहा है कि वे वाइस चांसलर से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो आवश्यक होगा, त्रुटि को दूर करने के लिए वह करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, वाइस चांसलर को सीधे कहना चाहिए कि सर्कुलर को वापस ले लिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जिस सर्कुलर के बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में मंत्री जी देखेंगे कि क्या करना है। मंत्री जी, सर्कुलर को वापस लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि मंत्री जी की कुछ लिमिटेशन्स हैं। मंत्री जी ने कहा है कि एक बार इस विषय में वे फिर चर्चा करेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि जितने लोग इस बारे में बोल रहे हैं, वे, आप सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में फिर एक बार चर्चा कर लेंगे और जो निर्णय करना होगा, वे कर सकते हैं, लेकिन सदन में आपका यह आग्रह कि सर्कुलर को वापस लिया जाए, ठीक नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा कितना समय दे सकता था, वह मैंने दिया है।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : स्पीकर सर, यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों के मुस्तकबिल का सवाल है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की स्वायत्तता पर हमला है। सरकार उस सर्कुलर को वापस ले। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है कि जितने भी माननीय सदस्य इस विषय में बोल रहे हैं, उनसे वे चर्चा कर के कोई रास्ता निकालें। सदन में ऐसा नहीं हो सकता कि वे सर्कुलर को वापस लें। आप भी ऐसा आग्रह मत कीजिए जिससे सदन का काम रुके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : इस परिपत्र को तत्काल वापस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो त्रुटि हो गई है, मंत्री जी को उसे दूर करना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी : मंत्री जी ने सभा को गुमराह किया है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी जो मर्जी हो, वह आप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सर, यह तो कहा जा सकता है कि जब तक चर्चा नहीं होगी, तब तक सर्कुलर लागू नहीं होगा। यह आश्वासन तो सरकार को सदन में देना चाहिए। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विषय महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देश में बेरोजगारी व्याप्त है, यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की अवहेलना कर के, संसद की अवहेलना कर के जो सर्कुलर जारी किया है, वह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.24 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज अपनी-अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल डा० रघुवंश प्रसाद सिंह का भाषण रिकॉर्ड पर जाएगा। *(व्यवधान)**

अपराह्न 1.25 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति से उत्पन्न समस्या के बारे में

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, 1992 से लेकर अभी तक केवल 1929 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए लिया गया है। वे भी पूरी नहीं बन पाई हैं। कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना था, लेकिन उन्हें आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। हमारे बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है। एन०एच० 28, 78, एन०एच० 33, 102, 103 और 104 सभी की हालत बहुत खराब है। बिहार सरकार मांग कर रही है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जा रहा है। एन०एच० 77 और एन०एच० 78 ऐसे राजमार्ग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एन०एच० 78 का एस्टीमेट आया हुआ है। बिहार सरकार ने भेजा है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। उसमें 17 जिले पड़ते हैं। एन०एच० 78 हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा आदि जिलों से होकर गुजरता है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि *(व्यवधान)* सभी राजमार्गों की हालत खराब है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोलें, सदन में वही निर्णय होना चाहिए, यह कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गवर्नमेंट का निर्णय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उपस्थित करना आपका काम है और आपने प्रश्न उपस्थित किया। मंत्री जी, आप उत्तर दें।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी] : रघुवंश जी ने जो बिन्दू उठाया है, उससे मैं भी चिंतित हूं। *(व्यवधान)* बिहार की सड़कें बहुत खराब हैं, लेकिन उनसे मैं इस मामले में कुछ मदद चाहूंगा ताकि सड़कों में सुधार कर सकें।

मैं आपसे तीन मुख्य बिन्दुओं पर निवेदन कर रहा हूं। पहला यह कि जो पैसा दिया गया, उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करें। *(व्यवधान)* मेन्टीनेंस में काफी पैसा सरेंडर हुआ है। इस साल 46 करोड़ रुपए मेन्टीनेंस में दिए हैं, जिसमें से अभी 16 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो पैसा मेन्टीनेंस के लिए मिलता है, उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करने की व्यवस्था करें। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वहां टैंडर देने की बहुत लम्बी प्रक्रिया है। पांच महीने के अंदर टैंडर देना चाहिए, लेकिन वहां इसमें दस-12-15 महीने लग रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुंवर अखिलेश सिंह जी से विनती करता हूं कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए। *(व्यवधान)*

मेरज जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : तीसरा काम यह है कि उस काम को पूरा करने में बहुत लम्बा समय लगता है, जो काम दो साल में पूरा होना चाहिए, उसमें तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल लग जाते हैं। *(व्यवधान)* महोदय, एक काम अक्तूबर, 1991 से पूरा नहीं हुआ है। *(व्यवधान)* इसके अंदर भी आप व्यवस्था करेंगे तो हमें सुविधा होगी। *(व्यवधान)*

महोदय, अंतिम बात यह है कि वहां कई कंट्रेक्टर्स और सारे लोग लॉ एंड आर्डर की वजह से परेशान हैं। इन चीजों को आप ठीक करेंगे तो जो धन की आवश्यकता होगी वह हम अवश्य देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला विषय ले रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने एन०एच० 77 पर कितना रुपया दिया? *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : हमने एन०एच० 77 पर 16 करोड़ रुपया दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में व्यवस्था नहीं है। दो सदस्य सभा में पीठ के आसन के समीप बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, आपको यह शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप जैसे व्यक्ति पार्लियामेंट की गरिमा को खराब करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : आपके इंजीनियर्स और सैक्रेट्री वहां निरीक्षण करने के लिए गए थे। *(व्यवधान)* सारे पदाधिकारी उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे। *(व्यवधान)* 1978 में एन०एच० 102, 103 और 104 में, *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, एन०एच० 77 में पांच करोड़ रुपया एक मद में दिया है। यह पांच करोड़ रुपए इस साल का है और पुराने सालों का अलग दिया है। पिछले साल जो मेन्टीनेंस का पैसा दिया था वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है, बाकी का हिसाब मैं आपको बता दूंगा। *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.26 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध सभी विषय सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। अब मैं कार्यसूची की अगली मद लेता हूं।

(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

(एक) पूर्वी दिल्ली में ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों डी०डी०ए० द्वारा पार्कों को विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में नर्सरी स्कूल के लिए लगभग सभी सोसायटियों में प्लाट पड़े हैं, जबकि वहां पर इन स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। यहां की जरूरत के मुताबिक सभी क्षेत्रों में दर्जनों स्कूल खुल चुके हैं। यहां के नागरिकों की मांग है कि इन प्लाटों पर पार्क विकसित किये जायें, जिससे यहां दिल्ली में फैलते हुए प्रदूषण से लोगों को बचाया जा सके। मैंने इस संबंध में अनेकों पत्र उपाध्यक्ष डी०डी०ए० को लिखे हैं और यहां की सोसायटियों ने भी अनेकों बार अनुरोध किया है, परन्तु डी०डी०ए० इस पर गौर नहीं कर रही है और आर्थिक लाभ के लिए नर्सरी स्कूलों को बेचना चाहती है। यदि यहां स्कूल बन गये तो लोग नर्सरी के नाम पर बड़े-बड़े भवनों का निर्माण कर देंगे और लोगों का जीना दूभर हो जायेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि डी०डी०ए० के अधिकारियों को यह निर्देश दें कि इन जगहों पर पहले से ही बने पार्कों को पार्क ही रहने दिया जाये और उन्हें विकसित भी किया जाये।

(दो) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के कच्ची सामग्री विभाग को कोलकाता से झारखंड के सिंहभूम में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, कोलकाता में स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया की एक रॉ मैटीरियल डिवीजन का एक कार्यालय है जिस पर सालना कई करोड़ रुपये खर्च होता है जबकि इस डिवीजन की जो खानें हैं, वे 92 प्रतिशत झारखंड एवं उड़ीसा में हैं। कोलकाता में जो अधिकारी इस डिवीजन में काम करते हैं, वह अधिकांश खानों का निरीक्षण कार्य समय पर नहीं करते हैं एवं इस डिवीजन के अंतर्गत जो खानें चल रही हैं, उनके मजदूर एवं छोटे कर्मचारियों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए सुदूर कोलकाता जाना पड़ता है, जिस पर धन खर्च होता है और समय व्यर्थ जाता है और बेकार में उनको अवकाश लेना पड़ता है। आर०एम०डी० कार्यालय के बनने से पूर्व इस डिवीजन के जो उत्पादन लागत बहुत कम थी, जो इस कार्यालय के बनने के बाद इसकी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसका खामियाजा देश को, अन्तत: लोगों को उठाना पड़ता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आर०एम० डी० कार्यालय को सिंहभूम में ही पदास्थापित किया जाये, जहां अधिकांश खानें हैं, साथ ही उड़ीसा की खानें भी सिंहभूम के पास हैं।

[अनुवाद]

(तीन) राज्य में चकबंदी कराए जाने के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : उड़ीसा राज्य में राज्य के के०बी०के० जिलों पर विशेष जोर देते हुए राज्य में चकबंदी कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव अगस्त, 2000 से केन्द्र सरकार के पास लंबित है। उड़ीसा सरकार ने निर्धारित समय पर योजना को पूरा करने के लिए वार्षिक 60 करोड़ रु० की दर से पांच वर्षों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय योजना स्कीम के अंतर्गत 300 करोड़ रु० स्वीकृत करने का अनुरोध केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से किया था। चकबंदी परियोजनाएं मुख्यत: राज्य के जनजातीय बहुल पिछड़े जिलों में स्थित हैं। किन्तु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है। जब तक तुरन्त अनुमोदन नहीं दिया जाता है, राज्य में दसवीं योजना के दौरान चकबंदी कार्य नहीं शुरू किया जा सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा राज्य के भू-जोतों की चकबंदी संबंधी प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन दे तथा तद्नुरूप केन्द्रीय आवंटन करे।

(चार) कोल फेरस और नानफेरस धातुओं की रायल्टी को संशोधित करने और उड़ीसा सरकार को बकाये का भुगतान किये जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उड़ीसा राज्य लम्बे समय से कोयला रायल्टी को संशोधित नहीं किए जाने के कारण काफी राजस्व का नुकसान उठा चुका है जो आज तक 750 करोड़ रु० बैठता है। एक राज्य जिस पर 27,000 करोड़ रु० का कर्ज बकाया है कैसे अपने विकासात्मक कार्यक्रमों को चला सकता है और प्रगति कर सकता है। एक राज्य जिसमें लगभग 47.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, वह वित्तीय संकट से गुजर रहा है।

इसके अलावा, नॉन-कोल तथा अन्य फेरस और नॉन-फेरस अयस्कों पर रॉयल्टी पिछले दो वर्षों से तय किया जाना लंबित है किन्तु यह काम भी नहीं किया गया है। उड़ीसा खनिज सम्पदा से परिपूर्ण भूमि है किन्तु यह पिछले 50 वर्षों से उपेक्षित है तथा अन्य राज्यों का विकास और प्रगति उड़ीसा की खनिज सम्पदा के जरिए हुई है।

इसलिए, यह पुरजोर अनुरोध है कि कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य नॉन फेरस अयस्कों की रायल्टी को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के मुताबिक संशोधित किया जाए जिससे कि उड़ीसा के लोगों के हितों को बचाया जा सके जो पूरी तरह से अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इसलिए, खान और कोयला मंत्रालय को उड़ीसा द्वारा सामना की जा रही इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान सरकार को राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है और जनसंख्या अधिक है और आधे से अधिक प्रदेश रेगिस्तानी एवं पहाड़ी है और देश की सभी नदियों का कुल एक प्रतिशत पानी प्राप्त होता है। इन सभी की दृष्टि से और गाडगिल फार्मूले के तहत भी राजस्थान सरकार को अधिक आर्थिक सहायता करना अति आवश्यक है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को अधिक आर्थिक सहायता दे।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा में बांसपानी-देतारी रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : बांसपानी-देतारी रेलवे लाइन के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब के कारण उड़ीसा और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के लोगों में अत्यधिक असंतोष है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस रेलवे लाइन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। जखपुरा से देतारी तक इस लाइन का प्रथम चरण 1979 में पूरा कर लिया गया तथा यातायात के लिए खोल दिया गया। तब से चौबीस वर्ष पूरे हो चुके हैं किन्तु यह लाइन अब तक पूरी नहीं हुई है।

बांसपानी-देतारी लाइन अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगी और इसके एक बार पूरा हो जाने और यातायात के लिए खोल देने के बाद यह उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। इससे क्योंझर और उड़ीसा के खनिज समृद्ध आंतरिक भू-भागों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। पारादीप जो कि भारत का मुख्य पत्तन है इस लाइन से जुड़ जाएगा और क्योंझर जिला से खनिजों का परिवहन सुगम हो जाएगा जिससे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जहां खनिजों की अत्यधिक मांग है, निर्यात सुगम हो सकेगा।

मैं केन्द्र सरकार से बांसपानी-देतारी लाइन को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए इस चालू परियोजना का निर्माण सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) तम्बाकू उत्पादकों के लम्बित मामलों के संबंध में कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक में चल रही भीषण सूखे की स्थिति के कारण तम्बाकू किसान विपत्ति में हैं। कर्नाटक सरकार का तम्बाकू बोर्ड के सामने 60 मिलियन कि०ग्रा० ''क्रॉप साइज'' के निर्धारण के मुद्दे और कर्नाटक में सभी विद्यमान संग्रहागारों को लाइसेन्स जारी करने का मुद्दा तथा अन्य मुद्दे काफी समय से लंबित हैं। कर्नाटक सरकार ने 15 प्रतिशत सेवा प्रभार और 2/- रु० प्रति कि०ग्रा० वापस करने के लिए भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को बार-बार उठाया और भारत सरकार से अविलम्ब नीलामी प्लेटफॉर्मों पर किसानों को अपना उत्पाद बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

केन्द्र सरकार से किसानों पर दंड लगाए बिना कर्नाटक में उत्पादित संपूर्ण तम्बाकू फसल बेचने के लिए अनुमति देने का आग्रह किया गया था किन्तु अब तक सरकार ने इस संबंध में अपना निर्णय नहीं बताया है।

चूंकि तम्बाकू उत्पादक खराब स्थिति में हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे ताकि इस संबंध में तम्बाकू उत्पादकों की मदद की जा सके।

(आठ) ग्रेटर मुम्बई में ''मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम'' के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : ग्रेटर मुम्बई में केन्द्र सरकार की भूमि पर अनेक मलिन बस्तियां हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 'मलिन पुनर्वास कार्यक्रम' के अन्तर्गत मुम्बई में मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए नि:शुल्क आवास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों को न केवल स्वामित्व का अधिकार प्रदान करती है बल्कि इसमें उन्हें प्रोत्साहनों का उचित पैकेज देकर उनके लिए बहुमंजिलीय इमारतें बनाने पर भी विचार किया गया है। चूंकि यह योजना केन्द्र सरकार की भूमि पर कार्यान्वित की जाएगी, इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार काफी लम्बे समय से केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही थी कि वह केन्द्र सरकार के संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करे ताकि राज्य सरकार मलिन बस्ती में रहने वालों की आवासीय स्थिति तथा मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार के लिए अपनी 'मलिन पुनर्वास योजना' को कार्यान्वित कर सके। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए ताकि मुम्बई में केन्द्र सरकार की भूमि पर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को महाराष्ट्र राज्य सरकार की 'मलिन पुनर्वास योजना' का लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

(नौ) वन संरक्षण नीति की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री भैरूलाल मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, देश में वनों की बेतरतीब कटाई होने के कारण भारत में वन समाप्त होने की स्थिति पर पहुंच गये हैं। वनों की कमी के कारण पिछले 4 सालों से वर्षा नहीं के बराबर रही है और देश के विभिन्न भागों में अकाल की स्थिति बनी हुयी है। मेरा अनुभव है कि 1980 के पूर्व देश में जंगल की कमी नहीं थी जिस कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी और देश में पानी की कमी, भुखमरी और पेयजल की समस्या नहीं थी। यदि अकाल होता भी था तो वह एक माह या 15 दिन वर्षा की रूकावट के कारण हुआ करता था।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वन संरक्षक के लिए जो नियम और नीति बनी हुई है मेरे ज्ञान से गलत है। क्योंकि वन संरक्षण के लिए वनारोपण किया जाता है लेकिन वनीकरण क्षेत्र को पांच साल के बाद खुला छोड़ दिया जाता है जिस कारण वन नष्ट हो जाते हैं। वनीकरण की यह परम्परा अभी भी जारी है। वनों को नष्ट करने में माफिया ग्रुप के अलावा वन विभाग की लापरवाही का भी बड़ा योगदान रहा है। यदि पूर्व नियमों के अनुसार ही वनीकरण जारी रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब हमें पीने तथा सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा इसलिए वनों की कटाई को रोकना तथा नये पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि वन संरक्षण के लिए देशव्यापी योजना बनाकर इसे स्थायी स्वरूप दिया जाये।

[अनुवाद]

(दस) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम हेतु धनराशि जारी करना तथा चंचल सब-डिवीजन में अवसंरचना संबंधी विकास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मेरे द्वारा अनेक बार हस्तक्षेप किए जाने के बावजूद केन्द्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने रायगंज में एक और मेडिकल कालेज के लिए मालदा जिले में चंचल उप-प्रभाग (नए) और चंचल में एक इंजीनियरिंग कालेज के लिए अवसंरचना संबंधी विकास कार्य आरम्भ नहीं किया है। इस बीच, केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई डैस्क राजमहल के बाहर महानन्दा डिवीजन फ्लड मैनेजमैंट योजना की तत्काल आवश्यकता पर विचार नहीं कर रहा है जिससे कलहर नदी तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर में महानन्दा, कुलीक और सुई नदियों द्वारा विनाशकारी नदी कटाव के कारण मालदा में रतुना के बिलाईमारी और महानन्दातोला में नदी कटाव द्वारा तबाही हो रही है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इस मामले में अनेक बार योजना आयोग से अनुरोध किया गया है। इताहार, रायगंज, करनदीघी, उत्तर दीनाजपुर के गोलपोखर ब्लॉक तथा रतुना ब्लॉक-एक, खरबा-एक और II ब्लॉक और हरिशचन्द्रपुर-एक और दो ब्लॉक तथा रतुना ब्लॉक को नदी कटाव प्रबंधन कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की गयी। मेरी मांग यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार तथा उत्तर दीनाजपुर और मालदा की जनता के प्रतिनिधियों से युक्त एक दल को चंचल और रायगंज में इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज के लिए सहायता प्रदान करने सहित इस मुद्दे के लिए योजना आबंटन को पुन: व्यवस्थित करने हेतु सत्र के बाद योजना आयोग के सदस्य की उपस्थिति में नई दिल्ली अथवा पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

(ग्यारह) केरल में कार्मिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से परम्परागत उद्योगों को पुनरूज्जीवित करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजेन्द्रन (क्विलोन) : समूचे केरल में अपनी आजीविका के लिए परम्परागत उद्योगों पर निर्भर लगभग एक करोड़ लोगों की दशा बहुत दयनीय और कारूणिक है। मुख्यत: हथकरघा, जूट, काजू उद्योग, मत्स्यन और निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे इन लोगों का जीवन संबद्ध क्षेत्रों में उत्पन्न संकट के कारण कष्टप्रद बनता जा रहा है जिससे कृषि और इन श्रमिकों में लगभग दो मिलियन या तो पूर्णत: बेरोजगार हैं अथवा आंशिक रूप से किसी कार्य में लगे हुए हैं।

काजू की गिरी के मूल्य में कमी के कारण काजू उद्योग में संकट से श्रमिकों के बेरोजगार होने के अलावा विदेशी मुद्रा की कमाई पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। करोड़ों रुपये के जूट उत्पाद काफी समय से गोदामों में पड़े हैं क्योंकि निर्यात में कमी की प्रवृति दिखाई दी है और श्रमिकों को पिछले एक वर्ष से रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।

आधुनिक तकनीक का प्रयोग, पूंजीगत निवेश और आधुनिक विपणन इन परम्परागत उद्योगों की प्रमुख आवश्यकताएं हैं।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए केरल राज्य को हर सम्भव सहायता प्रदान की जाए।

(बारह) आंध्र प्रदेश के सालूर कस्बे में बी०एस०एन०एल० की सेल फोन सेवा को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा० डी०वी०जी० शंकर राव (पार्वतीपुरम) : सालूर कस्बे में बी०एस०एन०एल० की सेल फोन सेवा के लिए एक टॉवर स्थापित किया गया है। लेकिन उस टॉवर से सेल फोन सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरे उपकरण प्रदान नहीं किए गए हैं। सालूर कस्बा, हीरा मंडलम और पालाकोंडा भी पार्वतीपुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भाग हैं और अनेक ग्राहकों ने उपर्युक्त स्टेशन का शीघ्र शुभारम्भ करने की मांग की है क्योंकि उन्हें कनेक्शन मिलने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करें और बेहतर कार्य के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक उपकरण प्रदान करके तत्काल सालूर टॉवर सेल फोन सेवा परियोजना पूरी करने के लिए निर्देश दें।

(तेरह) तमिलनाडु में बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० कुमारासामी (पलानी) : उत्पाद शुल्क में वृद्धि, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि और यार्न के निर्यात के कारण वस्त्र उत्पादों के मूल्य में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ''सेनवैट'' योजना के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों जैसे यार्न की खरीद, डाईंग, प्रिंटिंग और प्रसंस्करण पर केन्द्र को 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। केन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण के अंतर्गत 'सी' शिड्यूल बनाना अनिवार्य कर देने से एक राज्य से दूसरे राज्य में कपड़ों और कच्चे मालों का परिवहन कठिन हो गया है। तमिलनाडु में, कोयम्बटूर, रोकोड़ और करूड़ जिलों में वस्त्र उद्योग का अच्छा कारोबार है और इस पर हजारों कर्मकार निर्भर हैं। वे वस्त्र उद्योग में मंदी के कारण बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग 20,000 बुनकरों को विशेष त्रिपुणता प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है। विरूदनगर, तिरूनेल्वेली, मधराई, तिरूवल्लूर, सलेम, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, वेल्लोर, कुडाल्लोर, तूतिकोरन, विल्लूपुरम, थेनी और नमक्कल जिलों के बुनकरों को आधुनिक ड्रेस निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाना है ताकि वे प्रतिस्पर्धी बन सकें। केन्द्र को भी अविलम्ब बुनकरों को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। केन्द्र को यार्न का निर्यात रोकना चाहिए और सिर्फ तैयार वस्त्र उत्पादों के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर देना चाहिए। समय आ गया है जब देश में लाखों बुनकरों की आजीविका को बचाने के लिए केन्द्र को कार्यवाही करनी चाहिए।

(चौदह) महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड़ तहसील में तासावाडे एवं शीरावाडे गांव के बीच कृष्णा नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़) : महाराष्ट्र में सतारा जिला के कराड़ तहसील में तासावाडे एवं शीरावाडे गांव के बीच कृष्णा नदी

पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता है। यह पुल एन०एच० 14 को एस०एच० 75 से जोड़ देगा और ग्रामीण इलाकों से चीनी फैक्टरी तक गन्ने के परिवहन को सुगम बनाएगा। यह पुल केन्द्रीय सड़क निधि से बनाया जाए।

(पन्द्रह) केरल में कोचीन में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा० सेबेस्टियन पाल (एर्णाकुलम) : वर्षों पहले केरल दौरे के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित कुरमाराकोम पैकेज में वायदा किया गया था कि कोचीन में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। यह निवेदन है कि 2000 करोड़ रु० की इस परियोजना को विभिन्न पत्तन न्यासों की संयुक्त पहल से पूरा किये जाने की अनुमति दी जाये। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस लम्बे समय से प्रतीक्षित परियोजना को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(सोलह) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की दामोदर रेल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने तथा पीपराडीह एवं करमटिया में कोयला खदानों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में दामोदर रेल विपथन परियोजना का काम एवं कठारा के पीपराडीह और करमटिया कोयला खदान वर्षों से बंद है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

दामोदर रेल विपथन परियोजना 20 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, परन्तु प्रबंधकों एवं प्रशासकों के अदूरदर्शिता के कारण जनहित का मामला लम्बित है और करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी परियोजना का काम अधूरा है। परियोजना के अंतर्गत बेरमों प्रखण्ड के जरीडीह बाजार में निर्मित रेल पुल नव-निर्माण में ही क्षतिग्रस्त हो गया है।

परियोजना का प्राक्कलन राशि में कई गुना बढ़ा है और अधूरे कार्य से इस क्षेत्र की जनता की परेशानी भी बढ़ी है। इसके लिए रेलवे और सी०सी०एल० एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, परन्तु प्राक्कलन राशि में वृद्धि पुल क्षतिग्रस्त होना, विस्थापितों को मुआवजा एवं नौकरी नहीं मिलना, जमीन का गलत अधिग्रहण किसकी गलती से हुई, इसके लिए सरकार मौन है, जनता परेशान है।

पीपराडीह और करमटिया का बंद कोयला खदान को चालू कर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने का काम कैसे किया जाए, कम्पनी को इसके लिए चिंता नहीं है।

अत: सरकार से आग्रह है कि इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उपर्युक्त परियोजना का काम पूरा करने एवं बंद कोयला खदान को पुन: चालू कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाये।

[अनुवाद]

(सत्रह) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक में हल्बा, हाल्बी, गोवारी, गावारी एवं माना को अलग जातियों के रूप में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : गोवारी, गावारी, हल्बा और हाल्बी तथा माना जाति के लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक में इन जातियों को शामिल करने के लिए लम्बे सयम से आंदोलन कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध लाभों से वंचित होने पर हलबा और हालबी जाति के नौजवानों ने अब नागपुर और अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है जिससे कि इन जातियों की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश विधेयक में शामिल किया जाए।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन पर विचार करते समय अपनाया गया मानदंड प्राचीन व्यापारों, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक पृथक्ता और पिछड़ेपन पर आधारित था। ''हलबा कोष्टि'' अथवा ''कोष्टि'' अनुसूचित जनजाति नहीं हैं और वे हलबा अथवा हालबी जाति से भिन्न हैं। वस्तुत: हलबा कोष्टी हालबा/हालबी की उपजाति हैं जिसे अनुसूचित जनजाति समुदाय को प्राप्त लाभ नहीं मिल रहा है। हलबा/हालबी बुनकर का काम करते रहे हैं और इसलिए उनकी जाति कोष्टि में मिला दी गई। सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियां और न्यायालयों के निर्णयों ने हलबा कोष्टि को मुख्य हलबा/हालबी जाति की उपजनजाति कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक में हलबा/हालबी को पृथक् जाति के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है जिसे सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इससे अपने कानूनी लाभों से वंचित हलबा/हालबी समुदाय में काफी रोष पैदा हो रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से हलबा, हालबी, गोवारी, गावरी और माना जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक में पृथक जाति के रूप में शामिल करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(अठारह) चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान समय में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के चालन समय में संशोधन और कुछ ट्रेनों के रास्ता परिवर्तन अति आवश्यक है। इस कार्य को निम्नलिखित रूप में लागू किया जाये जैसे – महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का चालन समय मानिकपुर स्टेशन के आगे इस प्रकार संशोधित किया जाये कि यह ट्रेन सुबह आठ बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाये। इसके चालन समय में अत्यधिक मार्जिन दिया गया है जिसे घटाकर यह कार्य आसानी से किया जा सकता है।

इसी प्रकार चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन का मानिकपुर के आगे चालन समय घटाकर एवं ट्रेन की गति बढ़ाकर सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचाया जाये। इस ट्रेन में एक थ्री ए०सी० का एक कोच भी लगाया जाये।

चम्बल एक्सप्रेस ट्रेन को ग्वालियर-आगरा के आगे बढ़ाकर निजामुद्दीन तक चलाया जाये एवं प्रतिदिन किया जाये।

रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन को इलाहाबाद के रास्ते न चलाकर मानिकपुर-चित्रकूट-अतर्रा-बांदा-महोबा-झांसी के रास्ते दिल्ली तक चलाया जाये।

चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन बिछाकर तीसरा प्लेटफार्म बनाया जाये जो हाई लेवल स्तर की ऊंचाई का हो।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, अब अनएम्प्लायमेंट के विषय पर चर्चा शुरू हो रही है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, क्या जीरोऑवर नहीं होगा? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऑलरेडी कहा है कि सब नेताओं का जो निर्णय है, मैं उसका ही पालन कर सकता हूं। सभी नेताओं ने यह तय किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी जो डिसकशन रखेंगे, केवल वही रिकार्ड पर जाएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.27 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बेरोजगारी की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मद सं० 45 पर चर्चा करेगी। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अपने देश में ज्वलन्त बेरोजगारी की समस्या निम्न पर 193 के अधीन चर्चा उठाने के लिए अनुमति देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस सर्कुलर को वापस लेना चाहिए। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा। और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पैरा 12 में यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक के कमाने के अधिकार को स्वीकार करते हुए नई सरकार का मुख्य जोर : 'बेरोजगारी हटाओ' पर होगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे दो बार विनती की कि अपनी जगह पर जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आगे कहा गया है : "रोजगारविहीनता की जगह हमारी सरकार लाभप्रद रोजगार के सृजन के द्वारा विकास को मापेगी। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी बसुदेव आचार्य जी का भाषण शुरू है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चार वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश जी, आप कृपया अपनी जगह पर जाइये, यह मेरी रिक्वैस्ट है। एक इम्पोर्टैंट विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, वह होनी चाहिए। कृपया आप अपनी जगह पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि चर्चा हो। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.31 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह विषय खत्म हो गया है, प्लीज बैठिये। फिर बार-बार आप यही करना चाहते हैं? यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुझे स्ट्रिक्ट होने का मौका मत लाइये। मैं यह बात कभी नहीं समझ सकता हूं कि 3-3 बार बोलने का मौका देने के बाद भी मैं जो कहूं, वह गवर्नमेंट निर्णय करे, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। यह कभी नहीं होगा और इस प्रवृत्ति को भी मैं सदन में पुरस्कृत नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसी इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैंने पहले कहा है कि आप मंत्री जी से चर्चा कीजिए और कुछ रास्ता निकालिये। अध्यक्ष की कुछ मर्यादा है, इस सदन की भी मर्यादा है। जिनको इसे नहीं मानना है, वे सदन के बाहर जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सरकार से प्रसन्न नहीं हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। आप बहिर्गमन कर सकते हैं, और मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमारे देश के किसी अन्य नेता ने नहीं बल्कि स्वयं प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त, 2000 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। *(व्यवधान)*

महोदय, यह आश्वासन प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया था। किन्तु हमारे देश में वास्तविक स्थिति क्या है? इस सरकार के चार वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी कितने रोजगार का सृजन हुआ है?

महोदय, प्रधान मंत्री ने हाल ही में पुन: एक वक्तव्य दिया था। मैं उन्होंने जो कहा उद्धृत करता हूं : "मेरी सरकार ने विगत तीन वर्षों में अवसंरचनात्मक और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि कोई भी इस मुद्दे पर मुझे चुनौति नहीं दे सकता।" *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिए प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले इस सभा के सभी नियमों के अपवाद हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : जो सदन के नियम पारित किए गए हैं, उन नियमों की अवहेलना करके *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हाउस का काम रोकना कोई अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दूसरी सभा में जब पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था तो उन्होंने दोहराया था कि प्रतिवर्ष बेरोजगार युवकों के लिए एक करोड़ रोजगार का सृजन किया जा रहा है। किन्तु प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को चुनौती दी गई और चुनौती देने वाला विरोधी पक्ष या विपक्षी दलों का कोई सदस्य नहीं था अपितु 2002-2003 का आर्थिक सर्वेक्षण था।

महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03 ने हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति की सही तस्वीर पेश की है। रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में एन०एस०एस०ओ० के नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण के पचपनवें

[श्री बसुदेव आचार्य]

राउन्ड के अनुसार ''करेन्ट डेली स्टेटस'' के आधार पर रोजगार में वृद्धि की दर, 1983-94 के 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घट कर 1994-2000 में 1.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गयी है। नब्बे के दशक में रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट को जी०डी०पी० में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि दर से जोड़ा गया था जिससे उत्पादन में श्रम के नियोजन में गिरावट का पता चलता है। यद्यपि जी०डी०पी० में थोड़ी वृद्धि हुई है, नौकरी या रोजगार के सृजन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्थिक सुधारों में, जिन्हें 1991 से शुरू किया गया था, 1994 के बाद से ही प्रतिवर्ष रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है *(व्यवधान)* महोदय, आज यह मात्र 0.89 प्रतिशत है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में मन्दी है। आपको यह मालूम होना चाहिए। मैंने एन०एम०एस०ओ० की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। यहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी प्रधान मंत्री के दावे का समर्थन नहीं किया है। कुछ समय पहले राज्य विधान-सभाओं के चुनावों से पहले समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ एक विज्ञापन छपा था जिसमें बताया गया था कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख नए रोजगार सृजित किए गए हैं। यह विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया था। दूसरी ओर प्रधान मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2000-01 के बाद प्रतिवर्ष एक करोड़ नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है? 1997 से संगठित क्षेत्र में प्रतिवर्ष रोजगार के आंकड़ों में उतार आ रहा है यह 1998 में 281.66 से 1999 में 281.13 हो गए और इसके बाद 2000 में 279.60 लाख से 2001 में 277.89 लाख हो गए।

महोदय, हमने 1991 से आर्थिक सुधारों को अपनाया था और हमने अपने द्वार खोल दिए थे 2001 में, इस सरकार ने एक नीति अपनाई और परिमाणात्मक प्रतिबंध हटा दिए थे। अब किसी भी वस्तु के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान क्या किया है जब बेरोजगार की दर घट रही है। उन्होंने एक कार्यकारी समूह और एक कार्यबल का गठन किया है। यदि आप इन दोनों समितियों के प्रतिवेदन और सिफारिशों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मोंटेक सिंह आलुवालिया समिति दसवीं योजना बनाने से पहले गठित की गई थी। इस समिति को क्या अधिदेश दिये गये थे? इन्हें रोजगार अवसरों के सम्बन्ध में सिफारिश देने को कहा गया था। उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रोजगार के अवसरों में किस प्रकार धीरे धीरे गिरावट हो रही है। 1972-73 में 1977-78 की अवधि के दौरान यह 2.73 थी और 1999-2000 में यह घट कर 0.98 हो गई और अब तो अब यह न के बराबर है। यह संकट क्यों पैदा हुआ?

हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र है और यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की यह अवधारणा हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए अपनाई थी। हमने आर्थिक सुधार कब शुरू किए थे? हमें 1991 से 2001 तक 10 वर्षों के परिणाम देखने होंगे। दूसरी पीढ़ी के सुधार इस सरकार द्वारा वर्ष 2001 में शुरू किए गए थे। हम पाएंगे कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो लाखों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दे रहे हैं, को बन्द कर दिया गया है। आपके उद्योग मंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का विरोध किया था। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब बन्द कर दिया गया है। 1993-94 में बी०एस०एन०एल० को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वालों की संख्या 22 लाख थी और आज बी०एस०एन०एल० के कर्मचारियों की संख्या – क्योंकि बी०एस०एन०एल० में ही काम करने वालों की संख्या लाखों में है – मात्र 19.89 लाख है।

महोदय, प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले चार वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के 5 लाख कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने वी०आर०एस० शुरू की है। उन्होंने वी०एस०एस०, स्वैच्छिक अलागाव योजना भी शुरू की है जहां कर्मचारियों को उपक्रमों से अलग करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनरुद्धार का मौका दिए बिना अविवेकपूर्ण तरीके से बन्द किया जा रहा है। मैं एम०ए०एम०सी० का उदाहरण दे सकता हूं।

यह अंत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र था। यह इंजीनियरी इकाई थी जिसकी स्थापना खनन प्रयोजनों के लिए सामान उत्पादन करने के लिए की गई थी। इसको बन्द करने के समय इसमें लगभग 4,500 कर्मचारी थे। इस कम्पनी के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। यद्यपि इसके पुनरुद्धार के लिए गुंजाइश थी फिर भी इसे बन्द किया गया था। कर्मचारियों को वी०एस०एस० दी गयी थी।

महोदय, आज आपने समाचारपत्र में मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन का वक्तव्य पढ़ा होगा, आपने भारी उद्योग मंत्री के नाते इस संगठन के कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी – कि 1225 कर्मचारियों के वी०आर०एस० लिया है। इस लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। महोदय, आपने इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्धन को अपनी जनशक्ति घटाने के लिए वी०आर०एस० शुरू करने की अनुमति भी दी थी।

महोदय, संगठित क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उद्योगों की स्थापना भारत में कर रही हैं। हम उनका स्वागत करते

हैं। लेकिन अभी-अभी माननीय श्रम मंत्री ने घोषणा की है कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में, उन्हें अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और उपदान देने जैसे निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भविष्य निधि योजना शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है।

महोदय, निजी क्षेत्र में आज क्या हो रहा है? हमने अशोका होटल बंगलौर का मुद्दा उठाया था। भारत सरकार और प्रबंधन के बीच यह करार होने के बावजूद कि किसी इकाई का विनिवेश करने के पश्चात् उसमें कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। अशोका होटल ने प्रबन्धन के 142 कर्मचारियों को वी०आर०एस० लेने को मजबूर किया। 'बाल्को' में क्या हुआ है? हालांकि बाल्को प्रबन्धन और भारत सरकार के बीच करार हुआ था कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी और कम से कम एक वर्ष के लिए बाल्को के कर्मचारियों पर समान सेवा शर्तें लागू होगी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में टुंडु जिंक में काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों पर वीआरएस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : 'बाल्को' प्रबन्धन ने सार्वजनिक उपक्रम की इकाई से निजी क्षेत्र की इकाई में तब्दील होने के बाद क्या किया है? उन्होंने सी०आर०एस० (अनिवार्य सेवानिवृत्त योजना) के बजाय वी०आर०एस० को शुरू किया। एक हजार से अधिक कर्मचारियों को वी०आर०एस० लेने के लिए मजबूर किया गया था। उनके कई कार्यालयों को बन्द कर दिया गया था। मैंने आसनसोल में बाल्को की बीदनवाग इकाई का दौरा किया था। कोलकाता और आसनसोल स्थित बाल्को के कार्यालय बन्द कर दिए गए थे। यही बात उन्हीं स्थानों पर घटित हो रही है जहां प्रबन्धन में तब्दीली हुई है। रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ाए जाएंगे?

महोदय, आज हमारे देश के रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्टरों में लगभग 4 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवकों के नाम पंजीकृत हैं। 4 करोड; शिक्षित बेरोजगार युवकों के नाम रोजगार एक्सचेंजों में पंजीकृत हैं। हमने मामले पर चर्चा की थी। हमने इस सदन में भी यह मुद्दा उठाया था। रेलवे का उदाहरण लीजिए। जब मैं पहली बार 1970 में इस सदन में निर्वाचित होकर आया था तो उस समय पंडित कमला पति त्रिपाठी रेल मंत्री थे बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था "मैं अपने देश का सबसे बड़ा नियोक्ता हूं।" रेलवे प्रतिवर्ष 1.20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। मैं 1970 से आपको आंकड़े दूंगा। तीन वर्ष पहले 1999-2000 में रेलवे जो देश में कभी सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ करता था उसमें सभी श्रेणियों – क, ख, ग और घ – के कर्मचारियों की संख्या 15.73 लाख थी। यह संख्या 16 लाख तक हो सकती है। आज क, ख, ग और घ वर्ग वाले एक लाख कर्मचारियों की छंटनी की गई है। आज यह संख्या 14.50 लाख की है। यदि आप 1999-2000 अथवा 1998-99 को देखते हैं तो प्रतिवर्ष रेलवे में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 1999-2000 में जब यह सरकार सत्ता में आई तो इसने क्या किया? उन्होंने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बेरोजगार युवकों के लिए एक करोड़ रोजगार सृजित करने की घोषणा की थी निर्वाचित होने के बाद वे बेरोजगार युवकों को भूल गए। 'बेरोजगारी हटाओ' इस सरकार के उद्देश्यों में से एक था। लेकिन वह अब झूठा वायदा बन गया है। नए रोजगार सृजित करने के बजाय यह सरकार रोजगार अवसरों को समाप्त कर रही है।

हमें माननीय प्रधान मंत्री जी से जवाब मिला है। कल भी उन्होंने हमें इसके बारे में बताया है जब मैं उनसे संथाली भाषा को मान्यता जिससे वह सहमत थे के संबंध में उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझे कहा था, "आप यह चर्चा हेतु क्यों ला रहे हैं? मैंने पहले ही जवाब दे दिया हैं?

[हिन्दी]

हमने यह कहा कि आप गोल-मोल जवाब देते हैं लेकिन हम साफ जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसका श्रम मंत्री जवाब देंगे। श्रम मंत्री क्या जवाब देंगे? श्रम मंत्री का काम मालिकों के हितों की रक्षा करना है।

[अनुवाद]

वे मालिकों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के हितों की रक्षा करते हैं। उनका मुख्य कार्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : उदाहरण भी दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वह भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उदाहरण मांगने वाला था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि ग्रामीण विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लाखों रोजगार सृजित किए गए हैं। मैंने कृषि कामगारों में यह राशि बांटी है। श्रम मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहां 37 करोड़ असंगठित

[श्री बसुदेव आचार्य]

श्रमिकों में से 22 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। यदि आप 11,000 करोड रुपये की राशि उन 22 करोड़ कृषि श्रमिकों में बांटते हैं तो उनमें से प्रत्येक को कितना मिलेगा? मैंने इसका हिसाब लगाया है।

यह केवल 550 रु० है। प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। कुछ राज्यों में यह 40 रु० है कुछ राज्यों में 50 तो कुछ राज्यों में 60 है, कुछ राज्यों में 75 और कुछ राज्यों में यह 100 रु० है। इस प्रकार 500 रु० से एक कृषि श्रमिक को कितने दिनों का काम मिलेगा। उसे एक महीने भी काम नहीं मिलेगा।

महोदय, सरकार कहती है कि वह स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लाखों रोजगार सृजित कर रही है। आज सुबह ही हम ने चर्चा की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या हो रहा है। उस कार्यक्रम में 70 प्रतिशत कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है और 30 प्रतिशत से भी कम काम श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप कितना समय लेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं 15 मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : 10 मिनट में समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि आप मुझे 15 मिनट का समय और दें तो बेहतर होगा।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। अत: समय का समान वितरण होना चाहिए।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में भी इसी विषय पर चर्चा होने वाली है। मुझे वहां भी जाना है। इसलिए यदि आप इस चर्चा को समाप्त करने के लिए समय निर्धारित कर देते हैं तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इस चर्चा को मंत्री के जबाव सहित सायं 5.00 बजे तक पूरी कर लेंगे। बीच में हमें कल की चर्चा पर श्री जसवन्त सिंह का उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। हम आधे घंटे की चर्चा भी लेंगे और हम 5.30 बजे सभा की बैठक स्थगित करेंगे। मुझे आशा है कि सभी इस पर सहमत हैं।

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे चर्चा के लिये राज्य सभा भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप वहां पांच बजे उत्तर दीजियेगा।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, मेरे पास कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है जो वहां बैठकर चर्चा सुने।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर साढ़े चार बजे शुरू होगा।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, यदि उत्तर साढ़े चार बजे करेंगे तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका रिप्लाई ठीक साढ़े चार बजे, और बीच में श्री जसवंत सिंह जी का स्टेटमेंट दोनों पांच बजे तक हो जायेंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : अध्यक्ष जी, जो गरीब और मजदूरों के हिमायती हैं, उन्होंने मालिकों पर सांठ-गांठ का आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : उस बात को छोड़कर और बात ले लीजिये।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, श्री बसुदेव जी ने उदाहरण भी देना था।

अध्यक्ष महोदय : इतना डेलीकेट रहकर कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०सी० थामस) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ विधेयक पुर:स्थापित करना है। यदि आप मुझे एक मिनट का समय देते हैं तो यह भी हो जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी देश में बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा चल रही है। विधेयक की पुर:स्थापना अभी नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले भी इसका प्रयास किया गया था लेकिन विपक्ष इस पर सहमत नहीं था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह अन्त में उसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप आज का सारा कार्य पूरा होने के बाद इसे कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य काफी अधिक समय ले रहे हैं और इसलिए हमें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : पहला वक्ता हमेशा आधे घंटे बोलता है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, अन्त में, आप हमें केवल दो मिनट बोलने के लिए कहेंगे। हम भी इस सदन के सदस्य हैं। हमें भी कम से कम 5 मिनट तो बोलने दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल आप को 20 मिनट मिले थे जबकि आप अन्तिम वक्ता थे।

श्री खारबेल स्वाइं : लेकिन बाकी सदस्यों ने कितना समय लिया था। इसके अतिरिक्त, जब कल मैं बोला था तो सभा में मात्र 10 सदस्य उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी चिन्ता समझ सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1972-73 में 73.9 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 59.2 प्रतिशत है। इसका क्या कारण है?

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इसके लिए कृषि मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। इस सरकार की नीति के कारण ही यह हो रहा है। कृषि, सिंचाई, वाटरशेड प्रबन्ध और बंजर भूमि विकास में कम पूंजी निवेश की गयी हैं सभी क्षेत्रों में वर्ष दर वर्ष धन के आवंटन में कमी की गई है। उसके परिणामस्वरूप और कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण भी कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में कमी आई है।

अपराह्न 2.00 बजे

महोदय, श्री एम०पी० गुप्ता जो योजना आयोग के सदस्य हैं की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया था उन्हें एक करोड़ रोजगार के अवसर का लक्ष्य दिया गया था। यह 2002 में गठित किया गया था और उसने मई 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि हमारा देश कुछ लोगों के हाथों में भूमि का संकेन्द्रण होने के कारण कृषि क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने भूमि सुधारों की सिफारिश नहीं की है बल्कि कृषि श्रमिकों को भूमि पट्टे पर देने की सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया एक मिनट रुकिए। यदि सभा चाहे तो, सभा की सहमति से मैं चाहूंगा कि अब श्री अनादि साहू पीठासीन हों।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 2.01 बजे

[*श्री अनादि साहू पीठासीन हुए*]

श्री बसुदेव आचार्य : अब, मुझे कुछ अधिक समय मिलेगा।

सभापति महोदय : अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, यह काफी लम्बे समय से इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। अन्य व्यक्तियों को भी बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : अब उन्हें समाप्त करना पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि कृषि श्रमिकों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार किए जाएं। इससे कृषि श्रमिकों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और बेरोजगारी की समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकट है को काफी हद तक हल किया जा सकेगा।

महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश से कृषि श्रमिक काम की तलाश में पंजाब और हरियाणा जाते हैं। जब तक उनके राज्यों में रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए जाते हैं उन्हें वहां जाना पड़ेगा।

महोदय, हाल ही में हमें असम में हिंसा देखने को मिली है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार बिहार से आए लड़कों को पीटा गया और किस प्रकार वहां के नौजवानों के लिए रोजगार प्रदान करने के मामले को उठाया जा रहा है।

महोदय, रेल विभाग में समूह 'घ' के 20,000 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकला था। यह 20,000 पद भी नहीं थे जैसा कि असम में हुई हिंसा पर चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय रेल मंत्री ने आंकड़ों में सुधार किया था, यह केवल 17,000 पदों के लिए विज्ञापन था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन 17,000 पदों के लिए 75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए। जांच के बाद यह पता चला कि साक्षात्कार के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की संख्या 50 लाख थी। उनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, और यहां तक कि एम०बी०ए० भी थे जो कि समूह 'घ' अर्थात् खलासी का पद, जो कि रेल विभाग में निम्नतम समूह है के लिए साक्षात्कार देने जा रहे थे।

जब बिहार के लड़के गुवाहाटी गए तो उन्हें परीक्षा देने से रोका गया और जब बिहार के लड़के महाराष्ट्र गए तो उन्हें पीटा गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ओर माननीय प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा और दूसरी ओर वह युवा लोगों को कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। यदि प्रति वर्ष एक करोड़

[श्री बसुदेव आचार्य]

रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है तो इसका अर्थ यह होगा कि इस सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों के दौरान चार करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए? आप पहले ही 40 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, श्रम रजिस्टर में चार करोड़ रोजगार कहां हैं? खलासी के 17,000 पदों के लिए 75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन क्यों किया? आप आंकड़े देखिए। हमने आंकड़ों में हेर-फेर नहीं किया है। ये आंकड़े एन०एस०ओ० और आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दिए गए हैं। एन०एस०ओ० और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के आधार पर प्रत्येक वर्ष विकास दर में कमी हुई है।

महोदय, इन चार वर्षों के दौरान उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण की नीति के कारण हमारे दरवाजे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोले जा रहे हैं। अब सरकार की अनुमति के बिना श्रम संबंधी कानूनों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने और सरकार की अनुमति के बिना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उद्योगपतियों को अपनी ऐसी इकाइयों को बंद करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जहां 1000 से कम श्रमिक हैं। अभी प्रावधान यह है कि यदि किसी इकाई का स्वामी अपनी ऐसी इकाई बंद करना चाहता है जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वह उसे तब तक बंद नहीं कर सकता है जब तक कि हमारे श्रम मंत्री अनुमति नहीं देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जहां उन्होंने एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को ऐसी अनुमति देने से इंकार कर दिया। वह एक इकाई को बंद करना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं इस बात के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं उन्हें ऐसा निर्भीक कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं।

लेकिन महोदय, उस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के निरसन का प्रस्ताव है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस बात पर जोर क्यों दे रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी इकाइयों में स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं कर रही हैं। वह सभी ठेके पर कर्मचारी नियुक्त कर रही हैं। वह उन्हें कितना पारिश्रमिक दे रही हैं? वह उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक दे रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह बात भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि वह भविष्य निधि की सुविधा भी प्रदान नहीं कर रही हैं। महोदय, मैं जानता हूं, मेरे क्षेत्र में आपके राज्य से श्रमिक मंगवाए गए थे। उन्हें कारखाने के परिसर में ही रखा गया था। जिन श्रमिकों को उड़ीसा से लाया गया था, उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया गया है? उन्हें 25 रुपये प्रतिदिन और दो जून का खाना दिया गया है। यह स्थिति है।

एक अन्य समस्या अल्प रोजगार और कुशल रोजगार की है। महोदय, हमारे देश में अल्प रोजगार वालों की प्रतिशतता अधिक है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अल्प रोजगार की समस्या है। अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं है। आज हमारे देश में यह भी एक वास्तविक समस्या है। महोदय, यह सरकार हमारे देश की इस ज्वलन्त समस्या अर्थात् बेरोजगारी की समस्या पर विचार नहीं कर रही है। इन चार वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने के स्थान पर इस सरकार ने एक करोड़ रोजगार छीन लिए हैं, बल्कि यू कहें कि नष्ट कर दिए हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं, यह सरकार अपनी नीति नहीं बदल सकती है। यह सरकार द्वारा जन विरोधी, कामगार विरोधी और किसान विरोधी नीति का अनुसरण कर रही है। इसलिए जब तक इस सरकार को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, जन समर्थक और कामगार समर्थक, किसान समर्थक सरकार से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, इस सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति को बदला नहीं जा सकता है।

महोदय, अब समय आ गया है कि सरकार इस पर विचार करें और चुनाव के समय में गलत आश्वासन न दें। ये निर्वाचित होकर सरकार में रहकर अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों के बारे में भूल जाते हैं।

[हिन्दी]

गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाने के लिए भी कानून बनना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। न केवल कृषक बल्कि मजदूर भी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगार हैं। श्रम मंत्री को यह जानना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगले वक्ता, श्री योगी आदित्य नाथ जी बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

डा० साहिब सिंह वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने अनेक बातें बताई हैं और यह कहा कि स्थिति बहुत खराब है। क्या वह कुछ ठोस सुझाव दे सकते हैं कि इसमें सुधार कैसे किया जाए?

[हिन्दी]

एक, दो, तीन करके दे दें ताकि 50 मिनट की स्पीच हमारे कहीं काम तो आये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने उन्हें बोलने के लिए 45 मिनट दिए हैं।

डा० साहिब सिंह वर्मा : महोदय, उन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सच है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने भूमि सुधार का सुझाव दिया है। *(व्यवधान)*

डा० साहिब सिंह वर्मा : क्या भूमि सुधार का सुझाव दिया है?

श्री बसुदेव आचार्य : आप अपनी नीति बदलिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, आप उस विषय पर बोलेंगे। श्री बसुदेव आचार्य, अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : कार्य करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम अन्य वक्ताओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। श्री रामविलास पासवान अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। जब वह श्रम मंत्री थे तब उन्होंने मौलिक अधिकार के रूप में कार्य के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक लाने का प्रयास किया था।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी लास्ट डिमांड है कि आप कानून बनाओ, कानून ले आओ। काम का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए, फण्डामेंटल राइट होना चाहिए, यह हमारा सुझाव है।

सभापति महोदय : महोदय, अब आप भाषण बन्द कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी नीति बदलिए।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। जब हम बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करते हैं तो हमें देश के करोड़ों नौजवानों के बुझे हुए चेहरे नजर आते हैं।

अपराह्न 2.13 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

रोजगार की तलाश में भटकते-भटकते एक सीमा ऐसी आती है, जब वे राष्ट्र की मुख्य धारा से भटककर उन अराजक तत्वों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठनों के हाथों के खिलौने बन जाते हैं और आज हमारे सामने, इस देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह यही है कि इस देश में भटके हुए जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें हम समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर कैसे उनकी रचनात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका में कर सकें।

निश्चित ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें उससे इन्कार नहीं करना चाहिए कि रोजगार और बढ़ती हुए जनसंख्या एक दूसरे के पूरक हैं। आजादी के बाद से लगातार घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन कभी भी इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण करने पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया। आप जानते हैं कि इस देश में आबादी 2.1 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी प्रतिवर्ष इस देश में 2.15 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ की दर से जनसंख्या बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही रोजगार के अवसर कम होंगे और आज जब देश सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, हम बार-बार चीन से अपने देश की तुलना करते हैं, आज चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और वहां पर उसने उस पर प्रभावी अंकुश लगाया है और प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ जब उसने अपने राष्ट्र की योजनाओं के अनुरूप, वहां की परिस्थिति के अनुरूप नीति बनायी हैं तो आज उनके आधार पर काफी हद तक वह न केवल रोजगार उपलब्ध कराने में सफल हुआ है, अपितु जनसंख्या का जो एक विस्फोट है, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी उसे सफलता प्राप्त हुई है। आज इसी का परिणाम है जब हम कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में भारत की आबादी वर्तमान आबादी की चार गुनी होगी, वहीं पर एक प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि आने वाले 50 वर्षों में चीन की आबादी वर्तमान आबादी की 50 प्रतिशत होगी। यानि वर्तमान आबादी से भी पचास प्रतिशत कम हो जाएगी और मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र को अगर विकास के पथ पर आगे

[योगी आदित्यनाथ]

बढ़ना है तो उसको सबसे पहला कार्य अपनी बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने का करना होगा। भारत में अगर वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और जिस आर्थिक विकास की दर पर देश को ले जाने का प्रयास कर रही है तो मैं समझता हूं कि पहली बार विदेशी मुद्रा का जो भंडार इस देश में वर्तमान में आया है, अभी आपने पढ़ा है कि सौ अरब डॉलर को पार कर दिया है, मैं कहूंगा कि रोजगार की तमाम संभावनाएं इस देश में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने और इस सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई हैं। पिछली बार भी जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और उसमें प्रतिवर्ष जिन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिया गया था, पिछले तीन वर्षों में 84 लाख, 79 लाख और 73 लाख रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से दिये गये थे और केवल नौकरी देने की बात नहीं थी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये थे, उनसे संबंधित बात थी और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती। सरकार रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है और रोजगार की सुविधाएं सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराई थीं चाहे वह विभिन्न क्षेत्रों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो।

भारत जैसे विकासशील देश में जहां आज भी यानि 75 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हो, उस देश के गांवों के विकास के बारे में कभी कोई रणनीति तय तय नहीं की गई। पहली बार इस सरकार ने प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से उन गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने की बात कही है क्योंकि गांवों में इससे पहले कच्चे मार्ग होते थे। गांवों में ग्रामीण कृषि पर आधारित उस रोजगार की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने की योजनाएं वहां पर थीं लेकिन कच्चा माल शहरी क्षेत्रों में नहीं आ सकता था और गांवों में कोई भी व्यक्ति रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता था। आज वहां कुछ पहल हुई है। पक्के मार्गों से जोड़ने की जो व्यवस्था सरकार ने की है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, गांवों में जो मजूदर हैं, उनको गांवों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। दूसरे गांव जब पक्के मार्ग से जुड़ेंगे तो गांवों में विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सबसे पहला प्रयास है।

गांवों में पेयजल की योजनाएं प्रारम्भ कराई जा रही हैं। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह एक प्रयास वर्तमान में सरकार ने किये हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो विभिन्न योजनाएं हैं चाहे वह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज रोजगार योजना के माध्यम से हो या सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से हो या प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हो या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्त्योदय अन्न योजना हो या अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हो या इंदिरा आवास योजना के माध्यम से हो या जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हो या स्वर्ण जयन्ती रोजगार के माध्यम से हो या बाल्मीकि, अम्बेडकर आवास योजना के माध्यम से हो। विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार ने अपनी तरफ से दी थीं जिससे रोजगार की सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में जो घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष सरकार एक करोड़ नहीं कम से कम 80 लाख रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तो सरकार ने 79 लाख रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मैं समझता हूं कि इससे कोई अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो इस देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात क्यों नहीं करते हैं?

आपको याद होगा कि इसी सदन में जब इस देश में फैमिली प्लानिंग की योजना प्रारम्भ हुई थी तो एक वर्ग ने उसको मानने से इंकार कर दिया था। हम बार-बार किसी एक मामले में न्यायालय की दुहाई की बात करते हैं लेकिन जब इस देश का उच्चतम न्यायालय एक बार नहीं, चार-चार बार इस देश में समान नागरिक संहिता का लागू करने की बात करता है और इसी सदन में मैंने अपना एक समान नागरिक संहिता से संबंधित एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था और उस विधेयक पर इस सदन में सभी ओर के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। सबने कहा था कि इसकी आवश्यकता है लेकिन अभी उचित अवसर नहीं आया है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ने वाले या राष्ट्र से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर भी इस सदन ने उस पर भी अपनी तुष्टिकरण की नीति और वोट-बैंक को जोड़कर उस विधेयक को देखने का प्रयास किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं, चार-चार बार देश में समान आचार संहिता लागू करने की बात कही थी। लेकिन आज तक इस सदन के सभी सदस्य कभी भी उस मत पर गम्भीर नहीं हो पाए हैं। इसलिए केवल एकतरफा बात कहना और सरकार पर दोषारोपण करना, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं।

इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। आप जानते हैं कि 1835 में हमारे देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। उससे पहले जब इस देश में साक्षरता का प्रतिशत देखा गया तो वह 80 प्रतिशत के ऊपर था। 1835 में इस शिक्षा प्रणाली के लागू होने के 100 वर्षों के बाद जब अध्ययन किया गया और साक्षरता का प्रतिशत देखा गया तो पाया गया कि केवल दस प्रतिशत साक्षरता देश में रह गई है। यह साबित करता है कि कहीं न कहीं यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी को प्रेरित करती है।

इस शिक्षा प्रणाली से एक तरफ तो व्यक्ति डिग्री हासिल कर लेता है या प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है, लेकिन उसको स्वावलम्बी बनाने की प्रेरणा इस शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का यह भी एक मुख्य कारण है।

आजादी के बाद हमने देश में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसमें भी कहीं न कहीं कमियां हैं। केवल चार-चार साल में यह साबित करना, यह अपेक्षा करना कि कोई भी सरकार पांच साल में पिछले 50 वर्षों के उस कलंक को धो देगी, जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया हो, मैं समझता हूं यह बड़ा कठिन होगा। वर्तमान सरकार ने जो कार्य प्रारम्भ किया है, जहां उसकी सराहना होनी चाहिए, वहीं साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र माना जाता है। आजादी के बाद से कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग उस क्षेत्र में नहीं लगा था। 1990-1991 में वहां एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए गोरखपुर में ''गिडा'' की स्थापना की गई, जिससे नोएडा की तर्ज पर उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके। आजादी के बाद एकमात्र उद्योग गोरखपुर में खाद के कारखाने के रूप में लगा था। 1990 में वह कारखाना भी बंद हो गया। इससे वहां के किसानों को खाद, उर्वरक आदि मिलना भी बंद हो गया, 1920 और 1930 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे वह गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बस्ती हो, इन सभी क्षेत्रों में जो चीनी मिलें लगी थीं, पिछले दस वर्षों के अंदर वहां लगभग 30 से ऊपर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र की 14 चीनी मिलों को बंद कर दिया है। अगर एक चीनी मिल बंद होती है तो उस क्षेत्र में उस चीनी मिल से जुड़े हुए मजदूर या कर्मचारी, जिनकी संख्या 1000 से 1500 तक होती है, केवल वही बेरोजगार नहीं होते हैं, उसके साथ-साथ बेरोजगार होते हैं हजारों किसान। एक चीनी मिल पर लगभग 50,000 किसान निर्भर करत हैं। उस क्षेत्र के हजारों मजदूर भी उस चीनी मिल पर निर्भर करते हैं। एक साथ 14 चीनी मिलें बंद हो रही हैं, इस तरह से एक साथ वहां सभी उद्योगों को बंद किया जा रहा है। इसके बारे में और वर्तमान में जो सरकार की विनिवेश नीति है, उस पर सोचने की आवश्यकता है कि इसके कारण इस देश में रोजगार के अवसरों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है इसलिए इस पर सोचने की आवश्यकता है।

आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं इस पर और दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। इस देश में रोजगार के अवसरों के बारे में हमें चिंता करनी है, तो हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाएंगे, तो निश्चित ही हम देश में कितना भी विकास कर लें, अंत में वह बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ समाप्त हो जाएगा।

हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय देशों में जो अर्थव्यवस्था है, वह अलग तरह की है। वहां पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था मात्र दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक है। भारत में 75 प्रतिशत से ऊपर लोग कृषि पर आधारित हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर चिंतन करना चाहिए। आज हमारे देश में जनसंख्या विस्फोटक स्थिति तक बढ़ती जा रही है और पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं जिनका फायदा अलगाववादी तत्व उठाते हैं। आज शिक्षित नौजवान स्वावलम्बी होने के बजाए केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना चाहते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे तो नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और सरकारी नौकरियों पर जो आज निर्भरता है, उस पर भी अंकुश लग पाएगा। इसलिए हमें सोचना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज हम मजबूती कैसे प्रदान कर सकें। एक समय ऐसा भी था जब पूरी यूरोपीय मार्किट में 40 प्रतिशत हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था का हुआ करता था। इन 200 वर्षों में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन-सी परिस्थितियां पैदा हुईं कि आज हमारा कब्जा यूरोपीय मार्किट में पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। आज उन परिस्थितियों को जानने की आवश्यकता है।

अपराह्न 2.27 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

जो उद्योग 1920-1930 के दशक में लगे थे, जो चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हों या बिहार की हों, वे एक के बाद एक आज बंद होती जा रही हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर और इस उद्योग में लगा किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए ऐसी कोई योजना बननी चाहिए जिससे जिन मजदूरों और किसानों का जीवन इस चीनी मिलों पर पूरी तरह से निर्भर है उन्हें बर्बाद होने से बचाया जा सके और उनकी आजीविका के साथ खिलवाड़ न हो सके, उसके बंद होने पर अंकुश लग सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ईमानदारी से पहल होनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और शुरू से ही शिक्षा के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास हम कर सकते हैं और कृषि के क्षेत्र को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इस ओर हमें चिंतन करना चाहिए। इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश हम कैसे लगा सकते हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इन सभी बातों पर ईमानदारी से चिंतन और कार्रवाई हो, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, आपने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैंने भाजपा के अपने प्रतिष्ठित साथियों के विचार सुने। ठीक है, मुझे बहुत आशा थी कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री इस वाद-विवाद का जवाब देंगे और इस मुद्दे को सुनेंगे जोकि इस समय देश का अहम मुद्दा है अर्थात जो 'बेरोजगारी' के बारे में है।

मैं जानता हूं कि भाजपा की तरफ के लोग यह राग अलापना आरम्भ करेंगे कि कांग्रेस ने 45 वर्षों से भी अधिक समय तक राज किया। उन्होंने क्या किया? हमने बहुत लम्बे समय राज किया और लंबी पारी खेली। 200 वर्षों तक विदेशी शासन का शोषण झेलने के पश्चात् जब स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू उस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि भारत में आयतित माल की प्रचुरता थी।

भारत के जनशक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं था। यहां पूरी तरह से निरक्षरता थी, प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में थे, प्रौद्योगिकी का अभाव और अपेक्षित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी तब स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राथमिकता निर्धारित की कि हम योजना के द्वारा कार्य करेंगे और योजना प्रक्रिया में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसी दौरान हमने 1948 के युद्ध, जो पाकिस्तान द्वारा प्रवर्तित था, को सशस्त्र सेनाओं में बिना किसी आधुनिक हथियारों के लड़ा। उसके बाद 1962 में भारत चीन की सीमा पर एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था, पाकिस्तान का आक्रमण, उसके बाद 1965 और 1971 का युद्ध और मैं इससे भी सहमत हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या की वृद्धि का था।

महोदय, मेरे विशिष्ट साथियों ने बहुत ही सही कहा है कि बेरोजगारी की समस्या पर विचार करते समय हमें सबसे पहले इस देश की जनसंख्या के असाधारण विकास पर ध्यान देना चाहिए। वह स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ही थी जिन्होंने 1972 में और उसके बाद देश को यह चेतावनी दी थी कि 21वीं सदी में प्रवेश करते ही, यदि हमने जनसंख्या को नियन्त्रित नहीं किया तो जहां तक, बेरोजगारी का संबंध है भारतीय स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाएगी।

क्या यह सत्य नहीं है जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिवार नियोजन पर निश्चित अधिदेश लगाया था केवल राजनीतिक कारणों से, जो सदस्य आज ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं और उन दिनों कुछेक विपक्षी सदस्यों ने हाथ मिलाया और धर्म के नाम पर मुद्दे को उठाया?

मुझे 1977 की वे बैठकें याद है जोकि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ की थी।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, यदि आप सहमति दें तो मैं वित्त मंत्री को वक्तव्य देने हेतु बुलाता हूं। वित्त मंत्री 2.30 बजे उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वित्त मंत्री उत्तर दे सकते हैं यह 2.30 बजे के लिए सूचीबद्ध है।

अपराह्न 2.31 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(दो) रोयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा

सभापति महोदय : अब वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कल हमने सभा में उनकी उपस्थिति की काफी सराहना की थी, मुझे आशा है कि वह आज सभा में हमारी उपस्थिति की सराहना करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे माननीय सदस्यों से खेद प्रकट करना है क्योंकि कल के वाद-विवाद में, मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, परन्तु कल परिस्थितियां पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मुझे दोनों सभाओं में एक साथ उपस्थित होना था। इसके अलावा, कई माह पहले से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए मुझे तीसरी जगह भी जाना था। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि वे सभा में मेरी अनुपस्थिति से दुखी थे। उनका नाराज होना न्यायोचित है। मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं क्योंकि वह मेरी ओर से सराहना चाहते हैं। मैं यह सराहना करता हूं कि माननीय सदस्य बहुत उदार हैं क्योंकि वे चर्चा का निष्कर्ष सुनने के लिए उपस्थित हैं।

महोदय, मैंने सभी टिप्पणियों, जो माननीय सदस्यों ने की हैं पर विचार किया है, यद्यपि मैं यहां स्वयं उपस्थित नहीं था लेकिन उससे मुझे कल की चर्चा के बारे में जानकारी लेने में कोई रूकावट नहीं है। अब मैं इस सभा और माननीय सदस्यों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन मुद्दों को उठाया गया था, उन पर जवाब देने हेतु मुझे मौका मिला है।

मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि सरकार संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। ताकि बाजार की साख और निवेशकों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। महोदय, बाजार की पूर्ववर्ती कठिनाइयों और वर्ष 2001 में बाजार की कठिनाइयों में अंतर का फर्क होगा। यह भी एक टिप्पणी है और मेरा मानना है कि वह वैध है कि यदि वर्ष 1992 की संयुक्त संसदीय समिति की समस्त सिफारिशों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित

किया गया होता तो संभवतया वर्ष 2001 के बाजार दुराचार को रोका जा सकता था अथवा कम से कम इसके असर को न्यूनतम किया जा सकता था। यह किसी का मुद्दा नहीं है कि पूर्व संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और यह किसी का मुद्दा नहीं है जिनको कि यदि उन्हें कार्यान्वित किया गया होता तो इसके लाभकारी प्रभाव समग्र प्रणाली द्वारा महसूस नहीं होता।

महोदय, अब मैं कामना करता हूं कि जहां तक मौजूदा संयुक्त संसदीय समिति का संबंध है, हमने 9 मई, 2003 को संसद के दोनों सदनों में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन छः माह की निर्धारित सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जिसके लिए हमें अनुमति प्राप्त थी। इसके अलावा मैंने प्रति रिपोर्ट 12 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत किया।

हमने वर्ष 2001 की संयुक्त संसदीय समिति की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है। संयुक्त संसदीय समिति की 276 सिफारिशों में से 150 सिफारिशों को पूरा कर लिया गया है।

विनियामकों की भूमिका के संबंध में वित्त मंत्रालय और मंत्री के नैतिक दायित्व के बारे में उठाए गए मुद्दे के बारे में कहना है। मेरा कहना है कि 1992 तक की स्थिति और 2001 की स्थिति में अन्तर है। वर्ष 1992 में वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियंत्रक को जगह दी गई और पूंजी निर्गम नियंत्रक ने ही पब्लिक इश्यू का मूल्य और मात्रा निश्चित किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने शेयर बाजार को विनियमित किया। वर्ष 2001 में सेबी जिसकी स्थापना हुए नौ वर्ष हुए थे, के पास प्रतिभूति कानून के अनुसार अधिकार थे और 'सेक्यूरीटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल' की भी स्थापना की गई है। यहां प्रश्न इस विषय से संबंधित है कि नियामकों को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैंने सभा में यह बात अनेक अवसरों पर कही है कि बाजार को स्वतन्त्र करने से नियामक तंत्र और मजबूत होता है। 'मुक्त बाजार' 'सभी के लिए निशुल्क' का पर्याय नहीं है और इसलिए यह मान लेना गलती होगी कि विनियामकों की भूमिका सीमित है या एकदम नहीं है। बाजार का जितना मुक्त रूप से प्रचालन होगा विनियामक को उतना ही मजबूत और प्रभावी होना चाहिए। मेरी यह धारणा है कि केवल इसी मामले में ही नहीं बल्कि जहां भी विनियामक हों उन्हें प्रचालन के लिए मुक्त होना चाहिए, उन्हें स्वायत्त शासी होना चाहिए और उन्हें ऐसा करने का प्राधिकार होना चाहिए। यह वित्त मंत्रालय की नीति नहीं है और न ही इस समय मैं विनियामक के सूक्ष्म प्रबन्धन या दैनिक कार्यकरण के विषय में विस्तार से जानना चाहता हूं। यही मूल अन्तर है। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस अवधि के अंतर्गत शुरू किए गए सभी सुधारों पर प्रकाश डालें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सदस्य इनसे भली-भांति अवगत हैं। सभा के शीतकालीन सत्र का अवसान होने वाला है इसलिए मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। हमने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर 2002 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से सेबी को अधिकार भी दिया है। यूनिट ट्रस्ट अधिनियम का निरसन कर दिया गया है और यूनिट ट्रस्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। शेयर बाजार की परस्परता को खत्म करने वाला विधेयक पुरस्थापित कर दिया गया है और कारपोरेट बैंकों जो कि 2001 में गलत कार्य-निष्पादन के लिए प्रमुख कारण था, का नियमन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पुरस्थापित किया गया है। इसलिए, यह केवल स्वागत प्रयास ही होगा कि मैं सभा से सिफारिश करूं कि इन विधेयकों पर सभा द्वारा विचार किया जाए और उन्हें शीघ्र ही अधिनियमित किया जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने मारीशस मार्ग के दुरुपयोग और विदेशी कारपोरेट निकायों के विषय का मुद्दा भी उठाया है ओर उन्होंने कहा कि इससे बाजारों में हेराफेरी अपने आप बढ़ती है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है इस समय ओ०सी०बी० की सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। अन्य उल्लेखनीय विकास के अंतर्गत पूर्व के 'टी+5' से 'टी+2 साइकल' सम्मिलित है। सेबी ने पहले ही 120 कंपनियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है।

सेबी के द्वारा 18 मामलों में मुकदमा की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सेबी ने 18 व्यक्तियों को पूंजी बाजार से संबद्ध करने से रोक दिया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है केतन पारेख, कार्तिक पारेख और उनकी सात कंपनियों को 14 वर्ष तक, शेयर बाजार में व्यापार करने से रोक दिया गया है। मैं यह नहीं सोचता कि यह *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह केवल लीपापोती है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे ख्याल से यह कहना सही नहीं है कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन दण्डित हुआ है? यू०टी०आई० के लाखों शेयरधारकों का धन डूब गया। सिर्फ एक उच्च पदस्थ आदमी को छोड़कर किसे दण्ड मिला? क्या दूसरे और लोग नहीं हैं? अब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि दिन-प्रतिदिन सुक्ष्म निगरानी करना संभव नहीं है। जब घोटाला हुआ तो यह मुख्य समाचार क्या तत्कालीन वित्त मंत्री को सभी जानकारियां थीं, फिर भी उन्होंने संसद को विश्वास में नहीं लिया और शेयरधारकों को जोखिम में डाला। हो सकता है कि आज ऐसा नहीं होता।

सभापति महोदय : मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह इस तरह का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि माइक्रो स्तर पर निगरानी करके सब कुछ नहीं किया जा सकता। तत्कालीन वित्त मंत्री पूरी तरह उत्तरदायी थे। वह प्रतिदिन की घटना से अछूते रहे और कोई कार्रवाई नहीं की। यह बेचारे निवेशक हैं जिन्हें नुकसान हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा?

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में, इस सभा में श्रवण प्रणाली काफी प्रभावी है। मैं माननीय सदस्य के आक्रोश को समझता हूं। यह वास्तव में *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप उन्हें बचाने आए हैं। उसी दिन तत्कालीन वित्त मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए था और राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए थी। आप सिर्फ उनका बचाव कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, हम की गई कार्रवाई प्रतिवेदन और जे०पी०सी० प्रतिवेदन के कार्यान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी अपना बचाव करने में सक्षम हैं। आपको उनका बचाव नहीं करना चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : हम भी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। हम उसके बाद देखेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, श्री दासमुंशी कल वाद-विवाद में पूरे दिन उपस्थित नहीं थे। यदि वह होते तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं श्री स्वाइं से अधिक पढ़ता हूं। मुझे पार्टी चलाना है, मैं इन बातों को जानता हूं। प्रधान मंत्री भी सभा में हमेशा नहीं रहते हैं। क्या इसका मतलब है कि प्रधान मंत्री को किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नए सदस्यों को कुछ समझदारी और ज्ञान होना चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : सिर्फ आपको ही ज्ञान है।

सभापति महोदय : मंत्री जी के बोलने में व्यवधान नहीं डालिए। मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानता हूं। यह कहना अत्यन्त ही आसान है कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन कोई की गई कार्यवाही प्रतिवेदन नहीं है। काफी कार्यवाही की गई है। मैं न सिर्फ माननीय सदस्य जिन्होंने अभी-अभी अपना आक्रोश व्यक्त किया अपितु सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : यशवंत सिन्हा सहित या नहीं?

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं उनके कथन का स्वागत करता हूं कि किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। मेरा प्रश्न है, क्या यशवंत सिन्हा दोषी हैं या नहीं?

सभापति महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह : दोषी और निर्दोष होने के प्रश्न को जांच प्रक्रिया और न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या न्यायालय संसद का उत्तरदायित्व निर्धारित करने जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : नहीं नहीं।

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने कहा कि दोषी होने या निर्दोष होने का फैसला न्यायालय करेगा। मैं मंत्री पद की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : जब तक मंत्री अपना उत्तर पूरा नहीं कर लेते कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसी भी पक्ष से कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अभी जो कुछ मणि शंकर अय्यर जी ने कहा है, पर्याप्त जवाब कल दिया गया था। हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि दूर-दूर तक फाइनेंस मिनिस्टर का मामला नहीं बनता है।

श्री मणि शंकर अय्यर : वह कोई पर्याप्त जवाब नहीं था। लीपा-पोती पर्याप्त जवाब नहीं होता है। हम मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मंत्री जी से उत्तर जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : उसमें कोई लीपा-पोती नहीं थी। उनके चिल्लाने से मिनिस्टर गिल्टी नहीं हो जायेंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम लोगों ने पूछा कि दोषी कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया – ढूंढ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी बातों का जवाब कल दिया जा चुका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह : यह एक बात है। मैं इस विषय को और विवादास्पद नहीं बनाना चाहता हूं। संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में मेरे विशिष्ट साथी और पूर्व वित्त मंत्री को इस क्षेत्र में किसी भी कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे खेद है, महोदय। *(व्यवधान)* वे प्रतिवेदन की मांग कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : प्रतिवेदन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय विफल रही है और मंत्रालय के मुखिया मंत्री जी हैं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : वित्त मंत्रालय की विफलता थी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया उन्हें उत्तर देने के लिए कहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम उनसे यह नहीं कह सकते कि जो आपको उपयुक्त लगे उसी तरह से उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, वह कल एक घंटा बोले थे। *(व्यवधान)* वह पूरी सभा को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए। माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। यदि मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं तो इससे सदस्यों में आवेश पैदा होगा। यह वाद-विवाद उपयोगी रही है। मैं अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं कि हम व्यवस्था में सुधार के लिए कार्यरत रहेंगे। जहां तक प्रतिवेदन की आत्मपरक व्याख्या अथवा किसे दण्ड दिया जाए अथवा किसे नहीं का निर्धारण आत्मपरक तरीके से करने का संबंध है, मेरे लिए इस पर सहमति देना संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मंत्री द्वारा उन सिद्धान्तों का पालन करने में विफल रहने जिनके बारे में दस वर्ष पहले वे स्वयं बात करते थे, के विरोध में हम इस सभा से बहिर्गमन करना चाहते हैं। किन्तु हम जल्द ही लौटेंगे ताकि देश में बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा जारी रखी जा सके।

अपराह्न 2.47 बजे

(इस समय, श्री मणि शंकर अय्यर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय, उन्होंने इसे सम्मान का मुद्दा बना दिया है। इसलिए उन्होंने कहा है।

[हिन्दी]

मेरी प्रैस्टीज का सवाल है, मेरे साथ वाकआउट कर जाओ।

[अनुवाद]

(व्यवधान) इसलिए वह बाहर चले गए हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति जी, संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के पैरा नं० 2(15) पर कहा गया है कि इसकी और विस्तृत जांच करने के लिए एक और समिति का गठन करना चाहिए। यह स्पष्ट तौर पर उनकी रिकमंडेशन है। इस पर अब तक आपके द्वारा की गई कार्रवाई में से इस प्रतिवेदन को निकाल दिया गया है। *(व्यवधान)*

[कुंवर अखिलेश सिंह]

दूसरा स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि समिति की जांच के बाद मासटैक ने, होम ट्रेड ने और श्रीयम सिक्यूरिटीज ने जो घोटाले किये हैं, उन ल्यूपिन सिटीबैंक का जो घोटाला है, उस पर आपका क्या कहना है जो जनवरी और सितम्बर महीने में घोटाले हुए हैं इस समिति की रिपोर्ट के बाद, उस पर आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना कि एक और जांच समिति बैठाई जाएगी, जहां तक मुझे इसका ध्यान है, उसमें ऐसा कहा गया है कि कार्पोरेट्स और अदर बॉडीज़ के लिए इसकी निटी ग्रिटी में यह समिति नहीं जाना चाहती थी और इसलिए उसमें आवश्यकता हो तो मंत्रालय के कंपनी विभाग वगैरह इस पर जांच कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। उसके बाद आपका कहना है कि जून और सितम्बर में कुछ और हुआ, अगर उसकी कुछ जानकारी हम तक भिजवा दें तो अच्छा रहेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : हमने अपनी स्पीच में पूरी जानकारी दी है। अडसूल जी, वित्त राज्य मंत्री उस समय बैठे हुए थे और कल मैंने विस्तृत रूप से उन घोटालों का जिक्र किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, आप उनकी गहराई से जांच कराएं।

श्री जसवंत सिंह : हम उनको देख लेंगे।

अपराह्न 2.49 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बेरोज़गारी की स्थित – जारी

सभापति महोदय : अब हम देश में बेरोज़गारी के संबंध में चर्चा जारी रखेंगे। श्री प्रियरंजन दासमुंशी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं अभी बात कर रहा था कि योगी आदित्यनाथजी ने एक प्रासंगिक मुद्दा उठाया है और मुझे भी चिन्ता है कि पहले हमें जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन्हें यह स्मरण करवा रहा था कि जब श्रीमती गांधी ने वह अभियान आरम्भ किया था तो उस दिन समूचे विपक्ष – जिनमें से अधिकतर आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं – ने जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के साथ मिलकर धार्मिक मुद्दों पर फायदा उठाने की कोशिश की थी कि श्रीमती गांधी परिवार नियोजन के नाम पर धर्म का दुरुपयोग कर रही हैं।

अत: मैं यह महसूस करता हूं कि एन०डी०ए० सरकार को पहले की तरह यह सोचना चाहिए कि जनसंख्या की समस्या को कैसे हल किया जाए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे साथी सभी तथ्यों के साथ इस चर्चा पर अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से भाग ले सकेंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमें इस पक्ष अथवा उस पक्ष पर कीचड़ उछालना चाहिए। लेकिन प्रधान मंत्री को इस समस्या को गंभीरता को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोज़गार का सृजन करेंगे। लेकिन एक राज्य मंत्री ने राज्य-सभा में यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 4,19,771 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 2,00,000 आवेदन-पत्र मंजूर किए गए थे। 57,218 आवेदन पत्र लम्बित थे, अस्वीकार किए गए आवेदन पत्रों की दर 47 प्रतिशत थी। सम्पूर्ण ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सितम्बर तक प्राप्त 1,56,393 आवेदनों में से केवल 57,000 आवेदनों को ही निपटाया गया था। यह 2002 तक था। वर्ष 2003 के आंकड़े यह थे कि बैंकों अथवा सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा 65 प्रतिशत ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री अपनी वचनबद्धता का पालन कैसे कर सकते हैं? मैं केवल प्रधानमंत्री की भावनाओं को महसूस करूंगा। एन०डी०ए० सरकार उन्हें रोज़गार की बात करने के लिए मजबूर कर रही है लेकिन प्रणाली की उनकी व्यक्तिगत निगरानी वास्तव में अव्यवस्थित है। यदि एन०डी०ए० सरकार एक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के साथ बुरी तरह से असफल हुई है – जिस पर मैं आज बात नहीं करूंगा – वह रोज़गार का क्षेत्र है।

मैं चाहता हूं कि डा० साहिब सिंह वर्मा पिछली तीन योजनाओं नामत: आठवीं, नौवीं और दसवीं योजनाओं के लिए रोजगार और विकास के अनुपात को दर्शाने वाली एक तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत करें। उससे यह स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा कि देश में वर्तमान स्थिति भयावह है।

मुझे अपने प्रतिष्ठित मित्रों श्री खारबेल स्वाइं और श्री त्रिपाठी के साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे दूसरी समिति में कार्य करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर्दाफाश करने वाली बातें सामने आई थीं जिसके बारे में सरकार को जानकारी होनी चाहिए। यह कहा गया था कि जहां वर्तमान श्रम शक्ति और मानव संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया गया था, वहां समस्या अधिक थी; यह वैश्वीकरण के नाम पर हुआ था। ऐसी पर्दाफाश करने वाली बातें संयुक्त राष्ट्रसंघ में उजागर हुई। अब संयुक्त राष्ट्रसंघ बता रहा है कि सुधार की प्रक्रिया में कुछ पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं विनिवेश मंत्री, श्री अरुण शौरी का नाम उद्धृत करना चाहूंगा जो कि सभी रोज़गार के अवसरों को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से अकेले ही जिम्मेदार हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की बड़े-बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और लाभ-हानि के खातों के लिए आलोचना की गई है। श्री अरुण शौरी ने अक्सर ऐसा किया है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि यदि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापना न होती तो देश का तीन-चौथाई रोज़गार सृजन कार्यक्रम रुक गया होता। आप इसे समाज सेवा के रूप में मान सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता; आप कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक सुरक्षा सहायता थी, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन उन्होंने कितने अधिक रोज़गार का सजृन किया है।

लेकिन 'विनिवेश प्रक्रिया' पर चर्चा के दौरान संसद में श्री अरुण शौरी ने उत्तर दिया कि 1991 से 2000 तक केवल सरकारी क्षेत्र में ही रोज़गार की संख्या 2.172 मिलियन से कम होकर 1.5 मिलियन हो गई थी। केवल सरकारी क्षेत्र में नौ वर्ष के भीतर एक मिलियन रोज़गार कम हो गए थे। यह विनिवेश मंत्री का कथन है, जिसके बारे में मैं जानता हूं कि श्रम मंत्री सहमत नहीं होंगे लेकिन मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की अनिवार्यता के कारण, वह ऐसा नहीं कहेंगे।

मंत्री महोदय हमारे सुझाव जानना चाहते हैं। मैं इसी सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े उद्धृत करके सरकार को परेशान नहीं करना चाहता। वर्ष 2002 तक उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि रोज़गार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोज़गारों की संख्या 4.16 करोड़ थी जिसमें से 70 प्रतिशत शिक्षित हैं। पंजीकृत महिला बेरोज़गारों की संख्या 1.8 करोड़ थी। पश्चिम बंगाल में बेरोज़गारों की सबसे अधिक संख्या थी अर्थात् 63.6 लाख, जबकि दादरा और नगर हवेली संघ क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बेरोज़गारों की सबसे कम संख्या है। गुजरात में सबसे अधिक भर्त्तियां हुई हैं जबकि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या उत्तर-प्रदेश में सबसे अधिक थी। वर्ष 2000 के दौरान अधिसूचित 3.4 लाख रिक्तियों के प्रति इस वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर रोज़गार कार्यालयों द्वारा 1.6 लाख व्यक्तियों की भर्ती हुई। वर्ष 2002 तक की यह स्थिति है।

यदि यही स्थिति जारी रहती है और यदि सुधार की यह वर्तमान प्रक्रिया जारी रहती है तो श्रम मंत्री की क्या स्थिति होगी? मुझे उनसे सहानुभूति है। प्रधानमंत्री ने आज उनसे कहा कि वह पूरा कार्य करते रहें। रोज़गार के क्षेत्र में इस सरकार द्वारा न केवल निराशापूर्ण बल्कि विनाशकारी स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

हम दावा करते हैं कि हमारे देश में दुग्ध क्रांति है। दुग्ध उत्पादन में हम पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। लेकिन हमने देश में कितनी दुग्ध सहकारितएं स्थापित की हैं? भारत, केवल दुग्ध सहकारी क्षेत्र में ही प्रति वर्ष 7.2 मिलियन से अधिक रोज़गारों का सृजन कर सकता है। लेकिन वर्तमान में सृजन का स्तर 1.3 मिलियन से कम है। यह एक बृहत क्षेत्र है। हम केवल दुग्ध क्षेत्र में ही सात मिलियन रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर हैं।

कृषि-खेती क्षेत्र में, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के अन्तर्गत कितना भी सुधार हुआ हो, देश भर में कृषि भंडारण की कमी के कारण 22 प्रतिशत प्राकृतिक उत्पाद व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे पास संरक्षण क्षमता नहीं है। कृपया सिंगापुर जैसे देशों के साथ तुलना करिए जो कि एक व्यापारी राष्ट्र है अथवा नीदरलैंड के साथ तुलना करिए जहां भंडारण क्षमता क्षेत्र अकेले पांच में से दो युवा लोगों को रोजगार दे सकता है। भारत में हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कृषि संबंधी क्षेत्र पर विचार नहीं किया है।

मेरा तीसरा सुझाव यह है। यह निश्चय ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। समय आ गया है। मैं शिक्षा के किसी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूं। पहले आप देश को संपूर्णता में देखते थे। उच्च शिक्षा स्तर पर 72 प्रतिशत विद्यार्थी कला विषयों से होते थे और 28 प्रतिशत विज्ञान के क्षेत्र से होते थे। लेकिन आज 25 प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में हैं और 75 प्रतिशत मानविकीय क्षेत्र में हैं। भारत को 75 प्रतिशत विज्ञान के क्षेत्र के और 25 प्रतिशत मानवीकीय क्षेत्र के विद्यार्थी चाहिएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि दस इंजीनियर बेरोजगार हैं तो 2,000 स्नातकोत्तर युवा बेरोजगार हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या दसवीं योजना का कार्य बल इस संबंध में विचार करेगा। यह खतरे की घंटी है। एन०डी०ए० ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपको एक अन्य उदाहरण दूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। व्यावहारिक स्थिति बहुत गंभीर है। श्रम मंत्रालय में रोज़गार महानिदेशक के सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल संगठित क्षेत्र में ही रोज़गार की संख्या पिछले वर्ष में 2.78 करोड़ की तुलना में मार्च, 2002 के अंत तक कम होकर 2.73 करोड़ हो गई है। हर वर्ष यह कम हो रही है। लेकिन यह सरकार दावा करती है कि यह संख्या बढ़ रही है। यह कहां बढ़ रही है? क्या यह अंधेरी गली की ओर बढ़ रही है?

आप कितने स्थानों पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी०आर० पी०एफ०) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) के लोगों को बेरोज़गार युवाओं के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए भेजेंगे जो कि आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर अथवा अन्यथा विद्रोह करते हैं? इस विषय पर योगी आदित्यनाथ के अनेक कथनों से सहमत हूं। कम से कम उन्होंने वर्तमान स्थिति को समझा। क्या सरकार ने उन विषयों पर विचार किया? नहीं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

समय की कमी है; मैंने शीघ्र अपनी बात समाप्त करने का वचन दिया है। मेरे साथी श्री मणि शंकर अय्यर और अन्य इस विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री से अपील करता हूं कि बेरोज़गार युवाओं द्वारा परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों के लिए आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले सभी तरह के पोस्टल आर्डर देने की प्रणाली को अधिनियम लागू करके तत्काल समाप्त करें।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि सरकार युवाओं को रोज़गार प्रदान नहीं कर सकती है तो उसे युवकों को बार-बार पोस्टल आर्डर खरीदवा कर सज़ा नहीं देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में एक युवा व्यक्ति को प्रत्येक रोजगार के लिए आवेदन करते समय पोस्टल आर्डर क्यों खरीदने पड़ते हैं? सरकार को इस कानून को समाप्त करना चाहिए। वार्षिक अथवा मासिक वेतन के रूप में रोज़गार प्रदान करने के बारे में नहीं सोचिए। कृपया स्व-रोज़गार कार्यक्रम का सृजन करिए और उस पर ज़ोर दीजिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान – मैं राजनीतिक आंकड़े नहीं दे रहा हूं, आप इस बात को सत्यापित कर सकते हैं – बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1985 तक बेरोज़गार युवकों के लिए स्व-रोज़गार परियोजना हेतु राजसहायता प्रदान करने पर ही जोर दिया जाता था। इसमें 65 प्रतिशत तक की भारी कटौती कर दी गई है। आज, बेरोज़गार युवा व्यक्ति यह नहीं कह सकते कि वह बैंक जाएंगे, उन्हें परियोजना मिलेगी और वह वापस आकर काम शुरू कर देंगे। एन०पी०ए० बेरोज़गार युवा, किसानों अथवा कृषकों के कारण नहीं है। यह बड़े-बड़े घरानों और धोखेबाजों के कारण हैं। इस सरकार द्वारा स्व-रोज़गार कार्यक्रम के लिए बैंक सहायता में भारी कटौती की गई है। वह कहां जायेंगे? एक ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वह एक करोड़ रोज़गार उपलब्ध करवायेंगे और एक ही राज्य में 60-70 लाख रोज़गार उपलब्ध करवाकर उसे तर्कसंगत ठहरायेंगे और दूसरी ओर मंत्री महोदय सभा में वक्तव्य दे रहे हैं कि वी०आर०एस० द्वारा से केवल 10-15 लाख लोगों की नौकरी गई है। प्रधानमंत्री केवल 60 लाख रोज़गार प्रदान कर रहे हैं और एक करोड़ रोज़गार देने की वचनबद्धता है। क्या सरकार चलाने का यह तरीका है?

अत:, महोदय, मेरे विचार में इस सरकार को वास्तव में इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए यदि वह दसवीं योजना के 8 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के प्रति गंभीर है। कार्य बल को कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर और गांवों में अधिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहायता देने पर विचार करके रोज़गार के अवसरों के सृजन हेतु ध्यान देना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में, रोज़गार के अवसर नहीं के बराबर रह गए हैं। यहां तक कि आप चपरासी की भर्ती भी नहीं कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल के अन्य साथियों का ध्यान रखते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय, बेरोजगारी पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बेरोजगारी आज सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी है। इस पर चाहे जितनी चर्चा हो, जब तक आबादी पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे, तब तक हम नहीं समझते कि इसका कोई परिणाम सकारात्मक निकलेगा। इस पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हम जिस तरीके से भी इन चीजों को सामने रखें लेकिन बेरोजगारी की समस्या हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस देश के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में भी है। मशीनीकरण और उदारीकरण दुनिया को उस दिशा में ले जा रहा है जहां बेरोजगारी उत्पन्न होगी। हम स्वाभाविक प्रक्रिया में आर्थिक संरचना को नहीं ले जा रहे हैं। हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में यह समस्या खड़ी हुई है। जब देश में बेरोजगारी होगी तो वह कई ऐसी चीजों जैसे हिंसा, अराजकता, उग्रवाद आदि को जन्म देती है खासकर जब हम राष्ट्रीय संदर्भ में इस प्रश्न को देखते हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी या बसुदेव आचार्य जी जितना चाहे आंकड़ों का महाजाल प्रस्तुत करके अपनी पीठ थपथपाते रहें कि हमने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इनकी भी राज्य सरकारों का तांता है। इंदिरा जी और पंडित नेहरू की दुहाई देकर ये भी नहीं बच सकते। चाहे साम्यवादी सरकार हो, चाहे बी०जे०पी० की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बेरोजगारी की समस्या ठोस रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है और उसका कारण आप सब जानते हैं। उसका कारण हमारी गलत आर्थिक नीतियां हैं। उन गलत आर्थिक नीतियों में फंसना भी हमारी बाध्यता है। जहां देश की आबादी का 70 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है, उन गांवों की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए, आजादी के 56 वर्षों में जो मौलिक संरचना अव्यवस्थित थी, उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे इरीगेशन प्लान के माध्यम से हो, चाहे स्व-जल धारा के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण सड़क परियोजना के माध्यम से हो, प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो, टेलीकम्युनिकेशन के विस्तार के माध्यम से हो या सर्व-शिक्षा योजना के माध्यम से हो। जब तक हम गांवों में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे, कृषि को सम्पन्न नहीं बनाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी और जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक बेरोजगारी के समापन

की दिशा में ठोस पहल नहीं हो सकती। इस दिशा में एनडीए सरकार ने ठोस पहल की है। कई साथियों ने विस्तार से चीजों को रखा है। हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने जो आंकड़े दिए चार लाइन में कि इतने रोजगार पैदा हुए, ग्रामीण सड़क योजना में इतने रोजगार पैदा हुए, अमुक योजना में इतना धन दिया गया, इतना रोजगार पैदा हुआ, उन आंकड़ों में जाकर हम बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं कर सकते, यह भी सत्य है। हमारा लक्ष्य है कि जहां 70 प्रतिशत आबादी रहती है, उस आबादी के लिए मौलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जब हम खड़ा करेंगे, तभी इस दिशा में कोई ठोस पहल कर सकेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो ठोस पहल हुई है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो धन दिया जा रहा है, चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, उसका जो आउटकम है, उस रेशियो में धन नहीं दिया जा रहा है जैसे प्रधान मंत्री सड़क योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में मानी जा सकती है। इसी तरह सर्व-शिक्षा अभियान है। *(व्यवधान)* अभी यहां ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए थे। मैं बताना चाहता हूं कि 30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जो धन दिया जा रहा है, उस पर 2 लाख रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं। रोड बन रही है और उखड़ रही है। इतनी ध नराशि का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी मंशा है कि जब राज्य सरकार उसमें इकाई है तो उसी के माध्यम से यह काम होना चाहिए। हम किसी सरकार को लक्ष्य करके यह बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इतनी बात जरूर है। रघुवंश बाबू भी इसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सरकार को बधाई देते हैं तो फिर क्या बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : जो लूट हो रही है, वह बता रहे हैं। *(व्यवधान)* हमने मांग की है, प्रधान मंत्री जी से मिलकर कहा कि बिहार में अराजक स्थिति है, जंगल राज है। बिहार में सारी अर्थ-व्यवस्था खत्म हो गई है। लुटेरों के हाथ में व्यवस्था चली गई है। *(व्यवधान)* उच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अरुण शौरी के भाषण को छोड़कर, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ऐसी सभी मौखिक बातें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दी गयी हैं।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : लुटेरों के हाथ में व्यवस्था चली गई है। निश्चित रूप से *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी मुख्य बात से हट रहे हैं। यह समस्या है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा जो धन दिया जा रहा है, उसके दुरुपयोग पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। *(व्यवधान)* सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के संदर्भ में विचार करना चाहिए। *(व्यवधान)* अब ये बोलने नहीं देंगे। *(व्यवधान)* इनको बीमारी है। अब इनकी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब आपको अवसर मिले, आप तभी उत्तर दें। आप हर समय खड़े होकर इस तरह से उत्तर नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : रघुवंश बाबू की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस सभा में, संसद सदस्य प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विधान सभा नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : हम अपनी बात कहेंगे। ये हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनको बीमारी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अधिक समय ले लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने आपके दल को आबंटित समय से अधिक समय ले लिया है। इसके साथ ही आप उन्हें उत्तर देने के लिए उकसा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : जो गलत आचरण कर रहा है, उनको बोलने का समय दिया जाता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रघुवंशजी, आप उन्हें अधिक समय लेने में सहायता कर रहे हैं। कृपया हस्तक्षेप न करें। जब आपको अवसर दिया जाए, आप उन्हें उत्तर दें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : सभापति जी, हम अपनी बात एक मिनट में समाप्त करेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं, *(व्यवधान)* हम अपनी राय रखना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंशजी, आप क्यों शोर कर रहे हैं?

श्री अरुण कुमार, मैंने आपको काफी समय दे दिया है। आपने अपने दल को आबंटित समय से दोगुना ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार जो धन ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है, सरकार को फिशरी, शुगर इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जितनी मजबूती से हम उस दिशा में धन लगाएंगे चाहे वह मखाना हो, केला की खेती हो, शुगर केन हो, फिशरीज हों, डेयरी हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, उनको मजबूत करने के लिए सरकार को धन लगाना चाहिए। इससे अधिक से अधिक रोजगार पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, देश में भयंकर बेरोजगारी की समस्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह देश की सबसे गंभीर समस्या है। श्री साहिब सिंह वर्मा, श्रम मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इस चर्चा के बाद सरकार को देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में कुछ ठोस और सार्थक प्रयास करने चाहिए अन्यथा देश में तनाव पैदा होगा और वातावरण हिंसक बनेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान की स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ए०सी० नेलसन नामक संस्था का सर्वेक्षण हुआ है। उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक लोगों की चिंता का विषय काम है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी, अब चले गए हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी आंकड़े दिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि वह वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं नहीं समझता उससे ज्यादा दूसरी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। हमने कहां गलतियां की हैं, कहां हमारी दिशा गलत रही है, उस दिशा में हमें सोचकर पहल करनी चाहिए।

देश में जो आर्थिक विकास का आधार बनाया गया, वह देश के सभी लोगों को रोजगार देने का नहीं बनाया गया। वह आधार रहा अधिकतम आय कमाना। उसी के चलते यह समस्या और बढ़ी है।

अपराह्न 3.17 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

आर्थिक विकास के लिए हमने विदेशी पूंजी निवेश किया। 1991 से लेकर सितम्बर, 2003 तक हमारे देश में कुल 34.82 मिलियन यू०एस० डालर्स विदेशी पूंजी निवेश हुआ। यह किन क्षेत्रों में निवेश हुआ, इसको भी हमें देखना चाहिए। यह विदेशी पूंजी निवेश दूरसंचार, बिजली, वित्तीय सेवाओं, साफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट और बिजली उपकरण के इस छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह गया। इस तरह से हमने जो अपनी दिशा सुनिश्चित की रोजगार देने की, वह दिशा ही गलत साबित हुई। आज देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है, जहां 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योग से हमें 13 प्रतिशत रोजगार मिलता है। नौकरियों से, सेवाओं से हमें 27 प्रतिशत रोजगार मिलता है। हमारे देश में कुल छः प्रतिशत कुशल श्रमिक हैं और 94 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। हमने सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा

की है। अगर आप बजट को उठा कर देखें, तो उसमें भी कृषि को जो संरक्षण और संवर्धन देना चाहिए था, वह दिखाई नहीं देता है। अगर इस देश में खेती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी। खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा क्षेत्र है। गत वर्षों में इस उद्योग की भी अनदेखी हुई है। 2000-2001 में देश के कुल निर्यात में इस उद्योग की भागीदारी 27 प्रतिशत से अधिक थी। 2001-2002 में इसका निर्यात घट कर 24 प्रतिशत रह गया और 2002-2003 में यह और घट कर 22 प्रतिशत रह गया। कपड़ा उद्योग के साथ भी हमने इन्साफ नहीं किया। हम पशुपालन उद्योग की भी उपेक्षा कर रहे हैं। आखिर कौन सा आधार है आपके सामने, जिससे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे।

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : कुछ सुझाव भी दें।

श्री रामजीलाल सुमन : वह भी बताऊंगा। आपने जो मानक तय किए थे कि वर्तमान दर के हिसाब से रोजगार देंगे, आपने आठ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया। वर्षा अच्छी हो गई, इसलिए जी०डी०पी० की दर सात प्रतिशत तक हो सकती है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपकी तरफ से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी दूर करेगी, उसको भी आप देख लें। वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में 2000-2001 में आपने 1332.60 करोड़ रुपए दिए। 2001-2002 में 937.32 करोड़ रुपए की राशि रह गई। 2002-2003 में यह राशि घट कर 920.79 करोड़ रुपए रह गई। जिन योजनाओं से आप बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं, उनमें आबंटित धन कम होता जा रहा है और आप बेरोजगारी कम करने की बात कर रहे हैं।

इसके अलावा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत वर्ष 2000-2001 में व्यय की गयी राशि 201 करोड़ रुपया, वर्ष 2001-2002 में यह राशि 193 रुपया, वर्ष 2002-2003 में यह राशि 168 करोड़ रुपया है। यह राशि घटती गयी है। यह प्रधान मंत्री रोजगार योजना का हाल है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का हाल है और यही हाल स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना का है। इन योजनाओं में धन का आवंटन घटा है, बढ़ा नहीं है। जिस तरीके से आप बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं वह प्रयास ही आपका नकारात्मक है, तब आप कैसे इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। इस देश में रोजगार देने का माध्यम अगर कोई हो सकता है तो वह कृषि का क्षेत्र ही हो सकता है। आप पशु-पालन को प्रोत्साहन दीजिए, कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए। जब तक आप इन सवालों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस देश में श्रम-प्रधान रोजगार चल सकता है, कृषि पर आधारित उद्योग चल सकता है और इस दिशा में अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। आपने विदेशी पूंजी का निवेश किया और कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया। उनसे क्या बेरोजगारी दूर होगी। भारत तो गांवों में बसता है। अगर हमने इस दिशा में प्रयास नहीं किये तो परिणाम ज्यादा अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी जब बहस का जवाब दें तो इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बेरोजगारी की समस्या पर अपना भाषण शुरू करते समय मेरा पहला सवाल 'बेरोजगारी' की परिभाषा से संबंधित होगा। क्या बेरोजगारी दूर करना अपने आप में एक लक्ष्य है या यह किसी राष्ट्र विशेष या देश विशेष के समग्र आर्थिक विकास से जुड़ी है? रोजगार का सही मायने क्या है? क्या यह उस ब्रिटिश प्रणाली से जुडा हुआ है जिसके अन्तर्गत कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है जिससे वह बाबू बन जाता है, पान खाता है, किसी प्राधिकारी की तरह व्यवहार करता है और कुछ आय अर्जित कर लेता है। क्या यह स्वयं में एक लक्ष्य है? मेरे विचारानुसार, बेरोजगारी की समस्या हल करने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को रोजगार जिस घर में वह रहता है वहीं मिलना चाहिए। उसे कमाने के लिए अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 22 लाख कर्मचारी थे, अब घटकर 19 लाख रह गए हैं। मैं उससे सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा कि रोजगार देने की सही मायने यह नहीं है कि केवल कुछ व्यक्तियों को आय के साधन भर दे दिए जाएं बल्कि उनसे काम भी लेना चाहिए ताकि देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

उदाहरणार्थ, आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लीजिए। मैं चीन गया था। वे मुझे अपने देश के सबसे बड़े इस्पात उद्योग; बाओ इस्पात उद्योग ले गए जिसमें 18,000 व्यक्ति काम करते हैं। यह प्रतिवर्ष 18 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है। मेरे राज्य उड़ीसा में राउरकेला इस्पात प्लांट है। इसमें 25000 कर्मचारी हैं। लेकिन यह केवल 18 लाख टन उत्पादन करता है। इसका अर्थ हुआ कि वे जितना उत्पादन कर रहे हैं हम उसका दसवां भाग ही कर पा रहे हैं। अत:, क्या आप समझते हैं कि हमारे यहां का उत्पाद अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रति-स्पर्धा कर पायेगा? जहां केवल दस व्यक्तियों की आवश्यकता है वहां यदि पन्द्रह या बीस व्यक्ति लगा दिए जाएं तो क्या इससे आपके जीवन की गुणवत्ता या देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा?

[श्री खारबेल स्वाइं]

क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? यह इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बजाए उसे नष्ट करेगा। इन्हीं सब मूल कारणों से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरूवात की है।

जब भी कुछ परिवर्तन होता है, कुछ आर्थिक सुधार किए जाते हैं, कोई नई कार्रवाई की जाती है तो निश्चय ही समाज के कुछ वर्ग प्रभावित होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए रेड लाइट एरिया या शराब की दुकानों को हटाने से कुछ लोग प्रभावित होंगे, कुछ लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यह गलत नीति है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? यह गलत नीति नहीं हैं। दस व्यक्तियों को नियुक्त करने की बजाए यदि आप पन्द्रह व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं तो, वास्तव में, अप्रत्यक्ष तौर पर यह पांच व्यक्तियों की बेरोजगारी है। इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने उचित कदम उठाया है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों का कहना है कि देश में रोजगार में नियोजित लोगों की संख्या घटी है। लेकिन उन 'काल सेन्टरों' को उदाहरण के तौर पर लीजिए जिनकी संख्या भारत में बढ़ी है। क्या इससे देश के लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य देशों, अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है। हमारे रोजगार इन देशों में जाने की बजाए वहां के रोजगार हमारे यहां आ रहे हैं। अन्य देशों के रोजगार भारत में आ रहे हैं। अत: अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के विधानमंडलों में वे इस प्रकार का कानून पारित करने जा रहे हैं जिससे इस देश में रोजगार न आने पाए। क्या हमारे प्रयासों से भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो रहा है? हम इसकी गणना प्रत्येक 15 दिन में कैसे कर सकते हैं। यदि हम प्रत्येक 15 दिन के बाद गणना करें कि कितने रोजगारों का सृजन किया गया है तो हम इसके बारे में कैसे जान पाएंगे? ऐसा कैसे किया जा सकता है?

भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से अत्यंत उचित निर्णय लिया है जिससे वास्तव में देश में रोजगार की संख्या बढ़ रही है। इसमें कमी नहीं हो रही है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि हम इस देश के लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। हम ऐसा क्यों और किसलिए करेंगे? क्या इसका केवल यही अर्थ है कि कुछ लोग कुछ धन अर्जित करेंगे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत को शक्ति का केन्द्र होना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत महाशक्ति हो और भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या हम ऐसा अपने खिड़की-दरवाजे बन्द करके कर सकते हैं? हम कहते हैं कि वैश्वीकरण बुरा है। यदि हम अपने आप खिड़की-दरवाजे बंद करके रखेंगे। तो कोई नहीं आ सकेगा। हम भी अन्य देशों में नहीं जा सकेंगे क्या हम ऐसा करने की स्थिति में हैं? क्या हमारे लिए इस देश में ऐसा करना संभव है?

उदाहरण के लिए जब आप अपने शयनकक्ष में टेलीविजन देख रहे हैं तो आप आस्ट्रिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप कानकुन में डब्ल्यू०टी०ओ० सम्मेलन देख रहे हैं, आज बी०बी०सी०, सी०एन०एन० आदि देख रहे हैं। वैश्वीकरण तो पहले ही आपके शयनकक्ष में प्रवेश कर गया है। आप इंटरनेट को कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अत: वैश्वीकरण की प्रक्रिया पहले ही अस्तित्व में आ चुकी है। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। वैश्वीकरण के समय में वही बचता है जो सबसे योग्य हो। आपको कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना होगा ताकि आप अन्य लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सहमत हो सकें। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया ने हमें अवसर दिया है। यह वह अवसर है जिससे भारत शक्ति का केन्द्र बन सकता है, वह 2020 तक महाशक्ति बन सकता है। हमें यह अवसर दिया गया है।

अब मैं कुछ सुझाव दूंगा। भारत को अवसंरचना निर्माण के प्रयासों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चार लेन वाला एक्सप्रेस हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। हाल ही में हमने विद्युत विधेयक पारित किया है। इस प्रक्रिया से 2012 तक प्रत्येक गांव को बिजली दे दी जाएगी। हम दूरसंचार नेटवर्क प्रदान कर रहे हैं। इन सब कार्यों से इस देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इन बातों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सभा में अनेक बार हमने इन मुद्दों पर बहस की है। उदाहरण के लिए जब एक पर्यटक किसी स्थान पर जाता है तो वह छह से सात व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

महोदय, इस देश में सड़क क्षेत्र रोजगार के अवसर कैसे पैदा करता है? इस सभा के एक माननीय सदस्य डा० देवेन्द्र प्रधान उस दिन मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपने गांव को जाने वाली एक पक्की सड़क बनाई है। लगभग छह महीने पहले शाम को वह अपने गांव से शहर जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि लगभग 100 लोग शहर से गांव साइकिल पर लौट रहे थे। वह अपने वाहन से उतरे और उनसे पूछा कि : "आप सभी लोग कहां गए थे?" उन्होंने कहा : "हम बाजार गए थे।" इसके बाद उन्होंने पूछा : "आप लोग बाजार क्यों गए थे?" उन्होंने कहा : "हम बाजार सब्जियां बेचने गए थे।' उन्होंने यह भी पूछा : "क्या आप को कुछ लाभ हो रहा है और आप यह कबसे कर रहे हैं?" उन्होंने कहा : "हां, हमें प्रतिदिन 100

रुपये का लाभ हो रहा है और हम इस शहर के बाजार में अपनी सब्जियां उस समय से बेच रहे हैं जबसे यह सड़क बनी है।'' इस प्रकार सड़क क्षेत्र देश में रोजगार के अवसर पैदा करता है।

महोदय, जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डा० अमर्त्य सेन ने कहा था कि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यदि हम प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि अगले 10 वर्ष में हमारी आय दुगनी होनी चाहिए, यदि हम 'महाशक्ति' बनना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि अवसंरचना निर्माण पर ध्यान दे। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि सब्जियों और फलों के लिए और अधिक भण्डारण सुविधाएं बनाएं और उसे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिए और सिंचाई क्षेत्र को अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिए।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण कारक परियोजनाओं का उचित और समय से क्रियान्वयन है। निर्धारित से अधिक लागत नहीं आनी चाहिए और निर्धारित से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व का ऐसा देश है जिसका परियोजना क्रियान्वयन अत्यंत कमजोर है। अत:, मैं प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कानून पारित करके इस देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ऐसा आसानी से संभव नहीं होगा। कल मुझे कोई बता रहा था कि यदि हम यह कहते हुए कोई कानून पारित करें कि देश के प्रत्येक परिवार में केवल एक बच्चा हो तो कोई उच्चतम न्यायालय में जाएगा और मामला दायर करेगा कि उसके मूल अधिकार का हनन किया गया है। अत: हमारे देश में ऐसा कानून पारित करना संभव नहीं है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, विशेषकर महिलाएं शिक्षित हों, तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कौन कर रहा है? शिक्षित लोग जो पांच बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर अमल कर रहे हैं। लेकिन गरीब लोग जो एक बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकते, पांच या छह बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए सर्वशिक्षा अभियान और प्राथमिक शिक्षा इस सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

महोदय, यह जानकर आपको आश्चर्य होग कि उड़ीसा जैसे राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी अधिक और अध्यापक कम हैं, लेकिन हाई स्कूल और कालेज स्तर पर अध्यापक अधिक और विद्यार्थी कम हैं। ऐसी स्थिति है। उड़ीसा में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कालेज में उपलब्ध स्थानों की संख्या से कम है। उड़ीसा में हर जगह कालेजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।

महोदय, हम कहते हैं कि हमें इस देश में स्नातक पैदा करने चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में स्नातकों की संख्या अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के स्नातकों की कुल संख्या से भी अधिक है। यह संख्या इन तीन देशों की संख्या की चार गुना है। अपने देश में हम किस प्रकार के स्नातक पैदा कर रहे हैं? क्या आप ऐसे स्नातक चाहते हैं जो एक वाक्य भी लिख या पढ़ नहीं सकें? क्या हमें इस प्रकार के स्नातक पैदा करने चाहिए? इस प्रकार के स्नातकों की क्या आवश्यकता है?

अत:, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, अंतत: मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को आर्थिक सुधारों को तीव्र गति से जारी रखना चाहिए। उसे विपक्षी दलों के प्रेरित प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे सुदृढ़ एवं कठोर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि यह समय की आवश्यकता है।

मैं कह सकता हूं कि केवल आर्थिक सुधारों से ही इस देश में समृद्धि आएगी और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : सभापति महोदय, परमादरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब इस सदन में बहस हो रही थी, उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि पिछले साल (2002-03) में 84 लाख ऐसे नये रोजगार पैदा किये गये थे जिसे हम अंग्रेजी में 'नेट एडीशन टू एम्प्लायमेंट' कहते हैं। वे अंग्रेजी में बोल रहे थे कि वर्ष 2002-03 में रोजगार में कुल वृद्धि 84 लाख हुई थी। अब इस विषय को लेकर 8 महीने हो गये हैं। जब सदन में श्रम मंत्रालय की मांगों पर 22.04.03 को बहस हो रही थी, मैंने उस समय इस विषय को उठाया था और माननीय श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे इसका स्पष्टीकरण दें कि जब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1993 से 2000 के बीच में प्रतिवर्ष रोजगार में सकल वृद्धि 30 लाख हुआ है तो अचानक कैसे 2000 के पश्चात् प्रधानमंत्री जी के अनुसार यह आंकड़ा 30 लाख से बढ़कर 75 लाख हो गया। उसके अगले वर्ष 2001-02 में वह 79 लाख हो गया और वर्ष 2002-03 में यह बढ़कर 84 लाख हो गया? उस समय थोड़ी-बहुत हलचल के बाद हमारे श्रम मंत्री महोदय ने लोक सभा की डिबेट के पृष्ठ 12772, दिनांक 22.04.03 को बताया जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :–

> ''सभापति जी, जैसे मैंने निवेदन किया, अगर यह सदन इस बात के लिये तैयार है तो जैसे मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि इस पर और विस्तार से चर्चा हो सकती है और विस्तार से आपको जवाब दिया जा सकता है।''

[श्री मणि शंकर अय्यर]

सभापति जी, आज उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब की अपेक्षा करूंगा क्योंकि उस दिन मेरा आरोप यह था कि मैंने जो विषय उठाया, उसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया था। इस 84 लाख की फिगर्स के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो फिगर्स दीं, वे उनकी अपनी फिगर्स नहीं थी। ये आंकड़े योजना आयोग द्वारा दिए गए थे। तो मैंने उस समय कहा था कि आप योजना मंत्री जी को बुलवाइये। मैंने कहा कि यह चमत्कार कैसे हो गया जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम सालाना अपनी राष्ट्रीय आमदनी में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर पा रहे थे। जब वर्ष 2001-02 में यह घटकर 4.4 प्रतिशत, फिर 2002-03 में 4.3 प्रतिशत हो गई तो यह चमत्कार कैसे हो गया कि सालाना 30 लाख की वृद्धि अचानक बढ़कर 84 लाख हो गई, तब मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये। मैं आज उस जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं। इतना ही काफी नहीं है बल्कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले ही हफ्ते तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है। जैसा कि श्रीमती भावनाबेन चीखलिया ने 22 अप्रैल को कहा और जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने 22 अप्रैल को कहा कि प्रधान मंत्री जी के आंकड़े ठीक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े ठीक हैं या नहीं, मेरा सवाल यह है कि जब कि बढ़ोत्तरी तीस लाख सालाना की थी, आपके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993 से 2000 तक कैसा यह चमत्कार हुआ है कि उसके तत्पश्चात जब कि हमारी आर्थिक वृद्धि में कमी आई है और रोजगार इतना बढ़ गया है कि वर्ष 1999-2000 के मुकाबले में तीन गुना इजाफा हुआ है, यह कैसे हुआ है। उस दिन मेरा यह सवाल था और आज आठ महीने के पश्चात मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्रम मंत्री जी हमें बतायें कि यह ठीक है, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं जवाब चाहता हूं। मैं कोई नई चीज नहीं रखना चाहता हूं, नई चीज रखूंगा तो वह कहेंगे कि हम फिर विस्तार से बहस करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से वही चीज कहना चाहता हूं जो मैंने अप्रैल में कही थी और उन्हीं तथ्यों को मैंने यहां पिछले हफ्ते रखा था। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, ये आखिरी इकोनोमिक सर्वे जो मेरे हाथ में हैं, इसके पृष्ठ संख्या 214 से लेकर 221 के बीच के आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं जो इकोनोमिक सर्वे में है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले पृष्ठ 214 पर यह कहा गया है कि 1983 से लेकर 1994 के बीच के 11 सालों के दौरान प्रति वर्ष रोजगारी 2.7 प्रतिशत से बढ़ रही है, यह इसमें लिखा है और वर्ष 1994 से 2000 में यह घट गई और 2.7 प्रतिशत न रहकर वह 1.07 प्रतिशत रह गई। इसमें लिखा है कि रोजगारी की वृद्धि जो दो प्रतिशत से ज्यादा था, अब वह एक प्रतिशत तक घट गई है। फिर उसी पृष्ठ 214 पर बताया गया है कि 1994 और 2000 के बीच में न केवल बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, बल्कि जो हमारी सारी लेबर कोर्ट्स हैं, उनकी तुलना में जो बेरोजगारों का प्रतिशत भी बढ़ा है। इसमें लिखा है –

[अनुवाद]

> "बेरोजगार और श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए बेरोजगारों की कुल संख्या में वर्ष 1993 से 2000 की इस अवधि में वृद्धि हुई है।"

[हिन्दी]

तीसरी चीज जो पृष्ठ 214 पर बताई गई है, वह यह है कि जो कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर मतलब जिन लोगों के लिए हर दिन की रोजगारी नहीं है, उन्हें कभी-कभी थोड़ा सा काम मिलता है। कहा गया है कि जो रोजगार पा चुके हैं, उनमें इस कैजुअल लेबर का हिस्सा कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। इसमें कहा गया है कि "कुल रोजगार में कैजुअल लेबर का हिस्सा बढ़ा है।" जब कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, जब कि बेरोजगारों का हिस्सा हमारी लेबर फोर्स में बढ़ रहा है, जब कि रोजगारी की तादाद दो प्रतिशत सालाना से घटकर एक प्रतिशत सालाना तक गिर गई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह चमत्कार क्या है, हमारे प्रधान मंत्री जी के हाथ में यह मंत्र क्या है, जिसके जरिये हमारे नैट एडीशनल इम्पलॉयमैन्ट के आंकड़ों में अचानक तीन गुने का इजाफा हुआ है। अभी-अभी स्वामी जी बोलकर चले गए। क्या नाम है उनका – योगी आदित्यनाथ। यही है बी०जे०पी० के सदस्यों की कमी। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : मैं तो हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : जी हां, आप हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : आप बोलते हैं बी०जे०पी० के सदस्य बोलकर चले जाते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : आप तो पुलिस के अफसर रहे हैं, इसलिए आप में कुछ अनुशासन है। बाकी जो गैर-पुलिस अफसर हैं, वे बोलकर निकल जाते हैं।

योगी आदित्यनाथ जी हमें बता रहे थे कि अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं ग्रामीण रोजगारी को बढ़ाने के लिए, गुर्बत को मिटाने के लिए जिसके जरिये जो काम ऑर्गनाइज्ड सैक्टर में नहीं हो रहा है, वह प्रधान मंत्री की देन से आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। मैं नहीं जानता कि और किस वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन बी०जे०पी० के दौर में मक्खन का उत्पादन तो जरूर ज्यादा हो रहा

है क्योंकि ऐसे लगाते रहते हैं अपने प्रधान मंत्री पर और दूसरों पर। मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं, पहले सादर प्रणाम करके, क्योंकि वे स्वामी जी हैं, कि पृष्ठ 215 पर यह बताया गया है कि जे०जी०एस० वाइ० और ई०ए०एस० दोनों को समेटकर कुल मिलाकर 40 करोड़ दिन के लिए, 40 करोड़ मैनडेज़ के लिए काम दिया गया था। अब तकरीबन 400 दिन में इन्होंने 40 करोड़ मैनडेज़ का काम दिलवाया जिसका अर्थ बनता है कि तकरीबन 10 लाख रोजगार उन्होंने ग्रामीण इलाकों में एक साल में पैदा किये। आंकड़े यह हैं। अब दस लाख वे कर रहे हैं जबकि बताया जा रहा है कि रोजगार की तादाद दो दशमलव से एक दशमलव घट गई है। आप मुझे बताइए कि यह जो 10 लाख रोजगार इन कार्यक्रमों द्वारा आप दे रहे हैं, कितने रोजगार हैं जो कि खोए जा रहे हैं क्योंकि आपके दौरान इस वर्ष कृषि के क्षेत्र में घाटा हुआ है, इजाफ़ा नहीं हुआ है। एक और बात अभी-अभी हमारे मित्र खारबेल स्वाई जी बता रहे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे एक नया सबक सिखाया है कि आर्थिक सुधार का मतलब बनता है कि हम बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : मैंने ऐसा कब कहा? *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं बता रहा हूं। अभी आपने बताया।

श्री खारबेल स्वाइं : आप इतने बड़े अधिकारी थे। आप कैसे ऐसी बात करते हैं? *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अभी उन्होंने हमें बताया कि 18 लाख टन स्टील के उत्पादन के लिए राउरकेला में 25 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है जबकि चीन में जब वे दौरा करने के लिए गए तो वहां 18 मिलियन टन्स के लिए वे केवल 18 हजार लोगों को रोजगार देते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सुधार के जरिये हम अपने स्टील का उत्पादन बढ़ाएं और बेरोजगारी को भी बढ़ाते जाएं।

अब स्वरोज़गार योजना पर मैं आ रहा हूं। वापस चलें उन आंकड़ों पर। पृष्ठ 215 में यह बताया गया है कि स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत दो साल पहले तकरीबन 10 लाख नए स्वरोज़गारियों को मदद दी गई थी और पिछले साल वह घटकर 10 लाख से 3.7 लाख हुआ है। अब आपकी प्रधान मंत्री योजना के अंतर्गत यदि 2000-2001 में अपने 10 लाख स्वरोजगार का उत्पादन किया या उनको मदद दी और अगले साल वह घट गया 9 लाख और फिर पिछले साल वह घट गया था 3.7 लाख, तो आप मुझे बताइए कि यह जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं और जो गुर्बत को मिटाने के कार्यक्रम हैं, इनसे किसको काम मिल रहा है? मेरे मित्र सुमन जी ने अभी बताया कि सरकार की तरफ से इन कार्यक्रमों पर जो खर्चा हो रहा है, वह घटता जा रहा है। मैं उसके साथ यह जोड़ना चाहता हूं कि इसका जो फिजिकल एचीवमेंट है, जो काम दिए जा रहे हैं, वे भी आप लोगों के आंकड़ों के अनुसार घटते जा रहे हैं।

महोदय, पृष्ठ 218 पर बताया जाता है कि जहां 1983 में रोजगार तकरीबन 24 करोड़ था, वह दस साल बाद 31 करोड़ बढ़ गया। आपके आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति साल 1983-93 के बीच में रोजगार 70 लाख सालाना की दर से बढ़ता गया। उसके बाद उसी पृष्ठ पर बताया जाता है कि 1993-2000 के बीच में बढ़ोत्तरी 31 करोड़ से 33 करोड़ थी। यह बढ़ोत्तरी सात साल के अंतर्गत हुई। इसका मतलब है कि 1983-1993 के बीच में रोजगार की बढ़ोत्तरी प्रति साल 70 लाख की थी जो घट कर 30 लाख पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसके आगे के तीन साल में, वह 30 लाख को छोड़ कर 84 लाख तक पहुंच गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने गलत आंकड़े दिए हैं, आप ही मुझे बताते हैं कि ये आंकड़े प्रधानमंत्री जी के नहीं थे, प्लानिंग कमीशन के थे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले आठ महीने में, जब से आप उन आंकड़ों से अवगत हैं, क्योंकि इसका जिक्र मैंने तब किया था, क्या प्लानिंग कमीशन ने आपको बताया है कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है। इसमें बताया जाता है कि 1983 और 1993 के बीच में बेरोजगारी तकरीबन एक प्रतिशत प्रति साल कम हुई थी। इसी में बताया जाता है कि 1993 से 2000 तक बेरोजगारी 4.74 प्रतिशत बढ़ती जा रही है। महोदय, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजगार घटता जा रहा है – चाहे कोई भी क्षेत्र हो। स्वाइं जी और स्वामी जी के द्वारा बताया जा रहा था कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है और यहां बताया जाता है कि जहां 1983 से 1993 के बीच में कृषि के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी 2.23 प्रतिशत सालाना थी, अब वह घट कर 0.02 प्रतिशत है। माइनिंग में दस सालों में रोजगार तकरीबन साढ़े तीन प्रतिशत था, वह 1993-2000 के बीच में घट कर दो प्रतिशत रह गया है।

महोदय, मैं स्वाइं जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसमें बताया गया कि बिजली, पानी और गैस के क्षेत्र में 1983 से 1994 के बीच में रोजगार में बढ़ोत्तरी 5.31 प्रतिशत थी, वह अब प्रति साल 3.55 प्रतिशत रह गई है। कहां से रोजगार बढ़ रहा है। कहां से प्लानिंग कमीशन को ये नये आंकड़े मिल रहे हैं, जिसके आधार पर वे प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोई भी आंकड़ा समझते हैं, ये तो वहां आफिशियल गैलरी से उनको दिये जाते हैं, लेकिन जब वे यहां बोलते हैं और ऐसे सवाल उठते हैं, जो आपकी ही रिपोर्ट पर निर्भर हैं तो मैंने बहुत ही शिष्टता के साथ, नम्रता के साथ वित्त मंत्री महोदय से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आठ महीने पहले मैंने माननीय श्रम मंत्री महोदय से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ,

[श्री मणि शंकर अय्यर]

तब आपने जवाब नहीं दिया, बस बताया कि हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, यह चर्चा अब जारी है। समय आ गया है कि आपसे बस यह जवाब जानना चाहता हूं कि जहां 1993 और 2000 के बीच में तकरीबन 30 लाख लोगों को प्रतिवर्ष नया काम दिया जा रहा था, नैट एडीशन टू एम्पलायमेंट कैसे हुआ है कि पिछले तीन साल में जबकि हमारी राष्ट्रीय आमदनी की वृद्धि 2000-2001 में 4.4 प्रतिशत की घट गई है और फिर 4.3 प्रतिशत की 2002-2003 में घट गई है, यह कैसे हुआ है कि रोजगारी की तादाद तीन गुना ज्यादा हुई है और हम 84 लाख पर पहुंच गये हैं?

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैं बीच में एक मिनट की इजाजत चाहता हूं, चूंकि सैशन का आज आखिरी दिन है, कल सैशन बन्द हो जायेगा। मैं हाउस को बताना भी चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मुम्बई के अन्दर जी० न्यूज नेटवर्क के आफिस पर हमला किया गया, उस पर पथराव किया गया और आफिस को स्मैश कर दिया गया है। जी० न्यूज ने इस बात की इत्तला प्राइम मिनिस्टिर को दी। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि इस पर पूरी तवज्जह देनी चाहिए और इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए। किसी भी मुल्क के अन्दर किसी भी जगह के अगर मीडिया के ऊपर इस तरह हमला होगा तो यह इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी हो और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, यह बीच में कहां से आ गया?

[अनुवाद]

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदुर) : बेरोजगारी का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज हम इस विषय पर अत्यंत उपयोगी बहस कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र में युवक बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी के कारण युवक अपने बीच बराबरी नहीं रख पा रहे हैं। बेरोजगारी विशेषत: विनिवेश, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण बढ़ती है। इस नीति के परिणामस्वरूप अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद हो गए हैं और अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

आज 25 वर्ष से ऊपर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कंपनियां जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है 19 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को भर्ती करती हैं जिसके परिणामस्वरूप 25 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को कारखानों और कार्यालयों में रोजगार नहीं मिलता है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और विकलांग युवकों को विनिवेश नीति के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस प्रकार का आरक्षण केवल सरकारी क्षेत्र में मिलता है?

गत पांच वर्षों में जो कंपनियां शुरू की गई हैं उनमें केवल उच्च योग्यताप्राप्त युवकों को नियुक्त किया जा रहा है। अत: जिन युवकों की योग्यता कम है उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीपेरम्बुदुर में हयुन्दै मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने अपना कारखाना स्थापित किया है। इसकी 10 से अधिक सहायक कंपनियां भी हैं। इसकी एक सहायक कंपनी हबाशिन में, वे ठेके के आधार पर युवकों की भर्ती कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वे ऐसे युवकों की भर्ती करते हैं जिनकी आयु 20-22 वर्ष से कम है। वे उनकी श्रम शक्ति का लगभग छह महीने से एक वर्ष तक उपयोग करते हैं उसके बाद उन्हें निकाल देते हैं और अन्य लोगों की भर्ती करते हैं ताकि वे उसी कंपनी में लगातार कार्य न कर सकें। अब स्थायी कामगारों की भर्ती नहीं की जा रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 64 इंजीनियरिंग कालेज हैं। अधिकतर अध्यापक, जिन्होंने बी०ई० का अध्ययन किया था, को रोजगार मिल रहा है लेकिन हजारों इंजीनियरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वे इस देश में अर्थव्यवस्था और अपने परिवारों का विकास करने हेतु किस प्रकार टिकेंगे?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा संस्थान हैं। ये टैंकों, रक्षा बलों के कपड़ों आदि का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध भी हैं। मेरे जिले में इण्डिया लि०, टी०आई० साइकिल्स और एस०एस०एल० जैसी बड़ी कम्पनियां हैं। ये कम्पनियां तिरूवेल्लौर, गुम्मीडीपोंडी, अम्बातूर और थिरूवेलियोर के आस-पास स्थित हैं। तथापि लघु उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। उन्हें बन्द किए जा रहा है। इसीलिए अधिकतर युवकों को वहां रोजगार नहीं मिलता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति के कारण बड़े उद्योग नयी खोली गई कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं और किसी भी सरकार ने बन्द पड़े कारखानों को खोलने का प्रयास नहीं किया है। तो हमारे देश में बेरोजगारी किस प्रकार हटाई जाएगी? सरकार की वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति के कारण अधिकाधिक कारखाने बन्द हो रहे हैं। हजारों श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं।

हमारी डी०एम०के० सरकार ने लगभग 10,000 रखरखाव श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लगभग 13,000 श्रमिकों को नियुक्त किया है। लेकिन इन श्रमिकों का क्या होगा? राज्य सरकार ने सभी श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया था। अब वे आत्महत्या करने की कगार पर हैं। *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : शर्म करो।

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : यह न्यायाधीन है। *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णास्वामी : न केवल सहकारी समितियों के श्रमिक बल्कि चीनी और कपड़ा मिलों के श्रमिक भी बेरोजगार हो गए हैं। हजारों श्रमिक भूखों मर रहे हैं और उनमें से कुछ तो आत्महत्या भी कर रहे हैं।

अब मैं केन्द्र सरकार की एम०जी०आर०वाई० योजना के बारे में कहना चाहता हूं। इसे रोजगार सृजित करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन मेरे जिले में क्या हो रहा है? वहां अधिकतर काम मशीनों से किया जाता है और यदि मशीनें काम करेंगी तो रोजगार किस प्रकार सृजित होगा? अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के मार्गनिर्देशों का उचित अनुपालक नहीं कर रही है। *(व्यवधान)*

अन्त में, बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हम इस देश में रोजगार सृजित करने में नाकाम हो रहे हैं। अत: सरकार को इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हें देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए एक अच्छी नीति बनानी चाहिए। बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बेचा जा रहा है जो किसी आरक्षण नीति के इच्छुक नहीं हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह रोजगार के इस गम्भीर मुद्दे पर विचार करे। कृपया नए कारखाने खोलने का प्रयास कीजिए और युवकों को अधिकतम ऋण प्रदान करने का प्रयास कीजिए। यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया जाता है तभी रोजगार सृजित होंगे, इस देश में बेरोजगारी को हटाया जा सकेगा और सामाजिक न्याय बनाए रखा जा सकेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। आज सुबह मुम्बई में जी०टी०वी० के कार्यालय पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस बारे में एक माननीय सदस्य ने बता दिया है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। एन०सी०पी० के लोग हमारे मुम्बई का नाम खराब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करे। परसों भी हमने कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। *(व्यवधान)* इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को उन्होंने निवेदन ज्ञापन भी दिया है। धन्यवाद।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इंडिया की हिफाजत बहुत जरूरी है, हुकुमत इसके ऊपर तवज्जह दे और जरूरी कदम फौरन उठाए। *(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم بنات والا (پونانی): انڈیا کی حفاظت بہت ضروری ہے، حکومت اس کے اوپر توجہ دے اور ضروری قدم فوراً اٹھائے۔...(مداخلت)

सभापति महोदय : अभी बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदय, आज देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कई कारण हैं। इसके लिए आबादी को दोष दिया जाता है, आबादी को ढाल बनाया जाता है। इस देश में कई संस्थान और फैक्ट्रियां वी०आर०एस० देती जा रही हैं, मजदूरों को कम किया जा रहा है, अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं जिससे रोजगार के अवसर और कम होते जा रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ शिक्षित नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसके विपरीत वी०आर०एस०, गोल्डन हैंड शेक और कम्पनियों का विनिवेश हो रहा है। बेरोजगारी का मतलब है कि जो श्रम करने लायक लोग हैं, वे काम चाहते हैं और अगर उनको काम नहीं मिलता तो वे क्या खाएंगे, उनका जीवन-यापन कैसे होगा। सामाजिक कल्याण की अवधारणा संविधान में है। हमने जो जनतांत्रिक संविधान बनाया गया है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के जीवन-यापन की सुविधा मुहैया कराए। जिनके पास कोई साधन नहीं है, भूमि नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिनके लिए श्रम ही जीवन-यापन का माध्यम है, वे कहां श्रम करें, यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है। गांव में जो छोटे-मोटे धंधे हो रहे थे, आज उन धंधों का भी ओपन मार्किट इकोनॉमी के तहत पूंजीवादीकरण हो रहा है। छोटा-मोटा धंधा करने वाले लोग, जैसे कोल, भील और मुसहर जाति के जो लोग पत्तल बनाकर अपना जीवन-यापन कर रहे थे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आज वही पत्तल मशीनों से बना रही हैं। डोम जाति के जो लोग बांस की टोकरी बनाते थे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्लास्टिक की टोकरी बनाकर उनका रोजगार छीन रही हैं। अब वे कैसे भोजन पाएंगे, अपना जीवन-यापन कैसे करेंगे। गांव का कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन और कुल्हड़ बनाकर परम्परागत पुश्तैनी धंधा करता था और अपने परिवार की परवरिश करता था, प्लास्टिक फैक्ट्रियों से उस तरह के कुल्हड़ बनाकर मार्किट में बेचे जा रहे हैं। उनका धंधा चौपट हो गया। उनको पुनर्वासित कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

[श्री बालकृष्ण चौहान]

तमाम पटसन, पटुआ और जो भी सूतली और रस्सी के काम होते थे, नाइलोन और प्लास्टिक की रस्सियों ने उसका स्थान ले लिया है। छोटे-मोटे लुहारी के काम और बढ़ईगिरी के जो काम होते थे, उन सब कामों को विस्थापित करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीवादी पलटन की कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। यह किसकी जिम्मेदारी है? आबादी का दोष देना उचित नहीं है। आजादी के पहले, जब इस देश की आबादी 35 करोड़ मात्र थी, उसके बावजूद भी भुखमरी हुई थी। 1940 में अकाल पड़ा था। लाखों लोग भूख से बिलबिलाकर मर गये थे लेकिन आज एक अरब की आबादी में वह स्थिति नहीं है। एक अरब की आबादी होने के बावजूद भी क्या भोजन की कमी नहीं है? अन्न के भंडार भरे हुए हैं, भले ही लाखों करोड़ों रुपये के अनाज को चूहे खा जाएं, बरसात में वह अनाज बर्बाद हो जाए, यह अलग बात है और उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा।

1947 से पहले केवल 34 लाख बेरोजगार थे लेकिन आज 90 के रिकार्ड में आई०एल०ओ० की रिपोर्ट में तीन करोड़ पचास हजार शिक्षित बेरोजगार हो गये हैं और सात करोड़ अर्ध-शिक्षित बेरोजगार हो गये हैं और अब 28 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज की स्थिति उससे भी भयावह है। गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं। बेरोजगारी का मतलब रोजगार के अवसर से वंचित होना और रोजगार से वंचित होने का मतलब भुखमरी का शिकार होना और गरीबी तथा कुपोषण का शिकार होना है। तमाम अखबारों में बातें आती हैं कि भूख से तड़पते हुए बच्चों को न देख सकने के कारण मां-बाप ने सारे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। भूख से बेहाल होकर बाप ने बेटे को बेच दिया और भूख से बेहाल होकर मां बेटी को बेचती है। अस्मिता, इज्जत तक दांव पर लगायी जा रही है। इसलिए सरकार को नीति बनानी चाहिए और नीति बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि सैकड़ों वर्ष हो गये, काम के 8 घंटे तय किये गये थे। सैकड़ों वर्ष हो गये, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पहले 14 घंटे, फिर 12 घंटे और फिर दस घंटे का कार्य तय किया गया था। लेकिन अभी सैकड़ों वर्ष से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। काम के घंटे संगठित श्रम में कम करके तीन पालियों की बजाए अगर चार घंटे करके 6 पाली नहीं बना सकते हैं तो 6 घंटे करके आप श्रम के अवसर पैदा कर सकते हैं। चार पालियों में फैक्टरियों और संस्थानों को चलाकर बेरोजगारों के हाथों में आप रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग में आज जो कल-कारखाने चल रहे हैं और जो वैज्ञानिक तकनीकी युग आया है, उनमें पहले की तुलना में दिमाग का श्रम काफी लग रहा है। पहले केवल मजदूर हाथ से काम करता था लेकिन आज दोनों हाथ, दोनों पैर, नाक, कान, आंखें सबसे काम हो रहा है। इस प्रकार के अप्रेटस और औजार आये हुए हैं कि उसकी तन्मयता और एकरूपता उसमें लगी रहती है। पहले इस तरह की मशीनें नहीं थीं। इसलिए उसके श्रम का ज्यादा शोषण हो रहा है। उसको जिंदा रहने के लिए और शिक्षित प्रशिक्षित होने के लिए उसको अवकाश, अध्ययन तथा उपभोग की जरूरत है और आपके लिए रोजागर पैदा करने के अवसर पैदा होंगे।

साथ ही साथ मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा। नौकरियों को सरकारी नौकरी के रूप में ही लिया जा रहा है। यह लार्ड मैकाले की शिक्षा की देन रही है कि किसने बाबू पैदा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था लागू की। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि पढ़ाई के दौरान ही जिस प्रकार से विदेशों में जिस तरीके से बच्चों को जो उत्पादन कार्य कराया जाता है, उससे उनको पैसा मिलता है, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहां पर भी लागू करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में एक व्यक्ति को, एक पुरुष को यदि नौकरी मिली हुई है, उसके बच्चों को और उसकी पत्नी का भरण-पोषण उसमें रहता है। श्रम के मानक के अनुसार इतना तय किया गया है। इसलिए पति-पत्नी में कम से कम एक व्यक्ति को ही अवसर दिया जाए कि वह सरकारी नौकरी में रहे। यह दोष मानव अधिकार के हनन का और काम के अधिकार का लग सकता है। काम करने का सबको अधिकार है लेकिन इस पर सरकार को बैन लगाना पड़ेगा कि कम से कम एक परिवार में पति-पत्नी में एक को मौका दिया जाए। दूसरे को और जगह पर चाहे जो भी काम कर सकता है, करने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह बेरोजगारों को काम का अवसर दे सकते हैं। इन शब्दा के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महोदय, सदन में बेरोजगारी पर बहस हो रही है। बेरोजगारी एक तरफ से नहीं आती, उसके बहुत से कारण हैं। आज व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण भी शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा पुरखों से चले आ रहे जो व्यवसाय हैं, उनके धीरे-धीरे खत्म होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। 1983 से 1993 तक हमारे देश में 31 करोड़ बेरोजगार थे। इसके लिए आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है। गए 56 साल में 47 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा है। बाद में पांच साल कांग्रेस पार्टी ने सरकारों का निर्माण किया और उनको गिराने का काम भी किया। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल चौटाला चन्द्रशेखर जी, देवेगौड़ जी, इन्द्रकुमार गुजराल जी की सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने पहले बनाया, फिर गिराया। कांग्रेस पार्टी के जिन 47 सालों में बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, वह एकदम से खत्म नहीं हो सकती। एन०डी०ए० की सरकार जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने इस दिशा में कुछ पहल की है। बैंकों की तरफ से, कुटीर उद्योगों

की तरफ से, महात्मा फुले जी की तरफ से बहुत सा रोजगार देने की कोशिश की गई है। अगर गए 47 साल में इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ती। लेकिन हमारे सिवाय कोई राज नहीं कर सकता, राज करना आपके बस की बात नहीं, यह उनको सिद्ध करना था इसलिए उन्होंने सरकारें बनाने और गिराने का काम किया। जैसा ये बोल रहे हैं, उससे लगता है,

पाप किए थे हमने अपने ही कर्मों का फल पाया।
अब आंखें खुल गईं हमारी, अब दूर भगा दो सब माया।
आज जगत को दिखला दें, हम अपनी परिवर्तित काया।

इन सब बातों पर विचार करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जिस समस्या का निराकरण गए 50 साल में नहीं हुआ, उस बात का निराकरण एकदम से नहीं हो सकता। एकदम से काया पलट जाए, ऐसा नहीं हो सकता।

हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर हमने कृषि को बढ़ावा दिया होता, उद्योग का उसको दर्जा दिया होता, तो मुझे लगता है कि हमारी 70 बेरोजगारी उससे समाप्त हो जाती। गए 50 साल में गरीबी हटाओ के नाम पर कारखानेदारों को अरबों-खरबों रुपए लोन के रूप में बांटे गए। बाद में उन लोगों ने अपने कर्जे शासन के माध्यम से खुद ही माफ कर लिए। गए 50 साल में हमारे देश का 43 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको निकालने में कुछ पहल की है। उनको कुछ और मोहलत चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा नहीं निकला है। अगर वह पैसा वहां से निकाल कर देश में लाया जाए तो हम बेरोजगारी को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। कुछ जगहों का सर्वे करके और योग्यता के अनुसार पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को कर्ज दिया जाए, जिससे वह अपना व्यवसाय कर सकें। उसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए और जब शिक्षित बेरोजगार कर्ज मुक्त हो जाए अपने व्यवसाय से तो वह व्यवसाय उसके नाम किया जा सकता है। तब वह व्यवसाय उनके नाम पर किया जाए। साथ ही सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि उनके रोजगार के लिए भी कोई रास्ता निकल सके। उसी तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि बेरोजगारी पर नियंत्रण हो सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो विद्यार्थी प्राइमरी कक्षा से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा तक अध्यापक या प्राचार्य के संपर्क में रहता है वह बेकार कैसे रह सकता है? इसलिए शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए। यदि शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो इससे बेकारी बढ़ेगी।

बेकारी को दूर करने का एक उपाय और है और वह है कि एक कुटुम्ब में एक ही व्यक्ति को रिजर्वेशन के तहत नौकरी मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन के नाम पर, उतने ही पढ़े-लिखे, उन्हीं के ही जात के उसी के पड़ोस में रहने वाले सुशिक्षित नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है जबकि वह कलैक्टर है, उसकी पत्नी सीओ है और बेटा एसडीओ है। एक ही कुटुम्ब में दस नौकरियां देखने को मिलती है इसका भी बेरोजगारी पर असर पड़ रहा है। इसलिए एक कुटुम्ब में एक ही व्यक्ति को रिजर्वेशन के नाम पर फायदा मिलना चाहिए। नौकरियों पर सीलिंग लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कुटीर और लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत सहूलियत सरकार की तरफ से मिलती है। महाराष्ट्र में जो महात्मा फूले और महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडल है और जो बैंकों से पैसा मिल रहा है, अगर बैंकों से पैसा लेकर रोजगार किया जाए तो बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

डा० वी० सरोजा : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मुझे पर्याप्त समय दें क्योंकि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बोलने वाली मैं एकमात्र महिला हूं। अत: मुझे अतिरिक्त समय दिया जाए।

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज) : महोदय, मैं भी इस चर्चा में भाग ले रही हूं।

डा० वी० सरोजा : महोदय, मुझे माफ करना, मेरी बहन श्रीमती कान्ति सिंह भी इस वाद-विवाद में बोलने जा रही हैं। अत:, हम दोनों को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आप में से प्रत्येक को 5 मिनट दूंगा।

डा० वी० सरोजा : महोदय, आपने देश की इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

मैं अपने माननीय सहयोगियों के विचार ध्यानपूर्वक सुन रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सन्देह है। इस बेरोजगारी की समस्या को हल करना क्या श्रम मंत्रालय की ही जिम्मेवारी है? क्या यह पूरी सरकार की सांझी जिम्मेवारी नहीं है? क्या इसके लिए वित्त मंत्रालय से लेकर योजना आयोग तक के सहयोग की आवश्यकता नहीं है और क्या सभी मंत्रालयों और विभागों को इस अत्यन्त गंभीर समस्या का हल ढूढ़ने के लिए समान भूमिका नहीं निभानी चाहिए?

[डा० वी० सरोजा]

महोदय, मैं स्वयं को उन अधिकतर माननीय सदस्यों के साथ सहबद्ध करती हूं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहा है। यह बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए अचूक उपाय है। इस संबंध में शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश को आवश्यकता आधारित शिक्षा, आवश्यकता आधारित नीतियों और आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों और योजनाओं की आवश्यकता है। कार्यमंत्रणा समिति में हम सरकार से हमेशा मांग करते हैं कि वह मध्यावधिक मूल्यांकन दें। लेकिन हमें वह मौका नहीं दिया गया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाएं ताकि सभी विभाग और मंत्रालय इस समस्या का हल करने में अपना योगदान दे सकें।

माननीय मंत्री जी हम से अपेक्षा कर रहे थे कि हम सुझाव देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस वर्ष के बजट का अध्ययन करें। इसमें कहा गया है कि कुल पूंजीगत प्राप्ति 1,84,860 करोड़ रुपये है। कुल पूंजीगत व्यय क्या है? यह 72,564 करोड़ रुपये है। इसमें 12,922 करोड़ रुपये की बचत हुई है। क्या यह बचत की रकम मात्र बचत से ही सम्बन्धित है? क्या यह परिसम्पतियों के सृजन से सम्बन्धित नहीं है? परिसम्पतियों के सृजन के बिना हम रोजगार के अवसर किस प्रकार सृजित करेंगे? अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित किए बिना हम किस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढ़ेंगे अथवा हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 मिलियन रोजगार किस प्रकार सृजित करेंगे?

अगली बात जो मेरे दिमाग में है वह असंगठित क्षेत्र से जुड़े बानवे प्रतिशत श्रमिकों के बारे में है। असंगठित क्षेत्र के लिए अभी तक हमने कोई सुधार नहीं किए हैं। हमने इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया है और श्रमिक सुधारों का कार्यान्वयन नहीं किया है। यह महत्वपूर्ण है।

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने काफी पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन हमने कहां तक किया है। क्या यह पांच वर्षों तक के लिए लागू रहेगी? क्या हमने कभी दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट का कोई मूल्यांकन कराया है क्या मंत्रालय दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त की गई उपलब्धियों और रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में कोई श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगा?

भारत में लगभग 969 रोजगार कार्यालय हैं जिसमें मात्र 4.6 करोड़ युवकों के नाम पंजीकृत हैं। पंजीकृत युवकों में से 40 प्रतिशत शिक्षित हैं। उनमें से 26 प्रतिशत शिक्षित महिलाएं हैं।

यदि शिक्षा बेरोजगारी की समस्या का हाल नहीं ढूंढ पा रही है तो क्या हमारी शिक्षा नीति उपयुक्त है? मेरा प्रश्न यह है। यदि हमारा समन्वित दृष्टिकोण नहीं होगा, यदि सभी मंत्रालयों का सहयोगपूर्ण रवैया नहीं होगा, और यदि सभी मंत्रालय बगैर किसी समन्वय के कार्य करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या का हल यह देश किस प्रकार निकालेगा? मेरी चिन्ता यही है।

पुन: जहां तक, बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न है, यदि हम समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो हमें कारणों का पता चलेगा। सर्वप्रथम, अभी हम विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर हो रहे हैं। वे कम्पनियां परियोजनोन्मुखी हैं। वित्तीय संस्थाएं बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असफल साबित हुई हैं। क्या सरकार इन सभी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करेगी?

जब हम महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक ''इंगर्निटिंग इण्डिया' ज माइंड'' का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हमारे पास ज्ञान आधारित समाज नहीं होगा, हम बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर सकते, हमारे यहां विकासात्मक गतिविधियां नहीं होगी, हमें अपने देश की जनसंख्या के अनुपात में ही उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के पश्चात् रोजगार के अवसरों में कमी आयी है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार इस मुद्दे का हल किस प्रकार करेगी? क्या हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे? क्या हम वर्तमान समस्या का हल करेंगे? क्या हम उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनजर योजनाओं और स्कीमों की पुनरीक्षा करेंगे?

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए अभी हमें एक वर्ष ही हुआ है। डब्ल्यू०टी०ओ० के कार्यान्वयन के पश्चात् क्या हमने अपने कृषक समुदाय को चुनौतियां झेलने के लिए तैयार किया है? क्या हमने अपने कृषि श्रमिक समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने और उनके नजरिए को बदलने के लिए कभी कदम उठाए हैं? वे श्रमिक बल का लगभग 90 प्रतिशत हैं। क्या सरकार ठेका कृषि और उत्पाद आधारित कृषि के लिए पहल करेगी? बागवानी और कृषि उत्पादों में अधिक निर्यात सम्भाव्यता होती है। हमें बेहतर बाजार सुगम्यता भी उपलब्ध करानी होगी। तभी हम डब्ल्यू०टी०ओ० की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। तमिलनाडु में हमारे स्वसहायता समूह हैं। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमने कृषि आधारित लघु उद्योग स्थापित किए हैं। हमने छोटे लघु कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रखने वाले 6000 छोटे ओर मझौले किसानों का एक समूह बनाया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन

प्रत्येक जिले के लिए 10-15 करोड रुपये मंजूर करने जा रही है। इसके माध्यम से हम बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढ़ सकेंगे और कृषि को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से भी संगठित कर सकेंगे।

क्या सरकार 17 दिसम्बर का ''द हिन्दू'' में प्रकाशित एक समाचार पर ध्यान देंगी? बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने के लिए 'फिक्की' ने ''20 मिलियन लोगों के नौकरियों'' के लिए एक रणनीति का सुझाव दिया है। इसमें तीन रणनीतियों का सुझाव दिया है :–

1. श्रम, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के प्रवेश और निकासी के क्षेत्र, में विधायी परिवर्तन।

2. प्रतिस्पर्धी मूल्य और ऋणों के सुधरे प्रवाह के आधार पर गुणवत्ता अवसंरचना के लिए उपयुक्त बाजार तंत्र।

3. सामाजिक सुरक्षा तंत्र सहित मानव संसाधन विकास इसमें काफी मदद करेगा।

क्या सरकार इस पर विचार करेगी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्रयास करेगी।

वर्ष 1993 में बेरोजगार युवकों की कुल संख्या 20.13 मिलियन थी। वर्ष 1999-2000 में यह बढ़कर 26.58 मिलियन हो गयी। यह भारी चिन्ता का विषय है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी का अन्य पहलू भी है। रोजगार की समस्या भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की है। बेरोजगारी की समस्या की सूची में केरल सबसे ऊपर है जहां यह 20.9 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में यह 14.9 प्रतिशत है और तमिलनाडु में यह 11.78 प्रतिशत है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे सुझावों पर विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) महोदय, श्री अलकेश दास इस सभा में अपना पहला भाषण देंगे। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

अपराह्न 4.35 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश में बढ़ती हुए बेरोजगारी की समस्या पर बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फिगर्स की वकालत की है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यह बात सही है कि कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी ने देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 8-सूत्री कार्यक्रम पेश किया था जिसके तहत यह दावा भी पेश किया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रतिवर्ष सरकार एक करोड़ के नये रोजगार सृजन करेगी और 8 प्रतिशत विकास दर हासिल की जायेगी, पूंजी बाजार की कमियों को दूर किया जायेगा, बढ़ते हुये वित्तीय घाटे को कम किया जायेगा, विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश की जायेगी एवं बुनियादी उद्योगों का विकास किया जायेगा, सार्वजनिक निवेश को अधिकतम सीमा तक ले जाया जायेगा, इससे निश्चित रूप से रोजगार के नये अवसर प्रदान होंगे लेकिन यह संकल्प लुभावना था क्योंकि आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो मालूम होता है कि भारत में दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। सदियो से चले आ रहे परम्परागत कुटीर उद्योगों के प्रति लापरवाही है। उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिये साजिश हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे एवं अन्य सरकारी निगमों के लाखों श्रमिकों, कामगारों की छंटनी, जबरन सेवानिवृत्ति, तालाबंदी, 244 औद्योगिक इकाइयों में से अधिकांश को बंद किया जा रहा है। यह इसी का नतीजा है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की आर्थिक नीति के तहत जितने सरकारी उपक्रम की कम्पनियां हैं, उनमं पूंजी निवेश किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश में जितनी लाभ देने वाली कम्पनियां हैं, उनमें डिसइनवैस्टमेंट किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकारी रुग्ण उद्योग हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। लाखों रोजगारों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। क्या रुग्ण उद्योगां का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, क्या लाभ देने वाली कम्पनियों में डिसइनवैस्टमेंट करायेंगे? क्या इससे सरकारी उपक्रम की कम्पनियां समाप्त नहीं की जा रही हैं? हमारे यहां आरक्षण की नीति लागू की गई थी लेकिन निजी कम्पनियों के कारण आरक्षण की सीमा समाप्त की जा रही है। आरक्षण नीति किस प्रकार लागू की गई थी कि जो पिछड़े हैं, उन्हें अगली पंक्ति में लाना है। इस देश में जो निजी कम्पनियां आ रही हैं, जिनके लिये कहा जाता है कि रोजगार को आगे ले जाने का काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, वह धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। इस प्रकार सरकारी कम्पनियों का डिसइनवैस्टमेंट करके रोजगार मुहैय्या करना सम्भव नहीं लगता है।

अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि पर आधारित है। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये किसानों का सुदृढ़ होना आवश्यक है लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे जो अन्न उपजा

[श्रीमती कान्ति सिंह]

रहे हैं, उसकी उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। वे रोजगार कहां से दे, कहां से पैसा आये जिससे अपने बच्चों को परवरिश कर सकें, बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनकी शादी कर सके। दूसरी ओर प्रधान मंत्री जी ने बार-बार योजनाओं का नियोजन किया है कि उसके तहत वे रोजगार लाने का काम करेंगे लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हमारे बिहार राज्य में बैंकों में सब से अधिक राशि जमा की जाती है। लेकिन अगर वहां कोई व्यक्ति ऋण लेने के लिए जाता है तो बैंककर्मी उसे ऋण देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर हम आपको ऋण देंगे तो ऋण की वापसी हम नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य का पैसा दूसरे राज्यों को देकर खर्च किया जा रहा है, वहां उद्योग-धंधे लगाये जा रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई उद्योग-धंधा स्थापित नहीं किया जा रहा है। जो कंपनियां रुग्ण हो गई हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यह सब डिसइनवैस्टमैंट करने के कारण हो रहा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगी कि पश्चिमी देशों की नकल करके अगर आप देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो ढाक के तीन पात वाली बात हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना में कहा जा रहा है कि हम लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। सड़क के निर्माण में चार लेन की बात कही जा रही है, लेकिन जहां विदेशी कंपनियां चार लेन बना रही हैं, वहां नई टैक्नोलोजी के तहत मशीनों से काम हो रहा है। वहां एक भी आदमी को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में भी चार लेन का कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहां सारा काम मशीनों द्वारा हो रहा है और सरकार कह रही है कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, आप सुझाव देने की बात कह रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है। आप इस श्रम शक्ति का सही उपयोग करिये, तभी आप इस देश के पढ़े-लिखे नौजवानों को, जो आज आतंकवाद, नक्सलवाद तथा अन्य देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, यदि आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इन नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करायें। माननीय मंत्री जी आप देश की श्रम शक्ति को पहचानिये, तभी हमारा देश सुदृढ़ हो सकता है। आप हमारे देश से बेरोजगारी दूर करिये।

अपराह्न 4.42 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन — *जारी*

[हिन्दी]

(दो) चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी समारोह समिति के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज चौ० चरण सिंह जी का जन्म दिन है। सुबह अन्य मसले सदन के सामने आ गये थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति गठित की थी। भारत के महामहिम उप-राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरा एक साल बीत जाने के बावजूद भी चौ० चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति ने कोई काम नहीं किया। चौ० चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। वह हम लोगों के आदर्श थे। उत्तर भारत में आज भी उन्हें लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि चौ० चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति गठित हुई थी, उस समिति ने कोई काम क्यों नहीं किया, यह बहुत गंभीर मामला है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आज चौ० चरण सिंह जी का जन्मदिन है और जन्म शताब्दी समारोह मनाने का सरकार ने निश्चय किया था, लेकिन वह नहीं मनाया गया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। यहां किसान, कृषि, कृषि प्रधान देश, रोजगार और बेरोजगारों के बारे में बहस हो रही है, लेकिन चौ० चरण सिंह को हम क्यों भूल रहे हैं, सरकार खड़े होकर बताये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार यह नोट कर ले।

[हिन्दी]

सरकार इस पर ध्यान दे।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो यहां विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, मुझे स्वयं भी उनके साथ रहने का अवसर मिला है। मैं उनकी महानता से परिचित हूं। जो संदर्भ यहां पर लाया गया है, वास्तव में एसे महापुरुषों का हम कायदे से ध्यान रखें। जो बातें आपने बताई हैं, उन्हें मैं समिति के संज्ञान में लाऊंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : आपसे उनके बहुत संबंध थे, लेकिन फिर भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जन्मशताब्दी समारोह का क्या हुआ।

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, चौधरी चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति गठित हुई थी, माननीय उप-राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष थे। लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कार्यक्रम पूरे साल में नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो आँवर नहीं है, प्लीज आप बैठिये। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति मेरे मन में भी बहुत सम्मान है, उनके प्रति आदर की भावना है। सरकार ने इसे नोट किया है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं लेना है जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के०पी० सिंह देव बोलें उससे पहले मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि सभा का कार्य अपराह्न 5.30 बजे से पहले पूरा किया जाना है। मैंने पार्टियों के नेताओं को सूचित किया है और वे सभा में आ रहे होंगे। प्रत्येक सदस्य को अपना भाषण पांच मिनट में ही पूरा करना चाहिए। आवंटित समय के अनुसार और पांच वक्ता रह गए हैं। मैं उनका नाम पुकारना चाहता हूं : श्री के०पी० सिंह देव, श्री रासा सिंह रावत, श्री जी०एम० बनातवाला, श्री अलकेश दास, श्री लक्ष्मण सिंह और श्री प्रकाश अम्बेडकर।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपना नाम दिया है। कृपया मुझे भी दो मिनट बोलने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : इसके अलावा और मैम्बर्स को मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अब सभी पार्टियों का समय समाप्त हो गया है। जो टाइम अलॉटमैन्ट था, उसके हिसाब से अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : सर, मुझे भी दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मुझे आशा है कि इन व्यवधानों को मेरे लिए आवंटित पांच मिनट में नहीं गिना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सर, मुझे दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल दो मैम्बर्स हैं, इन्हें मैं एक-एक मिनट बोलने का समय दूंगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.45 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बेरोजगारी की स्थिति – *जारी*

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे बोलने के लिए अनुमति देने हेतु और मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं।

रोजगार, सम्यता की भांति ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु बेरोजगारी अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक समस्या और विडम्बना है। पहली योजना से ही रोजगार, विशेषकर नौजवानों के लिए रोजगार पर काफी अधिक ध्यान दिया गया था। वर्ष 1952 की पहली योजना में योजना आयोग ने कहा : "भारत में आयोजना के आत्मा में, नौजवानों को समुदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना गया है।" फिर 1988 में श्री राजीव गांधी के समय, नेशनल यूथ पॉलिसी में यह बात कही गई कि युवा कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बेरोजगारी, ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और अशिक्षित दोनों, को दूर करना होगा। भाजपा और इसके मित्र दलों द्वारा तैयार किए गए शासन सम्बन्धी राष्ट्रीय एजेन्डा में युवा शक्ति के दोहन की बात की गई। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा, और परिस्थितिकी से जुड़े कार्यों, बंजरभूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने, वन रोपण और साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स के गठन के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाना चाहा।

पिछली नौ योजनाओं से रोजगार अथवा बेरोजगारी के प्रश्न को चाहे जो भी सरकार सत्ता में आई अत्यधिक महत्व दिया गया। यह विडम्बना है कि इन नौ योजनाओं में हम इस समस्या का निदान नहीं कर पाए हैं क्योंकि बेरोजगारी 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या 2.3 प्रतिशत के दर से बढ़ रही थी। फिर भी हमारे विद्वान साथियों ने आपको विस्तृत आंकड़े दिए हैं। मैं आपको आंकड़े नहीं दे रहा क्योंकि मुझे मिस्टर डिजरायली का ब्रिटिश संसद में "लाइज, डैम लाइज एण्ड स्टैटिस्टिक्स" कहना याद है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम के संबंध में कुछ अध्ययन कराए थे। इनमें से एक साउथ एशिया मल्टि डिसिप्लिनरी एडवाइजरी टीम (एस०ए०ए०टी०) ऑफ इंटनरेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली है। नियोजन कार्यालयों का खराब कार्य निष्पादन है। नौ योजनाओं में, जिसमें चल रही योजना भी शामिल है,

[श्री के०पी० सिंह देव]

इसे प्राप्त करना यथार्थ से दूर रहा है। बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जाना है। इसलिए, यह समय आत्म-निरीक्षण का है क्योंकि इसमें राज्य और केन्द्र शामिल हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, आई०एल०ओ० और राज्यों के अंदर संगठन सहित बड़ी संख्या में संगठन नमूना सर्वेक्षण कर रहे हैं। बहुत से संगठन हैं जो नमूना सर्वेक्षण कर रहे हैं किन्तु एक भी संगठन दूसरे के आंकड़ों पर सहमत नहीं है। ये सभी विरोधाभासी हैं। योजना, चाहे यह सैन्य अथवा सिविल अथवा आर्थिक विकास से संबंधित है, आंकड़ों अथवा सूचना की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। हम सूचना युग में रह रहे हैं। हम इस तरह की घोषणाएं सुन रहे हैं मानो हम 'ई-गवर्नेन्स', 'ई-कॉमर्स', 'ई-बिजनेस' और 'ई-एवरीथिंग' सब कुछ कर रहे हैं। किन्तु तथ्य यह है कि विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों अथवा रोजगार सृजन कार्यक्रमों, चाहे यह गरीबी हटाओ हो अथवा रोजगार आश्वासन योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना और अन्य योजनाएं हों, जिनकी घोषणा ग्रामीण विकास मंत्रालय और माननीय प्रधान मंत्री ने किया है का प्रबन्धन बहुत ही खराब है। किसी भी तरह की कोई निगरानी नहीं है। निस्संदेह निगरानी और मूल्यांकन समिति है। ऐसा माना जाता है कि इसकी बैठक छः महीने में एक बार होगी। एक संसद सदस्य को इसका चेयरमैन बनाया गया है। इसमें एम०एल०ए० पंचायत समिति जिला परिषद् इत्यादि सम्मिलित हैं। किन्तु कोई विश्वसनीय आंकड़ा अथवा सूचना नहीं है। अधिकांश रिपोर्टों में कहा गया है कि वे विश्वसनीय आंकड़ा पाने में समर्थ नहीं है। इसलिए, निगरानी प्रभावी नहीं है तथा वैज्ञानिक नहीं है। इन अनिश्चित आंकड़ों के आधार पर मैं नहीं जानता कि सरकार किस तरह से प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के सृजन की योजना बनाती है और वह किस तरह से बेरोजगारी की समस्या से निपटना चाहती है।

आज भारत की 30 प्रतिशत जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। वे सबसे अधिक प्रभावित है। आज लोग हैं जो अपने बच्चे बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके पालन-पोषण का साधन नहीं है। परसों ही एक मां ने अपना बच्चा 20 रु० में बेच दिया। यह अत्यन्त ही शर्मनाक है। पुनः यह उड़ीसा में कालाहांडी में हुआ है।

पिछले दस वर्षों से हम सूखा, बच्चों की बिक्री, बाढ़, चक्रवात इत्यादि पर चर्चा करते रहे हैं जिसके कारण हमारे राज्य का आर्थिक आधार नष्ट हो गया है। कोई नया निवेश नहीं है। निवेश से रोजगार बढ़ता है।

आरक्षण महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, उड़ीसा में माननीय प्रधान मंत्री ने 15,000 करोड़ रु० की लागत वाली पारादीप रिफाइनरी का शिलान्यास किया है जिसमें से 3000 करोड़ रु० खर्च किया जा चुका है। अब यह बाहर आ रहा है। उड़ीसा निर्धन और पिछड़ा राज्य है। यह क्षेत्रीय पिछड़े पन का शिकार है। यहां गरीबी की मार हो और यहां गरीबी अधिक है। हमारे राज्य में गरीबी रेखा के नीचे अधिकतम संख्या में लोग रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के०पी० सिंह देव : मुझे दो मिनट का समय दीजिए, मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यदि आप जोर देते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए।

पिछले दो चुनावों में कुछ वादे किए गए थे। हमारी सीमाएं किसी अन्य देश की सीमाओं को नहीं छूती है, हम अनुसूची छः के अंतर्गत आने वाले राज्य नहीं हैं और हम पर्वतीय राज्य नहीं हैं। इसलिए उड़ीसा जैसे राज्य के लिए जहां गरीबी, भूख, और भुखमरी है सरकार क्या करना चाहती है? सरकार को हमें बताना चाहिए।

श्री अलकेश दास (नवद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को जीने की इच्छा खो देता है। हमारे देश में लाखों लोगों का यही भाग्य है। बेरोजगारी अत्यन्त ही जटिल, और व्यापक वास्तविकता है जिसकी जड़ें अत्यन्त ही गहरी हैं। बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या धीरे-धीरे केन्द्र सरकार के लिए कांटा बनने जा रही है। रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट है और इसके साथ ही श्रम बल की वृद्धि दर में भी तेजी से गिरावट आई है। बेरोजगारों की कुल संख्या और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है? रोजगार की कुल संख्या में कृषि कर्मकारों के हिस्से में गिरावट आई है। जैसी की प्रवृत्ति रही है, कुल रोजगार में नैमित्तिक श्रमिकों का हिस्सा बढ़ा है। यही वास्तविक स्थिति है।

पूंजीवाद का नौकरीविहीन वृद्धि मॉडल अब नौकरीविहीन या 'नौकरी समाप्त करने की ओर प्रवृत हो रहा है। लाभ की ऊंची दर रखने के लिए, प्रत्येक उद्योग विभिन्न तकनीकों द्वारा नौकरी कम कर रहे हैं। वे नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग कर रहे हैं। नौकरी में कमी की जा रही है, आउटसोर्सिंग हो रहा है और कम मजदूरी की आवश्यकता वाले क्षेत्र में उद्योगों को ले जाया जा रहा है। वे कर्मकारों की बुनियादी सुविधाओं में भी कटौती कर रहे हैं कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी में भी कटौती करने के प्रयास हैं। आज की स्थिति यही है।

पूरे देश में बेरोजगारी दर वृद्धि पर है, और यह असहनीय स्थिति तक पहुंच रहा है। दीर्घकालिक बेरोजगारी तिगुनी हो गई है और यह

1994 के बाद अधिकतम है। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक नहीं। यह कहना ही पर्याप्त है कि यह हमारी जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक है, विशेषकर नौकरीविहीन वृद्धि के संदर्भ में और नौकरी समाप्त करने के बारे में यह स्थिति है। पंजीकृत बेरोजगारों की संस्था जैसा कि केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इस सभा में 30 अप्रैल, 2003 को कहा 4.7 करोड़ है और अपंजीकृत बेरोजगारों की अनुमानित संख्या इससे तीन गुणा है।

यदि हम कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में समाप्त हुई नौकरियों का हिसाब करें तो संख्या उससे दोगुनी अथवा अधिक बैठती है। योजना आयोग पहले ही स्वीकार कर चुका है कि रोजगार में वृद्धि श्रम बल में वृद्धि की तुलना में कम है। इसलिए यदि यह नीति जारी रहती है तो उत्पादकता सम्बन्धी कार्य में बेरोजगारों की फौज को लगाना असंभव है। इसलिए, इस नीति को बदलना चाहिए।

तथापि, यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है कि जब मौसमी कर्मकार जो सिर्फ जीवनयापन के लिए किसी भी प्रकार के कार्य में किसी भी तरह से लगे हुए हैं उन्हें रोजगारी के सरकारी सांख्यिकी में रोजगार समझा जाता है। आगे, जीवन रक्षा के लिए जब लाखों गरीब लोग नैमित्तिक कार्य में लगे हुए हैं उन्हें भी सरकारी सांख्यिकी में नियोजित समझा जाता है। इसलिए, जैसा कि श्रम मंत्री ने संसद में कहा, समस्या इससे कहीं अधिक है।

वर्ष 2001-2002 में संगठित क्षेत्र में 10 लाख से अधिक नौकरियां खत्म हो गईं। सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में ही 1,10,000 नौकरियां समाप्त हो गईं। इतना ही नहीं, सिर्फ 2001-2002 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 10,000 नौकरियां समाप्त हो गईं। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा केन्द्र सरकार के विभागों में श्रम शक्ति कम करने के संबंध में घोषणा की गई। गीताकृष्णन समिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष दो प्रतिशत के हिसाब से कमी हुई। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 16.9.02 तक लगभग 9000 नौकरियां समाप्त हो गईं। लगभग 17000 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हटाने का लक्ष्य रखा गया और उन्हें हटाया गया।

वर्ष 2001-02 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में 50 लाख कृषि कर्मकार बेरोजगार हो गए। रोजगार के अवसर घट गए हैं। तथापि, सरकार ने दसवीं योजना अवधि में प्रतिवर्ष दस मिलियन रोजगार के अवसर के सृजन का लक्ष्य रखा है। किन्तु विशेष दल ने निष्कर्ष निकाला कि उसी पैटर्न पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत जी०डी०पी० वृद्धि दर के साथ और संगठित क्षेत्र में पूंजी-गहन उद्योगों में सतत या बढ़ी हुई वृद्धि के होने पर ही हम प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन नौकरी का सृजन कर सकते हैं, जो कि लक्ष्य से काफी कम है। इसलिए प्रस्तावित आठ प्रतिशत जी०डी०पी० बेतुका प्रतीत होता है।

मानव विकास संबंधी यू०एन०डी०पी० रिपोर्ट के अनुसार 2003 तक भारत में भूखे लोगों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके 2.33 मिलियन होने का अनुमान है। इसके लिए आर्थिक नीति की दिशा में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय दिया, उसके लिए मैं आपको देश के करोड़ों बेरोजगारों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज देश के करोड़ों बेरोजगार इस सरकार से आशा लगाए बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक साल में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और यही सोच कर जहां-जहां चुनाव सम्पन्न हुए, वहां नतीजे विपरीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से बहुत ज्यादा आशा थी।

महोदय, सरकार ने जो कुछ कहा है, उसके ठीक विपरीत हमारे देश के बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया हुई है। मैं उदाहरणस्वरूप बताना चाहता हूं कि एक डा० दत्त हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कोरेस्पॉडेंस के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं, उनका क्या कहना है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। वे कहते हैं–

[अनुवाद]

> "बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने में कोई कमी नहीं है। आज उत्पादन और रोजगार के बारे में समेकित दृष्टिकोण विकसित करने का ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। यह विश्वास टूट जाता है और इसके शिकार गरीब लोग हैं।"

[हिन्दी]

महोदय, यह कथन बुद्धिजीवियों का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस सरकार में बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन बुद्धिजीवी आपकी विचारधारा से अलग रहे हैं और वे संतुष्ट नहीं हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। उसके अनुसार देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने में कृषि क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा है। आज हमारे देश में 170 मिलियन हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो चीन से भी अधिक है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन 1990 के अगर आंकड़े देखते हैं तो जो सैक्टोरल ग्रोथ कृषि क्षेत्र में हुई है, वह केवल तीन परसेंट हमारे देश में हुई है, जबकि

[श्री लक्ष्मण सिंह]

चीन में चार प्रतिशत हुई है। इसका यह कारण है कि कृषि योग्य भूमि अधिक होने के बाद भी हमारे यहां हम वह विकास नहीं कर पाये, हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के वे अवसर प्रदान नहीं कर पाये, जो चीन में किये गये हैं। वहां फार्म्स आर फैक्टरीज का कन्सैप्ट है, जो बहुत सारे यूरोपीय देशों में है, सब जगह यह कन्सैप्ट है कि फार्म्स आर फैक्टरीज और इसी सिद्धान्त के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कृषि के क्षेत्र में हम ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर पाएंगे।

हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, हमारा देश सब्जी और फल का उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन सब्जी और फलों की प्रोसेसिंग केवल दो प्रतिशत होती है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके भीषण परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। आप विश्व व्यापार संधि पर दस्तखत होने के बाद प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं और जैसे हमने कृषि के आयात को रोकने पर ध्यान नहीं दिया है, हमारी कृषि वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान नहीं दिया है, उसी का यह कारण है कि पंजाब में, जहां कि एग्रो इण्डस्ट्रीज और एलाइड एक्टिविटीज बहुत अधिक मात्रा में होती थीं, वहां 51 कारखाने बन्द हो गये हैं और लगभग 8200 आदमी बेरोजगार हो चुके हैं।

स्माल स्केल सैक्टर में आपने क्या किया, वहां आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्दर आने की अनुमति दे दी। इसमें आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका यह कहना है कि अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लघु उद्योग के क्षेत्र में जाएंगी तो लघु उद्योग का क्षेत्र आधुनिक होगा। लघु उद्योग का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में खड़ा होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। आपने जो लघु उद्योग बढ़ाने की योजनाएं हैं, जैसे एस०जी०एस०वाई० है, उसमें हमने क्या देखा, 4,19,777 आवेदन आये, जिनमें से केवल 2,22,542 स्वीकृत हुए। अगर पब्लिक सैक्टर बैंकों का यही रवैया रहा तो आपके लघु उद्योग नष्ट हो जाएंगे, आपके लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

आपने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स कहती है कि जब जी०डी०पी० का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। जी०डी०पी० का ग्रोथ रेट तो जरूर बढ़ा, जो 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हुआ, लेकिन रोजगार की दर 2.7 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत हो गई। जब हम आपके नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन पर भरोसा करें या आपके टास्क फोर्स पर भरोसा करें?

मैं अन्त में कहना चहूंगा, समय की कमी है, कि राजनैतिक कारणों से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकारें थीं या जहां भाजपा की सरकारें नहीं थीं, उनके साथ आपने बहुत भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। पूर्व में राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, मेरे पास एक किताब है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने आपसे रोजगार बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं दीं। यह किताब पहले 60-70 पेज की थी, लेकिन योजनाएं भेज-भेज कर यह लगभग 125 पेज की किताब हो गई है। हमने मध्य प्रदेश से आपके पास योजना भेजी कि वहां हम ... *(व्यवधान)*

डा० साहिब सिंह वर्मा : आपकी योजना पर लोगों ने विश्वास ही नहीं किया।

श्री लक्ष्मण सिंह : उसके लोक सभा में आपके ऊपर सवाल आयेंगे। वहां हमने आपकी वस्त्र नीति के अनुसार तीन अपेरल पार्क खोलने की अनुमति मांगी, आपने नहीं दी। वहां हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क खोलने की अनुमति मांगी, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग हम लगा सकें, आपने वहां अनुमति नहीं दी। उसके कारण यह है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार थे, उनका 1993-94 में प्रतिशत 3.56 था, वह बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गया। राजस्थान में 1993-94 में 1.31 प्रतिशत बेरोजगार थे, वह बढ़कर 3.13 प्रतिशत हो गया। आपने यह काम केवल राजनैतिक द्वेष के कारण किया है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो एक करोड़ रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है, वह कभी पूरा नहीं होगा।

इलैक्ट्रिसिटी बिल आपने एक साल पहले लोक सभा में इण्ट्रोड्यूस किया। लेकिन उसको आपने रोके रखा जिससे विद्युत की समस्याएं पैदा हुईं चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। आपने इस बार इलैक्ट्रीसिटी बिल पास किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यही इलैक्ट्रीसिटी बिल पहले पास हो जाता तो आज जो विद्युत की भीषण समस्याएं खड़ी हुई हैं, वे न होतीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि *(व्यवधान)*

डा० साहिब सिंह वर्मा : आपने क्यों नहीं किया? *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : साहिब सिंह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अगर राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर आप करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा या कम होगी, नहीं तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जायेगी और इस सरकार को आने वाले लोक सभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

यदि मैं इसे दूसरी तरह से पढ़ता हूं तब भी मूलत: यह मुद्दा रोजगार के सृजन से संबंधित है। माननीय मंत्री जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहता हूं कि रोजगार के वर्तमान स्तर पर कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना उनका दायित्व है। मैं पहले यह समझने में असमर्थ हूं कि वह कैसे रोजगार के सृजन के संबंध में उत्तर देंगे, मुझे उम्मीद थी कि इसका उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र से संबंधित मामला है।

महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत शून्य से लेकर तीस के बीच की आयु समूह में है, और हम इसे ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है। भूमंडलीकरण अथवा उदारीकरण की प्रक्रिया जिसे हमने शुरू किया है, में हमारा जो भी भरोसा हो, नब्बे के दशक और आज के बीच जो परिवर्तन आया है वह यह है कि कम से कम सरकार जिम्मेदार थी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नब्बे के दशक से पहले रोजगार की बात थी, किन्तु भूमंडलीकरण और उदारीकरण के आरम्भ के बाद हम उत्पादकता की बात करने लगे हैं, हमने प्रतिस्पर्धा की बात करनी शुरू कर दी है। किन्तु पिछले दस वर्षों में क्या हुआ है?

महोदय, यदि आप इस देश के औद्योगिक परिदृश्य को देखें, यदि मैं कहूं, बड़े औद्योगिक घराने पर इसकी जिम्मेवारी थी। आज वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में कठपुतली बनकर रह गए हैं। यह रिलायंस हो सकता है, जिसे हम सबसे बड़ा घराना मानते हैं। किन्तु वह घराना भी एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी की कठपुतली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लक्ष्य क्या है? कि वे पहले गठजोड़ के रूप में आए फिर उस गठजोड़ को तोड़ा और विपणन अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने भारतीय उद्योग के साथ उद्योग को चलने दिया और उसके विपणन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने आयात को उदार करवाया तथा आयात शुल्कों के उदारीकरण के पश्चात् उनका उत्पाद हमारे देश में आना शुरू हो गया। यह देश अब बाजार अर्थव्यवस्था में बदला जा रहा है।

यदि भारत सिर्फ एक बाजार बना रहना चाहता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पास नए रोजगार के सृजन के क्या साधन हैं। यदि एक के बाद एक उद्योग बंद होते गए तो रोजगार सृजन का क्या होगा? उदाहरण के लिए, स्टरलाइट, जिस पर इस सभा में चर्चा हुई थी, एकाधिकार बन गया है। अब चेन्नई फैक्टरी को बंद किया जा रहा है। हमसे अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ फैक्टरी बंद कर दी जाएगी और एक जो उड़ीसा में है सिर्फ उसे ही चलाया जाएगा। जो लोग, वहां थे उन्हें पहले ही निकाल दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की आर्थिक नीति का आप अनुसरण करने जा रहे हैं तो इस देश में रोजगार के सृजन की क्या संभावना है।

अन्य मुद्दा जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने उठाना चाहत हूं वह यह है कि चूंकि वह किसानों के प्रति चिन्ता रखते हैं, क्या वर्ष 2005 में पूरी अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। एक बार कृषि क्षेत्र, जो अंशत: बंद क्षेत्र है, को खोल दिया जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय किसान विदेशी किसान के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? मेरा उनसे एक ही प्रश्न है कि खेतिहर मजदूरों की संख्या सबसे अधिक हैं। यदि किसान को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा तो वह लोगों को नियोजित नहीं करेगा, उस स्थिति में उन किसानों की कैसे रक्षा करेगा और रोजगार का सृजन करेगा? ये कुछ मुद्दे हैं जिनके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बेकारी के बारे में चर्चा करते हुए हमारे विपक्ष के कई बंधु केवल दोषारोपण का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एन०डी०ए० सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो निश्चय किया है कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। चाहे 60 लाख हो, चाहे 70 लाख हो, चाहे 75 लाख हो, दिए अवश्य जा रहे हैं। *(व्यवधान)* बेकारी कोई एक दिन का परिणाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि लगातार आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रही, उनकी कुनीतियां और विकास के बारे में दृष्टिकोण इन सबके लिए जिम्मेदार है कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतने बड़े परिमाण में यह समस्या आज हमारे सामने उपस्थित हुई। बेकारी एक भयावह समस्या है। *(व्यवधान)* यह मानना पड़ेगा कि अब तक आपकी जो नीतियां थीं, उन्हीं नीतियों का दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ रहा है। आप मल्टी-नैशनल्स को दोष दे रहे हैं। श्री नरसिंह राव के समय में जब श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब उदारीकरण को अपनाने का काम और वैश्वीकरण करने का काम उन्होंने ही प्रारंभ किया था। अब एक-दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। भारत अपने आपको अलग नहीं रख सकता।

एक प्राणी शतुरमुर्ग होता है। जब रेगिस्तान में तूफान आता है तो वह अपना मुंह रेत के अंदर छुपा लेता है। वह समझता है कि सारा तूफान अपने आप दूर हो जाएगा। यह जो शतुरमुर्गीय प्रवृत्ति है, बेकारी विश्वव्यापी समस्या है। केवल भातर के अंदर ही नहीं, विश्व

[प्रो० रासा सिंह रावत]

के जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं, वहां पर भी बेकारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। मैं कहना चाहूंगा कि रामचरित मानस में जैसे आता है – जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासो दून कपि रूप दिखावा। जैसे-जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने होते चले गए। हिन्दुस्तान की आबादी 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 के हिसाब से बढ़ रही है और पैदावार, उत्पादन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के हिसाब से बढ़ रहा है यानी उत्पादन कम और जनसंख्या दिन दूरी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप रोजगार प्रदान करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं, रोजगार सृजन करने के लिए जो नए-नए अवसर मिले हैं, उन सबका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। गांव की जनता गांव में ही रहे, शहर की तरफ नहीं आए। परम्परागत उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए। कृषि जो बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है, उस क्षेत्र के अंदर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, स्वावलंबन की प्रवृत्ति और शिक्षा के माध्यम से युवकों के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने साधन जुटाकर बेरोजगारी को दूर करें – ऐसा प्रयास होना चाहिए। *(व्यवधान)* स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सम्बद्ध सड़क योजना, अन्नापूर्णा इंदिरा आवास योजना, अम्बेडकर, बाल्मीकि आवास योजना, इन सारी योजनाओं से निश्चित रूप से जब परिणाम सामने आएंगे तो देश के अंदर 2012 तक बेकारी अवश्य दूर हो जाएगी। यदि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री रहे, जैसा दिख रहा है, देश की जनता चाहती है कि नेतृत्व उनको सौंपा जाएगा तो 2012 तक *(व्यवधान)* इससे जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा और साथ ही रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहूंगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर और कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बेकारी और बेरोजगारी ने संगीन सूरते हाल इख्तियार कर ली है। इस ऐवान में आदाद-ओ-शुमार के ढेर लगाए जा चुके हैं। मैं उसमें इज़ाफा नहीं करना चाहता लेकिन यह हाल है कि पिछले चार साल के अंदर करोड़ों लोग हैं जो अपने रोजगार और मुलाज़मतों से भी महरूम होकर रह गए। इस तरह रोजगार और मुलाज़मत को बढ़ाना तो दरकिनार, जो मौजूदा सतह, प्रैजैंट लैवल है, उसको भी बरकरार यह हुकुमत नहीं रख सकी है। स्पीकर साहेब, तालीमयाफ्ता बेरोजगारों की हालत भी तश्वीशनाक है। एजुकेटिड अनएम्पलॉयड के मामले में केरल इसमें सबसे आगे है। एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेज में रजिस्ट्रेशंस को अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि केरल में 35 लाख 39 हजार बेरोजगार दर्ज हैं। तमिलनाडु दूसरे नम्बर पर है, वहां 34 लाख 98 हजार, महाराष्ट्र में 34 लाख 34 हजार और वैस्ट बंगाल में 32 लाख 48 हजार है। इस तरह की स्थिति है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे और मुख्तलिफ स्कीमों की हालत बयान कर रहे थे। मैं मिसाल के तौर पर वजीरआजम की रोजगार योजना का हवाला दे दूं। उसमें 47 प्रतिशत एप्लीकेशंस रद्द हो जाती हैं, नामंजूर हो जाती हैं, यह सूरत-ए-हालत है। सर, इस समय इतना वक्त नहीं है वर्ना एक-एक स्कीम की बेसर और बेमानी यहां पर पेश की जा सकती है। यह एक मजमुई कैफ़ियत है। मैं एक अहम नुक्ता हुकूमत के सामने और ईवान के सामने रखना चाहता हूं। यह जरूरी है कि तरक्की के रास्ते में सोसाइटी का हर ग्रुप बराबर-बराबर आगे बढ़े। जो ग्रुप पीछे रह जाएगा, वह देश पर बोझ बन जाएगा और हम किसी को देश पर बोझ बनते देखना गंवारा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आइए, देखिए, आदादोशुमार डा० गोपाल सिंह की कयादद में हाई पॉवर पैनल ऑन माइनॉरिटीज ने जो रिपोर्ट पेश की है। मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर होती चली जा रही है। भयानक स्थिति है जो सामने आती है। डा० गोपाल सिंह की रिपोर्ट से आदाद शुमार पेश करके मैं हाउस का वक्त लेना नहीं चाहता। ये रिपोर्ट मौजूद हैं। जरूरी है कि माइनॉरिटीज को भी रिजर्वेशन दिया जाए। केरल का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को यहां पर इख्तियार कर लिया जाए। प्राइवेट सर्विसेज में रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत सख्ती, शिद्दत और इख़लास के साथ गौर करेगी और कदम उठाएगी।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): جناب اسپیکر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے کاری اور بے روزگاری نے سنگین صورت حال اختیار کر لی ہے۔ اس ایوان میں اعداد و شمار کے ڈھیر لگائے جا چکے ہیں۔ میں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حال ہے کہ پچھلے چار سال کے اندر کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے روزگار اور ملازمتوں سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ اس طرح روزگار اور ملازمت کو بڑھانا تو درکنار، جو موجودہ سطح ہے، اس کو بھی برقرار یہ حکومت نہیں رکھ سکی ہے۔

اسپیکر صاحب، تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ پڑھے لکھے بے روزگار لوگ، کیرل اس میں سب سے آگے ہے۔ ایمپلائمنٹ ایکسچینج میں رجسٹریشن کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیرل میں 35 لاکھ 39 ہزار بے روزگار ہیں۔ تامل ناڈو دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں 34 لاکھ 98 ہزار، مہاراشٹر میں

34 लाख 34 हजार اور ویسٹ بنگال میں 32 لاکھ 48 ہزار ہے۔ اس طرح سے حالت ہے۔

ابھی معزز ممبر کہہ رہے تھے اور مختلف ایکسوں کی حالت بیان کر رہے تھے۔ میں مثال کے طور پر وزیر اعظم کی روزگار یوجنا کا حوالہ دے دوں۔ 47 فیصد درخواستیں رد ہو جاتی ہیں، نامنظور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت حال ہے۔ جناب، وقت نہیں ہے، ایک ایک ایکسم کی بے اثر اور بے معنی یہاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ایک مجموعی کیفیت ہے۔ میں ایک اہم نقطہ حکومت کے سامنے اور ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ترقی کے راستے میں سوسائٹی کا ہر گروپ برابر برابر آگے بڑھے۔ جو گروپ رہ جائے گا، وہ ملک پر بوجھ بن جائے گا اور ہم کسی کو ملک پر بوجھ بنتے دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھئے، اعداد و شمار ڈکٹر گوپال سنگھ کی قیادت میں ہائی پاور میشل آف مائنارٹیز نے جو پیش کی ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھیانک حالات ہے جو سامنے آتی ہے۔ ڈکٹر گوپال سنگھ کی رپورٹ سے اعداد و شمار پیش کر کے میں ہاؤس کا وقت لینا نہیں چاہتا، یہ رپورٹ موجود ہیں۔ ضروری ہے کہ مائنارٹیز کو بھی ریزرویشن دیا جائے۔ کیرل کا جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن کو یہاں پر اختیار کر لیا جائے۔ پرائیویٹ سروسیز میں ریزرویشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان تمام معاملات کے اوپر حکومت سختی، شدت اور اخلاص کے ساتھ غور کرے گی اور قدم اٹھائے گی۔

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, चार साल पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने लालकिले से घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार दूंगा। मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई थी लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि मार्च 1997 तक इस देश में 2 करोड़ 70 लाख नौकरियां थीं, इस सरकार ने 20 लाख उनमें से नौकरियों खत्म कर दीं। मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि सरकार की निगाह में बेरोजगारी इस देश में नहीं रह गई। प्रसिद्ध विश्व अर्थशास्त्री श्री क्लेयर हेस्टी ने अनुमान लगाया है कि 18 करोड़ विश्व भर में बेरोजगार लोग हैं, 18 करोड़ से भी अधिक हैं और उसमें मैं दावा करता हूं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है, उनमें से 10 करोड़ से अधिक बेरोजगार भारत में हैं। आज बहुत अच्छा होता कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद रहते। उनकी उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बहस कर लेते लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बात माननीय प्रधान मंत्री जी तक जरूर पहुंचा दें। विभिन्न योजनाएं माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि ग्रामीण लोगों को अब रोजगार मिलेगा लेकिन हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री चिन्मयानन्द स्वामी जी यहां बैठे हैं, जौनपुर इनका क्षेत्र है। प्रतापगढ़, जौनपुर हम दोनों का है। आज जो एम्पलॉयमेंट ऑफिसेज में रजिस्ट्रेशन 1999 से है, यू०पी० में ही 60 लाख से अधिक लोग विभिन्न एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे लेकिन पांच साल में जौनपुर और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एक करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया है कि हम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं, उसके बारे में मैं यहां बताना चाहता हूं। सड़क पर मिट्टी डालने का काम सरकार करा रही है। मिट्टी इतनी पड़ रही है कि अगर वास्तव में उतनी मिट्टी डाली जाती तो हिन्दुस्तान में दो से अधिक हिमालय पर्वत खड़े हो जाते। यह सारा काम कागजों पर हो रहा है और कागजों पर ही ये आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इतने लोगों को काम दिया गया है। मैं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने पिछले पांच सालों में इतने उद्योग खोले हैं तो कितने लोगों को आपने नौकरियां उपलब्ध कराई हैं? अगर उपलब्ध कराई हैं तो एक हजार नौकरियों का ही आंकड़ा हमारे सामने रख दें, मैं एक करोड़ की तो बात ही नहीं करता। आप फैक्ट्रीज को बंद करते आ रहे हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। मैं प्रधान मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतने उदार हो गए हैं कि फैक्ट्री मालिक जितनी चाहे मजदूरों की छंटनी कर दें, जितने मजदूर हटाना चाहे हटा दे। आप सरकारी फैक्ट्रीज को भी बंद कर रहे हैं, तो इस तरह कितने लोगों को बेरोजगार करते जाएंगे?

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम शब्दों में और मूल बातों को यहां रखूंगी। पूरे सदन ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिंता जताई है, जो सुरसा की भांति बढ़ रही है। इसकी तह में जनसंख्या वृद्धि है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारे साथी ने केरल के बारे में बताया कि वहां सबसे अधिक शिक्षित हैं। बिहार में तो शिक्षा बिल्कुल ही चौपट है। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि वहां लघु उद्योग, चीनी उद्योग और कुटीर उद्योग बंद हो गया है। बुनकर, शिल्पी, कुम्हार, जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, लुहार, चमार आदि लोगों का उद्योग बंद हो गया है। बड़े-बड़े कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं। उनसे भी बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी के कारण बैंक डकैतियां बढ़ रही हैं। ट्रेनों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। राहजनी की घटनाएं हो रही हैं। अपहरण उद्योग को लोग अपना रहे हैं और फिरौती की रकम ऐंठने से लोग मालामाल हो रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, बेरोजगारी के कारण उन हाथों में बंदूक है। महिलाएं अपनी आबरू और बच्चों को बेचने को विवश हैं और पयालन बढ़ रहा है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसानों की हालत कितनी खराब है, यह सबको मालूम है। उचित प्रबंधन के माध्यम से रोजगार का विकास हो सकता था। किसी कवि ने किसान के लिए ठीक ही कहा है –

मुख में जीभ, भुजा में ताकत,
जीवन में सुख का नाम नहीं।
बसन कहां, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है।

[श्रीमती रेनु कुमारी]

कभी कहा जाता था – उत्तम खेती, मध्यम बाण, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। आज यह स्थिति है कि उत्तम चाकरी मध्यम बाण, निषिद्ध खेती भीख निदान। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि किसानों को आज खाद की, बीज की, सिंचाई की, भंडारण की समस्या है। उसके बाद जब वह अपनी फसल बेचने जाता है तो उसकी बिक्री की समस्या है, क्योंकि उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए।

जितने भी वी०आई०पी० हैं, चाहे नेता हों या अधिकारी हों, उनपर बहुत फिजूलखर्ची होती है। उनके खर्चों को रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रेनु कुमारी : मैं समाप्त कर रही हूं। अभी हमारे साथी रासा सिंह जी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को गिनाया, जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं कहना चाहती हूं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सब योजनाओं में लूट मची है। इसलिए इन योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इस पर ध्यान देकर रोजगार को बढ़ाया जाए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। देश की हालत बेरोजगारी के कारण बहुत खराब हो चुकी है। प्रधान मंत्री ने एन०डी०ए० की सरकार के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य योजनाएं हों, लोगों को रोजगार देने के लिए उनको शुरू किया गया है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि वहां सवा लाख लोग आज भी बेरोजगार हैं। वे नौकरी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। हाल ही में वहां मिलिट्री की परीक्षा हुई थी, जिसमें 600 जगह थीं, लेकिन वहां जगह-जगह से करीब 40,000 लोग आए थे। रेलवे में भी यही हालत है। अभी रेलवे में 20,000 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकला था तो कई लाख लोगों ने आवेदन किया था। रेलवे बोर्ड की रिक्रूटमेंट पालिसी पर हम लोगों ने इसी सदन में कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी। महाराष्ट्र में काफी बेरोजगारी है। महाराष्ट्र में 50 लाख लोग बेरोजगारों की लिस्ट में दर्ज हैं। वहां की राज्य सरकार ने हाल ही में 27,000 नोकरियां कैंसिल कर दी हैं। इस तरह से वहां रोजगार देने का माध्यम नहीं बन पा रहा है। महाराष्ट्र में 17,000 अध्यापकों के पदों को भी वहां भी सरकार ने रद्द कर दिया है। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए परिवार नियोजन होना बहुत जरूरी है। मैंने गत् सत्र में इस बारे में एक प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि परिवार नियोजन पर जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए। जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा, आबादी बढ़ती ही जाएगी। रिजर्वेशन की भी बात यहां बनातवाला जी ने उपस्थित की और बहुत सारे आंकड़े भी बेरोजगारी के बारे में दिये। मेरा कहना है कि परिवार नियोजन करने के बाद बेरोजगारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। *(व्यवधान)* महाराष्ट्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको स्थानीय नौकरियां मिलनी चाहिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सर, मुझे भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर गये थे, मैंने आपका नाम पुकारा था। ठीक है, आप बोलिये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : मान्यवर, मैं आपके साथ पौलैंड गया था। आपने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया। पौलैंड की आबादी साढ़े तीन करोड़ है और हमारे देश में बेरोजगारों की आबादी 25 करोड़ है। इस बारे में सरकार ने जो सोचा है वह तो ठीक है लेकिन सभी पार्टियों के लोग भी इस बारे में सोचेंगे क्योंकि यह खाली बेकारी का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है। राष्ट्रीय सवाल जिस वक्त पैदा होता है तो सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाइं) : महोदय, अपना नाम पुकारे जाने के समय उपस्थित नहीं रहने के लिए क्षमा चाहता हूं और मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा।

सबसे पहले, बेरोजगारी के बारे में बातचीत करते समय बेरोजगारी और रोजगार के अवसर की कमी में भेद करना होगा। मैं उन सभी तथ्यों और आंकड़ों जो हमारे विशिष्ट मित्रों ने प्रस्तुत किए हैं, से पूरी तरह से सहमत हूं और इससे भी सहमत हूं कि संगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है किन्तु कुल मिलाकर रोजगार के अवसर में मैं नहीं समझता कि कोई कमी आई है। वे बढ़ रहे हैं क्योंकि यदि आप अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर देखें तो आपको पता चलेगा कि बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन हुआ है। टेलीविजन, दूरसंचार, मनोरंजन क्षेत्र और होटल क्षेत्र में काफी संख्या में नौकरियों का सृजन हुआ है।

श्री जी०एम० बनातवाला के केरल और गोवा में बेरोजगारी के बारे में अनेक आंकड़े दिए हैं किन्तु होटल उद्योग और पर्यटन उद्योग में पिछले सात आठ वर्षों में अनेक नौकरियों का सृजन हुआ है किन्तु उन्हें रिकार्ड नहीं किया गया है। वास्तव में, 'नेशनल एस्टीमेट' जिसका श्री मणि शंकर अय्यर ने भिन्न संदर्भ में उल्लेख किया, ने असंगठित क्षेत्र में सृजित रोजगार की संख्या की गणना करने का प्रयास किया और यह अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय : डा० नीतीश सेनगुप्त, आपको अपना भाषण समाप्त करना है।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : यदि नौकरियां बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि संगठित क्षेत्र इन नौकरियों को रखने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सरकार की विनिवेश नीति के परिणामस्वरूप बहुत से लोग स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले रहे हैं। तथापि, आसंगठित क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी का सवाल किसी दल का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है। बेरोजगारी के कारण गरीबी है न कि गरीबी के कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी है और इसीलिए आर्थिक विषमता बढ़ रही है। आज कुछ लोग 35 हजार फीट पर उड़ते हैं और कुछ लोग जमीन पर हैं। पुराने जमाने में गरीब और अमीर का अंतर केवल इतना ही था कि अमीर आदमी हाथी पर चलता था। हाथी की हाइट 12 फीट है और इंसान की पांच फीट है। पहले गरीब और अमीर में केवल इतना ही फर्क था, लेकिन आज गरीब और अमीर में इकोनोमिक डिसपैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे विचार से यही एक हिंसा का कारण है। बेरोजगार जवानों को रोजगार नहीं मिलता, लेकिन एके-47 मिल जाती है, जिसके चलते हिंसा बढ़ रही है और अमन-चैन समाप्त हो रहा है। (व्यवधान) मेरा सुझाव है कि जॉब-ओरियेन्टेड एजुकेशन दी जाए। इकोनोमिक पालिसी के चलते जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ही पलायन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, बैठिए। एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा सुझाव है कि नेशनल कमीशन फॉर लेबर बनाना चाहिए। गांव के लोग बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन तभी रुक सकता है, यदि नेशनल कमीशन फॉर लेबर गठित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप नेशनल कमीशन फॉर लेबर बनाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल पप्पू यादव जी की बात रिकार्ड पर जाएगी। यादव जी, आप बोलिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, यह जीवन-मरण का प्रश्न है। सदन में इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है। देश की 100 करोड़ की आबादी हो गई है और आज सदन में फिर बेरोजगारी पर बहस हो रही है। इसके लिए पक्ष-विपक्ष, सभी लोग दोषी हैं। हमें कुछ बातों पर महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट सैक्टर में नौकरी देकर बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बिग-इन्डस्ट्रीज, स्माल इन्डस्ट्रीज और की-इन्डस्ट्रीज, इनको जनसंख्या के आधार पर बांटना होगा कृषि क्षेत्र में 70 प्रतिशत लोग आश्रित हैं। यदि हम कृषि को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इसकी संख्या को बांटना होगा कि देश की इतनी जनसंख्या कृषि पर आश्रित होगी। इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिए। मैं इसीलिए बोलने के लिए मौका नहीं देता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : गांव की महिलाओं को छोटे-छोटे उद्योगों जैसे चूड़ी बनाना, जैली पर आधारित उद्योग, केला और आम व मखाने पर आधारित उद्योग को चलाने की शिक्षा देनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं *(व्यवधान)*

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में सिर्फ मंत्री जी का वक्तव्य और इसके अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दो दर्जन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चर्चा के दौरान उनके बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए। एक ओर जहां आलोचना थी, वहीं सुझाव भी थे। इसमें संदेह नहीं कि पिछले वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। लेकिन यह भी सत्य है कि असंगठित क्षेत्र में लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश के बावजूद भी सन् 2002 और 2003 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन कुल मिलाकर देखने से पता चलता है कि पिछले वर्षों में असंगठित क्षेत्र में रोजगार कम बढ़ा, लेकिन पिछले एक-डेढ़ वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार ज्यादा बढ़ा होगा। इस बारे में स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्री के०पी० सिंह देव जी ने ठीक कहा और श्री मणि शंकर अय्यर जी ने फीगर्स देते हुए कहा कि केवल फीगर्स उपलब्ध करा देने से बात नहीं बनती है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा० साहिब सिंह वर्मा]

यह सवाल देखने का है कि आज देश की क्या परिस्थिति है, देश किस ओर अग्रसर है, देश के लोगों में किस प्रकार का विश्वास है, देश के लोगों में नेतृत्व के प्रति कितना विश्वास है, देश में जो नीतियां चल रही हैं, उनके प्रति लोगों में कितना विश्वास है और क्या देश तरक्की कर रहा है? आज न केवल हिन्दुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को अच्छी तरह मानते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है।

अभी यूथ पॉलिसी की बात हो रही थी। यहां कहा गया कि राजीव जी ने एक यूथ पॉलिसी बनायी थी और रोजगार देने की बात कही थी तथा कहा था कि देश भर से बेरोजगारी को दूर करने का काम किया जाएगा, रोजगार बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं उन पांच वर्षों की बात बताना चाहता हूं। *(व्यवधान)* लक्ष्मण जी आपने ही वह बात उठायी थी। मैं उन पांच वर्षों की बात करना चाहता हूं, जब बहुत डायनमिक और यंग प्राइम मिनिस्टर थे और जिन्होंने नीतियां भी बनायी थीं, जो बहुत कुछ करना चाहते थे और जिन के साथ ब्यूरोक्रेसी भी थी क्योंकि उन्होंने लोक सभा की तीन चौथाई सीटें ली थीं लेकिन उस दौरान 1984 से 1989 तक, पांच वर्षों में अगर जॉब्स देखें तो वे 1984 में 73.45 लाख थीं। *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा राजीव गांधी के रिजीम की हो रही है या इस सरकार के रिजीम की हो रही है। पांच साल में आपने क्या किया यह सदन जानना चाहता है? *(व्यवधान)* हमने क्या किया हमें मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर अपने आप को सीमित रखिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप आपना भाषण दीजिए।

(व्यवधान)

डा० साहिब सिंह वर्मा : मैं सारी बात बता रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं अर्ज कर रहा था कि वे 1984 में 73 लाख 45 हजार, 1985 में 73 लाख 9 हजार, 1986 में 73 लाख 73 हजार, 1987 में 73 लाख 64 हजार और 1988 में 73 लाख 91 हजार थीं। मैं पांच वर्ष की उपलब्धियां बता रहा हूं। इस दौरान ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में नौकरियां, बड़ी-बड़ी पॉलिसीज का निर्माण हुआ, यूथ पॉलिसी बनायी गई और क्या-क्या बनाया, मैं यह बता रहा हूं। उसके बाद प्राइवेट सैक्टर में जो नौकरियां मिलीं, मैं उनका लेखा-जोखा बता रहा हूं। अगर आपने गलतियां कीं और कोई काम ठीक नहीं कर पाए या आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो बात शुरू की, उसके कारण लाखों उद्योग धंधे हमारी सरकार के आने से पहले बंद हुए, मैं यह बात आपसे नहीं कहना चाहता। मैं जब कई प्रदेशों में जाता हूं, कोटा में जाता हूं या कहीं और जाता हूं तो पाता हूं कि वहां हजारों-हजार उद्योग धंधे बंद हो गए। यह बात नहीं है कि वे हमारे कार्यकाल में बंद हुए। यह बात सही है कि आपकी गलत नीतियों के कारण वे आपके समय में बंद होते रहे। उनके बाद वे देवेगौड़ा जी, गुजराल जी के समय में बंद होते रहे। वे बाद में कुछ हद तक बंद हुए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह मंत्री हैं। उन्हें तथ्य बताना चाहिए। उन्हें छठी, सातवीं अथवा आठवीं योजना अवधियों के दौरान बंद हुए सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के बारे में बताना चाहिए? *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मेरे पास आर्थिक सर्वेक्षण है। क्या वह कृपया उन्होंने जो अभी-अभी कहा उसे आर्थिक सर्वेक्षण की इस तालिका से मिलाएंगे जिसमें यह कहा गया है कि राजीव गांधी के शासन काल में 1983 से 1989 के दौरान रोजगार में वृद्धि दर 2.89 प्रतिशत था जो इस सरकार के पांच वर्षों के दौरान घटकर 1.07 प्रतिशत रह गया है। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने सिर्फ संगठित क्षेत्र का आंकड़ा लिया है और उन्होंने कुल कार्यबल की गणना नहीं की। श्रम मंत्री इस तरह से देश को संसद को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम बंद हुए? *(व्यवधान)*

डा० साहिब सिंह वर्मा : मेरे पास आंकड़े हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : छठी, सातवीं और आठवीं योजना अवधियों के दौरान जब कांग्रेस शासन था, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने एकक बंद हुए और रोजगार के कितने अवसर घटे? उन्हें तथ्य बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मणि शंकर जी कह रहे थे कि ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यह पढ़े-लिखे हैं। आई०एफ०एस० की नौकरी करके राजनीति में आए हैं। इनको इतनी * कि पार्लियामैंट में कैसे बोलना चाहिए?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं चाहता हूं कि आप सत्य बताइए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मणि शंकर जी, प्लीज बैठिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप ऐसा कह कर राजीव जी को बदनाम कर रहे हैं। *(व्यवधान)* क्या आप मुझे आए हैं?

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, आप इनसे कहें कि यह अपने शब्द वापस लें। वह यहां असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संदस्य, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। उनकी सभी बातें ठीक अथवा गलत भी हो सकती हैं। तथ्य किसी अन्य माध्यम से भी सभा के सम्मुख लाए जा सकते हैं। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, अगर यह पार्लियामेंटरी शब्द है तो ठीक है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी असंसदीय शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त से हटा दिए जाएंगे। कृपया सभा में शांति रखें। इसके बाद मुझे अगला मद लेना है।

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, जब से अपनी सरकार बनी है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उन्होंने प्रारम्भ से ही इस बात की चिन्ता की है और उसके लिये अनेक कदम उठाये हैं कि देश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिये। उन्हें रोजगार देने के लिये अनेक कमेटियां बनाई गई। इनमें एस०पी० गुप्ता कमेटी भी बनी थी। राज्यों के साथ बातचीत करके सब ने यह तय किया कि हम 10 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे (व्यवधान) आचार्य जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, आप भी कमेंटरी पास करते रहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना ध्यान उधर मत दीजिये, आप केवल मेरी ओर देखकर भाषण करिये।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात की चिन्ता की, इसलिये एस०पी० गुप्ता कमेटी गठित की। उसने कुछ सिफारिशें दी, बहुत सारी बातें सुझायीं। हमने उन बातों को 10वीं पंचवर्षीय योजना में समावेश करने का प्रयास किया। हमारी यही कोशिा रही कि न केवल नौकरियां बढ़ें बल्कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार और श्रमिक हैं, उनके लिये दूसरे नेशनल श्रम आयोग का गठन किया ताकि प्रधान मंत्री जी के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले। असंगठित क्षेत्र में 37 करोड़ लोग हैं जिन्हें देश की 56 साल की आजादी के बाद भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली थी, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके लिये पहल की तो इन लोगों को तकलीफ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : विधेयक कहां है? आज सत्र का अंतिम दिन है। विधेयक कहां है?

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह बिल कहां है? वह बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा क्लीयर हो चुका है और कैबिनेट से पास होने के बाद कानून बनेगा। अगर सभी माननीय सदस्य यह कहें कि आर्डिनेंस जारी करें तो वह भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य जल्दी में हैं कि यह होना चाहिये, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी को उसमें कोई आपत्ति न हो।

अध्यक्ष जी, कई बार माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। दुनिया के जितने देश हैं, उन्होंने अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया है तो वे अधिक मात्रा में और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बेरोजगारी को दूर कर पाये हैं। माननीय सदस्यों का सुझाव है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। वास्तव में देश की जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिये कोई न कोई ठोस और कठोर नीति बननी चाहिये, जिसे किसी बात की चिन्ता न करके सख्ती से लागू किया जाये। मैं चीन का उदाहरण दूंगा जहां पापुलेशन भी काफी है लेकिन रोजगार भी हैं। इसलिये जनसंख्या नियंत्रण के लिय कोई न कोई नीति बननी चाहिये। इससे काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[डा० साहिब सिंह वर्मा]

अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक बात यहां यह कही गई कि गांवों में लघु उद्योग लगाये जायें। जो हमारे परम्परागत कुटीर उद्योग हैं, वे चलते रहें लेकिन वे आहिस्ता-आहिस्ता किसी कारण से खत्म हो गये हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि वे किस वजह से खत्म हुये हैं, कुछ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ने ऐसी चीजें बनानी शुरू कर दी जिसकी ज्यादातर चीजें सस्ती थी, लेकिन घरेलू उद्योग में महंगी थीं। उन पर उसका असर पड़ा। उसे प्रोटैक्ट करने के लिये राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये जिससे गांव में रहने वाले, जो नौकरी पाने के लिये शहरों में आकर समस्या पैदा करते हैं, न आयें अगर गांव के अदंर ही काटेज इंडस्ट्रीज को दुबारा प्रोटैक्शन दी जाये, उनके लिये सॉफ्ट लोन दिये जायें और नई टैक्नौलौजी ठीक ढंग से गांव के काम को बेहतर बनाने के लिये दी जाये। तो निश्चित रूप से गांवों में रोजगार बढ़ सकता है। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि जिस तरह से 75 प्रतिशत हमारे स्कूल आर्ट्स में शिक्षा देते हैं, 25 परसेंट स्कूल मुश्किल से साइंस वगैरह में शिक्षा देते हैं। मैं यह मानता हूं कि देश के अंदर स्किल डेवलपमैंट के जो प्रोग्राम्स हैं, देश में जो स्किल्स हैं, उनकी बेहद कमी है। दुनिया देशों में, जिनमें 80 प्रतिशत स्किल्ड लोग हैं, वही देश तरक्की कर रहे हैं। हमारे देश में केवल आठ परसेन्ट स्किल्ड लोग हैं। उन्हें हम जो स्कूली शिक्षा देते हैं, कॉलेज में हायर एजुकेशन में हम जो शिक्षा देते हैं, उसे इस मात्रा में देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, खर्चा भी बहुत होता है, इसलिए हमें स्किल डेवलपमैंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, जो पांच लाख की आबादी के तहत आते हैं, उनके अंदर आई०टी०आई० वगैरह की एजूकेशन के लिए सौ प्रतिशत टैक्स एग्जैम्पशन दिया है। हम इस बजट में इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शहर में भी इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई आई०टी०आई० चलाता है तो उसमें उसे भी सौ प्रतिशत टैक्स एग्जैम्पशन मिले, इस बात का हमारा प्रयास जारी है। चूंकि देश की तरक्की के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, लोगों की अच्छी आमदनी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाये जाएं।

अभी माननीय सदस्य लक्ष्मण जी ने माननीय रुद्रदत्त जी का जिक्र किया कि उन्होंने अपने भाषण में, किताब में या लेख में यह बात लिखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इम्पलॉयमैन्ट पर जो टास्क फोर्स बनाई है, उसमें प्रो० अलघ को उसका चैयरमैन बनाया गया है और प्रो० रुद्रदत्त जी को उसका सदस्य बनाया है।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह आप पहले की बात बता रहे हैं।

डा० साहिब सिंह वर्मा : मैं अभी की बात बता रहा हूं। जो टास्क फोर्स हमने बनाई है, वह इस बात को देखने के लिए बनाई है कि अभी माननीय सदस्य ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पैसा तो सैंक्शन किया है, सड़कें तो बहुत बन रही हैं, गांवों में भी सड़कें बन रही हैं, सारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसमें मशीनों का प्रयोग हो रहा है, इसे कम किया जाए और मैनुअल लेबर फोर्स और लेबर इन्टैन्सिव इस तरह की चीजों पर जोर दिया जाए। इस काम को देखने के लिए हमने यह टास्क फोर्स बनाई है, ताकि यह बड़ी-बड़ी प्रोजैक्ट्स पर जाकर स्टडी करें और वहां जो काम चल रहा है उसमें देखें कि कौन से ऐसे काम हैं जो हाथ से किये जा सकते हैं, मजदूरों द्वारा किये जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों को लगाया जा सकता है। इस पर भी हमने यह काम प्रारम्भ किया है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा, अभी एक माननीय सदस्य सैल्फ हैल्प ग्रुप की बात कह रहे थे। वह कह रहे थे कि जो माताएं और बहनें हैं, अगर उनके हाथ में छोटी-मोटी क्रय शक्ति हो, कुछ पैसा उनके हाथ में हो तो बहुत मदद हो सकती है। पिछले पांच वर्षों में देश में जितने सैल्फ हैल्प ग्रुप बने हैं, उतने आजादी के बाद से कभी नहीं बने। इन ग्रुप्स से गांवों में रहने वाली मेरी माताओं और बहनों की काम करने की शक्ति बढ़ती है, उन्हें सोफ्ट लोन मिलता है। हर बैंक उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है, इसके लिए हर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जिस तरह से आप कह रहे थे कि सैल्फ इम्पलॉयमैंट के लिए लोगों को लोन नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी आसानी से पिछले पांच वर्षों में लोगों, को लोन मिलने लगा है, शायद उतनी आसानी से उन्हें पहले कभी लोन नहीं मिला होगा। यह हो सकता है कि कर्जा देने के लिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने परियोजना ऋण में 30 प्रतिशत तक की कमी की है और मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने वृद्धि की है। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : एस०डी०एस०आई० योजना के अंतर्गत दो लाख आवेदन अस्वीकृत किए गए थे।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी : बिहार में आज रिश्वत लेकर लोन दिया जाता है।

डा० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, बैंक कर्जा देते हैं तो कर्जा देने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती हैं। अगर किसी ने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं *(व्यवधान)* बैंक में कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन देश का हर व्यक्ति इस बात को जानता

है कि पहली बार किसानों के पैसे पर इंटरेस्ट कम किया गया, जितने भी लोग *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, सभा में मैंने जो कहा उस पर कायम हूं। मंत्री महोदय को भी उस बात पर कायम रहना चाहिए जो वह सभा में कह रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० साहिब सिंह वर्मा : जितने भी लोग स्वयं अपना काम चाहते हैं, उन्हें आठ-नौ परसेन्ट ब्याज पर पैसा मिलता है। मकान बनाने के लिए साठ परसेन्ट तक पैसा मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ और उसके कारण जो करोड़ों मकान बन रहे हैं, उनमें करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है। यह सब किसी स्टेटिस्टिक्स में एकदम से नहीं आ जाता, इसे आते-आते समय लगता है, यह आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा है, बिल्डिंग मैटीरियल का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यदि मकान बनते होंगे, तभी यह सब बढ़ा है। मकान बनाने के लिए मेसन चाहिए, बेलदार चाहिए, मजदूर चाहिए, उसमें करोड़ों लोगों को काम मिला है। उसके कारण माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों दस मिलियन की बात कही थी। बहुत सारी योजनाएं चली गईं, उसके कारण उन्होंने बताया था कि 80 लाख 39 हजार रोजगार हम 2002-2003 में क्रियेट कर पाए हैं। अगर उसकी डीटेल मैं बताऊं तो विकास प्रक्रिया के माध्यम से सृजित रोजगार 4.3 प्रतिशत ग्रोथ रेट पर हमने पिछले साल किया और अगर यह 7 होगा तो सोचिये कितना होगा? अगर 40 लाख उसमें होता है और 7 प्रतिशत होता है तो 56 लाख होगा। उससे 16 लाख और बढ़ जाएगा। यह एक वर्ष में लगभग 10 मिलियन होता है।

उसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.77, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर 4.83, प्रधान मंत्री रोजगार योजना पर 3, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम पर 1.6, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 3.2, सर्व शिक्षा अभियान .29, जल संवर्द्धन विकास 1.77, ग्रामीण आवास 3.20, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 19.68, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना .05 इसका कुल योग 80 लाख और 39 हजार बनता है।

अभी जैसे यह तो 4.3 पिछले साल के ग्रोथ रेट पर था। जब 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट होगा तो कितना होगा आप सोच सकते हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट हो जाएगा। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वर्षा के कारण हुआ। केवल वर्षा के कारण नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार का जो सहयोग रहा है, कार्य रहा है, उसके कारण हुआ है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से 2003-2004 में जो 10 मिलियन प्रधान मंत्री जी ने बात की थी, वह बात पूरी होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने देश में अभी भी बहुत काम करने हैं। जैसे दूध की बात कही, गांवों में एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए वह आवश्यक है।

एक बात और सदस्यों को बताना चाहता हूं कि टूरिज्म में जितना इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ है।

[अनुवाद]

यह पर्यटन क्षेत्र में पांच मिलियन हुआ है। यह अनुमान है। इसीलिए मैं कहता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह सही रणनीति है। पर्यटन के कारण लगभग पांच मिलियन रोजगार का सृजन किया गया है और प्रतिवर्ष इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है *(व्यवधान)* गत तीन से चार वर्षों में इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि केवल पर्यटन में हुई है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं। यह बात सही है कि अभी और बहुत काम करने की गुंजाइश है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और अधिक काम हम करेंगे तो रोजगार की संभावनाएं 10 मिलियन से भी बढ़ सकती हैं, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इनका कोई जवाब ठीक नहीं होता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 5.53 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन के बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो आराम से बैठिये मणिशंकर जी। वे तो बाहर जाएंगे ही। आप बाद में शुरू कीजिए। यह तो सभी को मालूम होता है।

अपराह्न 5.54 बजे

[अनुवाद]

आधे घंटे की चर्चा

गांधीजी पर विज्ञापन

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे – श्री मणि शंकर अय्यर।

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, सभा को याद होगा कि गत सप्ताह श्रीमती कांति सिंह ने डी०ए०वी०पी० द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 141 पूछा था जिसमें अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक लेख से दो वाक्य इस वर्ष महात्मा गांधी जयंती पर यह प्रदर्शित करने के प्रयास के रूप में प्रकाशित किए गए थे कि ये वाक्य महात्मा गांधी के दर्शन को व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस सभा में प्रत्येक विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करने वालों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया है।

तथ्य यह है कि गांधीजी के जीवनकाल में राष्ट्रीयता की प्रकृति और राष्ट्र के संदर्भ में अहिंसा के स्थान के संबंध में महात्मा गांधी के अनुयायिओं और विनायक दामोदर सावरकर, के०डी० हेडगेवार, बी०एस० मुंजे और गुरूजी गोलवलकर के अनुयायिओं में गंभीर मतभेद थे।

महोदय, हमारी संसद जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है के लिए गांधी जी के दर्शन को दलगत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तोड़-मोड़कर पेश करने की अपेक्षा उनकी विरासत अधिक मूल्यवान है। इसके अलोक में इस वर्ष संसद के अन्तिम कार्य के रूप में मेरा यह मानना है कि हमारे लिए यह स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि गांधीजी के दर्शन का सार क्या था जिसे सूचना और प्रसारण मंत्री ने महात्मा गांधी की संपूर्ण कृतियों से नहीं बल्कि अगस्त 1920 में लिखे गए लेख 'द डाक्ट्रिन ऑफ द स्वोर्ड' से लिया है। इन दो पंक्तियों में कहा गया है कि यदि कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना है तो गांधीजी ने कहा था कि ''मैं मानता हूं कि मैं हिंसा की वकालत करूंगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि यदि कायरतापूर्ण व्यवहार और राष्ट्र के अपमान के बीच चुनाव करना हो तो वह इस बात को वरीयता देंगे कि हमें कायरता के बजाए हिंसा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उसी लेख में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। मेरा विचार है कि यह सत्तापक्ष या सत्ताधारी दल और उसके कुछ निकटस्थ सहयोगियों की विचारधारा और सभा के इस पक्ष में बैठी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की विचार-धारा में अन्तर को परिलक्षित करता है; और वे गांधी जी का प्रयोग हिंसा में अपने विश्वास का औचित्य सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। मेरे विचारानुसार यह स्वीकार्य नहीं है। उसी लेख में गांधीजी ने कहा था कि उनका विश्वास है कि अहिंसा निश्चय ही हिंसा से श्रेष्ठ है। गांधी जी ने कहा था। क्षमा दण्ड से अधिक मानवोचित है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या आप एक मिनट के लिए रुकेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर : नहीं थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए और इसके बाद आपको अवसर मिलेगा।

उन्होंने संस्कृत में आगे कहा : 'क्षमा वीरस्य भूषणम। अर्थात् क्षमा से वीर की शोभा बढ़ती है।

जब मंत्री महोदय गांधीजी के विचारों को स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त शब्दों की तलाश कर रहे थे तो यह वाक्य उनके ध्यान में क्यों नहीं आया? उसी लेख में, गांधीजी ने कहा था कि अहिंसा धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए ही नहीं है बल्कि यह आम आदमी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। गांधीजी ने कहा था कि अहिंसा मानव जाति का कानून है जबकि हिंसा पाशविक कानून है, मानव की गरिमा के लिए किसी उच्च कानून, आत्मा की शुद्धि का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। मंत्री महोदय ने इन दो पंक्तियों को क्यों नहीं चुना?

महोदय, गांधीजी ने अपने उसी लेख में यह भी कहा था कि मैं भारत को अहिंसा का पालन करने की वकालत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह अत्यंत कमजोर है; बल्कि मैं चाहता हूं कि यह अहिंसा का पालन इसलिए करे क्योंकि मुझे उसकी शक्ति और क्षमता का पता है। मैं पुन: यह कह सकता हूं कि यदि मंत्री महोदय अगस्त 1920 के लेख से उद्धृत करना चाहते थे तो वे इन दो वाक्यों का भी चुनाव कर सकते थे जो गांधीजी के विचारों को बेहतर रूप से व्यक्त करते हैं।

मेरे मित्र श्री रवि शंकर प्रसाद जी, गांधी जी को पूर्वानुमान था और उन्हें ज्ञान था कि जिस प्रकार के लोग उस समय थे, 83 वर्ष बाद भी उस प्रकार के लोग होंगे जो जानबूझकर उनके दर्शन के सार की गलत व्याख्या करेंगे। अत: स्वयं उसी लेख में उन्होंने चेतावनी दी थी।

सायं 6.00 बजे

उन्होंने चेतावनी दी थी और कहा था : ''मैं उनसे निवेदन करता हूं जिनका मेरे विचारों पर विश्वास नहीं है।'' श्री रविशंकर प्रसाद मैं आपसे कह रहा हूं। गांधी जी ने कहा था :

"मैं अपनी बात में विश्वास न करने वालों से अनुरोध करता हूं कि वे इस संघर्ष में व्यवधान न डालें जो हिंसा से इस विश्वास के साथ शुरू हुआ है कि मैं हिंसा चाहता हूं।"

मंत्री महोदय ने हिंसा भड़काने के बारे में इस लेख से दो वाक्य यह बहाना बनाते हुए उद्धृत किए हैं कि गांधीजी हिंसा चाहते थे। 83 वर्ष पहले गांधीजी को जो भय था वही हुआ है। मेरे विचार से हम गांधीजी का यह भगवाकरण स्वीकार नहीं कर सकते। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह काफी बाद की बात है।

श्री मणिशंकर अय्यर : बाद में क्या हुआ था?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : तीस के दशक में कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बीच हिंसा और अहिंसा पर बहुत चर्चा हुई थी। सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और महात्मा गांधी ने उस वैध चुनाव का विरोध कभी भी उसमें उपस्थित न होकर किया। इसलिए, महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के बीच हिंसा और अहिंसा का प्रश्न कांग्रेस पार्टी के स्वर्णिम काल में तय नहीं हो सका। वह उन्हें इस तरह की बातों के लिए दोष क्यों दे रहे हैं? मैं उनसे यह जानना चाहता हूं? ... *(व्यवधान)* मैं प्रसंग के बाहर से नहीं लेना चाहता हूं। यह सिद्धान्त की बात है ... *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको मानना नहीं चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी पर श्री रवि शंकर प्रसाद नेताजी की कोई बात उद्धृत करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम गांधी जी और नेताजी के बीच हुए तर्कों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अथवा कांग्रेस के बीच मतभेदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र पिता की जन्म शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं जो ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आप विषय नहीं बदलिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, अब कृपया बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : जो लोग भारत की राष्ट्रीयता संबंधी वैकल्पिक विचारधारा और हमारे राष्ट्रीय जीवन में हिंसा की भूमिका के साथ जुड़े हुए थे, उनके द्वारा मारे जाने के 55 वर्ष्ज्ञ बाद हम राष्ट्र-पिता की जन्म शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं। और गांधीजी यह आशा कर रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ होता, उन्होंने कहा था कि :

"गांधीजी अहिंसा में विश्वास करते थे, इस धारणा का प्रचार करके हमें हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए।"

अत:, महोदय मैं मंत्री जी द्वारा निम्न संशोधन करवाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप कृपया इस बात की पुष्टि करें कि वह शीघ्र अवसर आने पर ऐसा करेंगे। मैं गांधीजी की अगली जन्म शताब्दी तक इन्तजार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे विश्वास है कि गांधी जी की अगली जन्म शताब्दी तक वह भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। अब, मैं गांधीजी के नाम पर यह मांग करता हूं कि गांधीजी का गोलवॉकर के रूप में वर्णन करने के लिए प्रायश्चित के रूप में, मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री सभा में यह आश्वासन दें कि डी०ए०वी०पी० के विज्ञापन में प्रकाशित किया जाएगा जिसमें उसी 'डाक्टराइन ऑफ दि स्वार्ड' लेख में से दो वाक्य होंगे। मैं निम्न दो सुझाव देता हूं जिसमें गांधी ने कहा था : "यदि भारत डाक्टराइन ऑफ दि स्वार्ड के सिद्धांत को अपनाता है ...", कृपया लैफिटनेंट जनरल त्रिपाठी की बात सुनिए। आप जीवन भर हिंसा के सिद्धांत पर चले हैं। गांधी जी ने कहा था :

"यदि भारत हिंसा के सिद्धांत को अपनाता है तो उसे एक क्षणिक जीत हासिल होगी। तब भारत के लिए मेरे हृदय में गर्व नहीं रह जाएगा।"

मैं श्री रवि शंकर प्रसाद को चुनौती देता हूं कि वह उठें और उत्तर में आश्वासन दें कि गांधीजी की जन्म दिवस पर प्रकाशित विज्ञापन के लिए प्रायश्चित के रूप में वह आने वाले शहीदी दिवस पर, गांधीजी के शहीदी दिवस की शताब्दी पर हम डी०ए०वी०पी० का विज्ञापन देखेंगे, जिसमें यह दो वाक्य होंगे जो गांधीजी के जीवन के परिप्रेक्ष्य को दर्शायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल दो सदस्यों ने सूचना दी है और मैं केवल उन्हें अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय महोदय, इससे पहले कि मैं मंत्री जी से सवाल पूछूं, मैं कहना चाहूंगा कि गांधीजी की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं थी। जिस समय पाकिस्तानी सेना कबायलियों को आगे करके श्रीनगर के पास तक पहुंच गई थी, उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी देश की अन्त:कालीन सरकार

[प्रो० रासा सिंह रावत]

के प्रधानमंत्री थी। वे बापू के पास गये और बापू से कहा कि इस स्थिति में क्या किया जाये, मैं तो आपकी अहिंसा के कारण कुछ कदम नहीं उठा पा रहा हूं तो बापू ने कहा कि मेरी अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है, तुम लाहौर की तरफ अपनी सेना बढ़ाओ, ये गांधी जी के शब्द थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रसंग का उल्लेख किया, वह सर्वथा प्रासंगिक है, वह सही है, किसी प्रकार के प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल कांग्रेस की बपौती नहीं हैं, वे समस्त मानवता की थाती थे। कांग्रेस जो चाहे, केवल वही गांधी जी के बारे में टी०वी० पर दिखाया जाये, यह सम्भव नहीं हो सकता है, यह संकीर्णता का द्योतक है। कांग्रेस ने तो आज गांधी जी को भुला दिया, इनको तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही याद रहे। गांधी जी के बारे में जो मणि शंकर अय्यर जी ने कहा, वह सर्वथा आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : आपको भाषण करने की इजाजत नहीं है, कृपया बैठिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस प्रसंग का उन्होंने टी०वी० के ऊपर विज्ञापन में उल्लेख किया, सर्वथा उचित है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अब तक मैं सोचता था कि वह प्रोफेसर हैं लेकिन अब मैं सोचता हूं कि वह प्रोफेसर नहीं हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे। आप कोई एक विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे अपने जीवन में दो बार गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिला है और मैंने उन्हें सम्मान दिया था। मैं उनके व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित हूं।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता गांधी जी को छोटा सिद्ध करने की प्रवृत्ति है। यह इस समय प्रकाशित प्रकाशनों से स्पष्ट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन सभी पुस्तकों में गांधी जी का नाम दिखाई नहीं देता है जो कि भावी पीढ़ियों के लिए है। यहां तक कि अहिंसा से संबंधित एक अध्याय में भी गांधी जी के नाम का उल्लेख नहीं है। यह अपमान है और इसे रोका जाना चाहिए।

मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि मुम्बई में देखाई गई एक फिल्म में नाथूराम गोडसे को शहीद के रूप में दर्शाया गया था। यह उस राष्ट्र के लिए शोभा नहीं देता जहां गांधी जी पैदा हुए थे और उन्हें राष्ट्र-पिता माना जाता है और वे ऐसी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें नाथूराम गोडसे को शहीद के रूप में दर्शाया गया था जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। मैं इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध करता हूं। इसे रोका जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, जब सम्माननीय सदस्य मणि शंकर अय्यर जी ने इस संदर्भ में चर्चा का आग्रह किया था तो मेरी यह अपेक्षा थी कि यह चर्चा जिस बौद्धिक स्तर पर जाने की हमारी अपेक्षा थी, वह जायेगी। मणि शंकर अय्यर जी की विद्वता, उनकी पढ़ाई, उनकी समझदारी को हम सभी जानते हैं। कभी-कभी मैं अपेक्षा करता हूं कि जितनी सुन्दर वे अंग्रेजी बोलते हैं, उतनी अच्छी अंग्रेजी मैं भी बोलने की धृष्टता कर पाता। मैं बहुत विनम्रता से यह अपेक्षा कर रहा था कि आज बहस का वह स्तर होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको उस दिन भी उत्तर में बताया था कि गांधी जयन्ती के दिन गांधी जी के पूरे चिन्तन के विषय में हम 2-3 लाइन की सूक्तियां डी०ए०वी०पी० में प्रकाशित करते हैं। मैंने यह भी बताया था कि वह गांधी जी की एक अधिकृत आत्मकथा तेंदुलकर साहब ने 1961 में पब्लिकेशन डिवीजन ने प्रकाशित की है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखी है। मैं आपकी अनुमति से चाहूंगा कि नेहरू जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है :

[अनुवाद]

> "इससे गांधीजी के बारे में मेरी जानकारी में जो पुस्तके हैं उनकी तुलना में अधिक तथ्य एवं आंकड़े सामने आते हैं। मैं इस पुस्तक को इस पीढ़ी के किसी महान व्यक्ति के जीवन के इतिवृत्त के रूप में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास के एक काल खण्ड के रूप में बहुत महत्व देता हूं। इसका अपना निजी महत्व है।" *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप मुझे उत्तर देने दें, मैंने आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया। नेहरू जी, टालस्टाय, आइंस्टीन, सब ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, यह अधिकृत पुस्तक है। एक प्रश्न और उठता है कि गांधी जी के बारे में हमारी क्या समझदारी है। गांधी जी का चिंतन, गांधी जी के विचार, गांधी जी के लेख आज तक प्रासंगिक हैं। पूरी दुनिया

गांधी जी को एक दूसरी दृष्टि से देखती है, यह हमारे लिए हर्ष की बात है।

रावत साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि गांधी जी को किसी पार्टी के द्वारा, किसी आइडियोलॉजी के द्वारा एप्रोपियेट करना उचित नहीं होगा। काफी लोग जो कभी न कभी सैद्धांतिक स्तर पर गांधी जी का विरोध करते थे, उन्होंने गांधी जी की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता, दोनों को पहचाना। ये देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। गांधी जी की चिन्तन प्रक्रिया की प्रासंगिकता बढ़ रही है। गांधी जी के बारे में कोई भी बात आती है तो उसको एक पूर्वाग्रह से ग्रसित चश्मे से देखने की कोशिश क्यों हो रही है? जो कोट किया गया है, वह आखिर किस संदर्भ में किया गया है? कायरता और हिंसा में चुनाव करना होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह को, अहिंसा को कई संदर्भों में परिभाषित किया– व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच में, समाज और किसी विदेशी दासता के रूप में और देश के स्वाभिमान के बीच में। हर स्तर पर उन्होंने अपने विचारों का निरूपण किया।

इस देश को और आने वाली जनरेशन को गांधी जी के इस पूरे चिंतन को समझने की जरूरत है। एक लाइन को आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट कोट करके गांधी जी के व्यक्तित्व की पूर्णता को कम करने की धृष्टता कहना, गांधी जी के व्यक्तित्व के साथ अन्याय करना होगा, यह बात मैं कहना चाहता हूं। गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, आज मैं कभी-कभी देखता हूं कि गांधी जी को गुजरे करीब 55 साल हो गये फिर भी आज जब एक नौजवान होश संभालता है तो उसके होश में गांधी जी आते हैं। एक स्वाभावित आदर आता है। ऐसा विरला ही देखा गया है। यह गांधी जी के चितन, गांधी जी के विचार की पूर्णता को आप समझें, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

हमारे आदरणीय मित्र श्री मणि शंकर अय्यर ने दो लाइन पढ़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आगे की दो लाइन और पढ़ें। आपने कोट किया कि :–

[अनुवाद]

> "लेकिन मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से कई गुना श्रेष्ठ है, क्षमा करना दण्ड से अधिक मानवोचित है। क्षमता यौद्धा की शोभा बढ़ाती है लेकिन यह संयम केवल तभी क्षमा होता है जब दण्ड देने की शक्ति हो। यह अर्थहीन होता है जब यह असहाय प्राणी से उद्भूत होने का बहाना बनाती है। कोई चूहा मुश्किल से उस बिल्ली को क्षमा करेगा जो उसके टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तैयार है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब क्या है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि थे। वे हमारे बिहार प्रांत से आते थे। उन्होंने एक कविता लिखी जिसकी एक पंक्ति है– "क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।"

[अनुवाद]

यहां गांधी जी के कहने का यही मतलब है। क्षमा करने की शक्ति दण्ड देने की शक्ति से उद्भूत होती है।

[हिन्दी]

उस दृष्टिकोण में उन्होंने कहा था। अगर देश के स्वाभिमान की बात आयी और उसके लिए तलवार भी उठानी पड़ी तो यह उचित होगा। इस पूर्णता को, गांधी जी को समझने की आवश्यकता है।

मैं आपके सामने तीन उदाहरण रखना चाहता हूं। मेरे लायक मित्र श्री मणि शंकर अय्यर या उस तरफ के लोग नेहरू जी को गांधी जी के प्रामाणिक शिष्य कहते थे। जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई, यह इतिहास की बात है, यह माना गया कि शायद यह देश सेना की तैयारी में कमजोर था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 1965 की वार में भारत को लीड किया तो नतीजा क्या हुआ, यह इतिहास की बात है इसलिए उसे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हम यह कहते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के शिष्य नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बंगलादेश की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी जिसको इतिहास आज भी सराहना की दृष्टि से देखता है। क्या श्री मणि शंकर अय्यर जी यह देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गांधी जी की समझदारी नहीं थी?

[अनुवाद]

सवाल यही है। यह पूर्वाग्रह ग्रसित विचार है जो हमारे विरुद्ध शत्रुता से प्रवृत्त है जिससे यह चर्चा हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि गांधी जी को लेकर, गांधी जी का बहुत बड़ा बड़प्पन था लेकिन गोलवरकर भी थे, डॉ० हैडगवार भी थे, मुंजे भी थे और वीर सावरकर भी थे, ये देश सभी का था। देश को समझना सभी के लिए था। गांधी जी की इन सभी के लिए

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद एक सम्मान था। यही लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र आज चलना चाहिए। आपको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर एक से एक मार्कसिस्ट भी थे, समाजवादी भी थे, लोकनायक जय प्रकाश भी थे। गांधी जी का उनके साथ विरोध हो सकता है लेकिन देश की समग्रता थी कि गांधी जी के व्यक्तित्व में सभी ने अपना कुछ पाया क्योंकि गांधी जी इस देश की आत्मा के प्रतीक थे। इसके साथ यह बहुत आवश्यक था। गांधी जी ने देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा पर कभी कोई आंच नहीं आये, इसके लिए कोई समझौता नहीं करने का कहा। आज अगर इनका यह चिंतन है कि यह कहकर हमने इस देश में गांधी जी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है मैं इस तथ्य से पूर्णत: इन्कार करता हूं। यह गुमराह करने वाला है और मेरा कहना है कि अगर आज भी गांधी जी जिन्दा होते तो देश की सुरक्षा के लिए वही बात कहते जो यहां मैंने कही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 6.16 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक — वापस लिया गया

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०सी० थामस) : महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मुल्याकंन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मुल्याकंन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 6.17 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संख्यांक 2) विधेयक* — पुर:स्थापित

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०सी० थामस) : महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मुल्याकंन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के अनुच्छेद 323ख के अनुसरण में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन के संबंध में विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए और उस अधिकरण द्वारा माल पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के और ऐसे शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मुल्यांकन के अवधारण के संबंध में विवादों के और साथ ही सेवा पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए भी और उससे संबंधित या

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 23.12.2003 में प्रकाशित।

उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं विधेयक* पुर:स्थापित करता हूं।

सायं 6.18 बजे

[हिन्दी]

कार्यमंत्रणा समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.19 बजे

[अनुवाद]

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, तेरहवीं लोक सभा के 2 दिसम्बर, 2003 को शुरू हुए चौदहवें सत्र का आज समापन हो रहा है। इस सत्र के दौरान, सभा की कुल 16 बैठकें हुई जो 94 घंटे तक चलीं।

इस अवधि के दौरान, सभा ने महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादित किए। सभा द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) स्वीकृत की गयीं।

दलों के नेताओं और सभा के सभी वर्गों के सदस्यों के सहयोग से, हम इस सत्र के दौरान 21 विधेयक पारित करा पाए हैं। सभा द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों में, संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान है और जो दलों में विभाजन से संबंधित उपबंधों का लोप करके दल-परिवर्तनरोधी कानून में संशोधन करता है, संविधान (एक सौवां संशोधन) विधेयक, 2003 जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किए जाने का प्रावधान है; आतंकवाद निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003; औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002; और परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2003 शामिल हैं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ यह कह सकता हूं कि इस सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक पारस्परिक सहयोग का परिचय दिया। यह, वास्तव में, संसदीय लोकतंत्र की सच्ची भावना का प्रतीक था। हम उन कतिपय स्थितियों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफल रहे, जिनमें कभी-कभी ऐसा लग रहा था कि सभा में गतिरोध का खतरा पैदा हो जायेगा। इस सम्बन्ध में, भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2003 का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे दोनों पक्षों के सदस्यों के सहयोग से पारित किया जा सका। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2003 के सम्बन्ध में मतभेदों के कारण उत्पन्न स्थिति को भी दोनों पक्षों के नेताओं की मदद में सुलझाया गया।

सभा ने, अविलम्बनीय लोक महत्व के पांच मामलों पर नियम 193 के अधीन काफी लम्बी चर्चाएं की।

बिहार, असम, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य भागों में रेलवे की भर्ती नीति के कारण हुई हाल की हिंसक घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा, इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पारित करा कर सम्पन्न हुई, जिसमें इन घटनाओं में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की गयी और क्षेत्रीय सौहार्द को बनाए रखने एवं देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए अपील की गयी।

अन्य चर्चाएं श्री दिलीप सिंह जूदेव, पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र के सम्बन्ध में 10 दिसम्बर, 2003 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य; हाल ही में हुए स्टाम्प पेपर घोटाले; शेयर बाजार घोटाले सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर ''की गयी कार्यवाही रिपोर्ट''; और बेरोजगारी की समस्या पर हुई।

लोक महत्व के छह मामलों की ओर सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया, जिनके उत्तर में मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में आठ अन्य वक्तव्य भी दिए गए।

जहां तक प्रश्नकाल का सम्बन्ध है, 61 तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। शेष 259 तारांकित तथा 3166 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गए। दो अल्पसूचना प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए। साथ ही आंधे घंटे की एक चर्चा भी हुई।

सदस्यों ने सभा में 174 मामलों को उठाने के लिए नियम 377 के अधीन विशेष उल्लेख सुविधा का उपयोग किया। ''शून्य काल'' के दौरान, लोक महत्व के 37 मामले भी उठाए गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का सम्बन्ध है, तीन विधेयकों पर चर्चा हुई और उन्हें सभा की अनुमति से वापस लिया

गया। केन्द्रीय लोक उपक्रमों के निजीकरण सम्बन्धी गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर भी चर्चा हुई और इस चर्चा को अगले सत्र तक स्थगित कर दिया गया।

इस सत्र के दौरान, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 45 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

व्यवधानों के कारण नष्ट हुआ समय मेरे लिए हमेशा चिन्ता का विषय रहा है। इस सत्र के दौरान, व्यवधानों और उसके परिणामस्वरूप सभा को स्थगित किए जाने के कारण 7 घण्टे और 16 मिनट का समय नष्ट हुआ। फिर भी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम नष्ट हुए समय से दोगुना समय अर्थात् अतिरिक्त 14 घंटे और 17 मिनट तक भोजनकाल में और शाम को देर तक बैठे। यह, सभा के सभी वर्गों से प्राप्त हार्दिक समर्थन और सहयोग से ही संभव हो सका।

मैं सदन के माननीय नेता, विपक्ष की माननीय नेता, सदन में सभी दलों के नेताओं और उप-नेताओं तथा मुख्य सचेतकों एव सचेतकों और वास्तव में, सभा के प्रत्येक सदस्य को इस सभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से संचालित करने में मुझे और सहयोगियों को दिए गए सहयोग एवं शिष्टाचार के लिए आभारी हूं।

मैं, सभा के संचालन में अमूल्य सहयोग के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगी एजेंसियों की सराहना करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं, सभा की कार्यवाही को कवर करने के लिए मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं।

मुझे विश्वास है कि मुझे आगामी वर्ष में भी सदस्यों का हार्दिक समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा।

मैं आप सभी को क्रिसमस तथा अत्यधिक खुशहाल एवं समृद्ध नव वर्ष की बधाई देता हूं।

सायं 6.23 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।